Microtek Group Of Institutions

Subject Name : **Income Tax**

Syllabus Covered :**BCOM 2nd Year**

(Purvanchal University)

विषय–सूची

अध्याय 1	विषय प्रवेश तथा महत्वपूर्ण परिभाषाएं	5
अध्याय 2	निवास स्थान तथा कर दायित्व	11
अध्याय 3	कर से छूटें	17
अध्याय 4	वेतन से आय	19
अध्याय 5	मकान-सम्पत्ति से आय	41
अध्याय 6	व्यापार अथवा पेशे के लाभ	49
अध्याय 7	ह्रास	74
अध्याय 8	पूंजी लाभ	81
अध्याय 9	अन्य साधनों से आय	91
अध्याय 10	आय का मिलाना तथा आय का संकलन	102
अध्याय 11	हानियों की पूर्ति एवं उन्हे आगे ले जाना	105
अध्याय 12	कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियां	108
अध्याय 13	आयकर में से छूटें	119
अध्याय 14	व्यक्तियों का कर निर्धारण	123
अध्याय 15	हिन्दु अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना	132
अध्याय 16	फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर-निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना	138
अध्याय 17	आयकर प्राधिकारी तथा उनके अधिकार	152
अध्याय 18	कर-निर्धारण की कार्य विधि	158
अध्याय 19	अपील तथा पुनर्विचार	166
अध्याय 20	कर का अग्रिम भुगतान	170
अध्याय 21	कर की वसूली एवं वापसी	172
अध्याय 22	अर्थदण्ड, जुर्म तथा अभियोजन	174
अध्याय 23	उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती तथा कर का संग्रह	177
अध्याय 24	कंपनियों का कर निर्धारण	181

SYLLABUS

Paper-II: Income Tax Law and Practice

Max. Marks : 100

Time : 3 Hours

Note : Atleast ten questions shall be set in the question paper with minimum of three questions from each unit. The candidate shall be required to attempt five questions in all, selecting atleast one question but not more than two from each unit.

Unit-I Definitions: Agricultural Income, Previous year, Assessment year, Assessee, Person, Casual Income Total Income, Residence of assessee and incidence of Tax liability. Income exempted from tax: Income under the head salary, house property, business and profession (including depreciation allowance and investment allowance etc.) capital gains and other sources.

Unit-II Deduction from gross total income, set-off and carry forward of losses, Aggregation of incomes. Assessment of individuals, Hindu undivided families, and Firms (including computation of tax.)

Unit-III Income Tax Administration: Income Tax Authorities, Assessment procedure, Recovery and refund of tax, appeals and revision, penalties and prosecutions, Return filing by the individuals.

अध्याय-1

विषय प्रवेश तथा महत्वपूर्ण परिभाषाएं

(Introduction and Important Definitions)

आयकर विधान द्वारा लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी न्युनतम कर योग्य आय से अधिक आय अर्जित करने पर सरकार को भुगतान करना पड़ता है। चाहे वह आय किसी भी स्त्रोत से प्राप्त की गई है।

सर्वप्रथम आयकर 1860 में सर जेम्स विलसन द्वारा 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के कारण हुई हानियों की पूर्ति के लिए लगाया गया था तथा जिसके लिए 1886 में एक आयकर अधिनियम 1886 पारित करके इसे स्थाई रूप प्रदान किया गया। उसके पश्चात 1922 में एक नया आयकर अधिनियम पारित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर का भुगतान करना होगा। इसी अधिनियम की आधारशिला पर कर की चोरी रोकने के लिए 1961 में आयकर अधिनियम पारित किया गया जो अब तक लगातार संशोधित होकर चल रहा है। यह एक वार्षिक कर है जो निर्धारित दरों पर एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आय में निम्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता हैः-

1) वेतन से आय 2) मकान, सम्पति से आय 3) व्यापार तथा पेशे से आय 4) पूंजी लाभ 5) अन्य साधनों से आय

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

(Important Definitions)

क षि आय

(Agriculture Income)

क षि आय पूर्णतया कर मुक्त आय है जो कि एक व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों के समुदाय की दशा में 5000 रु. तक पूर्णतया करमुक्त है परन्तु उससे अधिक होने पर उसे गैर क षि आय में जोड़कर कर लगाया जाता है तथा इसके पश्चात कुल कर में से केवल क षि आय पर लगने वाला कर घटा दिया जाता है। जिससे क षि आय पूर्णतया कर मुक्त हो जाती है।

धारा 2(IA) के अनुसार क षि आय से हमारा अभिप्रायः

1) उस आय से है जो भारत में स्थित किसी क षि भूमि से प्राप्त होने वाले किराए या लगान के रूप में प्राप्त होती है। जोकि क षि क्रिया में प्रयोग होने के लिए दी गई थी तथा उस पर क षि क्रिया की जाती है। क षि क्रिया से हमारा अभिप्राय उस क्रिया से है जिसमें फसल की सिंचाई, कटाई तथा उसे साफ करके बेचने योग्य बनाने के लिए की गई क्रिया से है। परन्तु यदि से क्रियाएं नहीं की गई है तो ऐसी फसल से प्राप्त की गई आय क षि नहीं में शामिल नहीं किया जाएगा जैसेः- स्वयं उग आई घास के विक्रय से आय। यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीद कर बाद की क्रियाएं करता है तथा उसको बाजार में बेचकर कोई आय अर्जित करता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय क षि आय नहीं होगी।

2) यदि किसान अपनी पैदावार को बेचने योग्य बनाने के लिए कोई क्रिया करता है तो उससे प्राप्त होने वाली आय भी क षि कहलाती है। जैसेः- तम्बाकू के पते सुखाकर, बंडल बनाने से प्राप्त पारिश्रमिक क षि आय है।

3) यदि क षि भूमि के साथ कोई मकान सम्पति है तथा किसान इसका प्रयोग भण्डार घर के रूप में या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहा है तो वह आय भी क षि आय मानी जाएगी परन्तु इस भूमि पर भारत में लगान या स्थानीय कर लगता है अथवा वह भूमि गैर क षि क्षेत्र में स्थित है तथा उसकी आबादी 10,000 में कम है या नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं से अधिक दूरी पर स्थित है (जो कि 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए), से प्राप्त होने वाली आय भी क षि आय मानी जाएगी।

अशतः क षि आय
(Partly Agriculture Income)

अशतः क षि आय से हमारा अभिप्राय ऐसी आय से है जोकि आंशिक क षि की आय तथा आंशिक व्यापार से कमाई गई हो। गैर क षि की गणना करने के लिए बाजार मूल्य में से वह मूल्य घटा दिया जाता है जो कि सामान्यता कच्चे माल के लिए प्रयोग करने के लिए उसका मूल्य माना जाता है। बाजार मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः-

अ) औसत बाजार मूल्य यदि वह बाजार में बिक सकती है।

ब) यदि बाजार में नहीं बिकती तो निम्न का योग बाजार मूल्य होगाः-

(i) उपज करने के व्यय (ii) भूमि लगान या किराया (iii) उचित लाभ, जो कर निर्धारण अधिकारी उचित समझे।

उदाहरण के लिए यदि कोई चीनी का कारखाना अपने स्वयं के खेत से पैदा होने वाला ईख चीनी बनाने के लिए प्रयोग करता है तो वह अशतः क षि आय कहलाएगी।

चाए, कॉफी या रबड के उत्पादन से आयः-

यदि कोई व्यक्ति भारत में चाय या कॉफी का उत्पादन कर उसे बेच कर कोई आय कमाता है तो ऐसी फसल 60% क षि आय व 40% व्यापार की आय मानी जाएगी। रबड़ के उत्पादन से होने वाली आय 65% क षि आय व 35% व्यापार की आय मानी जाएगी।

भूमि से गैर क षि आय
(Non-Agriculture Income from land)

कुछ आय भूमि से होने पर भी क षि आय नहीं मानी जातीः-

i) घर बाजार से होने वाली आय,

ii) पत्थरों व खानों से होने वाली आय,

iii) स्वयं उगी घास, पेड़, बांस की आय,

iv) मछली क्षेत्र से आय,

v) ईट निर्माण से आय,

vi) क षि फार्म के मैनेजर का वेतन, लाभांश आदि की आय,

vii) डेरी फार्म, मुर्गी पालन से आय इत्यादि

उदाहरण
(Example):-

बताइए कि भारत में स्थित भूमि से निम्न आयें क षि आय हैं अथवा नहींः

i) क षि कार्य में प्रयोग आने वाली भूमि के लिये किराये की बकाया पर ब्याज से आय।

ii) क षि के व्यवसाय के लिए आवश्यक पशुओं के चराने के लिए प्रयोग होने वाली भूमि से आय।

iii) क षि के व्यवसाय के लिए आवश्यक पशुओं के चराने के लिए पट्टे पर दी गयी भूमि से आय।

iv) अपने आप उग आने वाले जंगली पेड़ों की बिक्री से आय जिनके रख-रखाव तथा विकास के लिए कुछ क्रियाएं की गयी थीं।

v) क षि कार्य में प्रयोग होने वाली भूमि के साधारण बन्धक पर ब्याज से आय।

vi) क षि फार्म के पास स्थित मकान से मानी गई आय जो करदाता का खुद का है तथा वह उसमें फार्म का अधीक्षण (Supervision) करने के लिए रहता है। फार्म शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव में स्थित है। इस फार्म पर न भूमि लगान लगता है और न स्थानीय कर।

vii) **पाकिस्तान में क षि भूमि से आय।**

viii) **किसान को अधिक उपज करने पर सरकार से प्राप्त ईमान।**

ix) **बाढ़ से फसल नष्ट हो जाने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।**

State whether the following income from land situated in India are agricultural income or not:

(i) Income from interest on arrears of rent payable in respect of land used for agricultural purposes.

(ii) Income from use of land for grazing of cattle required for agricultural pursuits.

(iii) Income from lease of land for grazing of cattle required for agricultural pursuits.

(iv) Income from sale of forest trees of spontaneous growth on which some operations for their preservation and growth were performed.

(v) Income from interest on simple mortgage of land used for agricultural purposes.

(vi) Notional income from a house situated near the agricultural farm and owned and occupid by the assessee for the supervision of the farm activities. The farm is situated in a village 10 kilometre from the city. No land revenue or local rate is levied on this farm.

(vii) Income from agricultural land situated in Pakistan.

(viii) Prize from the Government on account of higher yield.

(ix) Amount of compensation received from Insurance Company on account of loss of crop due to flood.

Solution

i) **यह क षि आय नहीं है क्योंकि भूमि से सीधी संबंधित नहीं है बल्कि किराया समय के अन्दर चुकाने में चूक करने के कारण है।**

[CIT vs. Raja Bahadur Kamakhya Narain Singh & Others (1948) 16 ITR 325 (PC)

ii) **यह क षि आय नहीं है क्योंकि यह आय क षि क्रिया है।**

[CIT vs. R.B. Rai Shamsherjang Bahadur (24 ITR I = AIR 1953 All 676)]

iii) **यह क षि आय है चाहे भूमि पशुओं के चराने में प्रयोग हो, चाहे इसी कार्य के लिए पट्टे पर दी गयी हो, क षि आय ही रहती है।**

[P. Chelliah Pillai vs. CIT (1948) Oudh 35)

iv) **यह क षि आय नहीं है क्योंकि खेती करने की आधारभूत क्रियाएं नहीं की गयी हैं।**

[Maharaja of Kapurthala vs. CIT (13 ITR 74 = AIT 1945 Oudh 35)]

v) **यह क षि आय नहीं है क्योंकि भूमि से नहीं हुई बल्कि बन्धक रखने से हुई है।**

[CIT vs. Sri Kameshwar Singh Maharaja of Darbhanga (1934) (2 ITR 107) (PC)]

vi) **भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, अतः चाहे भूमि पर लगान दिया गया हो अथवा नहीं क षि फार्म के पास स्थित मकान को करदाता का है और उसमें फार्म का अधीक्षण करने के लिए रहता है, ऐसे मकान की मानी गई आय क षि आय है।**

vii) **यह क षि आय नहीं है क्योंकि यह आय न भूमि से है, न कोई क षि क्रिया करने से है और न उपज के बेचने से है।**

viii) **यह क षि नहीं है क्योंकि यह आय न भूमि से है, न कोई क षि क्रिया करने से है और न उपज के बेचने से है।**

ix) **यह क षि आय है क्योंकि क्षतिपूर्ति की राशि क षि आय की क्षति के कारण ही मिली है।**

[CIT vs. B. Gupta (Tea) Pvt. Ltd. (1969) 74 ITR 337 (Cal.)]

व्यक्ति

(Person)

धारा 2 (अ) के अनुसार व्यक्ति से हमारा अधिनियम 1) एक व्यक्ति 2) हिन्दू अविभाजित परिवार 3) कम्पनी 4) साझेदारी फर्म 5) व्यक्तियों का संघ 6) व्यक्तियों का समूह 7) स्थानीय सत्ता 8) क त्रिम व्यक्ति, से है।

1) एक व्यक्ति से हमारा अभिप्राय एक मनुष्य (Human being) से है जो चाहे पुरुष, स्त्री, अव्यस्क बच्चा या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति से है।

2) हिन्दू अविभाजित परिवार से हमारा अभिप्राय ऐसे अविभाजित परिवार से है जो एक पूर्वज की संतान है जिसमें उनकी पत्नियां, व अविवाहित पुत्रियां भी शामिल है।

3) कम्पनी से हमारा अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित एक क त्रिम व्यक्ति से है। जिसका निर्माण किसी विधान के अर्न्तगत हुआ हे।

4) साझेदारी फर्म के आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अनुबंध के अन्तर्गत चलाए जाने वाले व्यापार से है।

5) व्यक्तियों के संघ से अभिप्रायः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने से होने वाली आय से है।

6) व्यक्तियों के समूह से आशय जो स्वयं ही एक साथ आ गए है। उदाहरणतया यदि कोई पिता अपनी वसीयत अपने दो पुत्रों के नाम लिख देता है तो वे दोनों व्यक्तियों का समूह कहलाएंगे।

करदाता

(Assessee)

धारा 2(7) के अनुसार करदाता उसे माना जाएगा जो कि

1) कर देने के लिए उत्तरदायी हो,

2) किसी ब्याज या अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी हो,

3) वह अन्य किसी व्यक्ति के संबंध में उत्तरदायी हो,

4) उसे करदाता मान लिया जाए माना गया करदाता (Deemed Assessee) से हमारा अभिप्राय जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में करदाता कहलाता है जैसे म त पिता के संबंध में उसका उत्तराधिकारी या पुत्र माना गया करदाता होगा।

5) कोई चूक करने पर उसे करदाता मान लिया जाए। जैसे एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से धनराशि देते समय यदि वह उसमें से कर नहीं कटता तो उस पर कर के लिए वह उत्तरदायी होगा।

आय

(Income)

धारा 2(24) के अनुसार आय से अभिप्रायः उस अर्जित धनराशि से है जिसे पर एक व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान करना है। इसमें निम्न को शामिल किया जाता हैः-

1) स्वयं की सेवाएं प्रदान करके कोई लाभ वेतन या अन्य पारिश्रमिक,

2) वेतन के साथ प्राप्त होने वाले करयोग्य भते व अनुलाभ जिन्हें वेतन के समतुल्य माना जाता है।

3) कोई क्षतिपूर्ति की राशि,

4) किसी सम्पत्ति, लाइसेंस आदि को बेचने से लाभ,

5) भारत सरकार या अन्य सरकार से कोई नकद सहायता,

6) कोई अन्य पूंजी लाभ,

7) कोई सट्टे आदि से आय जैसे - जुआ, लॉटरी, घुड़दौड़ की जीत, शर्त, दांव आदि से आय (करमुक्त राशि को छोड़कर जो कि घुड़दौड़ की जीत पर 2,500 रु. व अन्य सट्टे की जीत पर 5000 रु.।

वास्तव में आय से अभिप्रायः उन भौद्रिक प्राप्तियों से है जो नियमित व निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार या पेशे की आय, पूंजी लाभ, व अन्य साधनों से आय से है तथा निम्न शर्ते पूरी करती हैः-

1) यह आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए चाहे यह द्रव्य रूप में हो चाहे सेवा रूप में,

2) एक साथ प्राप्त हुई रकम भी आय है चाहे वह कानूनी ढंग से कमाई गई हो या गैर कानूनी ढंग से,

3) आय हमेशा प्राप्ति की आधार पर कर योग्य मानी जातीं इसके साथ ही कमाई गई तथा प्राप्त की गई दोनों रकमें आय कहलाती है।

4) व्यक्तिगत उपहार (gifts)] धर्मादा, बचत इत्यादि आय नहीं माने जाते।

कम्पनी

(Company)

कम्पनी से हमारा अभिप्राय धारा 2(17) के अनुसार एक ऐसे क त्रिम व्यक्ति से है जो कि भारतीय या विदेशी कानून के अन्तर्गत कोई निकाय, संस्था, संघ हो सकते है या किसी भारतीय या विदेशी बोर्ड के द्वारा उसे कम्पनी मान लिया गया हो या घोषित कर दिया गया हो उसे कम्पनी के नाम से जाना जाता है।

घरेलू व देशी कम्पनी

(Domestic Company)

धारा 2(22A) के अनुसार घरेलू कम्पनी से हमारा अभिप्राय उस संघ से है जो भारतीय है तथा जिसने अपना प्रबंध संचालन तथा सभी अंशधारियों के रजिस्टर भारत में स्थित अपने प्रमुख स्थान पर नियमित रूप से रखे है तथा उन अंशधारियों को लाभांश भी केवल भारत में देय है। वह कम्पनी घरेलु कम्पनी कहलाती है।

सकल कुल आय

(Gross Total Income)

धारा 80B(5) के अनुसार सकल कुल आय से अभिप्राय निम्न के योग से हैः-

1) वेतन 2) मकान सम्पत्ति से आय 3) व्यापार या पेशे से आय 4) पूंजी लाभ 5) अन्य साधनों से आय

परन्तु उस आय में से आगे लाई गई हानियां यह अंशोधित ह्रास घटा लिया गया हो।

कुल आय

(Total Income)

धारा 2(45) के अनुसार कुल आय से अभिप्राय सकल कुल आय में से धारा 80CCC से धारा 80U तक दी गई कटौतियां घटा लेने के पश्चात शेष राशि से है।

कर निर्धारण वर्ष

(Assessment year)

धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से अभिप्राय 12 माह की उस अवधि से है जो गत वर्ष से अगले वर्ष जो कि सामान्यतया 1 अप्रैल से प्रारम्भ हो कर 31 मार्च को समाप्त होता है, से है।

गत वर्ष

(Previous year)

धारा 3 के अनुसार गत वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है जिसमें आय कमाई जाती है। तथा इस पर अगले वर्ष कर लगाया जाना है। उदाहरण के लिए 2002-03 के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 गत वर्ष है। तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 2003-04 वितिय वर्ष कर निर्धारण वर्ष है।

सामान्य नियम व उसके अपवाद

सामान्य शर्तों के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी गत वर्ष की आय पर कर कर निर्धारण वर्ष में दिया जाता है परन्तु उसके कुछ अपवाद भी है। जब चालू वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष माना जाएगाः-

1) यदि कोई व्यक्ति या अनिवासी कम्पनी जिसका भारत में कोई प्रतिनिधि (Agent) न हो, तथा भारत से वह कोई समान, पशु व यात्रियों को विदेश ले जाने से कोई आय कमाता है तो उसे आय कमाने वाले वर्ष में ही कर देना होगा।

2) भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति जो कि स्थाई रूप से भारत के बाहर रहने वाला है तो उसके चालू वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष माना जाएगा।

3) यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से अपनी कोई आय या सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के हस्तान्तरित कर देता है तो पकड़े जाने पर चालू वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष माना जाएगा।

4) यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार या पेशा बंद कर रहा है तथा आगे चाले रखने का कोई उद्देश्य या संभावना नहीं है तो चालू वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष माना जाएगा।

अध्याय-2

निवास स्थान तथा कर दायित्व

(Residence and Tax Liability)

आय कर अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति पर कर उसकी निर्वासित स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। इसलिए उसकी निवासिच स्थिति को निम्न प्रकार समझा जा सकता हैः-

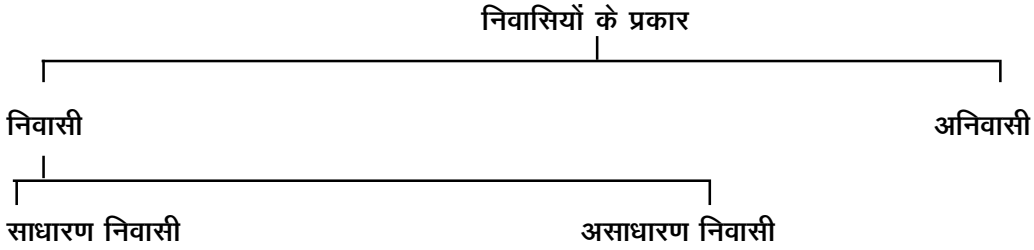

आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति की निवासिच स्थिति निम्न आधार पर निर्धारित की जाती हैः-

निवासी

(Resident)

धारा 6(1) के अनुसार एक व्यक्ति को निवासी होने के लिए निम्न आधार शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी होगीः-

अ) वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो

या

ब) गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कम से कम 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो।

ब) आधार शर्त में 60 दिन रहने के अपवाद भी हैः-

1) एक व्यक्ति जो कि भारत का निवासी है तथा गत वर्ष में किसी भारतीय समुद्री जहाज के सदस्य के रूप में विदेश जाता है तो उसे 60 दिन की बजाए गत वर्ष में 182 दिन भारत में ठहरना होगा अर्थात् प्रथम आधार शर्त ही पूरी करनी होगी।

2) एक व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति है और स्थाई रूप से विदेश में रहता है तथा गत वर्ष में वह भारत में घूमने के लिए आता है तो गत वर्ष में 60 दिन की बजाए 182 दिन भारत में रहना होगा।

Note:- भारत में ठहरने के दिनों की गणना करने के लिए भारत में आने तथा भारत से जाने वाले दिन भी शामिल होगें।

एक व्यक्ति को साधारण निवासी बनने के लिए आधार शर्तों के साथ-2 दो अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करनी होगीः-

1) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो,

2) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 70 दिन भारत में रहा हो।

यदि एक व्यक्ति आधार शर्तों में से एक तथा अतिरिक्त दोनों शर्ते पूरी करता है तो वह साधारण निवासी कहलाता है।

असाधारण निवासी

(Not Ordinarily Resident)

यदि एक व्यक्ति आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तथा अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या दोनों पूरी नहीं करता तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा।

अनिवासी

(Non Resident)

यदि एक व्यक्ति आधार शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो वह अनिवासी कहलाएगा।

उदाहरण के लिए

(1) एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मई 1999 में जर्मनी चला गया और फिर मार्च 2002 में भारत वापस आ गया तो 2001-02 गत वर्ष में वह भारत में 182 दिन नहीं रहा, तथा 2001-02 गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में वह कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा था लेकिन गत वर्ष में वह 60 दिन भारत में नहीं रहा, अतः वह 2001-02 गत वर्ष के लिए 'अनिवासी' कहलायेगा।

(2) एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मार्च 1999 में जर्मनी चला गया और 30 सितम्बर, 2001 को भारत वापस आ गया तो 2001-02 गत वर्ष में वह 182 दिन से अधिक भारत में रहा, लेकिन गत वर्ष 2001-02 से पूर्व के 10 वर्षों (1991-92 से 2000-01 तक) में 9 वर्ष भारत में 'निवासी' नहीं रहा था, अतः वह गत वर्ष 2001-02 के लिए असाधारण निवासी ;not ordinarily resident) कहलायेगा, यद्यपि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन से अधिक भारत में रहा। उसने एक अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं की।

(3) एक बंगाली व्यक्ति 15 वर्ष से ढाका (बंगला देश) में व्यापार करता है और वह भारत में प्रति वर्ष सात माह के लिए आता है। वह सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा तथा गत वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहा। अतः वह निवासी होने की आधार शर्त 'ब' पूरी करता है। वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में 'निवासी' रहा है तथा वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा। अतः वह व्यकित साधारण निवासी हुआ।

संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों का संघ

(Hindu Undivided Family, Firm or Association of Person)

निवासी

(Resident)

धारा 6(2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित परिवार साधारण निवासी तब माना जाएगा जब उसका कर्ता एक व्यक्ति (Individual) की तरह कोई आधार शर्त तथा अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करता हो। तथा फर्म व व्यक्तियों का संघ साधारण निवासी तभी माने जाएगें जब गत वर्ष में उनका प्रबन्ध संचालन पूर्ण या आंशिक रूप में भारत में स्थित हो।

असाधारण निवासी

हिन्दू अविभाजित परिवार का असाधारण निवासी होना भी एक (Individual) व्यक्ति की तरह होगा। तथा फर्म व व्यक्तियों का साथ असाधारण निवासी नहीं होते है।

अनिवासी

(Non Resident)

ये तीनों प्रकार के करदाता अनिवासी तब माने जाएंगे जब इनका सम्पूर्ण प्रबन्ध नियंत्रण भारत के बाहर स्थित हो।

कम्पनी

(Company)

निवासी

(Resident)

धारा 6(3) के अनुसार एक कम्पनी साधारण निवासी तब मानी जाएगी जब वह भारतीय कम्पनी हो या उसका सम्पूर्ण प्रबंध संचालन भारत में स्थित हो।

अनिवासी

(Non Resident)

एक कम्पनी अनिवासी तब मानी जाएगी जब इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध संचालन भारत के बाहर स्थित हो।

प्रत्येक अन्य व्यक्ति

(Every Other Person)

निवासी

(Resident)

आयकर अधिनियम की धारा 6(4) के अनुसार प्रत्येक अन्य व्यक्ति स्थानीय सता, क त्रिम व्यक्ति, देवी देवताओं की मूर्तियां) गत वर्ष में निवासी माने जाएगें यदि उनका आंशिक या सम्पूर्ण प्रबंध संचालन भारत में स्थित हैं।

असाधारण निवासी

(Not ordinarily Resident)

ये असाधारण निवासी नहीं होते है।

अनिवासी

(Non Resident)

यदि इनका सम्पूर्ण प्रबन्ध संचालन भारत के बाहर स्थित है तो ये अनिवासी कहलाएंगे।

निवास स्थान के आधार पर कुल आय पर कर भारत

(Incidence of Tax on Total Income on the Basis of Residence)

धारा 5 के अनुसार एक करदाता पर कर भारत उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है तथा उस बात पर भी निर्भर करता है कि आय कहां तथा कब अर्जित की गई अथवा प्राप्त हुई है। जिसे निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है।

आयें (Income)		कर योग्य है या नहीं		
		साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी अनिवासी
1)	गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय का प्राप्त हुई समझी जाए वो चाहे भारत में या भारत के बाहर उपार्जित का उदय हुई हो।	हां	हां	हां
2)	गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उपार्जित हुई समझी जाए चाहे भारत में या भारत के बाहर प्राप्त या प्राप्त हुई समझी जाए	हां	हां	हां
3)	व्यापार से आय जो गत वर्ष में भारत से बाहर प्राप्त या प्राप्त हुई समझी जाए तथा भारत में उपार्जित हुई समझी जाए परंतु व्यापार का प्रबन्ध संचालन भारत में स्थित है।	हां	हां	नहीं
4)	गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त या प्राप्त हुई समझी जाए तथा भारत के बाहर उपार्जित या उपार्जित हुई समझी जाए तथा ऐसे व्यापार से है जो भारत के बाहर नियंत्रित है।	हां	नहीं	नहीं
5)	पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त, उपार्जित या उदय हुई आय जो गत वर्ष भारत लाई गई हो।	नहीं	नहीं	नहीं

1) ''प्राप्त हुई हो'' से अभिप्राय किसी आय के प्राप्त करने के स्थान से है जहां वह आय सर्वप्रथम प्राप्त हुई है।

2) ''प्राप्त हुई समझी जाए'' से अभिप्राय आय के उदय होने से है चाहे प्राप्त न हुई हो।

3) उपार्जित तथा उदय होने से अभिप्राय प्राप्त करने के अधिकार से है, वास्तव में प्राप्त होने से नहीं।

5) किसी ऋण पर ब्याज भारत में उपार्जित तथा उदय हुआ माना जाएगा चाहे वह ऋण भारत में लिया हो या भारत के बाहर।

6) रॉयल्टी की आय भी भारत में उपार्जित व उदय हुई मानी जाएगी।

Practical Problems of Residence:-

Example No. 1:-

	श्री रतन चन्द की गत वर्ष 200-02 की कर-योग्य आय निम्न हैः	रु.
1.	भारत में उपार्जित तथा प्राप्त वेतन	20,000
2.	मेलबौर्न (आस्ट्रेलिया) में होटल के व्यापार से लाभ	30,000
3.	पर्थ (आस्ट्रेलिया) में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ	4,000
4.	भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय	20,000
6.	श्री फिलिप, जो अनिवासी है, को भारत में व्यापार करने के लिए दिये गए ऋण पर प्राप्त ब्याज	5,000
7.	जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिज्ञिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में श्री कैलाश जो भारत में निवासी है, से जर्मनी में प्राप्त रॉयल्टी	20,000
8.	लंदन में व्यापार कर रही एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त फीस, जो लंदन में प्राविधिज्ञिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में है और जोकि कम्पनी द्वारा भारत में उसके बैंक खाते में सीधी जमा कर दी गई है	30,000

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए श्री रतन चन्द की कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी निवासी है, (iii) अनिवासी है।

Solution **Computation of Total Income of Shri Ratan Chand**

for the Assessment Year 2002-03

		Resident	Not Ordinarily Resident	Non-Resident
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Income from Salary accrued and received in India	20,000	20,000	20,000
2.	Profit of hotel business at Melbourne	30,000	–	–
3.	Dividend declared in Perth but received in India	4,000	4,000	4,000
4.	Income from capital gains from transfer of asset situated in India	20,000	20,000	20,000
5.	Interest on Debentures of a company at Manchester, but received in India	6,000	6,000	6,000
6.	Interest received from a non-resident on loan provided to him for a business carried on in India	5,000	5,000	5,000
7.	Royalty received in Germany from a resident of India for technical services provided for a business carried on in Germany	20,000	20,000	20,000
8.	Fess from an Indian Company carrying on business at London for technical services rendered at London directly deposited in a bank account in India	30,000	30,000	30,000
	Total Income	Rs.1,35,000	85,000	85,000

Example No. 2:

श्री किशन लाल की गत वर्ष 2001-02 **की निम्न आयें हैं:** **रु.**

1. **पाकिस्तान में क षि से आय** 30,000
2. **भारत में वेतन प्राप्त की परन्तु सेवा इराक में की गई (गणना की गई)** 12,000
3. **भारत में व्यापार से आय** 12,000
4. **एक घरेलू कम्पनी से लाभांश** 2,000
5. **बंगलादेश में बैंक जमा पर कमाई गई तथा प्राप्त की गई आय** 6,000
6. **श्रीलंका में व्यापार से आय, जो भारत से नियंत्रित है तथा आय भारत भेज दी गई है** 14,000

श्री किशन लाल की कुल आय की गणना कीजिए यदि वह (i) **निवासी है,** (ii) **असाधारण निवासी है,** (iii) **अनिवासी है।**

Solution **Computation of Total Income of Shri Kishan Lal**

for the Assessment Year 2002-03

		Resident	Not Ordinarily Resident	Non-Resident
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Income from Agriculture in Pakistan	30,000	–	–
2.	Salary received in India but services rendered abroad	12,000	12,000	12,000
3.	Income from a business in India	12,000	12,000	12,000
4.	Dividend from a domestic company	Exempt	Exempt	Exempt
5.	Income from Bank deposits in Bangladesh received there	6,000	–	–
6.	Income from business in Sri Lanka but controlled from India and remitted to India	14,000	14,000	–
	Total Income	Rs. 74,000	38,000	24,000

नोट-1 **जून,** 1997 **को अथवा उसके बाद एक घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित अथवा घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश कर-मुक्त हैं।**

निम्न में से कौन-कौन सी आय भारत में कर-योग्य हैं यदि करदाता (अ) निवासी है, (ब) असाधारण निवासी है, तथा (स) अनिवासी है।

1. **कलकत्ते के व्यापार की आय जो अमेरिका से प्रबन्धित है** 25,000 **रु.।**
2. **भारत में की गई सेवाओं के बदले लंदन में प्राप्त पेंशन** 15,000 **रु.।**
3. **बर्मा की सम्पत्ति से आय** 10,000 **रु., जो भारत में प्राप्त की।**
4. **श्रीलंका में व्यापार से लाभ** 15,000 **रु., वहीं एक बैंक में जमा किए।**
5. **केन्या के पेशे से वहीं पर प्राप्त आय** 15,000 **रु. जो भारत में स्थापित था।**
6. **यू.के. सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज** 5,000 **रु. जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ।**
7. **इंग्लैण्ड विकास पत्र का ब्याज (भारत में** $1^{1}/_{5}$ **प्राप्त)** 50,000 **रु.।**
8. **अमेरिका में क षि से आय (वहां प्राप्त की, फिर भारत भेजी)** 81,000 **रु.।**
9. **कनाडा की सम्पत्ति से आय, विदेश में प्राप्त की** 40,000 **रु.।**
10. **यूगाण्डा के व्यापार की आय, जो कि दिल्ली से नियंत्रित है** (25,000 **रु. भारत में प्राप्त किये)** 45,000 **रु.।**
11. **भारत में भवन में बिक्री से लाभ जिसे श्रीलंका में प्राप्त किया** 18,000 **रु.।**
12. **लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन** 8,000 **रु.।**

13. बंगलादेश में बैंक जमा पर कमाई कई तथा प्राप्त की गई आय 6,000 रु.।
14. आय भोपाल में उपार्जित परन्तु सिंगापुर में प्राप्त 6,000 रु.।
15. इंग्लैण्ड में क षि से आय-यह सम्पूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लंदन में व्यय कर दी गई 5,000 रु.।

Solution

		निवासी	असाधारण निवासी	निवासी
1.	कलकत्ते के व्यापार की आय जो अमेरिका से प्रबंधित है	25,000	25,000	25,000
2.	भारत में की गई सेवाओं के बदले लंदन में प्राप्त पेंशन	15,000	15,000	15,000
3.	बर्मा की सम्पत्ति से आय भारत में प्राप्त की	10,000	10,000	10,000
4.	श्रीलंका के व्यापार से लाभ जो वहीं जमा किए	15,000	-	-
5.	केन्या से पेशे से वहीं पर प्राप्त आय, जो भारत में स्थापित था	15,000	15,000	15,000
6.	यू.के. सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज जिसका आधा भारत में प्राप्त हुआ	5,000	5,000	5,000
7.	इंग्लैण्ड विकास पत्र का ब्याज	50,000	50,000	50,000
8.	अमेरिका में क षि से आय, बाद में भारत भेजी गयी	81,000	-	-
9.	कनाडा की सम्पत्ति से आय, विदेश में प्राप्त	40,000	-	-
10.	यूगाण्डा में व्यापार से आय	45,000	45,000	45,000
11.	भारत में भवन की बिक्री से लाभ	18,000	18,000	18,000
12.	लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन	8,000	8,000	8,000
13.	बंगलादेश में बैंक जमा पर ब्याज वहीं प्राप्त	6,000	-	-
14.	भारत में उपार्जित आय, परंतु सिंगापुर में प्राप्त	6,000	6,000	6,000
15.	इंग्लैण्ड में क षि आय परन्तु सम्पूर्ण आय वहीं व्यय की दी	5,000	-	-

अध्याय-3

कर से छूटें

(Exemptions from Tax)

A) ऐसी आय जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न उन पर आय कर लगता है (पूर्णतया कर मुक्त आये):-

1. क षि आय (Agriculture Income) धारा 10(1) के अनुसार क षि आय सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त है।
2. **हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशियां:**- धारा 10(2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त धनराशि पूर्णतया कर मुक्त है।
3. **फर्म से एक साझेदार की आय का भाग:**- धारा 10(2A) के अनुसार एक फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त आय कर मुक्त है।
4. **आकस्मिक आय:**- धारा 10(3) के अनुसार ऐसी प्राप्तियां जो कि संयोगवश या बिना आशा के प्राप्त हो जाती है। वे कुल मिलाकर 5000 रु. तक कर मुक्त है। परन्तु घुड़दौड़ की आय 2,500 रु. तक कर मुक्त है।
5. **ब्याज की आय:**- आय 10(4) के अनुसार एक अनिवासी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों या बाण्डो पर ब्याज कर मुक्त है। एक अनिवासी व्यक्ति के लिए विदेशी खाते पर ब्याज भी कर मुक्त है।
6. **फीस या रॉयल्टी:**- धारा 10(6A) के अनुसार किसी विदेशी कम्पनी को तकनीकी सेवाओं के बदले में सरकार से अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा दी गई फीस या रॉयल्टी कर मुक्त है।
7. **तकनीकी सेवाओं के बदले फीस:**- धारा 10(6C) के अनुसार भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी कम्पनी को फीस के रूप में आय कर मुक्त है।
8. **परामर्शदाता की आय:**- धारा 10(8A) के अनुसार एक विदेशी, असाधारण निवासी या अनिवासी को अर्न्तराष्ट्रीय संगठन को, उपलब्ध निधि में से यदि परामर्शदाता के रूप में आय कर मुक्त है।
9. धारा 10 (10BB) के अनुसार एक व्यक्ति को भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर मुक्त है।
10. धारा 10(10D) के अनुसार सभी करदाताओं को जीवन बीमा पालिसी से प्राप्त राशि कर मुक्त है।
11. शिक्षा छात्रव तियां:- धारा 10(16) के अनुसार एक व्यक्ति को शिक्षा व्ययों की पूर्ति के संबंध में दी गई छात्रव तियां करमुक्त है।
12. धारा 10(17) के अनुसार संसद सदस्यों एवं विधायकों को प्राप्त भते कर मुक्त है।
13. **ईनाम या पुरस्कार:**- धारा 10 (17A) के अनुसार लोकहित में सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार या ईनाम सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त है।
14. धारा 10(19A) के अनुसार एक भारतीय रियासतो के भूतपूर्व शासकों के महल का वार्षिक मूल्य कर मुक्त है। परन्तु महल का कोई हिस्सा यदि किराए पर दे दिया जाए तो प्राप्त आय करमुक्त नहीं होगी।
15. धारा 10(20A) के अनुसार एक वैधानिक सता (जो मकानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी हो) की आय कर मुक्त है।
16. धारा 10(21) के अनुसार वैज्ञानिक शोध संघ की आय कर मुक्त है।
17. धारा 10(22B) के अनुसार समाचार एजेन्सी की आय कर मुक्त है।
18. धारा 10(23) के अनुसार अनुमोदित खेल कूद के संघों तथा संस्थाओं की आय कर मुक्त है।

19. **अनुमोदित पेशेवर संस्थाओं की आयः**- धारा 10(23A) के अनुसार वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एकाउण्टैन्सी, या आर्किटेक्चर के व्यवसाए के नियंत्रण, नियमन अथवा देखभाल करने वाली संस्थाओं को प्राप्त आय कर मुक्त है।
20. धारा 10(23AA) के अनुसार रेजिमेण्ट फण्ड या गैर सार्वजनिक फण्ड की आय जो भारत की फौज के भूतपूर्व या वर्तमान सदस्यों की आय कर मुक्त है।
21. धारा 10(23AAA) के अनुसार कर्मचारी अथवा उन पर आश्रितों के लिए कोष की आय (जो कोष कमीश्नर द्वारा अनुमोदित हो) कर मुक्त है।
22. धारा 10(23AAB) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम आदि की पेंशन फण्ड से आय करमुक्त है।
23. **खादी तथा ग्राम उद्योगों की आयः**- धारा 10(23B) के अनुसार एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो खादी तथा ग्राम उद्योग के व्यापार में लगी है, को प्राप्त आय कर मुक्त है।
24. **SAARC Fund की आयः**- धारा 10(23BBC) के अनुसार SAARC Fund से आय कर मुक्त है।
25. धारा 10(23BBD) के अनुसार सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन आर्ग्रेनाईजेशन की आय कर मुक्त है।
26. धारा 10(23BBE) के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की आय कर मुक्त है।
27. धारा 10(23EA) के अनुसार यदि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी सुरक्षा कोष की आय प्राप्त करता है तो कर मुक्त होगी।
28. धारा 10(23G) के अनुसार यदि कोई आधार संरचना पूंजी कोष कम्पनी या सहकारी बैंक कोई लांभाश, ब्याज या दीर्घकालीन पूंजी लाभ की आय कमाता है तो कर मुक्त होगी।
29. धारा 10(25) के अनुसार प्राविडेण्ट फण्ड, अनुमोदित सुपर ऐनुएशन फण्ड, ग्रेच्युइटी फण्ड के ट्रस्टियों की इन फण्डों से ली गई प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा विक्रय पर पूंजी लाभ कर मुक्त है।
30. धारा 10(25A) के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी को कोष की आय कर मुक्त है।
31. धारा 10(26) के अनुसार एक व्यक्ति को अनुसूचित जनजातियों की कोई आय प्राप्त होती है तो कर मुक्त होगी।
32. धारा 10(26BB) के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के हित के लिए बनाए गए निगम की आय भी कर मुक्त है।
33. धारा 10(29A) के अनुसार विपणन की सता की गोदामों को किराये पर उठाने से आय कर मुक्त है।
34. धारा 10(29) के अनुसार काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की आय कर मुक्त है।
35. धारा 10(32) के अनुसार एक व्यक्ति की आय में उसके अवयस्क बच्चे की आय यदि उसकी आय में शामिल है तो 1500 रु. प्रति बच्चा कर मुक्त है।
36. धारा 10(33) के अनुसार लाभांश की आय कर मुक्त है।
37. धारा 10A के अनुसार स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नए उद्योग से आय 10 कर निर्धारण वर्षों तक कर मुक्त है।
38. धारा 10B के अनुसार शत प्रतिशत निर्यात करने वाली नई संस्थाओं की आय 10 वर्षों तक कर मुक्त होगी।

अध्याय-4

वेतन से आय

(Income from Salary)

किसी व्यक्ति द्वारा अपने मालिक से अपनी सेवाओं के बदले जो मौद्रिक रूप में या मुद्रा के समतुल्य पारिश्रमिक दिया जाता है उसे वेतन कहा जाता है। धारा 15 के अनुसार वेतन में निम्न वेतन को शामिल किया जाता हैः-

(1) गत वर्ष में प्राप्त वेतन (2) कोई अग्रिम वेतन (3) बकाया वेतन की प्राप्ति या स्वीक ति।

वेतन के अर्न्तगत माने जाने वाले वेतन

1) वेतन-प्रत्येक व्यक्ति चाहे उच्च पद पर हो या निम्न पद पर, सरकारी सेवा में या गैर सरकारी सेवा में, प्रत्येक प्रकार का पारिश्रमिक जो कि अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त करता है, वेतन माना जाएगा।

2) विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन वेतन शीर्षक में कर योग्य है।

3) नियोक्ता द्वारा आवश्यक रूप से की गई कटौतियां भी वेतन मानी जाती है।

4) संसद सदस्य का वेतन, वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होता क्योंकि वह स्थाई कर्मचारी नहीं है।

5) सेवा के समाप्त होने पर प्राप्त होने वाली प्राप्तियां भी वेतन शीर्षक में कर योग्य है।

6) अवकाश प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त होने वाली पेंशन भी वेतन शीर्षक में कर योग्य है।

7) यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई वेतन नियोक्ता के लिए त्याग देता है। तो वह भी उसी का वेतन माना जाएगा।

अन्य महत्वूर्ण बातें

1) **मालिक तथा कर्मचारीः-** एक व्यक्ति की वेतन शीर्षक में आय की प्राप्ति तभी वेतन मानी जाएगी जब उनके बीच मालिक व कर्मचारी का संबंध हो।

2) साझेदार का फर्म से प्राप्त वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा।

3) **वेतन मान (Pay Scale):-** वेतन मान से अभिप्रायः उस वेतन से है जिस पर सामान्यताः एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है तथा अपनी सेवा के दौरान जो वार्षिक व द्धि उसमें जोड़ी जाती है। उसे वेतन मान कहा जाता है जैसे एक व्यक्ति को 2000-100-3000-200-5000-500-10,000 रु. वेतनमान पर नियुक्त किया गया। वह प्रारम्भ में 2000 रु. वेतन प्राप्त करेगा तथा अगले वर्ष वार्षिक व द्धि जोड़कर 2100 रु. प्राप्त करेगा।

4) वेतन के देय होने की तिथिः-

   (i) सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की प्रथम तिथि से देय होता है। अतः ऐसी दशा में उसका गत वर्ष मार्च से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष फरवरी में समाप्त होगा।

   (ii) बैकों तथा गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में वेतन उसी माह की अन्तिम तिथि को देय होता है इसलिए उसका गत वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होकर मार्च में समाप्त होगा।

5) कर्मचारी के प्राविडेण्ट फण्ड खाते में नियोक्ता का अंशदान यदि कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक है तो वेतन में कर लगाने के लिए जोड़ा जाएगा।

6) प्राविडेण्ट फण्ड खाते में जमा कर ब्याज यदि 9.5% से ज्यादा है तो उसे भी वेतन में जोड़ा जाएगा।

वेतन के विभिन्न रूप
(Different Forms of Salary)

1) **सेवाकाल में अवकाश न लेने पर जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरणः-** धारा 10(10AA) के अनुसार जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण निम्न सीमा तक कर मुक्त होगाः-

(क) सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवा काल में अवकाश न लेने के बदले जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण पूर्ण तथा कर मुक्त है।

(ख) **गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा मेंः-** सेवा काल में अवकाश न लेने के बदले में अर्जित अवकाश का नकदीकरण निम्न राशि में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगाः-

1) अवकाश ग्रहण करने से ठीक पूर्व दस माह में कर्मचारी द्वारा प्राप्त वतन के औसत के आधार पर अधिक से अधिक दस माह के वेतन के बराबर राशि; या

2) सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि (जो कि प्रति वर्ष के लिए 30 दिन है) के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि; या

3) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा जो कि 2,40,000 रु. है;

4) वास्तव में प्राप्त राशि।

जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण की गणना में वेतन से आशय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (जो सेवा की शर्तों के अन्तर्गत दिया जाता हा) तथा बिक्री पर मिलने वाले निश्चित दर से कमीशन के योग से है।

2) **छटनी के कारण क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment)**

धारा 10(10B) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को छंटनी कर देने से उसे कोई क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है तो निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगीः-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राशि जो कि 5,00,000 से कम नहीं होगी,

या

(ii) वास्तव में प्राप्त राशि

या

(iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F(b) के अनुसार गणना की गई राशि जो कि निम्न प्रकार होगी।

या

सम्पूर्ण सेवा अवधि $\times 1/2$ माह $\times$ औसत वेतन

Note:- औसत वेतन की गणना निम्न प्रकार की जाएगीः-

क) यदि श्रमिक मासिक वेतन पाता है तो अंतिम तीन माह का औसत

ख) यदि श्रमिक साप्ताहिक वेतन पाता है तो अंतिम चार माह का औसत का औसत

ग) यदि वह रोजनदारी पर है तो पिछले 12 दिन के वेतन का औसत

3) **मत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी (Death-cum-Retirement Gratuity)ः-** धारा 10(10) के अनुसार ग्रेच्युइटी की राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होगीः-

(i) सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतया कर मुक्त

(ii) गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में

(क) यदि वह ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आता है तो निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगीः-

(i) नौकरी की अवधि × सबसे अन्त में प्राप्त किए वेतन में से 15 दिन का वेतन (मौसमी संस्थाओं में 7 दिन का वेतन), अथवा

(ii) 3,50,000 रु., अथवा

(iii) वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि

वेतन से अभिप्रायः- सबसे अंत में प्राप्त किया गया वेतन × 15/26 वेतन में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (चाहे सेवा की शर्तों में दिया चाहे, चाहे न दिया जाए) कमीशन, जो विक्रय पर प्राप्त हो।

(ख) यदि वह ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम में नहीं आता तो निम्न सीमा तक कर मुक्त होगीः-

(i) नौकरी की सम्पूर्ण अवधि × 10 माह के औसत वेतन का आधा

(ii) 3,50,000 रु., अथवा

(iii) वास्तव में प्राप्त राशि।

उपरोक्त में वेतन से आशय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (जो सेवा की शर्तों के अन्तर्गत दिया गया हो) तथा बिक्री पर मिलने वाले निश्चित दर से कमीशन के योग से है।

4. **पेंशन की एक मुश्त राशि Commutation of Pensionः**- धारा 10(10A) के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन प्रति माह देय होती है। यदि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ भाग एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है तथा शेष भाग प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है, तो एक मुश्त राशि के संबंध में आयकर से छूट के निम्न नियम हैः-

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, स्थानीय सत्ता, या वैधानिक निगम के कर्मचारी को प्राप्त एक मुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त है।

(ख) गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त एक मुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त है।

(i) यदि कोई कर्मचारी ग्रेच्युइटी की राशि प्राप्त करता है तो साधारणतया जितनी पेंशन पाने का वह अधिकारी है उसके एक तिहाई भाग की एक मुश्त राशि तक।

(ii) अन्य दशा में इसकी पेंशन के आधे भाग की एक मुश्त राशि।

(ग) यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा निगम की 1 अगस्त 1996 की पेंशन योजना के अर्न्तगत पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त करता है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगी। बशर्ते की कर्मचारी इस फण्ड में अपना अंशदान देता है।

5. **सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते समय प्राप्तियांः-** धारा 10(10C) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी दशा में निम्न राशि का सबसे कम तक कर मुक्त होगाः-

(i) नौकरी के प्रति सम्पूर्ण वर्ष पर तीन माह का वेतन

(ii) स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते समय का वेतन × सुपर ऐनुएश्न की तिथि में से अवकाश ग्रहण करने की तिथि घटाकर जो अवधि बचे उस अवधि का वेतन।

(iii) वास्तव में प्राप्त राशि।

(iv) वैधानिक सीमा 5,00,000 रुपये।

उपरोक्त की गणना में वेतन से आशय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (जो सेवा की शर्तों के अन्तर्गत दिया गया हो) तथा बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन के योग से है।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व कर्मचारी या उनकी विधवा या उनके बच्चों को प्राप्त पेंशन तथा वेतन पूर्णतया कर मुक्त है।

भत्ते
(Allowances)

भत्तों से अभिप्राय उन मौद्रिक भुगतानों से है जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। आयकर की द ष्टि से भत्ते तीन प्रकार के होते हैं।

1) कर योग्य भत्ते
2) कर मुक्त भत्ते
3) निर्धारित सीमा तक कर मुक्त भत्ते

कर योग्य भत्ते
(Fully Taxable Allowances)

(a) मंहगाई भत्ता तथा मंहगाई वेतन।
(b) निश्चित चिकित्सा भत्ता।
(c) टिफिन भत्ता।
(d) नौकर भत्ता।
(e) प्रैक्टिस न करने का भत्ता।
(f) पर्वतीय भत्ता
(g) वार्डन भत्ता, प्रोक्टर भत्ता।
(h) प्रति नियुक्ति भत्ता।
(i) अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता।
(j) परिवार भत्ता।
(k) परियोजना का भत्ता।
(l) विवाह भत्ता।
(m) ग्रामीण भत्ता।
(n) नगर क्षति पूरक भत्ता।

कर मुक्त भत्ते
(Fully Exempted Allowances)

(क) विशेष भत्ते जो कि नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यय होना हो:- धारा 10(14) (i) के अनुसार नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए निम्न खर्चे की वास्तव में खर्च की गई राशि कर मुक्त होगी।

(i) यात्रा भत्ता
(ii) दैनिक भत्ता
(iii) सवारी भत्ता
(iv) सहायक भत्ता
(v) वर्दी भत्ता
(vi) विद्योपार्जन भत्ता

(ख) पूर्णतया कर मुक्त भत्ते

(i) विदेश भत्ता

(ii) उच्चतम-न्यायलय के न्यायधीशों को सत्कार भत्ता

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ से भत्ता

(C) **निर्धारित सीमा तक कर मुक्त भत्ते Allowances Exempt up to Specified Limit**

(i) **मकान किराया भत्ता House Rent Allowance**

धारा 10(13) (A) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को, जो कि किराये के मकान में रह रहा है, नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्न में से सबसे कम रकम कर मुक्त होगी।

(i) अपने रहने के मकान के संबंध में दिया गया वास्तविक किराया का संबंधित अवधि के वेतन के $\frac{1}{10}$. भाग पर आधिक्य।

(ii) वास्तविक मकान किराया भत्ते की प्राप्त राशि।

(iii) (a) यदि यह रहने का मकान मुम्बई, कोलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का (50 प्रतिशत) आधा भाग।

(b) अन्य शहरों की दशा में वेतन का 40%.

वेतन से आशयः मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अर्न्तगत), कमीशन (जो विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया गया हो)

(ii) **मनोरंजन भत्ता Entertainment Allowances**

यह भत्ता पूर्णतया कर योग्य होता हैं तत्पश्चात् धारा 16(ii) में सरकारी कर्मचारी को कटौती दी जाती है।

(iii) विशेष भत्ता जो एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त माना जाता है जो कि एक नियोक्ता द्वारा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए दिए जाते है। निम्न प्रकार हैः

(क) विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो निम्न प्रक ति के होः-

पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, अधिक ऊंचाई के भत्ते, असमान प्रक ति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता।

ये भत्ते 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होंगे।

(ख) विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो निम्न प्रक ति के हो

सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ बस्ती भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, अशान्त क्षेत्र भत्ता।

ये भत्ते 1300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होंगे।

(ग) जनजाति क्षेत्र भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता एवम् एजेन्सी क्षेत्र भत्ताः-

यह छूट 200 रुपये प्रति माह की मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में स्वीक त है।

(घ) परिवहन कर्मचारी को विशेष भत्ता

परिवहन में सेवारत किसी कर्मचारी को निजी व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते का 70 प्रतिशत या 6000 रुपये प्रतिमाह जो दोनों में कम हो कर मुक्त होगा।

(ङ) बच्चों की शिक्षा का भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दो बच्चों तक कर मुक्त होगा।

(च) किसी कर्मचारी के बच्चों के लिए प्राप्त छात्रावास बच्चा 300 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा दो बच्चों तक कर मुक्त होगा।

(छ) यातायात भत्ता

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को डयुटी पर आने-जाने के लिए प्राप्त भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। परन्तु कर्मचारी अंध है या शारीरिक रूप से अपंग है तो उसके लिए प्राप्त भत्ता 1600 रुपये तक कर मुक्त होगा।

(ज) भूमि के नीचे काम करने वाले कर्मचारी को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होगा।

अनुलाभ
(Perquisities)

अनुलाभ से अभिप्राय अमौद्रिक रूप में प्राप्त सेवा के मूल्य से है। जो कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान प्राप्त होते है। धारा 17(2) के अर्न्तगत अनुलाभ निम्न प्रकार के हाते है।

(क) सबके लिए कर मुक्त अनुलाभ!

(ख) सबके लिए करयोग्य अनुलाभ!

(ग) विशिष्ट अनुलाभ!

(क) सबके लिए करमुक्त अनुलाभ

(i) चिकित्सा सुविधा।

(ii) कार्यालय समय में दी गई चाय नाश्ता।

(iii) कार्य के घंटों में दूरस्थ क्षेत्र पर निःशुल्क भोजन।

(iv) कर्मचारी के टेलीफोन, मोबाइल के खर्चा भुगतान।

(v) निःशुल्क या रियायती मूल्य पर अंशो आदि का निर्गमन।

(vi) कर्मचारी के बच्चों को छात्रव त्ति।

(vii) सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान।

(viii) सैनिकों को मुफ्त राशन की सुविधा।

(ix) परिवार नियोजन सुविधा।

(x) उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा।

(xi) मंत्री आदि को मुफ्त मकान की सुविधा।

(xii) उपहार में प्राप्त वस्तुएं जिनका मूल्य पांच हजार से अधिक न हो।

(xiii) बिना ब्याज पर ऋण की सुविधा। जोकि बीस हजार रु. से अधिक न हो।

(xiv) **अवकाश यात्रा पर रियायतः-** धारा 10(5) के अन्तर्गत किसी भारतीय या विदेशी नागरिक को अवकाश यात्रा रियायत का वास्तव में व्यय की राशि कर मुक्त होगी।

(ख) सबके लिए कर योग्य अनुलाभः- धारा 17(2) के अनुसार निम्न अनुलाभों का मूल्य कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाएगा।

(i) करदाता को अपने नियोक्ता से मिले हुए मकान का मूल्य।

(ii) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के होटल या क्लब के बिलों का भुगतान।

(iii) कर्मचारी द्वारा देय किसी ऋण का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाना।

(iv) कर्मचारी के बच्चों के शिक्षा व्ययो का नियोक्ता द्वारा भुगतान।

(v) कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना।

(vi) कर्मचारी को बचाने या रक्षा के लिए कानूनी व्ययो का नियोक्ता द्वारा भुगतान।

यदि गत वर्ष में कर्मचारी को एक या अनेक नियोक्ताओं से प्राप्त मौद्रिक आय (धारा 16 में दी गई कटौतियां घटने के पश्चात्) एक लाख रु. से अधिक नहीं है तो निम्न अनुलाभों के मूल्य वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा।

(i) किराए से मुक्त रहने का मकान।

(ii) नियोक्ता द्वारा निःशुल्क दिया गया कोई फायदा या सुख सुविधा।

(iii) कर्मचारी के दायित्व का भुगतान।

(iv) कर्मचारी के जीवन बीमा के लिए नियोक्ता द्वारा दी गई राशि।

(ग) विशिष्ट अनुलाभः- विशिष्ट अनुलाभ से हमारा अभिप्राय उन अनुलाभों से हैं जो एक विशेष कर्मचारी के लिए कर योग्य होगे। विशेष कर्मचारी के लिए उसे निम्न शर्त पूरी करनी हागी।

(i) कर्मचारी को नियोक्ता कम्पनी का पूर्णकालीन या अर्द्धकालीन संचालक है।

(ii) कर्मचारी जिसका नियोक्ता कम्पनी में कम से कम बीस प्रतिशत मताधिकार का हित हो।

(iii) अन्य कर्मचारी जिसकी मौद्रिक प्राप्तियां धारा 16 की कटौती घटाने के पश्चात 50 हजार रु. से अधिक हो। 50 हजार की मौद्रिक प्राप्तियों में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, कर योग्य भत्ते, मुद्रा में भुगतान होने वाले कर योग्य अनुलाभों से हैं।

(iv) इसके अर्न्तगत निम्न अनुलाभों का मूल्य कर योग्य है।

(a) कार की सुविधा।

(b) चौकीदार, माली, फराश, या निजी सहायक की सुविधा।

(c) गैस, बिजली या पानी की सुविधा।

(d) शिक्षा सुविधा

(e) यातायात के व्यापार में लगी संस्था द्वारा यातायात की सुविधा।

अनुलाभों का मूल्यांकन
(Valuation of Perquisities)

1. **रहने के मकान का मूल्यांकनः-**

रहने के मकान का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारी को दो भागों में बांटा जाता है।

(1) **सरकारी कर्मचारीः-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को प्राप्त किराये से मुक्त असुसजित मकान का मूल्य किराये की वो राशि होगी जो कि सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है।

इस प्रकार किराये स मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा।

सरकार द्वारा किराये की निर्धारित राशि	— — — — — —
जोड़ो फर्नीचर की लागत का 10 प्रतिशत या वास्तव में भुगतान किराया	— — — — — —
रहने के मकान का अनुलाभ का मूल्य	— — — — — —

(2) **गैर सरकारी कर्मचारीः-**

(क) **यदि मकान नियोक्ता का हैः-** तो निम्न राशि कर मुक्त मकान का मूल्य जानी जाएगी।

(i) ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है इस दशा में अनुलाभ का मूल्य गत वर्ष की उस अवधि के लिए देय वेतन का 10 प्रतिशत होगा।

(ii) अन्य शहरों की दशा में अनुलाभ का मूल्य वेतन के 7.5 प्रतिशत के बराबर होगा।

(ख) **यदि नियोक्ता ने मकान किराये पर लेकर दिया हैः-** तो ऐसी दशा में अनुलाभ का मूल्य वास्तविक किराया या वेतन का 10 प्रतिशत जो दोनों में कम हो, होगा।

यदि मकान के साथ फर्नीचर की सुविधा भी दी गई है तो मूल लागत का 10 प्रतिशत या नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया फर्नीचर का किराया जोड़ दिया जाएगा।

(3) **होटल में रहने का स्थानः-** यदि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को होटल में रहने के लिए कोई स्थान दिया गया है तो अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा।

(क) यदि कर्मचारी होटल में 15 दिन से अधिक नहीं रहता है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ख) अन्य दशा में अनुलाभ का मूल्य उस अवधि के वेतन का 24 प्रतिशत (जिस अवधि में कर्मचारी होटल में रहा) या होटल को दी गई राशि, जो दोनों में कम हो वह अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी।

(4) **स्थानांतरण की दशा में रहने का मकानः-** यदि कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानतरित होता है तथा नए स्थान पर भी रहने का मकान दिया जाता है। और पुराना मकान भी कब्जे में रखता है तो अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा।

(क) यदि वह पुराना मकान 10 दिन की अवधि से पूर्व छोड़ देता है तो दोनों मकानों में से एक मकान जो दोनों में से कम हो अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा।

(ख) यदि वह दोनों मकान 90 दिन से ज्यादा अवधि तक अपने कब्जे में रखता है तो दोनों मकानों का मूल्य अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा।

वेतन से आशयः- मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (जोकि सेवा की शर्तों के अन्तर्गत), बोनस, कमीशन, कर योग्य भत्ते, या अन्य कोई रोकड़ में भुगतान।

2. **कार का मूल्यांकन Valuation of Car**

(1) यदि कार नियोक्ता की है या नियोक्ता के किराए पर लेकर दी हैः

(क) यदि कार पूर्णतया व्यापार में प्रयोग आ रही है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ख) यदि कार निजी प्रयोग में आ रही है तो निम्न का योग अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा।

कार को चलाने तथा रखरखाव का व्यय, ड्राइवर का वेतन, कार की धिसावट जोकि लागत का 10 प्रतिशत होगी।

(ग) **जब कार आंशिक व्यापार तथा आंशिक निजी प्रयोग में आती हैः-**

(i) **यदि मोटर कार के रखने व चलाने के सम्पूर्ण खर्चे नियोक्ता वहन करता हैः-**

(a) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर है तो अनुलाभ का मूल्य 1200 रुपये प्रतिमाह होगा।

(b) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो अनुलाभ का मूल्य 1600 रुपये प्रतिमाह होगा।

(ii) **यदि कार निजी व्यय कर्मचारी स्वयं वहन करता है**

(a) यदि की क्षमता 1.6 लीटर है तो अनुलाभ का मूल्य 400 रुपये प्रतिमाह होगा।

(b) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 600 रुपये प्रतिमाह होगा।

यदि नियोक्ता ने ड्राइवर की सुविधा भी दी है तो 600 रुपये प्रतिमाह अनुलाभ के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा।

(घ) **यदि कर्मचारी के प्रयोग में एक से अधिक कार हैः-**

यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक से अधिक कार प्रयोग करने के लिए दी हुई है तो अनुलाभ का मूल्य निम्न प्रकार होगा।

(i) **प्रथम कार के लिए मूल्यः-**

(a) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर है तो 1200 रुपये प्रतिमाह अनुलाभ का मूल्य होगा।

(b) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 1600 रुपये प्रतिमाह अनुलाभ का मूल्य होगा।

(ii) **अन्य कारों के लिए मूल्यः-**

अन्य कारों का मूल्य निम्न का जोड़ होगा। कार को चलाने तथा रखरखाव के व्यय, ड्राइवर का वेतन, कार की धिसावट जो कि लागत का 10 प्रतिशत होगा।

2. **यदि कार का स्वामी कर्मचारी हैः-**

(क) यदि कार पूर्णतया व्यापार में प्रयोग हो रही है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ख) **जब कार आंशिक व्यापार के लिए तथा आंशिक नीजि प्रयोग में आती है तथा सम्पूर्ण खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैः-**

(a) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर है तो अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि में से 1200 रुपये प्रतिमाह तथा 600 रुपये प्रति माह ड्राइवर का वेतन घटा कर माना जाएगा।

(b) यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि में से 1600 रुपये प्रतिमाह + 600 रुपये प्रतिमाह ड्राइवर का वेतन घटा कर अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा।

3. **फर्राश, चौकीदार माली या निजी सहायक की सुविधा का मूल्यांकनः-**

यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को फर्राश, चौकीदार, माली या निजी सहायक की सुविधा प्रदान की है तो अनुलाभ का मूल्य इन्हें भुगतान की गई राशि होगा। यदि इसके बदले में कर्मचारी से कुछ राशि ली गई है तो वह अनुलाभ के मूल्य में से घटा दी जाएगी।

4. **गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा का मूल्यांकनः-**

(a) यदि इन सुविधाओं का मालिक नियोक्ता है तो सुविधा का मूल्य प्रति ईकाई उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।

(b) यदि इन सुविधाओं को किराये पर लिया गया है तो वास्तव में भुगतान की गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। यदि कर्मचारी से इस संबंध में कोई राशि वसूल की जाती है तो वह अनुलाभ के मूल्य में से घटा दी जाएगी।

5. **शिक्षा, सुविधा का मूल्यांकनः-**

(a) यदि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था नियोक्ता की है तो अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा।

(i) यदि शिक्षा की लागत 1000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य है।

(ii) यदि शिक्षा की लागत 1000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य अन्य स्तर की शिक्षा संस्था के मूल्य के बराबर होगा यदि इस सम्बन्ध में कर्मचारी से कोई राशि ली जाती है तो इसे अनुलाभ के मूल्य में से घटा दिया जाएगा।

(b) यदि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था नियोक्ता की नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य वास्तव में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि होगी।

6. **यातायात की सुविधाः-** यातायात के व्यापार में लगी कोई संस्था अपने कर्मचारी को या उसके परिवार को वाहन में यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है तो अनुलाभ का मूल्य वह राशि होगी जो इस संबंध में जनता से वसूल करती है।

7. **बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधाः-** यदि नियोक्ता के द्वारा अपने किसी कर्मचारी को रियायती दर पर या बिना ब्याज के कोई ऋण दिया जाता है तो इस सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा।

(a) यदि गत वर्ष में ऋणों का योग 20,000 रुपये से कम है तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा।

(b) यदि ऋण कैंसर, एड्स इत्यादि रोगों के लिया गया है तो भी सुविधा का मूल्य शून्य होगा।

(c) यदि ऋण मकान बनवाने या खरीदने के लिए या सवारी खरीदने के लिए लिया गया है तो सुविधा का मूल्यांकन ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज होगा।

(d) अन्य ऋण की दशा में ऋण का 13 प्रतिशत की दर से ब्याज सुविधा का मूल्य माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः- ऋण पर ब्याज मासिक अधिकतम शेषों पर लगाया जाएगा।

8. **छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधाः-**

(a) यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी मनाने के लिए यात्रा, घूमने, फिरने, ठहरने या अन्य किसी व्यय का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो इस अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा खर्च की गई राशि होगा।

(b) यदि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से मिलती है तो सुविधा का मूल्यांकन वह राशि होगी जो अन्य एजेंसिया ऐसी सुविधाओं के लिए लेती है। ऐसा नियोक्ता की स्वयं की यातायात सुविधा के समय किया जाएगा।

9. **निःशुल्क भोजन की सुविधाः-** यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को बिना किसी शुल्क के भोजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है तो इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा।

(a) कार्यालय समय में चाय, नाश्ते की सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा।

(b) यदि कार्यास्थल दूरस्थ क्षेत्र या समुद्र तट से दूर स्थित है तो भी निःशुल्क भोजन की सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा।

(c) अन्य दशा में भोजन का मूल्य निम्न होगा।

नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि	- - - - - - - - - - - - - -
घटाओः (1) कर्मचारी से वसूल की गई राशि	- - - - - - - - - - - - - -
(2) 50 रुपये की प्रति भोजन (Exempt)	- - - - - - - - - - - - - -
भोजन का कर योग्य मूल्य	- - - - - - - - - - - - - -

10. **उपहार आदि की सुविधाः-** यदि किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सामाजिक या धार्मिक उत्सवों पर कोई उपहार दिए जाते है तो इनके कुल योग का 5000 रुपये तक कर मुक्त होगा।

11. **चल सम्पत्ति का हस्तांरणः-** यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चल सम्पत्ति हस्तांरित की जाती है तो अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा।

(a)	**कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का मूल्यांकनः-**		— — — — —
	वस्तु की वास्तविक लागत		
	घटाओः (i) नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई अवधि के ह्रास का 50 प्रतिशत		— — — —
	(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल		— — — —
	शेष अनुलाभ का मूल्य		
(b)	**मोटर कार के हस्तांरण का मूल्यांकनः-**		— — — —
	मोटर कार की वास्तविक लागत		
	घटाओः (i) नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई अवधि के ह्रास का 20 प्रतिशत	— — — —	
	(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल	— — — —	— — — —
	शेष अनुलाभ का मूल्य		— — — —
(c)	**अन्य चल सम्पत्ति के हस्तांरण का मूल्यांकनः-**		— — — —
	सम्पत्ति की वास्तविक लागत		
	घटाओः (i) नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई अवधि के ह्रास का 10 प्रतिशत	— — — —	— — — —
	(ii) कर्मचारी से प्राप्त प्रतिफल	— — — —	— — — —
	शेष अनुलाभ का मूल्य		

उदाहरण Example:- श्री रमेश मथुरा की एक कम्पनी के मैनेजर है उन्हें प्रत्येक माह 20,000 रुपये मूल वेतन 500 रुपये महंगाई भत्ता 500 रु. मनोरंजन भत्ता मिलता है।

1. उसका अपना मकान है परन्तु कम्पनी ने उन्हें निम्न सुविधाएं दे रखी है।

क) एक माली, एक फर्राश, एक चौकीदार तथा एक घरेलू नौकर जिन्हें 150 रु., 200 रु., 1100 रु., तथा 600 रु. प्रतिमाह वेतन मिलता है।

ख) 1 सितम्बर 2001 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग जिसकी लागत 8400 रुपये है। गत वर्ष में कम्पनी ने इसकी मरम्मत पर 400 रुपये व्यय किये।

2. उनके निम्न दायित्वों का कम्पनी ने भुगतान किया:-

   क) गैस, बिजली तथा पानी के बिलों का भुगतान 15000 रुपये।

   ख) क्लब के बिलों का भुगतान 1000 रुपये।

3. कम्पनी ने उन्हें एक बड़ी कार की सुविधा दे रखी है कार निजी प्रयोग में भी आती है। तथा सम्पूर्ण व्यय (ड्राइवर के वेतन सहित) नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते है।

4. उसका पुत्र कम्पनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ रहा है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र पर 8000 रुपये प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। जब कि इसी प्रकार की संस्था में वार्षिक खर्च 5000 रुपये है।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के अनुसार कम्पनी ने उन्हें 300 अंश 100 रुपये प्रति अंश की दर से आबंटित किए जबकि उसका बाजार मूल्य 120 रुपये प्रति अंश था।

6. वह छुट्टियां मनाने शिमला गए तथा उनके ठहरने तथा खाने के व्यय जो कि 8000 रुपये थे कम्पनी ने वहन किए।

कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए सकल कुल वेतन की गणना कीजिए।

Solution:-

Statement of Gross Salary for the Assessment Year 2002-03

Basic Pay	2,40,000
D.A.	6,000
Entertainment Allowance	6,000
Car	26,400
Gardner	1800
Watch Man	13,200
Sweeper	2,400
Domestic Servent	7,200
Refrigerater for 7 months	490
Free education	—
Holiday Expenses	8,000
Shares	—
Gas, Electricity, Water Bill	15,000
Club Fees	1,000
Gross Salary	3,27,490

कटौतियां
(Deductions)

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियां दी जाती है:

(1) वैधानिक कटौती

(2) मनोरंजन भत्ते संबंधी कटौती

(3) नियोजन कर सम्बंधी कटौती

(1) **वैधानिक कटौती Standard Deduction:-** धारा 16(i) के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित दर से वेतन पर वैधानिक कटौती स्वीक त होती है। कटौती की गणना निम्न प्रकार होगी।

यदि वेतन से आय वैधानिक कटौती से पूर्व:-

(a) 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है-वेतन से आय का $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये जो दोनों में से कम हो।

(b) 1,50,000 रुपये से अधिक है परन्तु 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो 25,000 रुपये।

(c) 3,00,000 रुपये से अधिक है परन्तु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो 20,000 रुपये।

(d) 5,00,000 रुपये से अधिक है तो शून्य

2. **मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance):-** धारा 16(ii) के अनुसार मनोरंजन भत्ते की राशि पहले वेतन में जोड़ दी जाती है तथा फिर केवल सरकारी कर्मचारी को निम्न कटौती मिलती है।

(1) मूल वेतन का 1/5 या

(2) 5000 रुपये या

(3) वास्तव में प्राप्त की गई राशि।

जो तीनों में कम हो की कटौती प्राप्त होगी।

3. **नियोजन कर के संबंध में कटौती (Deduction regarding employment Tax):-** धारा 16(iii) के अनुसार नियोजन कर पर वास्तव में खर्च की गई राशि विधान के अर्न्तगत कटौती योग्य होगी।

कर योग्य वेतन की गणना करने का प्रारूप

वेतन

महंगाई भत्ता अथवा वेतन _____

बोनस _____

कमीशन _____

पेंशन _____

प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में 12 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता का अंशदान _____

प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में 9.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज _____

कर योग्य भत्ते _____

आंशिक कर मुक्त भत्तों का कर योग्य भाग _____

अनुलाभ (नियमानुसार मूल्यांकन करके) _____

ग्रेच्युइटी का कर योग्य भाग _____

पेंशन की एक मुश्त राशि का कर योग्य भाग _____

सकल वेतन _____

घटाओ (1) वैधानिक कटौती _____

(2) मनोरंजन भत्ता _____

(3) नियोजन कर _____

प्रोविडेण्ट फण्ड

(Provident Fund)

प्रोविडेण्ट फण्ड से हमारा आशय भविष्य के संबंध में प्रबंध करने से है। जिसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा समान रूप से

अंशदान किया जाता है। तथा उस पर जो ब्याज अर्जित होता है वह भी प्रोविडेण्ट फण्ड खाते में जोड़ दिया जाता है। जब कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है तो सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित उसको लौटा दी जाती है। प्रोविडेण्ट फण्ड चार प्रकार का होता है:

(i) वैधानिक प्रोविडेण्ट फण्ड (iii) अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड

(ii) प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड (iv) सार्वजनिक प्रोविडेण्ट फण्ड

(i) **वैधानिक प्रोविडेण्ट फण्ड (Statatory Provident Fund):-** वैधानिक प्रोविडेण्ट फण्ड से हमारा अभिप्राय उस फण्ड से है जिस पर भारतीय प्रोविडेण्ट फण्ड अधिनियम लागू होता है। यह फण्ड सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक निगम, राष्ट्रीय क त बैंकों में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी कुल आय में केवल उसके वेतन में से कटी हुई रकम जोड़ी जाती है। तथा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि को सकल कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।

(ii) **प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड (Recognized Provident Fund):-** प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड से हमारा आशय उस फण्ड से है जिस पर प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट 1952 लागू होता है। यह एक्ट उन संस्थाओं पर लागू होता है। जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। यह फण्ड अनुसूचित बैंकों, कारखानों व व्यापारिक संस्थाओं में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो

(a) उसके वेतन में से कटी हुई रकम

(b) नियोक्ता द्वारा किये गए अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक है।

(c) फण्ड के ब्याज का वह भाग जो निर्धारित दर 9.5 प्रतिशत से अधिक हो इसे कर्मचारी की कुल आय में जोड़ दिया जाता है। तथा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी की सफल कुल आय में नहीं जोड़ा जाता। बशर्ते की उसने अपने कर्मचारी के यहां 5 वर्ष सेवा की हो।

(iii) **अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund):-** अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड से आशय उस फण्ड से है जो न तो प्रमाणित है और न ही वैधानिक। इस फण्ड को कोई भी संस्था रख सकती है। जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसके वेतन में से कटी हुई राशि कुल वेतन में जोड़ दी जाती है। तथा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि में से कर्मचारी का अंशदान तथा उस पर ब्याज घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है वह सकल कुल वेतन में जोड़ दी जाती है।

(iv) **सार्वजनिक प्रोविडेण्ट फण्ड (Public Provident Fund):-** सार्वजनिक प्रोविडेण्ट फण्ड से आशय उस फण्ड से है जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम 100 रुपये से 60,000 रुपये तक जमा करा सकता है।

नोट:- इस फण्ड में अंशदान करने पर कर्मचारी को धारा (88) के अन्तर्गत कटौती प्रदान की जाती है।

अनुमोदित सुपरऐनुशसन फण्ड

धारा 10(13) के अनुसार इस फण्ड का उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद या अवकाश ग्रहण करने से पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने पर या उनकी म त्यु के बाद उनकी विधवाओं या बच्चों को वार्षिकी देना है। यह फण्ड मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। चौथी अनुसूची के 'भाग ब' में इस फण्ड के अनुमोदन के लिए निम्न शर्ते है:-

(1) वह फण्ड भारत में चल रहे व्यापार के एक अखण्डनीय ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया हो।

(2) इस व्यापार में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कम से कम 90 प्रतिशत कर्मचारी भारत में कार्य करते हो।

(3) इस फण्ड में दी जाने वाली वार्षिकी का भुगतान भारत में ही होगा।

(4) उस व्यापार का नियोक्ता इस फण्ड में निम्न भुगतान पूर्णतया कर मुक्त है:-

(1) कर्मचारी की म त्यु पर भुगतान।

(2) कर्मचारी की म त्यु पर अंशदानों की वापसी।

(3) अवकाश ग्रहण करने पर या सेवा निव त से पूर्व कार्य करने के आयोग्य होने पर कर्मचारी को वार्षिकी की एक

मुश्त राशि का भुगतान।

धारा 88 के अन्तर्गत कटौती योग्य राशिः- इस फण्ड में कर्मचारी के, अंशदान की राशि धारा 88 के अन्तर्गत आयकर में से कटौती पाने योग्य अन्य सामान्य विनियोगों की राशियों सहित 60,000+20,000 रु. विशिष्ट विनियोग तक Qualify करेगी। लेखक अभिनेता की दशा में योग्य राशि 60,000 की जगह 70,000 रु. होगी।

अनिवासियों तथा विदेशियों के संबंध में कर से छूटें:-

(1) **भारत में नियुक्त अनिवासी सलाहकार के पारिश्रमिक पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया करः-** धारा 10(5B) के अनुसार 31 मार्च 1993 के बाद तकनीकी सेवाओं के लिए भारत में नियुक्त एक अनिवासी सलाहकार की वेतन से आय पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर उसके भारत में आने की तिथि से 48 माह तक कर मुक्त होगा। बशर्ते की वह पिछले चार सालों में भी अनिवासी रहा हो।

(2) **विदेशियों की अन्य प्राप्ति के संबंध में छूटः-**

(a) **यात्रा सम्बंधी धन राशिः-**

(i) यदि एक विदेशी कर्मचारी भारत के बाहर घूमने के लिए जाता है तो नियोक्ता द्वारा उस पर खर्च किया भुगतान पूर्णतया कर मुक्त होगा।

(ii) यदि विदेशी कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् अपनी मात भूमि जाता है तो नियोक्ता से प्राप्त मुफ्त यात्रा पूर्णतया कर मुक्त होगी।

(b) **राजनैतिक सलाहकारों तथा उनके स्टाफ के सदस्यों का पारिश्रमिक**

किसी विदेशी राज्य के दूतावास में नियुक्त सलाहकार तथा उसके स्टाफ के सदस्यों का पारिश्रमिक पूर्णतया कर मुक्त है।

(c) **किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी का पारिश्रमिकः-**

यदि किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी को भारत में रहने की अवधि में कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। बशर्ते किः-

(1) उस संस्था का भारत में कोई व्यापार नहीं है।

(2) वह कर्मचारी गत वर्ष में 90 दिन से अधिक भारत में नहीं ठहरता।

(d) **विदेशी समुद्री जहाज पर काम करने वाले विदेशियों तथा अनिवासियों का वेतनः-** यदि कोई विदेशी कर्मचारी विदेशी समुद्री जहाज पर नौकरी करने के फलस्वरूप कोई वेतन प्राप्त करता है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। बशर्ते कि वह गत वर्ष में कुल मिला कर 90 दिन से अधिक भारत में ना रहा हो।

(e) **विदेशियों द्वारा भारत में प्रशिक्षण की अवधि में प्राप्त पारिश्रमिकः-** यदि एक विदेशी कर्मचारी द्वारा भारत में प्रशिक्षण लेने के दौरान अपनी सरकार से कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगा।

Practical Problems of Salaries

Example No. 1:

एक निवासी कर्मचारी, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जो धारा 10(14)(ii) के अन्तर्गत निर्गमित अधिसूचना के क्रम 1 के I(h)(ii) स्थान में तथा क्रम 2 की श्रेणी A में भी आता है, को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले भत्तों में निम्न विशेष भत्ते शामिल हैं। इन विशेष भत्तों की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए:

1.	जलवायु भत्ता	700 रु. प्रति माह
2.	बर्फ में ढके हुए स्थान का भत्ता	300 रु. प्रति माह
3.	अशान्त क्षेत्र का भत्ता	800 रु. प्रति माह
4.	सीमावर्ती क्षेत्र का भत्ता	600 रु. प्रति माह

5. उसके दो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और छात्रावास में रहते हैं-
   उन पर व्यय की पूर्ति के लिए छात्रावास भत्ता — 800 रु. प्रति माह

6. दोनों बच्चों की शिक्षा पर व्यय की पूर्ति का भत्ता — 300 रु. प्रति माह

Computation of Taxable Amount

Solution		Rs.	Rs.
1.	Climate Allowance	8,400	
2.	Snow Bound Area Allowance	3,600	
	In serial No. 1 (i)	12,000	
	Less: Maximum amount exempted is @Rs. 800 p.m.	9,600	2,400
3.	Disturbed Area Allowance	9,600	
4.	Border Area Allowance	7,200	
		16,800	
	Less: Maximum amount exempted in Category A of Serial No. 2 is @ Rs. 1,300 p.m.	15,600	1,200
5.	Hostel Allowance (Exempt upto Rs. 300 p.m. per child)		2,400
6.	Education Allowance (Exempt upto Rs. 100 p.m. per child)		1,200
	Taxable Amount of Special Allowance		Rs. 7,200

Example No.2

श्री हरी ओम दिल्ली में एक कारखाने में प्रबंधक थे जिस पर ग्रेच्युइटी अधिनियम लागू नहीं होता है। उन्हें 4,000 **रु. प्रति माह मूल वेतन** 400 **रु. प्रति माह महंगाई भत्ता तथा** 250 **रु. प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता था। वे स्वयं के मकान में रहते हैं। उन्हें** 4,000 **रु. दौरे पर जाने के लिए यात्रा भत्ता मिला।**

उन्होंने 1 **जनवरी,** 2002 **को सेवा से अवकाश ले लिया तथा उन्हें** 40,000 **रु. ग्रेच्युइटी और** 50,000 **रु. अपने अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की एकत्रित राशि के प्राप्त हुए। इस फण्ड में उनका तथा फैक्टरी का अंशदान समान था। उनको सेवा-निव त्ति के समय** 10 **माह के जमा अर्जित अवकाश के बदले में महंगाई भत्ते सहित वेतन के** 44,000 **रु. प्राप्त हुए। अवकाश** 30 **दिन प्रति वर्ष की वास्तविक सेवा के आधार पर अर्जित होता था।**

उन्हें 1,000 **रु. प्रति माह पेंशन स्वीक त की गयी, जिसके** 3/4 **भाग के बदले उन्होंने** 30,000 **रु. की एकमुश्त राशि प्राप्त की। उन्होंने इस फैक्टरी में सेवा** 1 **अगस्त,** 1970 **को प्रारम्भ की थी तथा सेवा-निव त्ति से तुरन्त पूर्व के दस माह में उनका औसत मासिक वेतन** 3,900 **रु. रहा था।**

2002-03 **कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री हरी ओम की वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।**

Shri Hari Om was a manager in a factory in Delhi which is not covered by the Gratuity Act. He got Rs. 4,000 p.m. as basic pay, Rs. 400 per month as dearness allowance and Rs. 250 p.m. as house rent allowance. he resides in his own house. He got Rs. 4,000 as gratuity and Rs. 50,000 as accumulated balance in his unrecognized provident fund. His own contribution and that of the factory to his fund was equal. He also received Rs. 44,000 being the amount of salary including dearness allowance for 10 months, earned leave to his credit at the time of retirement. Leave accrued at 30 days per year of actual service.

He was allowed to get pension of Rs. 1,000 per month, three-fourth of which was commuted for Rs. 30,000. He commenced service of this factory on 1st August, 1970 and his average salary during the ten months immediately preceding his retirement was Rs. 3,900.

Compute the taxable income from salary of Shri Hari Om for the assessment year 2002-03.

Computation of Taxable Amount
for the Assessment Year 2002-03

Solution	Rs.
Basic Salary for 9 months	8,400
Pension for 3 months @ Rs. 250 p.m.	750
Dearness Allowance for 9 months	3,600
House Rent Allowance for 9 months	2,250
1/2 of lump-sum received from Unrecognized Provident Fund	25,000
Gratuity	Nil
Commuted Value of Pension	16,667
Encashment of Earned Leave	5,000
Gross Salary	Rs. 89,267
Less: Standard Deduction 4/5 16(i) $33\frac{1}{3}\%$ or 30,000	29,756
Taxable Salary	Rs. 59,511

नोट-

1. **मकान किराया भत्ता पूर्णतया कर-योग्य है क्योंकि कर्मचारी अपने मकान में रहा है।**
2. **अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की प्राप्त इकट्ठी राशि में से केवल आधा भाग जो नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज है वेतन शीर्षक में कर-योग्य होगा।**
3. **ग्रेच्युइटी के संबंध में निम्न में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी:**
   (i) **सेवा के सम्पूर्ण वर्षों पर** 1/2 **माह प्रत वर्ष का वेतन (जो अवकाश ग्रहण करने से ठीक पूर्व** 10 **माह के वेतन के औसत मासिक वेतन के आधार पर ज्ञात किया जायेगा अर्थात्** 3,900 **रु. मासिक के आधार पर), अथवा**
   (ii) 3,50,000 **रु., अथवा**
   (iii) **वास्तव में प्राप्त राशि।**

   इस कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि 31 **वर्ष** 5 **माह है, अतः केवल** 31 **सम्पूर्ण वर्ष की सेवा मानी जायेगी। यहां पर** (i) 1/2 **माह का वेतन** 31 **वर्ष के लिए** 1,950 × 31 = 60,450; (ii) 3,50,000 **रु.; और** (iii) **वास्तव में प्राप्त राशि** 40,000 **रु. है।**

   अतः वास्तव में प्राप्त राशि सबसे कम है और वह पूर्णतया कर मुक्त होगी।
4. **चूंकि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भी मिल रही है अतः पेंशन की एकमुश्त राशि केवल** 1/3 **पेंशन की एकमुश्त राशि तक कर-मुक्त होगी, अर्थात्** 30,000 × 4/3 × 1/3 = 13,333 **रु.। अतः पेंशन की एकमुश्त राशि का कर-योग्य भाग** 30,000 - 13,333 = 16,667 **रु. हुआ।**
5. **अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में निम्न में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी:**
   (i) **पिछले** 10 **माह के औसत वेतन के आधार पर** 10 **माह का वेतन, अर्थात्** 3,900 × 10 = 39,000 **रु. अथवा**
   (ii) **मान्य अवधि के अर्जित अवकाश का वेतन, अर्थात्** 10 **माह का वेतन** = 3,900 × 10 = 39,000 **रु. अथवा**
   (iii) **वास्तव में प्राप्त राशि** = 44,000 **रु. अथवा**
   (iv) **अधिकतम सीमा** 2,40,000 **रु.।**
6. **चूंकि कर्मचारी ने** 3/4 **पेंशन की एकमुश्त राशि ले ली है अतः उसे केवल** (1/4 × 1,000) = 250 **रु. मासिक पेंशन मिलेगी।**
7. **दौरे पर जाने के लिए यात्रा भत्ता कर-मुक्त है।** [**धारा** 10(14)(i)]

8. यहां यह माना गया है कि वेतन माह के अंतिम दिन देय होती है।

Example No. 3

मिस्टर बद्री प्रसाद बेदी 1 अगस्त, 1999 को सेवा-निव त्त हुआ। 1 दिसम्बर, 2000 को दिल्ली की एक लिमिटेड कम्पनी में वह 4,000 रु. प्रति माह के निश्चित वेतन पर प्रशासनिक पद पर सेवारत हो गया। 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उसकी आय का विवरण निम्न है:

1. सरकार से 2,500 रु. प्रति माह पेंशन।
2. गत वर्ष में वह कम्पनी के लिए ऑर्डर लेने के लिए चार माह विदेशों में रहा और इस अवधि में उसका वेतन विदेश भेजा जाता रहा।
3. उसे 2 माह के वेतन के बराबर बोनस मिला।
4. मिस्टर बेदी के दो बच्चे हॉस्टिल में रह कर पढ़ रहे थे जिसके लिए उसे दोनों बच्चों का हॉस्टिल भत्ता 800 रु. प्रति माह मिल रहा था।
5. कम्पनी ने उसे 200 रु. प्रति माह नौकर भत्ता तथा 800 रु. प्रति माह मनोरंजन भत्ता दिया।
6. उसे 18 हॉर्स पॉवर की मोटर-कार मुफ्त में प्रयोग करने के लिए दी हुई है जिसे मिस्टर बेदी स्वयं चलाता है। उसकी अनुपस्थिति में श्रीमती बेदी कार चलाती है।
7. कम्पनी ने उसे किराये से मुक्त मकान की सुविधा दे रखी है। मकान कम्पनी का है और उसका उचित किराया मूल्य 30,000 रु. है।
8. कम्पनी ने उसे निःशुलक जमादार (150 रु. प्रति माह), माली (350 रु. प्रति माह) तथा एक चौकीदार (250 रु. प्रति माह) की सुविधा दे रखी है तथा बगीचे के रख-रखाव पर कम्पनी ने 5,000 रु. व्यय किए।
9. कम्पनी ने उसके क्लब की सदस्यता का चन्दा तथा अन्य बिलों के व्यय के 12,000 रु. दिये।
10. उसके 8,000 रु. के निजी बिजली के बिलों का भुगतान भी किया।
11. कम्पनी ने उसके निवास पर टेलीफोन लगवा रखा है और उसके 10,000 रु. के बिलों का भुगतान भी किया।
12. उसके भारत के बाहर रहने की अवधि में उसके परिवार को कम्पनी समस्त सुविधाएं देती रहती है।

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए उसकी वेतन शीर्षक में कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Computation of Taxable Income under the 'Salary'

for the Assessment Year 2002-03

Solution	Rs.
Basic Pay	96,400
Pension	60,000
Bonus	16,000
Hostel Allowance in excess of Rs. 600 p.m.	2,400
Servant's Allowance	2,400
Entertainment Allowance	9,600
Rent-free House	12,640
Sweeper	1,800
Chowkidar	3,000
Gardener	4,200
Maintenance of garden	5,000
Club fees and bills	12,000
Gross Salary	2,25,040
Less: Standard Deduction	25,000
Taxable Salary	Rs. 2,00,04

नोट- 1. किराये से मुक्त मकान के संबंध में वेतन से आशय हैः मूल वेतन 96,000 + बोनस 16,000 रु. + हॉस्टिल भत्ता (कर-योग्य) 2,400 + नौकर भत्ता 2,400 + मनोरंजन भत्ता 9,600 = 1,26,400 रु.।
वेतन का 10 प्रतिशत 12,640

Example No. 41

श्रीमती कुमुद इन्दौर के निजी महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। उन्हें 1 जनवरी, 1997 से 8,000-400-12,000 रु. का वेतनमान मिला है। निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिएः

1. **प्रमाणित भविष्य-निधि में उनका अंशदान काटने के बाद शुद्ध वेतन 1,02,400 रु.।**
2. **प्रमाणित भविष्य निधि में उनका तथा नियोक्ता का अंशदान समान है।**
3. **महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अन्तर्गत 24,000 रु. वार्षिक।**
4. **शिक्षा भत्ता तीन बच्चों के लिए 5,700 रु.।**
5. **चिकित्सा भत्ता 8,200 रु., वास्तविक व्यय 2,000 रु.।**
6. **नौकर, फर्राश एवं चौकीदार जिनका प्रत्येक का वेतन 250 रु. प्रति माह है। इन नौकरों की नियुक्ति श्रीमती कुमुद द्वारा की गयी है। उनका वेतन महाविद्यालय द्वारा चुकाया जाता है।**
7. **श्रीमती कुमुद के निवास पर दी गयी टेलीफोन की सुविधा के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा 5,000 रु.।**
8. **उन्हें दिसंबर, 2001 में एक माह का अर्जित अवकाश त्यागने पर 4,000 रु. की राशि प्राप्त हुई।**
9. **उनकी जीवन बीमा पॉलिसी पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया प्रीमियम 5,000 रु.।**
10. **उसने पेशा कर का भुगतान 1,000 रु. किया।**
11. **उनको महाविद्यालय द्वारा एक किराया-मुक्त आवास प्रदान किया है जिसका उचित किराया 3,000 रु. प्रति माह है तथा उसमें 20,000 रु. की लागत (अपलिखित मूल्य 16,000 रु.) की फर्नीचर की सुविधा भी प्रदान की गयी है।**
12. **उनके सामूहिक बीमा प्रीमियम का भुगतान भी महाविद्यालय ने किया 1,440 रु.।**

उपरोक्त सूचना के आधार पर धारा 88 के अन्तर्गत कटौती-योग्य राशि की भी गणना कीजिए।

Smt. Kumud is principal in a private college at Indore. She is in the grade of Rs. 8,000-400-12,000 since 1st Jan., 1997. Compute the taxable salary for the assessment year 2002-03, on the basis of the following details:

1. Net salary after deduction of her contribution to recognised provident fund Rs. 1,02,400.
2. Employer's contribution to recognised provident fund is the same as her contribution.
3. Dearness allowance under terms of employment is Rs. 24,000 p.a.
4. Education allowance Rs. 8,200 actual expenditure Rs. 2,000.
5. Medical allowance Rs. 8,200 actual expenditure Rs. 2,000.
6. Servant, Sweeper and Watchment at a salary of Rs. 250 p.m. These servants have been appointed by Smt. Kumud but thier salary is paid by the college.
7. Telephone bills Rs. 5,000 for the telephone facility at the residence of Smt. Kumud paid by employer.
8. She received Rs. 4,000 in December, 2001 for surrendering her one month's earned leave.
10. She paid profession tax Rs. 1,000.
11. She has been provided a rent-free house by the college, whose fair rent is Rs. 3,000 p.m. She has also been provided the furnitue facility of Rs. 20,000 (written-down value Rs. 16,000) by the employer.
12. Her group insurance premium also being paid by the college Rs. 1,440

Also calculate the amount which qualifies for rebate under section 88.

Computation of Taxable Salary of Smt. Kumud
for the Assessment Year 2002-03

Solution		Rs.	Rs.
1.	Salary : Rs. 9,600 × 9	86,400	
	Rs. 10,000 × 3	30,000	
		1,16,400	1,16,400
	Less: Net Salary	1,02,400	
	Contribution to RPF	14,000	
2.	Employer's contribution to RPF	14,000	
	Not exceeding 12% of Pay and D.A.		
	as per terms of employment		–
3.	D.A. as per terms of employment		24,000
4.	Education allowance	5,700	
	Less: Exempt Rs. 100 per month for 2 children	2,400	3,300
5.	Medical allowance –Expenditure not deductible		8,200
6.	Servant, Sweeper and Watchman		
	(Appointed by assessee)		9,000
7.	Telephone facility–Tax-free perquisite		–
8.	Encashment of earned leave		4,000
9.	LIP paid by employer		5,000
10.	Value of rent-free house		17,590
11.	Group Insurance Premium		1,440
	Gross Salary		1,88,930
	Less: Standard deduction	25,000	
	Profession tax	1,000	26,000
	Taxable Salary		1,62,930

Amount entitled to rebate u/s 88:

Contribution to RPF	14,000
Life insurance premium	5,000
Gross Insurance premium	1,440
	20,440

Notes: (1) Assured encashment of earned leave relates to the leave of current year, hence, included in salary for valuation of rent-free house.

(2) Valuation of rent-free house:

	Rs.
Salary = Rs. 1,16,400 + 24,000 + 3,300 + 8,200 + 4,000 = 1,55,900	
10% of salary	15,590
10% cost of furniture	2,000
	17,590

Example No.5

कु. लाल मधु टेक्सटाइल्स लि., मुम्बई में 20,000 रु. मासिक वेतन पर कार्यरत है। निश्चित वेतन के अतिरिक्त उन्हें उनके द्वारा किए गए विक्रय पर 5 प्रतिशत कमीशन भी मिलता है। 2001-02 के गत वर्ष में उन्होंने अपने नियोजक से निम्नलिखित भत्ते और सुविधाएं प्राप्त कीं:

(i) **उनके नियोजन की शर्तों के अनुसार उन्हें 2,000 रु. प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता स्वीक त है।**

(ii) **दो माह के वेतन के बराबर बोनस।**

(iii) **मकान किराया भत्ता 5,000 रु. प्रति माह की दर से।**

(iv) **250 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता।**

(v) **नियोजक ने उनकी आयकर पेनाल्टी 1,000 रु. का भुगतान किया।**

(vi) **सितम्बर 2001 ने वे अपने परिवार के साथ कश्मीर गई। इस यात्रा का व्यय जो कुल 16,000 रु. आया नियोजक ने अवकाश-यात्रा सहायता के रूप में भुगतान कर दिया। वे यदि ए.सी. 1 से यात्रा करतीं, तो यह व्यय मात्र 14,000 रु. होता।**

(vii) **उन्हें कम्पनी द्वारा गैस, बिजली और पानी की सुविधा दी गई है। इस पर कुल व्यय 12,000 रु. का भुगतान कम्पनी द्वारा कर दिया गया।**

(viii) **10,00,000 रु. के विक्रय पर कमीशन 5 प्रतिशत की दर से।**

(ix) **उनके नियोजक ने 6,000 रु. की कीमत का कपड़ा उन्हें दिया।**

(x) **वे स्वयं और उनके नियोजक ने एक प्रमाणित भविष्य निधि में उनके वेतन का 12.5 प्रतिशत अंशदान दिया। इस निधि में वर्ष में 11 प्रतिशत की दर से 22,000 रु. ब्याज रूप में जमा हुआ।**

कु. लाल की कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए 'वेतन' शीर्षक में कुल आय की गणना कीजिए। यह ध्यान रखते हुए कि उन्होंने 6,000 रु. प्रतिमाह मकान किराए का भुगतान किया है।

Miss Lal is employed in Madhu Textiles Ltd., Mumbai on a monthly salary of Rs. 20,000. In addition to this fixed salary she is entitled to a commission @ 5% on the sales made by her. During the previous year 2001-02 she had received the following allowances and amenities from her employer.

(i) Dearness Allowance @ Rs. 2,000 p.m. which is granted to her under the terms of employment.

(ii) Bonus equal to two months salary.

(iii) House Rent Allowance @ Rs. 250 p.m.

(iv) Entertainment Allowance @ Rs. 250 p.m.

(v) The employer paid Rs. 1,000 as her Income-tax penalty.

(vi) In September 2001 she went on a visit to Kashmir with her family. The expenditure amounting Rs. 16,000 was paid to her by employer as leave travel assistance. Had she travelled by AC I class, the expenditure would have been only Rs. 14,000.

(vii) She had been provided with amentities of gas, electricity and water, the expenses of which amounting to Rs. 12,000 were paid by the company.

(viii) Commission on sales of Rs. 10,00,000 @ 5%.

(ix) She was given cloth of Rs. 6,000 by her employer.

(x) She and her employer each contributed 12.5% of her salary to a recognised provident fund. The interest credited to this fund during the year @ 11% amounted to Rs. 22,000.

Compute the total income under the head 'Salaries' of Miss. Lal for the assessment year 2002-03 keeping in mind that she spent Rs. 6,000 p.m. as the rent of the house hired by her.

Computation of Salary Income
for the Assessment Year 2002-03

Solution		Rs.	Rs.
1.	Salary		2,40,000
2.	D.P.		24,000
3.	Commission on sales		50,000
4.	Bonus		40,000
5.	(i) HRA received	60,000	
	(ii) Rend paid - 10% of salary (72,000-31,000)	40,600	
	(iii) 50% of salary of Rs. 3,14,000	1,57,000	
	Exempt least of the three	40,600	19,400
6.	Entertainment allowance		3,000
7.	Income-tax penalty		1,000
8.	LTC (16,000-14,000)		2,000
9.	Gas, electricity and water		12,000
10.	Cloth		6,000
11.	Contribution to RPF excess over 12%		1,570
12.	Interest on RPF excess over 9.5%		3,000
			4,01,970
	Less: Standard deduction		20,000
	Salary Income		3,81,970

Example No. 6

श्री अनिल कुमार राजस्थान क्लॉथ मिल्स लि., दिल्ली के प्रबन्धक हैं। उन्हें 3,200 रु. प्रति माह मूल वेतन, 300 रु. प्रति माह महंगाई भत्ता व 100 रु0 प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उन्हें कम्पनी की ओर से अपने स्वामित्व वाले एक निःशुल्क मकान की सुविधा भी प्राप्त है, जिसका उचित वार्षिक किराया 28,000 रु. है। उन्हें निःशुल्क पानी व बिजली की सुविधा दी गयी है जिसके लिए नियोक्ता ने गत वर्ष में 1,300 रु. चुकाये। नियोक्ता ने कर्मचारी के जीवन पर ली पॉलिसी पर 1,000 रु. प्रीमियम के चुकाये।

कम्पनी ने उन्हें 18 हॉर्स पॉवर व 16 हॉर्स पावर की दो कारों की सुविधा प्रदान की है। उनके कार्यालय प्रयोग सम्बन्धी समस्त व्यय कम्पनी चुकाती है। कारें अशंतः निजी कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। ड्राइवरों का वेतन भी कम्पनी चुकाती है। कार्यालय समय में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क नाश्ते की सुविधा भी कम्पनी ने प्रदान की है, जिसका अनुमानित मूल्य क्रमशः 300 रु. तथा 100 रु. प्रतिमाह है। उन्हें एक फर्राश और एक रसोइये की सुविधा भी दी गयी है जिन्हें कम्पनी की ओर से क्रमशः 200 रु. व 100 रु. प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाता है।

वह तथा कम्पनी दोनों ही मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की राशि पर प्रमाणित भविष्य निध में 14 प्रतिशत अंशदान देते हैं। उनके भविष्य निधि खाते में ब्याज 9.5 प्रतिशत की दर से 12,000 रु. वित्तीय वर्ष 2001-02 में क्रेडिट किये गये।

एक कार के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हैं:

(i) **कार 1.4.1999 को 5,00,000 रु. में खरीदी;**

(ii) **ड्राइवर को 6,000 रु. मासिक वेतन दिया जाता है;**

(iii) **कार को चलाने एवं रख-रखाव पर गत वर्ष में 40,000 रु. व्यय हुए।**

श्री अनिल की 2002-03 कर-निर्धारण वर्ष के लिए वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Anil Kumar is manager of Rajasthan Cloth Mills Ltd., Delhi. He gets basic pay@Rs. 15,000 per month, dearness allowance @ Rs. 2,000 per month and entertainment allowance @ Rs. 1,000 per month. He has been provided with a rent-free house owned by company the fair annual rent of which is Rs. 28,000. He has also been provided by the company with facility of free use of water and light for which employer paid Rs. 15,000 during the previous year. Employer paid a life insurance premium of Rs. 1,000 for the policy on the life of the employee.

The company has provided him two small cars. The cars are used partly for personal purpose also. The salary of the drivers is paid by the company. The company has provided the amenity of freelunch and refreshment during office hours the cost of which is Rs. 900 and Rs. 300 per month respectively. He has been provided with the facility of a sweeper and a cook who are paid salary by the company @ Rs. 200 per month and Rs. 600 per month respectively.

He and the company both contribute 14 per cent of basic pay and dearness allowance towards Recognized Provident Fund. During the financial year 2001-02 interest credited to his provident fund account @ 9.5% amounts to Rs. 12,000.

Information regarding one car as under :

(i) Car was purchased on 1.4.1999 for Rs. 5,00,000

(ii) Salary to driver Rs. 6,000 p.m.;

(iii) Expenses on running and maintaining the car during P.Y. Rs. 40,000.

Compute the taxable income from salaries of Shri Anil for the assessment year 2002-03.

Computation of Taxable Income from Salaries
for the Assessment Year 2002-03

Solution	Rs.
Basic Pay	1,80,000
Dearness Allowance	24,000
Entertainment Allowance	12,000
Employer's contribution to R.P.F. in excess of 12% of Salary & D.A.	4,080
Interest in excess of prescribed rate	Nil
Water and Light	15,000
Rent-free House	21,600
L.I.P. paid by Employer	1,000
Cars	1,83,600
Refreshment and Lunch	Nil
Sweeper	2,400
Cook	7,200
Gross Salary	Rs. 4,50,880
Less: Standard Deduction	20,000
Taxable Salary	Rs. 4,30,880

नोट- 1. **किराये से मुक्त मकान का मूल्य ज्ञान करने के लिए वेतन** 1,80,000 + 24,000 + 12,000 = 2,16,000 **रु. है।**

महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार मिला है अतः वेतन में शामिल किया गया है।

वेतन का 10 **प्रतिशत**	21,600

2. **कार के अनुलाभ के मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः**

प्रथम कारी की सुविधा का मूल्य 1,200 **रु. प्रतिमाह की दर से तथा ड्राइवर की सुविधा का मूल्य** 600 **रु. प्रति माह की दर से अर्थात् कुल** 1,800 **रु. प्रति माह की दर से**	21,600

अध्याय-5

मकान-सम्पत्ति से आय

(Income from House-property)

मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक में उन मकानों या उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आय की गणना की जाती है। जिन मकान सम्पत्ति का स्वामी कर दाता है तथा उसे वह किसी व्यापार या पेशे में प्रयोग नहीं कर रहा। इस प्रकार की मकान सम्पत्ति से आय मकान सम्पत्ति की आय कहलाती है। मकान सम्पत्ति के संबंध में निम्न लिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

१. **मकानों या उनसे लगी हुई जमीनों पर:-** धारा (२२) के अनुसार मकान सम्पत्ति में उन सभी मकानों तथा मकान से लगी हुई जमीनों को शामिल किया जाता है जिन का स्वामी कर दाता है मकान में लगी हुई भूमि में खेल का मैदान, बगीचा आदि भी शामिल किए जाते है। मकान सम्पत्ति से आय में उन आयों को शामिल किया जाता है जो रियाशी मकान, गोदाम, सिनेमा हाल, स्टेडियम, न त्य हाल गायन हाल, व्यख्यान हाल आदि आते है।

२. वह मकान सम्पत्ति जिसकी आय मकान सम्पत्ति शीर्षक में कर योग्य है। उसमें कर दाता सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपना व्यापार न चलाता हो।

३. **विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति से आय:-** यदि किसी कर दाता की जो कि साधारण निवासी है, कोई मकान सम्पत्ति विदेश में स्थित है उससे प्राप्त होने वाला किराया भारत में कर योग्य होगा।

४. **विवादस्पद स्वामित्व:-** यदि किसी मकान सम्पत्ति का स्वामित्व का अधिकार विवादस्पद है, तो उसका स्वामी वह व्यक्ति माना जाएगा जो इसका किराया प्राप्त करता हो या उस पर कब्जा किए हुए हो।

५. **संयुक्त किराया:-** जब मकान का स्वामी किसी व्यक्ति को मकान के साथ-२ बिजली, कूलर, लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पम्प, पानी का टैक्स आदि संयुक्त रूप से किराये पर देता है, तो मकान के किराये को इन सुविधाओं से अलग करके केवल मकान का किराया कर योग्य होगा।

वार्षिक आय
(Annual Value)

धारा २३ के अनुसार वार्षिक मूल्य से हमारा अभिप्राय एक वर्ष में कोई मकान सम्पत्ति सामान्य रूप से जितने किराये पर दी जाती है वह मूल्य वार्षिक मूल्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वार्षिक मूल्य का निर्धारण (i) नगर पालिका मूल्यांकन (ii) किराये की वास्तविक आय (iii) उचित किराया में से उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण: धारा २३(i) के अनुसार वार्षिक मूल्य वह रकम है जितने में वह मकान सम्पत्ति प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर चढ़ाई जा सकती है या नगर पालिका मूल्यांकन या वास्तव में प्राप्त किराया जो तीनों में अधिक होगा वह वार्षिक मूल्य होगा। इसमें से स्वामी द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर घटा दिया जाता है। तो वह वार्षिक मूल्य कहलाता है।

सामान्तया वार्षिक मूल्य निकालने के लिए निम्न घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

(i) किराये का वास्तविक मूल्य

(ii) नगर पालिका मूल्यांकन

(iii) उचित किराया

(iv) मानक किराया

अ) **ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैः-** किराये पर उठी हुई ऐसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निम्न में से जो अधिक होगा वह उसका वार्षिक मूल्य होगा।

(i) वास्तविक किराया

(ii) नगर पालिका मूल्यांकन

(iii) उचित किराया

उदाहरण के लि एक मकान का नगर पालिका मूल्यांकन ३०,००० रुपये, वास्तविक किराया ३२,००० तथा उचित किराया ४०,००० रुपये है। तो अधिकता के आधार पर उचित किराया जो कि ४०,००० रुपये है मकान का वार्षिक मूल्य माना जाएगा।

ब) **ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत होते हैः-** इस अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले मकानों का वार्षिक मूल्य वह होगा जो निम्न में अधिकतम होगाः-

(i) वास्तविक किराया

(ii) नगर पालिका मूल्यांकन

(iii) उचित किराया

द्वितीय चरणः- इन तीनों में अधिकतम की तुलना मानक किराये से की जाती है। परन्तु यह मानक किराये से अधिक नहीं हो कसता। (सिवाय जबकि वास्तविक किराया मानक किराये से अधिक हो अर्थात् तीनों में से वास्तविक किराया अधिकतम होने पर यह मानक किराये से भी अधिक हो सकता है, परन्तु अन्य दशा में नहीं। उदाहरण के लिए एक मकान जिसका नगर पालिका मूल्य ३०,००० वास्तविक किराया ४०,००० उचित किराया ३६,००० तथा मानक किराया ३०,००० है।

प्रथम चरण में वास्तविक किराया तीनों में अधिक है तथा द्वितीय चरण में वास्तविक किराया मानक किराये से भी अधिक है तो मकान का सकल वार्षिक मूल्य वास्तविक किराया अर्थात् ४०,००० रुपये होगा।

(a) किराये पर दिए गए मकान जो गत वर्ष में न खाली रहा हो न ही अप्राप्य किराये की राशि अदत्त हो तो वार्षिक मूल्य

सकल किराया

घटाओ नगर पालिका कर

वाष्रिक मूल्य

(b) किराये पर दिया गया मकान जो गत वर्ष में कुछ समय खाली रहा तथा अप्राप्य किराये की राशि अदत्त है तो मकान का मूल्य निम्न होगा।

सकल किराया

घटाओ (i) खाली समय का किराया

(ii) अप्राप्य किराया

(iii)नगर पालिका कर

वार्षिक मूल्य

उदाहरण के लिए एक मकान जिसका मासिक किराया 10,000 रुपये है तथा उस पर 20,000 रुपये नगरपालिका कर चुकाए तथा गत वर्ष में एक माह खाली रहा। इस मकान सम्पति के किरायेदार ने एक माह का किराया भी नहीं दिया इस संबंध में कटौती की सम्पूर्ण शर्तें पूरी की जा चुकी है, तो मकान सम्पति का मूल्य निम्न होगाः

Gross annual value or fair Rent			1,20,000
Less (i) Loss of vacancy period		10,000	
(ii) onrealised rent		10,000	20,000
Gross annual value			1,00,000

Less Municipal Taxes	20,000
Annual Value	80,000

कटौतियां
Deductions

किराये पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में कटौतियां: धारा 24 के अनुसार यदि किसी कर दाता ने अपनी मकान सम्पत्ति किराये पर उठा ली है तो इसके वार्षिक किराये में से निम्न कटौतियां स्वीक त होगी:

i. मानक कटौति जो कि वार्षिक मूल्य का 30% होगी।

ii. ऋण पर ब्याज: यदि कर दाता ने मकान सम्पत्ति खरीदने बनवाने का इसका पुनः निर्माण करवाने के लिए कोई ऋण लिया है तो ऋण पर ब्याज की राशि कटौती योग्य होगी। इस ऋण के भुगतान के सम्बन्ध में कोई नया ऋण भी लिया गया है तो नए ऋण के ब्याज की कटौती भी स्वीक त होगी।

iii. मकान बनकर तैयार होने से पूर्व या खरीदने से पूर्व अवधि का ब्याज: यदि मकान बनकर तैयार होने से पूर्व कोई ब्याज अदत है तो ऐसा ब्याज मकान खरीदने या बनकर तैयार होने वाले वर्ष से आरम्भ होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा।

स्वयं के रहने के मकान की आय की गणना: धारा २३;२द्ध के अनुसार यदि कोई मकान सम्पत्ति या उसका कोई भाग जो स्वयं के रहने के काम आ रहा है तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। इस संबंध में उसे नगरपालिका कर की कटौती स्वीक त नहीं होगी। परन्तु उसके पास स्वयं के रहने के लिए एक से अधिक मकन सम्पत्ति है तो एक मकान को छोड़कर बाकी का मूल्यांकन किराये पर दी गई मकान सम्पत्ति की तरह किया जाएगा तथा वे सभी कटौतियां स्वीक त होगी जो मकान किराये पर देने पर स्वीक त होती है।

कटौतियां: स्वयं के रहने के मकान के संबंध में केवल ब्याज की कटौती स्वीक त होती जो कि अधिकतम 30,000 रुपये तक हो सकती है यदि स्वाकी ने रहने का मकान 31-3-99 के पश्चात् ऋण लेकर खरीदा या बनवाया है और मकान 1.4.2003 से पूर्व खरीद लिया है तो ब्याज की कटौती 1,50,000 रुपये तक स्वीक त होगी।

Practical Problems of House Property

Example No. 1

निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए:

1. मकान का दो-तिहाई भाग स्वयं रहने के काम आता है;
2. मकान का एक-तिहाई भाग 5,000 रुपये मासिक किराये पर दिया गया है;
3. गत वर्ष में किराये पर दिया गया तीन माह खाली रहा तथा किरायेदार ने एक माह का किराया नहीं दिया; मकान मालिक अप्राप्य किराये के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर सका;
4. नगरपालिका कर 36,000 रुपये चुकाए।

On the basis of the following informaiton determine annual value of the house for A.Y. 2002-03.

1. Two-thir portion of the house is self-occupied;
2. One-third portio of the house let out for Rs. 5,000 p.m.;
3. During previous year the let out portion remained vacant for three months and the tenant did not pay the rent for one month; The landlord could not fulfil the conditions regarding claim for unrealised rent;
4. Municipal tax paid Rs. 36,000.

Solution

Computation of Annual Value of the House

for the Assessment Year 2002-03

	Rs
Gross Annual Value:	
Fair rent of let out portion Rs. 60,000 less loss	
of vacancy period Rs. 15,000	45,000
Less: Municipal tax (1/3 of Rs. 36,000)	12,000
Annual Value	33,000

नोटः करदाता अप्राप्त किराये के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर सका अतः वार्षिक मूल्य की गणना करते समय इसकी कटौती नहीं मिलेगी।

Example No. 2

अ दिल्ली में एक मकान-सम्पत्ति का स्वामी है। यह 90,000 रुपये वार्षिक किराये पर उठाया हुआ है। स्वामी द्वारा देय नगरपालिका कर 10,000 रुपये है। परन्तु मकान के स्वामी ने किरायेदार से समझौता किया हुआ है कि किरायेदार नगरपालिका को कर सीधा चुकायेगा। मकान का स्वामी किरायेदार के लिए सुविधाओं पर एक समझौते के अन्तर्गत निम्न व्यय करता है।

	रुपये
पानी व्यय	1,000
लिफ्ट के रख-रखाव पर व्यय	1,000
जीने की रोशनी पर व्यय	800
माली का वेतन	1,200
मकान का स्वामी निम्न कटौतियों की मांग करता हैः	
मरम्मत	30,000
मालगुजारी	1,000
संग्रह व्यय	2,000
भूमि जिस पर मकान बना है, उसे क्रय करने के कानूनी व्यय	24,000

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मकान-सम्पत्ति से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

A is the owner of a house property in Delhi. It hasbeen let out for Rs. 90,000 p.a. The municipal tax payable by the owner comes to Rs. 10,000 but the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax direct to the municipality. The landlord, however, bearsthe following expenses on tenant's amenities under an agreement:

	Rs.
Water	1,000
Life Maintenance	1,000
Lighting of stairs	800
Gardener's Salary	1,200
The landlord claims the following deductions:	
Repairs	30,000
Land Revenue	1,000
Collection charges	2,000
Legal expenses incurred in connection with the purchase of land on which the house is built.	24,000

Compute the taxable income from house property for the assessment year 2002-03.

Solution

Computation of Taxable Income from House Property

for the Assessment Year 2002-03

The annual value of the house property is calculated as under:			Rs.
Rent realized			90,000
Less: Value of tenant's amenities provided by the landlord:		Rs.	
(i) Water charges		1,000	
(ii) Life maintenance		1,000	
(iii) Lighting of stairs		800	
(iv) Gardener's Salary		1,200	4,000
	Annual Value		86,000
Less: 30% of A.V.			25,800
	Taxable Income from House Property		Rs. 60,200

नोटः 1. **धारा** 23(1) **के** provisio (1) **के अनुसार चूंकि नगरपालिका कर मकान के स्वामी द्वारा वहन नहीं किये जा रहे हैं अतः इसकी कटौती नहीं दी गई है।**

2. **मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सुविधा के लिए समझौते के अन्तर्गत जो व्यय किया गया है वह उसकी किराये की आय में से घटा दिया जायेगा। तत्पश्चात् मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात होगा।**

3. **अन्य व्यय कटौती-योग्य नहीं हैं।**

Example No. 3

मि. A **चार मकानों का स्वामी है। इनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः** 10,000 **रुपये,** 8,000 **रुपये,** 6,000 **रुपये तथा** 6,000 **रुपये है। वह प्रथम मकान में रहता है। दूसरे मकान में वह अपना व्यापार चलाता है। तीसरा मकान उसने** 400 **रुपये प्रति माह किराये पर उठा दिया है। त तीय मकान के एक-तिहाई हिस्से को भी वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है। इस मकान के सम्बन्ध में जो** 400 **रुपये किराया प्राप्त होता है वह दो-तिहाई हिस्से का है।** 1 **अप्रैल,** 1996 **को चौथे मकान के निर्माण के लिए उसने एक ऋण प्राप्त किया है। इस मकान का निर्माण** 1 **मई,** 1996 **को आरम्भ हुआ तथा** 31 **जनवरी,** 1998 **को समाप्त हुआ। यह मकान** 1 **फरवरी,** 1998 **को** 600 **रुपये प्रति माह किराये पर उठा दिया गया। गत वर्ष** 2001-02 **के लिए उसने ऋण पर** 800 **रुपये ब्याज दिया तथा** 1996-97 **एवं** 1997-98 **गत वर्षों के लिए उसने** 1,500 **रुपये तथा** 1,400 **रुपये क्रमशः ब्याज चुकाया। नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का** 10% **लगाया गया और भुगतान किया गया। कर-निर्धारण वर्ष** 2002-03 **के के लिए उसकी मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।**

Mr. A has four houses, the municipal valuations of which are Rs. 10,000, Rs. 8,000 Rs. 6,000 and Rs. 6,000 respectively. He lives in the first house. In the second house he runs his business. The third house is let out for Rs. 400 per month. One-third portion of the third house is also used by him for residential purposes and the rent of Rs. 400 is received for the remaining two-third portion. A loan was taken on 1st April, 1996 for the construction of the fourth house, the construction of which began of 1st May, 1996 and ended on 31st January, 1998. The house was let out on 1st February, 1998 @ Rs. 600 p.m. For the previous year 2001-02 the interest paid by him in respect of the loan announted to Rs. 800 and for the previous years 1996-97 & 1997-98 the interest paid has been Rs. 1,500 and Rs. 1,400 respectively. Municipal taxes were assessed and paid @ 10% of the municipal valuation. Ascertain his income from house property for the A.Y. 2002-03.

Solution

Computation of Income from House Property

for the Assessment Year 2002-03

1.	Annual value of the first house in which the assessee lives	Nil
2.	Annual value of the second house in which the assessee runs his business	Nil

3.	Annual rental value of the third house on the basis of 2/3rd portion let out		7,200	
	Less: Municipal Taxes		600	
		Annual Value	6,600	
	Less: 30% of A.V.		1,980	4,620
4.	Annual rental value of the fourth house		7,200	
	Less: Municipal Taxes (10% of Rs. 6,000)		600	
		Annual Value	6,600	
	Less: 30% of A.V.	1,980		
	Interest on Loan for P.Y. 2001-02	800		
	1/5th of interest on loan paid in P.Y. 1996-97	300	3,080	3,520
	Income from House Property			Rs. 8,140

नोटः 1. **दूसरा मकान चूंकि करदाता अपने व्यापार में प्रयोग कर रहा है अतः उसकी आय मकान-सम्पत्ति शीर्षक में कर-योग्य नहीं है। वह पूर्णतया कर-मुक्त है।**

2. **जब करदाता के एक से अधिक स्वयं के रहने के मकान होते हैं तो धारा** 23(2) **के अन्तर्गत छूट केवल एक मकान के सम्बन्ध में मिलती है। अतः तीसरे मकान का एक-तिहाई भाग किराये पर उठा हुआ माना गया है।**

3. **मकान का निर्माण पूरा होने से पूर्व के गत वर्षों में दिये गये ऋण का ब्याज पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती-योग्य है। यह वार्षिक किस्त की कटौती उस गत वर्ष से प्रारम्भ की जाती है जिस गत वर्ष में मकान का निर्माण पूरा हुआ है। यहां यह चौथा मकान गत वर्ष** 1997-98 **में बनकर तैयार हुआ है, अतः गत वर्ष** 1996-97 **का ब्याज पांच समान वार्षिक किस्तों में गत वर्ष** 1997-98 **से आरम्भ करके स्वीकार किया जायेगा। गत वर्ष** 2001-02 **अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष** 2002-03 **के लिए** 300 **रुपये की पांचवीं किस्त की कटौती दी जायेगी। गत वर्ष** 1997-98 **के ब्याज की कटौती कर-निर्धारण वर्ष** 1998-99 **में पूर्णतया स्वीक त हो चुकी होगी।**

Example No. 4

करामाती कन्स्ट्रक्शन लि. एक कम्पनी मकानों को व्यापार अथवा रहने के लिए किराये पर उठाने का व्यापार करने के लिए बनी। प्रारम्भ में उसने 1985 **में** 5 **मकान-सम्पत्तियां प्राप्त की तथा चार भवनों को** 31 **मार्च,** 1997 **तक पूरा किया। पूर्ण विवरा निम्न हैः**

सम्पत्ति	पूरा होने की तिथि	फ्लैटों की संख्या	
		रिहायशी	व्यापार के लिए
1	14 मार्च, 1987	6	8
2	20 अप्रैल, 1994	4	6
3	25 मार्च, 1995	5	9
4	31 मार्च, 1996	10	6

गत वर्ष 2001-02 **में कंपनी ने कुल** 8,90,560 **रुपये किराया संग्रह किया। स्थानीय कर कम्पनी तथा किरायेदारों के बीच में आधे-आधे (अर्थात् बराबर-बराबर) बंटेंगे। इसमें कंपनी ने** 45,000 **रुपये दिये। स्थानीय कर नगरपालिका मूल्यांकन पर** 10% **लगाया जाता है।**

गत वर्ष में कम्पनी ने निम्न व्यय किये:

	रु.		रु.
लिफ्ट व्यय	7,500	भूमि लगान	13,200
जल प्रदाय	15,400	ह्रास दर 2.5%	50,000
जीने की बिजली	3,000	कार्यालय व्यय	45,000
तैरने के तालाब का रखरखाव	11,000	सम्पत्ति क्रय करने के लिए लिये गये	
भूमि किराया	7,000	ऋण का ब्याज	50,000
बीमा प्रीमियम	4,000		

कम्पनी द्वारा निम्न अन्य सूचनाएं प्रदान की गईं:

i. तैरने का तालाब केवल किरायेदारों के प्रयोग हेतु है।

ii. कोई भी रिहायशी इकाई 300 रुपये प्रति माह से कम किराये पर नहीं उठाई गई है।

कम्पनी की मकान-सम्पत्ति से आय कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए ज्ञात कीजिए।

Karamati Construction Ltd. is a company formed to do business of letting out properties for commercial and residential purposes. To begin with, it acquired five house properties in 1985 and completed four buildings till 31.3.1997. The details are as under:

Property	Date of Completion	Number of Flats	
		Residential	Commercial
1	March 14, 1987	6	8
2	April 20, 1994	4	6
3	March 25, 1995	5	9
4	March 31, 1997	10	6

Total rent collected by the company during the previous year 2001-02 amounts to Rs. 8,90,560. Local taxes were shared by the company with tenants on 50:50 basis, the company paying Rs. 45,000. The local taxes are levied at the rate of 10% on municipal value.

The following expenses were incurred by the company during the course of the year:

	Rs.		Rs.
Life expenses	7,500	Land revenue	13,200
Water Supply	15,400	Depreciation @ 2.5%	50,000
Lighting of Stairs	3,000	Office expenses	45,000
Swimming Pool Maintenance	11,000	Interest on money borrowed	
Ground Rent	7,000	for buying property	50,000
Insurance Premium	4,000		

Other informations as supplied by the Company is as follow:

i. Swimming pool is used only by the tenants.

ii. No residential unit is let at less than Rs. 300 per month.

Compute the Company's income from House Property for the Assessment Year 2002-03.

Solution

Computation of Income from House Property
for the Assessment Year 2002-03

	Rs.	Rs.
Rent received		8,90,560
Less: Value of amenities provided to tenants:		
Life Expenses	7,500	
Water Supply	15,400	
Lighting of Stairs	3,000	
Swimming Pool Maintenance	11,000	36,900
Net Rental Income		8,53,660
Municipal Value (10 times of Local Taxes i.e., 90,000×10)		9,00,000
F.R.V.: Net rental income or Municipal Value, whichever is greater		45,000
Less: Local taxes paid by the Co.		
Annual Value		8,55,000
Less: Admissible Expenses:		
30% of A.V.	2,56,500	
Interest on loan	50,000	3,06,500
Taxable Income from House Property		Rs. 5,48,500

Note: Other expenses are not deductible.

अध्याय-6

व्यापार अथवा पेशे के लाभ

(Profits of Business or Profession)

व्यापार

(Trade)

व्यापार से आशय वस्तुओं को लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करने या निर्माण करने से है। व्यापार के अन्तर्गत यदि लाभ के उद्देश्य से बैकर का कार्य, यातायात का कार्य या अन्य कोई उपक्रम उद्देश्य आते हैं तो वह भी व्यापार कहलाएगा।

पेशा

(Profession)

पेशे से आशय उन कार्यों से है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक योग्यता से किया जाता है। जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे वकील, डाक्टर, चार्टड एकाउटेन्ट, इंजीनियर आदि के कार्य पेशे कहलाऐंगे।

व्यापार तथा पेशे के लाभ

धारा 28 से 44(D) के अनुसार व्यापार तथा पेशे में निम्न को शामिल किया जाता हैः-

(i) व्यापार अथवा पेशे के आयगत लाभ

(ii) क्षतिपूतिः निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति या शर्तों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त राशि

(a) किसी भारतीय कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबंध करने वाला व्यक्ति।

(b) अन्य किसी कम्पनी का भारत में सम्पूर्ण प्रबंध करने वाला व्यक्ति।

(c) अन्य व्यक्ति के व्यापार के संबंध में भारत में एजेन्सी रखने वाला व्यक्ति।

(iii) **विदेशी व्यापार के संबंध में प्राप्तियांः-** यदि किसी व्यक्ति, करदाता या कम्पनी करदाता द्वारा आयात नियंत्रण आदेश 1955 के अन्तर्गत मिले लाइसेंस को बेचने से लाभ प्राप्त होता है या सीमा शुल्क या आवकारी शुल्क की वापस दी गईराशि व्यापार के लाभ में शामिल की जाती है।

(iv) **किसी सुविधा या अनुलाभ का मूल्यः-** यदि कोई करदाता व्यापार या पेशे के अन्तर्गत अपने नियोक्ता से कोई सुविधा या अनुलाभ पाता है तो वह इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। जैसे एक स्थाई वकील को नियोक्ता से किराये से मुक्त रहने के मकान की सुविधा।

(v) यदि करदाता का व्यापार प्रतिभूतियों में विनियोग करना है तो प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज व्यापार की आय मानी जाएगी।

(vi) **फर्म से साझेदार को प्राप्तियांः-** फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन आदि जो फर्म के कर योग्य लाभों की गणना करने में घटा दिए गए हो।

(vii) Keyman बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन (बोनस की राशि सहित)

(viii) सट्टे के व्यापार से आय।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने के संबंध में नियम

1. करदाता द्वारा चलाए गए सभी व्यापारों पर अलग-2 कर नहीं लगाया जाता बल्कि सभी व्यापार के आयों की अलग-2 गणना करके इकट्ठे लाभ पर व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में कर लगाया गया है।
2. सट्टे के व्यापार के लाभ हानि अलग रहते है। क्योंकि सट्टे के व्यापार की हानि सट्टे के लाभों में से घटाई जाती है।
3. व्यापार बंद होने पर सम्पत्ति के विक्रय पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य है। परन्तु अंतिम रहतियों को अलग से बेचा जाता है तो इस पर प्राप्त लाभ व्यापार शीर्षक में कर योग्य होगा।
4. किसी व्यापार में केवल गत वर्ष में हुई वास्तविक आय को नहीं देखा जाता, यदि निकट भविष्य में कोई लाभ हानि की आशा है तो उस पर कर नहीं लग सकता।
5. व्यापार चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, वैधानिक हो या अवैधानिक दोनों 'व्यापार या पेशे' शीर्षक में कर योग्य है। कानूनी व्यापार के व्यय तथा हानियां गैर कानूनी व्यापार के लाभों में से घटाए जा सकते है। परन्तु गैर कानूनी व्यापार की हानियां कानूनी व्यापार के लाभों में से नहीं घटाई जा सकती तथा गैर कानूनी व्यापार पर लगा अर्थदण्ड या प्रतिरक्षा व्यय भी कटौती योग्य नहीं होंगे।
6. व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए व्यय अस्वीक त व्यय माने जाते है। परन्तु एक भारतीय कम्पनी या किसी निवासी व्यक्ति धारा 35(D) के अन्तर्गत इसकी अनुपातिक कटौती मिलती है।
7. ऐसे व्यय जो हिसाबी वर्ष में किए जाते है उसी वर्ष कटौती योग्य है। चाहे इनका लाभ बाद के वर्षों में प्राप्त हो।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना धारा 30 से 43(C) तक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। धारा 30 से 37 तक में वे कटौतियां दी गई है जो स्पष्टया स्वीक त है। धारा 40 में वे व्यय दिए है जो स्पष्टया अस्वीक त है। इसके अतिरिक्त अन्य कटौतियां वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर स्वीक त है। कुछ प्रमुख सामान्य सिद्धांत निम्न हैः-

1. केवल करदाता के व्यापार से सम्बन्धित व्यय कटौती योग्य होते है।
2. कोई भी व्यय जो व्यापार के हित में किया गया हो कटौती योग्य है।
3. केवल वे ही व्यय तथा हानियां कटौती योग्य होते है जो कि संबंधित गत वर्ष में हुए हो।
4. ये हानियां व्यापार के दौरान में होनी चाहिए जैसे बैंक में डकैती से हानि।
5. पूंजीगत तथा व्यक्तिगत प्रक ति के व्यय तथा हानियां को छोड़कर अन्य व्यय तथा हानियां वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कटौती योग्य है।
6. कोई भी व्यय उसी व्यापार की आय में से घटाया जाएगा जिस व्यापार से वह संबंधित है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करदाता द्वारा बनाए गए लाभ हानि खाते में संशोधन करके ज्ञात करनाः- व्यापारी द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता आयकर की द ष्टि से वास्तविक लाभ नहीं दिखाता क्योंकि इसमें कई ऐसे व्यय घटा दिए जाते है जो आयकर अधिनियम के अनुसार पूर्णतया या आंशिक रूप से अस्वीक त होते है। अतः इस लाभ-हानि खाते में अधिनियम के अनुसार कुछ संशोधन करना पड़ता है जो कि निम्न प्रकार हैः-

		शुद्ध लाभ अथवा आधिक्य रु.
	लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ अथवा आधिक्य जोड़ो (+)	.....
(1)	अस्वीक त व्यय जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट कर दिये गये है	+
(2)	पूंजीगत व्यय अथवा व्यक्तिगत जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट कर दिये गये हैं	+

(3) व्यय की स्वीक ति राशि से अधिक राशि जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट कर दिये गये हैं +

(4) हानियां जो स्वीक त नहीं है परन्तु लाभ-हानि खाते अथवा आय-वयय खाते में डेबिट कर दी गई हैं +

(5) ऐसे व्यय जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है परन्तु लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते मे डेबिट कर दिये गये हैं +

(6) अन्तिम रहतिये का कम मूल्यांकन अथवा प्रारम्भिक रहतिये का अधिक मूल्यांकन +

(7) ऐसी आयें जो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य हैं परन्तु लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में क्रेडिट नहीं की गई हैं +

घटाओ (-)

(i) स्वीक त व्यय जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट नहीं किये गये हैं। -

(ii) ऐसी स्वीक ति हानियां जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट नहीं की गई है। -

(iii) ऐसी आयें जो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य नहीं है परन्तु लाभ-हानि खाते अथवा आय-वयय खाते में क्रेडिट कर दी गई है -

(iv) ऐसी प्राप्तियां अथवा आयें जो पूर्णतया कर-मुक्त हैं परन्तु लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में क्रेडिट कर दी गई है -

(v) अन्तिम रहतिये का अधिक मूल्यांक अथवा प्रारम्भिक रहतिये का कम मूल्यांकन - .....

व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय .....

नोट - यदि लाभ अथवा आधिक्य के स्थान में हानि अथवा कमी हो तो उपर्युक्त नियम उलटे हो जाते हैं अर्थात् जोड़ने वाले मद घटा दिये जायेंगे और घटाने वाले मद जोड़ दिये जायेंगे।

व्यापार या पेशे के कर योग्य लाभ या हानि की गणना करने की दूसरी विधिः- यह विधि सामान्तयाः पेशे की दशा में प्रयोग की जाती है।

सर्वप्रथम व्यापार अथवा पेशे की गत वर्ष की समस्त कर योग्य आयों का जोड़

घटाओ (i) व्यापार अथवा पेशे के समस्त स्वीक त व्यय

(ii) व्यापारिक या पेशे की स्वीक त हानियां

व्यापार या पेशे की कर योग्य लाभ या हानि

कटौतियांः- व्यापार या पेशे के लाभ की गणना करने के लिए प्रापितयों में से कुछ कटौतियां दी जाती है जो निम्न प्रकार है।

(i) व्यापार से संबंधित हानियां

(ii) स्पष्ट रूप से स्वीक त व्यय

(iii) वाणिज्य के साधारण सिद्धांतों के आधार पर कटौती योग्य व्यय

(i) **व्यापार से संबंधित हानियांः-** व्यापार की प्राप्तियों की गणना करने के पश्चात् उसमें से व्यापार से संबंधित आयगत हानियां जो व्यापार के दौरान हो जाती है घटा दी जाती है। ये हानियां निम्न प्रकार हैः-

(a) मार्ग में या अग्नि से या दीमक द्वारा व्यापारिक रहितयों की हानि

(b) कर्मचारी के लापरवाही या कपट से हानि।

(c) चोरी या डकैती से हानि।

(d) अग्रिम दी गई राशियों के न वसूल होने से हानि।

(e) किसी शत्रु देश द्वारा हमला करने पर व्यापारिक रहितया नष्ट हो जाने पर।

(f) प्रतिभु के रूप में ऋण की गारंटी को पूरा करने से स्वीक त हानि।

(ii) **स्पष्ट रूप से स्वीक त व्ययः**

(a) **भवन के संबंध में व्ययः-** धारा 30 के अनुसार किसी व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होते हुए भवन के संबंध में निम्न कटौतियां स्वीक त है।

(1) भवन के संबंध में चुकाया गया वास्तविक किराया तथा मरम्मत कराने के संबंध में भुगतान की गई राशि।

(2) भूमि लगान नगरपालिका करों के लिए भुगतान की राशि।

(3) नुकसान या बर्बादी से बचने के लिए बीमे के प्रीमियम की रकम का भुगतान।

यदि करदाता मकान के किसी भाग में स्वयं भी रह रहा है तो इस संबंध में अनुपातिक कटौतियां स्वीक त होगी।

(b) **मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर की मरम्मत तथा बीमा संबंधी व्ययः-** धारा 31 के अनुसार व्यापार में प्रयोग होने वाली मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर की मरम्मत और बीमे के संबंध में वास्तव में भुगतान की गई राशि कटौती योग्य होगी।

(c) **समुद्री जहाजों को चलाने के व्यवसाय में लगी हुई सरकारी कम्पनी या सार्वजनिक कम्पनी द्वारा एकत्रित संचय के संबंध में कटौतीः-** धारा AC के अनुसार भारत में स्थापित एक सरकारी कम्पनी जो समुद्री जहाजों को चलाने का व्यवसाय करती है तो समुद्री जहाजों को चलाने के व्यवसाय से होने वाले लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर की राशि या जो लाभ हानि खाते से विशिष्ट संचय में जमा की गई हो, जो दोनों में कम हो वह कटौती योग्य होगी। परन्तु इस संचय का प्रयोग अगले आने वाले आठ वर्षों के अन्दर नया समुद्री जहाज नहीं खरीद लेता तो यह कटौती पुनः अस्वीक त हो जाएगी।

(d) **वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्ययः-** धारा 35 के अनुसार कर दाता द्वारा अनुसंधान पर किए गए व्यय की निम्न कटौती स्वीक त होगीः-

(1) करदाता द्वारा स्वयं किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर लाभगत व्यय पूर्णतया कटौती के रूप में स्वीक त होगे।

(2) **बाह्य संस्थाओं को दिए गए अंशदानः-** धारा 35(1) के अनुसार किसी अनोदित वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक या संख्य किए अनुसंधान किसी अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या मान्य विश्वविद्यालय को किए गए भुगतान का 125 प्रशित कटौती योग्य होगा।

(3) **अदरूनी अनुसंधान पर व्ययः-** धारा 35 (2AB) के अनुसार यदि किसी कम्पनी के द्वारा अनुसंधान तथा विकास की सुविधाओं पर किए गए व्यय के संबंध में व्यय का 150 प्रतिशत कटौती स्वीक त होगी।

(e) **पेटण्ट राइट्स या कापी राइट्स को प्राप्त करने के व्ययः-** धारा 35 (A) के अनुसार 1 अप्रैल 1998 से पूर्व पेटण्ट राइट्स या कापी राइट्स को प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय की कुल राशि 14 समान किश्तों में 14 वर्षों तक कटौती योग्य होगी बशर्ते कि यह व्यापार में प्रयोग हो तथा व्यापार लगातार चलता रहा।

(f) **तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर व्ययः-** धारा 35 (AB) के अनुसार यदि करदाता द्वारा अपने व्यापार के लिए कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया है तो इस पर भुगतान की गई राशि 6 समान वार्षिक किस्तों के रूप में स्वीक त होगी। जिसमें पहली किस्त उसी वर्ष स्वीक त हो जाएगी जिस वर्ष प्रतिफल का भुगतान किया गया है।

(g) **ऐसी** संस्थाओं को किए गए भुगतान जो प्राक तिक संस्थानों के सरंक्षण या वन रोपण के कार्यक्रम में लगी हुई हैंः- धारा 35 (CCB) के अनुसार एक करदाता जो कि व्यापार चला है तथा किसी संघ या संस्था को 1 अप्रैल 2002 से पूर्व प्राक तिक संसाधनों के संरक्षण या वन रोपण के लिए कोई भुगतान करता तो भुगतान का 100 प्रतिशत राशि कटौती योग्य होगी।

(h) **प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौतीः-** धारा 35(D) के अनुसार एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति द्वारा व्यापार के संबंध में या नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए कोई प्रारम्भिक व्यय किए जाते है तो वे लगातार 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 1/10 हिस्सा कटौती योगय होगा। परन्तु 31 मार्च 1998 के पश्चात् किए गए खर्चे 5 वर्ष तक कटौती योगय होगा (प्रति वर्ष 1/5 हिस्सा)।

(i) **कटौती व्यय की अधिकतम सीमाः-** इस धारा के अर्न्तगत कुल कटौती योग्य राशि अधिक से अधिक प्रोजक्ट की लागत का 2.5 प्रतिशत हो सकती है। 31 मार्च 1998 के पश्चात् किए गए खर्चों के संबंध में कटौती की अधिकतम सीमा प्रोजक्ट की लागत का 5 प्रतिशत हो सकती है।

(i) **स्वेच्छा से सेवा निव त्ति के अधीन व्ययः-** धारा 35 DDA के अनुसार यदि कोई करदाता अपने कर्मचारी को उसकी सेवा से स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर कुछ राशि देता है तो ऐसी राशि उसके लिए 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगी।

(j) **खनिज पदार्थों की खोज आदि करने पर व्ययः-** धारा 35 E के अनुसार एक भारतीय कम्पनी या कोई निवासी व्यक्ति द्वारा खनिज पदार्थों की खोज पर कोई खर्च किया जाता है तो ऐसे खर्च का 1/10 भाग लगातार 10 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(k) **परिवार नियोजन का व्ययः-** एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों पर परिवार नियोजन के संबंध में किएगए वास्तविक व्यय जो कि पूंजीगत प्रक ति का हो उसका 1/5 भाग लगातार 5 वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा।

(l) ह्रास के संबंध में अगला अध्याय देखिए।

(m) **चाय विकास खाताः-** धारा 33(AB) के अनुसार यह उन करदाताओं को कटौती देने के लिए लागू की गई है तो भारत में चाय का उत्पादन करते हो। इस धारा के प्रमुख लक्षण निम्न हैः-

(1) करदाता को Tea Board द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार क षि तथा ग्राम विकास के राष्ट्रीय बैंक में एक विशेष खाते में धन जमा कराना होगा।

(2) यह धन गत वर्ष की समाप्ति के बाद या आय विवरण दाखिल करने से पहले, जो भी अवधि पहले समाप्त होती हो जमा कराना होगा।

(3) ऐसे व्यापार के लिए जमा राशि के संबंध में निम्न में से जो जो राशि कम हो वह कटौती योग्य होगीः-

(a) जमा की गई धनराशि के बराबर राशि

(b) ऐसे व्यापार के लाभों का 40 प्रतिशत के बराबर राशि।

(n) **दूरभाष यंत्र के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजी गत व्ययः-** धारा 35(AAB) के अनुसार इस संबंध में किए गए पूंजीगत व्यय की कटौती निम्न प्रकार मिलेगीः-

(1) यदि फीस का भुगतान व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाता है तो व्यापार प्रारम्भ करने वाले वर्ष से लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष तक समान किस्तों में स्वीक त होगा।

(2) यदि फीस का भुगतान व्यापार प्रारम्भ करने के बाद किया जाता है तो कटौती भुगतान करने वाले वर्ष से प्रारंभ होकर लाइसेंस समाप्त होने की अवधि तक समान किस्तों में स्वीक त होगी।

(o) धारा 35 (AC) के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए किये गए व्यय 100 प्रतिशत कटौती योग्य है। बशर्ते कि वह कटौती की शर्ते पूरी करते हो।

(p) धारा 35(CCA) के अनुसार किसी ग्राम विकास के राष्ट्रीय कोष में अनुदान का भुगतान पूर्णतया कटौती योग्य है।

(q) धारा 35(DD) के अनुसार यदि कोई भारतीय कम्पनी 31 मार्च 1999 के पश्चात् किसी उपक्रम के सम्मलेन पर कोई व्यय करती है तो ऐसा व्यय 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती के रूप में स्वीक त होगा।

(r) धारा 36 के अन्तर्गत निम्न अन्य कटौतियां इस शीर्षक में कटौती योग्य हैः-

(1) माल की क्षति से बचने के लिए प्रीमियम की रकम का भुगतान।

(2) एक दुग्ध सहकारी समिति द्वारा पशुओं के जीवन बीमे का भुगतान।

(3) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य बीमा निगम को बीमा प्रीमियम का भुगतान।

(4) कर्मचारी को दिया गया बोनस या कमीशन।

(5) व्यापार के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज।

(6) प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड या अनुमोदित सुपर एनुऐशन फण्ड में नियोक्ता का अंशदान।

(7) एक अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में नियोक्ता का अंशदान।

(8) पशुओं का व्यापार करने वाले करदाता को पशुओं की म त्यु हो जाने पर हुई हानि।

(9) **डूबे हुए ऋणः-** डूबे ऋण पूर्णतया कटौती के रूप में स्वीक त होते है। परनतु इस कटौती को स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें हैः-

(क) यदि यह ऋण उस गत वर्ष में या उससे पूर्व के किसी गत वर्ष में करदाता की आय की गणना करने के लिए कुल आय में शामिल कर लिया गया है।

(ख) गत वर्ष में इसे अप्राप्य मानते हुए इसे अपलिखित कर दिया हो। डूबे ऋण के संबंध में निम्न अतिरिक्त नियम है :-

(i) यदि ऐसे ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाली अंतिम राशि, उस ऋण की पूरी रकम तथा उसमें से डूबे ऋण की मिली हुई कटौती के अन्तर से कम हो तो ऐसी कमी की रकम को अंतिम वसूल होने वाले गत वर्ष में स्वीक त कटौती माना जाएगा।

(ii) डूबे ऋण के संबंध में कटौती स्वीक त हो गई है तथा बाद में राशि वसूल हो जाती है तो सम्पूर्ण ऋण तथा डूबत ऋण के रूप में स्वीकार की गई राशि के अंतर से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य को कर योग्य आय माना जाएगा।

(10) **डूबे तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजनः-** बैंकों तथा वित्तिय संस्थाओं के संबंध में डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के आयोजन के संबंध में निम्न प्रावधान है।

(i)	अनुसूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक की दशा में	(i) कुल आय के 5 प्रतिशत तक तथा इन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की कुल औसत के 10 प्रतिशत तक
(ii)	विदेशी बैंक	(ii) कुल आय के 5 प्रतिशत तक
(iii)	सार्वजनिक वित्तीय संस्था राज्य वित्त निगम की दशा	(iii) Do

(iii) **वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कटौती योग्य व्ययः-** धारा 37 के अनुसार वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों में कटौती पाने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक हैः-

(1) यह करदाता का निजी व्यय नहीं होना चाहिए।

(2) यह पूंजीगत व्यय नहीं होना चाहिए।

(3) यह व्यय पूर्णतया व्यापार तथा पेशे के संबंध में किया गया हो।

(4) यह गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए।

(5) यह कर दाता द्वारा चलाए गए व्यापार से संबंधित होना चाहिए।

कटौती योग्य व्ययः- धारा 37 (1) के अनुसार वाणिज्य के सिद्धांतों में कटौती व्यय निम्न प्रकार हैं:-

1. आय कर के संबंध में कानूनी कार्यवाही के व्यय।
2. तत्काल टेलीफोन जमा योजना में जमा राशि जो कि 30,000 रु. है।
3. भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, डाकखाना, सरकारी प्रतिभूतियों तथा मचूच्यल फण्डों के ऐजण्टों की कमीशन के संबंध में कटौती।
4. मनोरंजन व्यय, विज्ञापन व्यय, व्यापार अथवा पेशे के संबंध में यात्रा व्यय, अतिथि ग ह के व्यय इत्यादि।
5. माल के क्रय करने, निर्माण तथा विक्रय करने के संबंध में किए गए व्यय।
6. व्यापार को चलाने के संबंध में किए गए सामान्य व्यय।
7. श्रम कल्याण पर व्यय।
8. चुकाए गए बिक्री कर की रकम तथा बिक्री कर की अपील करने के संबंध में व्यय।
9. अवांछित कर्मचारी को नौकरी से हटाने पर दी गई क्षतिपूर्ति।
10. व्यापार के संबंध में आर्डर लाने के संबंध में दिया गया कमीशन।
11. कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट लगने या दुर्घटना होने पर दी गई क्षतिपूर्ति।
12. कर्मचारियों को दी गई कोई पेंशन अथवा ग्रेच्युइटी।
13. दशहरा, दीवाली, मुहूर्त आदि पर उचित व्यय।
14. कोई अनिवार्य चन्दा अथवा ऐसा चन्दा जिसका देना व्यापार के हित में हो।
15. ऋण लेने के संबंध में व्यय तथा ऋण पत्र जारी करने के व्यय।
16. व्यापार के संभावित राष्ट्रीय करण को या व्यापार को समाप्त होने से बचाने पर किये गये व्यय।
17. आबकारी शुल्क का भुगतान।
18. ठेके की पूर्ति में देरी होने पर सरकार को दिया गया हर्जाना या अर्थदण्ड। व्यापार की प्रक ति को देखते हुए यदि देरी स्वाभाविक थी।
19. किराया-2 पद्धति के अर्न्तगत किस्त चुकाने में देरी होने पर देय ब्याज।
20. उद्घाटन समारोह का व्यय।
21. झण्डा दिवस पर दी गई राशि।

वे व्यय जो पूर्णतया अस्वीक त है।

1. किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित सोविनीयर आदि में विज्ञापन पर व्यय।
2. किसी भी करदाता के लिए भारत के बाहर बिना कर काटे कोई भुगतान।
3. धन कर
4. व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर लगाया गया कोई कर।
5. किसी प्रॉविडेण्ट फण्ड या अन्य फण्ड में से भुगतान यदि
6. किसी साझेदारी फर्म में असक्रिय साझेदार को दिया गया कोई वेतन, बोनस तथा कमीशन।
7. सक्रिय साझेदार को साझेदारी सलेख की शर्तों में वेतन देय न होने पर दिया गया वेतन।
8. साझेदारों की पूंजी पर 18 प्रतिशत से अधिक दर से दिया गया ब्याज।
9. सक्रिय साझेदारों की दशा में वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक का भुगतान निम्न सीमा तक कटौती के लिए स्वीक त होगा।

(क) पेशे की फर्म की दशा में:-

(i) पुस्तक-लाभ के प्रथम 1,00,000 रु. अथवा हानि की दशा में	(i) 50,000 रुपये अथवा पुस्तक लाभ का 90 प्रतिशत जो दोनों में से अधिक हो।
(ii) पुस्तक लाभ के अगले 1,00,000 रु. पर	(ii) 60 प्रतिशत
(iii) शेष पुस्तक लाभ पर	(iii) 40 प्रतिशत

(ख) अन्य किसी फर्म की दशा में:-

(i) पुस्तक-लाभ के प्रथम 75,000 रु. पर अथवा हानि की दशा में	(i) 50,000 रुपये अथवा पुस्तक लाभ का 90 प्रतिशत जो दोनों में से अधिक हो।
(ii) पुस्तक लाभ के अगले 75,000 रु. पर	(ii) 60 प्रतिशत
(iii) शेष पुस्तक लाभ पर	(iii) 40 प्रतिशत

पुस्तक लाभ की गणना निम्न प्रकार जी जाएगी:-

(1) लाभ हानि खाते द्वारा लिया गया शुद्ध लाभ लीजिए।

(2) धारा 40a(3) के अनुसार व्ययों का रोकड़ में भुगतान जो कि 20,000 रुपये से अधिक है।

(3) धारा 40A(7) के अनुसार ग्रेच्युइटी के लिए आयोजन।

(4) धारा 40A(7) के अनुसार किसी फण्ड या ट्रस्ट में अंशदान।

(5) मालिक या साझेदार के आहरण पूंजीगत व्यय।

(6) किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन या संचय।

(7) दान या भेंट के रूप में दी गई रकम।

(8) कोई व्यय जो कि व्यापार से संबंधित न हो।

(9) आयकर, धनकर तथा अन्य कर का भुगतान।

(10) अंशों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मुकद्मे के व्यय।

(11) किसी राजनैतिक पार्टी के दिया गया चंदा।

(12) अंशों के निर्गमन पर व्यय।

(13) ख्याति को प्राप्त करने के लिए भुगतान।

(14) किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दी गई राशि।

(15) उपहार

कर योग्य लाभ Profit Chargable to Tax:- धारा 41 से 44 के अन्तर्गत में आने वाले निम्नलिखित लाभ भी व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर योग्य है।

(1) धारा 41(1) के अनुसार किसी पिछले वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार किए गए व्यय या हानि की वसूली।

(2) धारा 41(2) के अनुसार सम्पतियों के विक्रय पर लाभ।

(3) धारा 41(3) के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में प्रयोग की गई किसी सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ।

(4) धारा 41(4) के अनुसार डूबे हुए ऋणों की वसूली।

(5) व्यापार अथवा पेशा बंद होने के बाद वसूली।

(6) धारा 41(A) के अनुसार विशेष संचय में से आहरित की गई राशि।

(7) धारा 44(AB) के अनुसार यदि किसी पेशे से निर्धारित राशि से अधिक प्राप्तियां।

(8) धारा 41(3) के अनुसार यदि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में प्रयोग हो रही सम्पत्ति अन्य कार्य किए भेज दी जाती

है और उसकी विक्रय राशि तथा धारा 35 के अर्न्तगत स्वीकार की गई कटौती का योग उसकी लागत से अधि है तो आधिक्य उस गत वर्ष की व्यापार की कर योग्य आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में सम्पत्ति बेची गई है। यदि स्वीक त कटौती उपरोक्त आधिक्य से कम हो तो कमी पूंजी लाभ माना जाएगा।

(9) धारा 41(5) के अनुसार यदि कोई व्यापार बंद हो जाता है तो उसकी हानि की पूर्ति माने गए लाभों से भी की जा सकती है।

(10) धारा 43(D) के अनुसार लोक वित्तीय संस्थाओं या अनुसूचित बैंकों या अन्य निगम की दशा में डूबे व संदिग्ध ऋणों के संबंध में ब्याज की आय पर उस गत वर्ष में कर लगेगा जिस वर्ष ये लाभ हानि खाते में जमा किए गए हो।

अनिवासियों की कतिप्य व्यापारों की गणना करने के लिए विशेष प्रावधानः-

(1) समुद्री जहाज के व्यापार में लगे हुए अनिवासियां की दशा में धारा 44(B) के अनुसार यदि कोई अनिवासी समुद्री जहाज का स्वामी है तथा भारत में उसका कोई ऐजण्ट नहीं है तो ऐसे अनिवासियों द्वारा भारतीय बंदरगाह से सामान ले जाने के व्यापार से जो राशि प्राप्त होती है उसका 7.5 प्रतिशत जहाज के मालिक का लाभ माना जाएगा।

(2) **खनिज तेल निकालने आदि के व्यापार से अनिवासियों को होने वाले लाभ की गणनाः-** धारा 44(BB) के अनुसार ऐसे व्यापार के संबंध में निम्न राशियों के योग का 10 प्रतिशत अनिवासियों का लाभ माना जाएगाः-

(i) इस संबंध में भारत में या विदेश में प्राप्त राशि।

(ii) भारत के बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में प्राप्त राशि।

(3) **हवाई जहाज चालन के व्यापार से अनिवासियों को होने वाले लाभ की गणनाः-** धारा 44(BBA) के अनुसार ऐसे व्यापार से अनिवासियों का लाभ निम्न राशियों के योग का 5 प्रतिशत माना जाएगा।

(i) भारत से कोई सामान ले जाने के लिए, भारत से या भारत के बाहर प्राप्त राशि।

(i) भारत के बाहर से सामान ले जाने के लिए भारत में प्राप्त राशि।

(4) धारा 44(BBB) के अनुसार विदेशी कम्पनियों को महत्वपूर्ण उर्जा योजनाओं के संबंध में निर्माण कार्य या मशीन के लगाने के संबंध में निर्माण आदि के कार्यों के व्यापार से भारत में या भारत के बाहर प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत उस कम्पनी का लाभ माना जाएगा।

(5) **अनिवासी के संबंध में प्रधान कार्यालय के संबंध में कटौतीः-** धारा 44(C) के अनुसार यदि किसी अनिवासी का प्रधान कार्यालय विदेश में है और शाखा भारत में है तो शाखा के व्यापार से आय की गणना करने के लिए प्रधान कार्यालय के खर्चों का वह भाग घटा दिया जाता है जो शाखा के संबंध में माना जाए। अनिवासी के लिए इस संबंध कटौती की सीमा निम्न हैः-

(i) करदाता की समायोजित कुल आय का 5 प्रतिशत

(ii) भारत के व्यापार के संबंध में प्रधान कार्यालय का अनुपातिक खर्चों, जो दोनों में कम हो।

(6) **बीमा व्यवसाय के लाभः-** धारा 44 के अनुसार यदि कोई अनिवासी भारत में बीमा व्यवसाय कर रहा है तथा अन्य कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध न हो तो बीमा व्यवसाय के लाभों की गणना निम्न प्रकार अनुपातिक होगीः-

$$\frac{\text{भारत में प्राप्त प्रीमियत} \times \text{संसार की कुल}}{\text{कुल प्रीमियम}}$$

श्री नेहरू एक व्यापार के मालिक हैं। उनका 31 मार्च,2002 को समाप्त होने वाल वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्न है :

	रु.		रु.
प्रतिस्थापन व्यय	4,800	सकल लाभ	1,50,840
किराया, दरें व कर	2,900	सरकारी प्रतिभूमियों पर	
सामान्य व्यय	750	ब्याज (सकल)	5,400

घरेलू व्यय	51,730	सम्पत्ति का किराया	5,400
कमीशन	1,500		
बट्टा व छूटें	450		
डूबत ऋणों के लिए आयोजन	1,200		
डाक व तार	270		
कानूनी व्यय	450		
विज्ञापन	1,550		
उपहार तथा भेंट कर्मचारियों को	150		
अग्नि बीमा प्रीमियम (माल के लिए)	360		
बिक्री कर	1,450		
मरम्मत व नवीनीकरण (व्यापार के भवन के लिए नहीं)	480		
मोटर-कार की बिक्री पर हानि (निजी प्रयोग में थी)	1,800		
जीवन बीमा प्रीमियम	1,790		
धन कर	740		
पूंजी पर ब्याज	350		
अंकेक्षण फीस	300		
बैंक ऋण पर ब्याज	1,380		
ह्रास के लिए आयोजन	2,500		
आय कर के लिए आयोजन	3,900		
शुद्ध लाभ पूंजी खाते में हस्तान्तरित	80,840		
	रु. 1,61,640		रु. 1,61,640

निम्न अतिरिक्त सूचनाएं दी जाती हैं :

(क) वर्ष में वास्तविक डूबत ऋण अपलिखित 550 रु.।

(ख) वर्ष में वास्तव में भुगतान किया गया आय कर 4,200 रु.।

(ग) आय कर नियमों के अनुसार स्वीक त ह्रास 1,700 रु.।

(घ) विज्ञापन में वे 550 रु. सम्मिलित हैं जो कि बाजार में नयी दुकान खोलने पर एक विशेष विज्ञापन अभियान पर खर्च हुए थे।

(ङ) कानूनी व्यय ट्रेडमार्क को बचाने के संबंध में हैं।

(च) श्री नेहरू अपना व्यापार किराये के भवन में चला रहे हैं जिनका आधा वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। किराया, दरें व कर में 2,400 रु. इस भवन के किराये के हैं।

(छ) बैंक ऋण व्यापार के लिए लिया गया है।

श्री नेहरू के कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए व्यापार से आय तथा कुल आय की गणना कीजिए। कार्य उत्तर का भाग होगा।

Solution

Computation of Income from Business
for the Assessment Year 2002-03

		Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit & Loss Account			80,840
Add:	Expenses not allowed:		
	Rent of one-half premises	1,200	
	Household Expenses	51,730	
	Provision for Bad Debts	1,200	
	Loss on sale of Motor Car	1,800	
	Repairs and Renewals	480	
	Life Insurance Premium	1,790	
	Wealth Tax	740	
	Interest on Capital	350	
	Provision for Depreciation	2,500	
	Provision for Income Tax	3,900	
	Gifts and Presents	150	65,840
			1,46,680
Less:	Items allowed but not charged:		
	Bad Debts	550	
	Depreciation	1,700	2,250
			1,44,430
Less:	Items not taxable under business head:		
	Interest on Govt. Securities	5,400	
	Rent from House Property	5,400	10,800
	Income from Business		Rs. 1,33,630

Statement of Total Income
for the Assessment Year 2002-03

1.	Income from House Property (A.V.)	5,400	
	Less: 30 % of A.V.	1,620	3,780
2.	Profits of Business		1,33,630
3.	Income from Other Sources (Interest on Seurities)		5,400
	Gross total Income		Rs. 1,42,810
	Less: Deduction under section 80L		5,400
	Total Income		Rs. 1,37,410

नोट- 1. **नयी दुकान खोलने के लिए किये गये विशेष विज्ञापन अभियान पर व्यय स्वीक त हैं क्योंकि इनसे माल की बिक्री अधिक होगी।** [Hindustan Commercial Bank Ltd. vs. CIT (1952) 21 ITR 353 (All.)]

2. **कानूनी व्यय विद्यमान ट्रेडमार्क के रख-रखाव के संबंध में किये गये माने गये हैं, अतः वे स्वीक त हैं।**

3. **धारा** 80L **के अन्तर्गत कटौती सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में है, जिसकी अधिकतम सीमा** 12,000 **रु. है।**

4. मरम्मत व नवीनीकरण के व्यय व्यापार के भवन के संबंध में नहीं है, अतः व्यापार शीर्षक में अस्वीक त किये गये हैं।

5. कर्मचारियों को उपहार तथा भेंट निजी रूप में दिया गया माना गया है अतः स्वीक त व्यय नहीं है।

Example No.2 :-

श्री भगवानदास एक पंजीक त चिकित्सक है। वह अपने हिसाब रोकड़ी आधार पर रखता है। 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसका रोकड़ खाते का संक्षेप निम्न प्रकार है:

	रु.		रु.
शेष लाये गये	1,22,000	दवाओं की लागत	10,000
बैंक से ऋण निजी कार्य के लिए	3,000	शल्यकर्म यंत्र	8,000
दवाओं का विक्रय	25,250	मोटर-कार	1,20,000
परामर्श देने का शुल्क	55,000	कार व्यय	6,000
घन जाने का शुल्क	24,000	वेतन	4,600
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	4,500	औषधालय का किराया	1,600
सम्पत्ति से किराया (स्थानीय कर नहीं लगेगा)	3,600	सामान्य व्यय	300
		व्यक्तिगत व्यय	11,800
		जीवन बीमा प्रीमियम	3,000
		बैंक ऋण पर ब्याज	300
		सम्पत्ति की बीमा	200
		तत्काल टेलीफोन जमा योजना में जमा	30,000
		शेष ले गये	41,550
	रु. 2,37,350		रु. 2,37,350

गत वर्ष 2001702 के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी पेशे तथा मकान-सम्पत्ति से आय की गणना कीजिए।

(अ) मोटर-कार के खर्चों का एक-तिहाई भाग उसके व्यक्तिगत प्रयोग के संबंध में है।

(आ) मोटर-कार पर ह्रास 20 प्रतिशत की दर से तथा शल्यकर्म यंत्रों पर ह्रास 25 प्रतिशत की दर से स्वीक त है।

Mr. Bhagwandas is a registered medical practitioner. He keeps his books on cash basis, and his summarised cash account for the year ended 31st March, 2002 is as under:

Balance b/d	1,22,000	Cost of Medicines	10,000
Load from Bank for Private Purposes	3,000	Surgical Equipments	8,000
Sale of Medicines	25,250	Motor-car	1,20,000
Consultation fees	55,000	Car Expenses	6,000
Visiting fees	24,000	Salaries	4,600
Interest on Govt. Securities	4,500	Rent of Dispensary	1,600
Rent from property (not subject to local taxes	3,600	General Expenses	300
		Personal Expenses	11,800
		Life Ins. Premium	3,000
		Interest on Loan from Bank	300
		Insurance of Property	200

		Deposit in Tatkal Telephone	
		Deposit Scheme	30,000
		Balance c/d	41,550
	Rs. 2,37,350		Rs. 2,37,350

Compute his income from profession and house property for the previous year 2001-02 taking into account the following further information:

(a) One-third of motor-car expenses are in respect of his personal use.

(b) Depreciation allowable on motor-car @ 20% and on Surgical equipment @ 25%.

Solution

Computation of Income from Profession and House Property
for the Assessment Year 2002-03

		Rs.	Rs.
1.	Gross Professional earnings:		
	Sale of Medicines	25,250	
	Consultation fees	55,000	
	Visiting fees	24,000	1,04,250
	Less: Expenses allowed:		
	Cost of Medicines	10,000	
	2/3 rd Car Expenses	4,000	
	Salaries	4,600	
	Rent of Dispensary	1,600	
	General Expenses	300	
	Surgical Equipment @ 25%	2,000	
	Deposit in Tatkal Telephone Deposit Scheme	30,000	
	Depreciation on car @ 20% on		
	Rs. 1,20,000 = 24,000 × 2/3	16,000	68,500
	Income from Profession		Rs. 35,750
2.	Income from House Property : Annual Value	3,600	
	Less: 30% of A.V.	1,080	2,520

नोट- 1. प्रश्न में प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की गणना नहीं करायी गई है, अतः यह उपर्युक्त हल में नहीं दर्शायी गयी है। यह अन्य साधनों से आय के शीर्षक में कर-योग्य है।

2. ऋण आय नहीं होती है। चूंकि ऋण पेशे के लिए नहीं लिया गया है अतः इसका ब्याज स्वीक त होगा।

3. तत्काल टेलीफोन जमा योजना में जमा स्वीकार्य व्यय है।

Example No. 3:

31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक चीनी मिल कम्पनी का निर्माण तथा लाभ-हानि खाता निम्न है:

	रु.		रु.
प्रारम्भिक रहतिया	1,82,300	**बिक्री**	24,51,500
पेरे गये गन्ने की लागत	12,57,700	**विविध प्राप्तियां**	6,700
उत्पादन व्यय	7,98,500	**अन्तिम रहतिया**	3,66,000

मरम्मत व नवीनीकरण	40,700		
कर्मचारियों पर व्यय	41,600		
विविध व्यय	41,600		
बिक्री पर कमीशन, आदि	63,500		
संचालक शुल्क	1,600		
अंकेक्षण के शुल्क	2,000		
बिक्री पर कमीशन	78,600		
ह्रास अपलिखित किया	1,30,700		
लाभ शेष नीचे ले गये	2,09,200		
	28,24,200		28,24,200
संचय कोष में हस्तान्तरित राशि	25,000	लाभ नीचे लाये	2,09,200
आय कर के लिए संचय	90,000		
	1,15,000		
शेष आर्थिक चिट्ठे को ले गये	94,200		
	रु. 2,09,200		रु. 2,09,200

निम्न सूचना को ध्यान में रखते हुए कम्पनी की कर-निर्धारण वर्ष के लिए व्यापार से आय की गणना कीजिए:

(क) पेरे गये गन्ने में कम्पनी के अपने खेत पर उगाये गये गन्ने की लागत 1,54,000 रु. शामिल है, जिसका औसत बाजार मूल्य 1,96,000 रु. है।

(ख) उत्पादन व्यय में निम्न शामिल हैं:

(i) 4,26,000 रु. भुगतान किए गये आबकारी शुल्क।

(ii) वैज्ञानिक अनसंधान पर 78,000 रु. निम्न प्रकार व्यय हुए:

एक नई अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना पर पूंजीगत व्यय 57,000 रु. तथा 11,000 रु. के चालू व्यय।

(ग) कर्मचारियों पर व्यय में 1,200 रु. कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान शामिल है, जो अप्रमाणित है।

(घ) विविध व्यय में एक शिक्षा संस्था को दिए गये दान के 5,000 रु. तथा एक सार्वजनिक अस्पताल को दान के 2,000 रु. (जहां कम्पनी के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज होता है) तथा एक नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना पर अंशों के निर्गमन पर 2,000 रु. कमीशन के शामिल हैं।

(ङ) दिवाली पूजन पर 1,000 रु. की चीनी मुफ्त बांटी गई।

(च) 15,000 रु. की लागत की फैक्टरी भवन में व द्धि, मरम्मत व नवीनीकरण खाते में नाम डाल दिए गये हैं।

(छ) नियमानुसार स्वीक त ह्रास 98,200 रु. का होता है।

The following is the Manufacturing and Profit and Loss Account of a Sugar Mill Company for the year ended 31st March, 2002:

	Rs.		Rs.
Opening Stock	1,82,300	Sale	24,51,500
Cost of Cane Crushed	12,57,700	Miscellaneous Receipts	6,700
Manufacturing Exps.	7,98,500	Closing Stock	3,66,000
Repairs and Renewals	40,700		

Establishment Charges	41,600		
Miscellaneous Exps.	17,800		
Commission on Sales, etc.	63,500		
Directors' Fees	1,600		
Auditor's Fees	2,000		
Selling Commission	78,600		
Depreciation written-off	1,30,700		
Balance being Profit carried down	2,09,200		
	Rs. 28,24,200		Rs. 28,24,200
Amount transferred to		Profit brought down	2,09,200
Reserve Fund	25,000		
Reserve for Income tax	90,000		
	1,15,000		
Balance carried to Balance Sheet	94,200		
	Rs. 2,09,200		Rs. 2,09,200

Compute the company's business income for the Assessment Year 2002-03 after taking the following information into account:

(a) Cane crushed includes Rs. 1,54,000 the cost of cane grown on company's own farm, the average market price of the same being Rs. 1,96,000

(b) Manufacturing expenses include:

  (i) Rs. 4,26,000 for excise duty paid.

  (ii) Rs. 78,000 spent on scientific research as follows:

  Rs. 57,000 for capital expenditure on the fitting up of a new research laboratory, and Rs. 11,000 for current expenditure.

(c) Establishment charges includes Rs. 1,200 for contribution towards Employee's Provident Fund which is unrecognised.

(d) Miscellaneous expenses include Rs. 5,000 for donations to local educational institutions and Rs. 2,000 for donations to public hospital where the company's employees are treated free and Rs. 2,000 commission in connection with issue shares for setting up a new industrial unit.

(e) Sugar worth Rs. 1,000 was distributed free on Diwali Pujan.

(f) Rs. 15,000 cost of addition to factory buildings, has been charged to Repairs and Renewals.

(g) Amount of Depreciation, admissible according to rules, works out at Rs. 98,200.

Solution

Computation of Business Income
for the Assessment Year 2002-03

	Rs.
Profit as per Profit & Loss Account	2,09,200
Less: Agricultural Income [being the excess of market price of cane crushed over cost of cane grown, which has already been charged to the P. & L. Account, i.e., Rs. (1,96,000-1,54,000)]	42,000
	1,67,200

Add: Expenses not allowed:		Rs.	
(i) Contribution to unrecognised P.F.		1,200	
(ii) Cost of additions to factory bldgs.		15,000	
(iii) Excess Depreciation		32,500	
(iv) Donations		7,000	
(v) 4/5th Commission regarding issue of shares		1,600	57,300
	Business Income		Rs. 2,24,500

Notes: 1. It is assumed that depreciation allowed by the Assessing Officer includes depreciation on Rs. 15,000 which is the cost of addition to factory buildings.

2. Under section 35(2)(ia) the whole amount of capital expenditure incurred on scientific research is deductible in the previous year in which it is incurred.

3. Under section 35D, 1/5th of expenditure incurred in connection with commission, brokerage, etc., for issue of shares is admissible in each of the successive five previous years. Hence 4/5th commission regarding issue of shares has been disallowed.

4. Distribution of sugar on Diwali Pujan is a reasonable expenses, hence admissible.

Example No. 4:

कारण सहित बताइए कि क्या निम्न मदें व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करने के लिए स्वीक त हैं?

(i) **राजनीतिक पाटी को दान।**

(ii) **नया साझेदारी प्रलेख तैयार करने के लिए वकील को दी गयी फीस।**

(iii) **हड़ताल को वापस कराने के लिए एक श्रमिक नेता को दी गयी राशि।**

(iv) **पुत्र को दिया गया वेतन जो कार्यालय में कार्य कर रहा है। वेतन उचित है।**

(v) **पुत्री को कार्यालय भवन का चुकाया गया किराया, भवन पुत्री को उसकी शादी पर उपहार में दिया था।**

(vi) **अतिरिक्त कार्य करने के लिए साझेदार को बोनस।**

(vii) **पत्नी से लिये गये ऋण पर ब्याज चुकाया।**

(viii) **अपने मरीजों के लाभ के लिए डॉक्टर ने मैगजीनों का चन्दा दिया।**

(ix) **कार्यालय में वातानुकूलन यंत्र की ब हत् मरम्मत पर व्यय।**

(x) **लेन-देन के व्यापार के दौरान करदाता ने अपने देनदारों से कुछ सम्पत्तियां प्राप्त कीं (जो ऋण के बदले में थी) और उन्हें माल के रहतिये की तरह से रखा। ये सम्पत्तियां दुश्मन के हमले से नष्ट हो गयी और करदाता इस हानि की कटौती का दावा करता है।**

(xi) **गत वर्ष में व्यापार की एक शाखा बन्द होने के बाद उसके संबंध में किये गये व्यय।**

State, giving brief reasons, whether the following items are allowable while computing profits and gains of business or profession:

(i) Donation to a political party.

(ii) Fees paid to the lawyer for drafting a new Partnership Deed.

(iii) Sums paid to a Labour leader to call off the strike.

(iv) Salary paid to son, who is working in the office. The salary is reasonable.

(v) Rent paid to daughter for office block which was gifted to her at the time of her marriage.

(vi) Bonus to partner for extra services.

(vii) Interest paid to wife on money borrowed from her.

(viii) Subscription for magazines paid by a Doctor for the nenefit of his patients.

(ix) Major repairs to the air-conditioner in the office.

(x) In the course of money-lending business, the assessee acquired certain properties in lieu of debts and held them as stock-in-trade. The properties so acquired were destroyed by enemy action and the assessee claims the loss as deduction.

(xi) Expenses incurred in respect of a branch the business of which was discontinued during the year.

Solution

(i) अस्वीक त है क्योंकि यह व्यापार से संबंधित है।

(ii) स्वीक त हैं क्योंकि यह धारा 37 के अन्तर्गत आता है।

(iii) धारा 37(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार यह व्यय गैर-कानूनी (रिश्वत) है अतः अस्वीक त है।

(vi) रिश्तेदार को दिया गया उचित वेतन स्वीक त है।

(v) यह स्वीक त होगा बशर्ते कि किराये की राशि उचित है।

(vi) स्वीक त है बशर्ते कि यह साझेदारी प्रलेख के अनुसार हो और सब शर्तें पूरी करता हो।

(vii) यह स्वीक त है बशर्ते कि ब्याज की राशि उचित है।

(viii) यह स्वीक त है क्योंकि यह पेशे के हित में है।

(ix) यह स्वीक त है बशर्ते कि यह चालू मरम्मत की प्रक ति न हो।

(x) यह स्वीक त है क्योंकि यह व्यापार के रहतिये की हानि है। सम्पत्तियां रहतिये के रूप में थीं।

(xi) शाखा का बन्द होना व्यापार का बन्द होना नहीं है अतः व्यय कटौती-योग्य है।

मिस्टर जी.आर. शर्मा अपना दवाइयों का व्यापार चला रहे हैं। 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनका व्यापारिक तथा लाभ-हानि खाता निम्नलिखित है:

प्रारम्भिक रहतिया	20,000	विक्रय	1,44,000
क्रय	1,09,000	अंतिम रहतिया	52,000
वेतन	6,0000	रिलाएंस कम्पनी लि. के ऋणपत्रों पर ब्याज	2,000
किराया	11,000		
बोनस	3,000	लाभांश	2,000
मुद्रण, डाक तथा स्टेशनरी	4,000	बट्टा प्राप्त किया	12,000
विविध व्यय	4,000	घुड़ दौड़ की जीत (सकल)	12,000
विज्ञापन व्यय	22,000	पॉलिसी परिपक्व होने पर LIC से प्राप्त राशि	15,000
आहरण	12,000		
जीवन बीमा प्रीमियम	5,000	एक फर्म में लाभ का भाग	30,000
कार के व्यय:			
ड्राइवर का वेतन	6,000		
पेट्रोल, मरम्मत	12,000		
सम्पत्ति कर	4,000		
शारीरिक असमर्थ पुत्र की चिकित्सा पर Holy Family अस्पताल में खर्चे	3,000		
राष्ट्रीय बचत-पत्र (VII निर्गमन) की लागत	3,000		
शुद्ध लाभ	45,000		
	रु. 2,69,000		रु. 2,69,000

अतिरिक्त सूचना निम्न प्रकार है :

विज्ञापन व्यय में 1,100 रु. वाले 20 उपहार पैकिटों की लागत शामिल है जो दिवाली के उपलक्ष में अग्रणी डॉक्टरों को भेंट किये गये हैं।

यह मान लो कि :

लाभांश तथा ऋणपत्रों पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती शून्य है।

कार व्यापार तथा निजी दोनों कामों में प्रयोग हुई है। व्यापार के लिए 2/3 है।

4,000 रु. का सम्पत्ति कर स्वयं के रहने के मकान के संबंध में है जिसका किराया मूल्य 18,000 रु. है।

मिस्टर शर्मा की कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए सकल कुल आय तथा कुल आय की गणना प्रत्येक शीर्षक की आय दिखाते हुए कीजिए।

Mr. G.R. Sharma carries on his own business as chemist. For the year ending March 31, 2002, his Trading and Profit and Loss Account is as follows:

Opening Stock	20,000	Sales	1,44,000
Purchases	1,09,000	Closing Stock	52,000
Salaries	6,000	Interest on Reliance Co. Ltd.	
Rent	11,000	debentrues	2,000
Bonus	3,000	Dividend	2,000
Printing, Postage and Stationery	4,000	Discount Received	12,000
Miscellaneous Expenses	4,000	Race Winnings (Gross)	12,000
Advertisement Expenses	22,000	Amount received from LIC on	
Drawings	12,000	Maturity of Policy	15,000
LIC Premium	5,000	Share of Profits in a firm	30,000
Car Expenses:			
Driver's Salary	6,000		
Petrol, Repairs	12,000		
Property Tax	4,000		
Medical Expenses of Physically handi-capped son at Holy Family Hospital	3,000		
Cost of National Savings Certificates (VIII Issue)	3,000		
Net Profit	45,000		
	Rs. 2,69,000		Rs. 2,69,000

Additional information is as follows:

Advertisement expenses included cost of 20 Gift Packs of Rs. 1,100 each presented to leading doctors on the occasion of Diwali.

Assume:

Taxes deducted source on Dividends and Debentures are Nil.

The car was used both for business and personal purposes. 2/3rd is for business.

Property Tax of Rs. 4,000 was in respect of his self-occupied house whose Rental value is Rs. 18,000

Compute the Gross Total Income and Total Income of Mr. Sharma for A.Y. 2002-03 showing the income under various heads. (C.A. Inter, May, 1986)

Solution

Computation of Income under Various Heads
for the Assessment Year 2002-03

PROFIT AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

Source: (i) Chemist's Business				
Net profit as per Profit and Loss Account				45,000
Less: Items not relating to business credited to Profit and Loss Account to be considered separately:				
(i)	Interest on Reliance Debentures– Considered under Income from other sources		2,000	
(ii)	Race Winnings—Considered under Income from other Sources		12,000	
(iii)	Amount received from LIC on maturity of policy is a capital receipt and does not constitute income at all		15,000	–29,000
				(+) 16,000
Less: (i)	Share of profit in a firm [Exempt u/s 10(2A)			
(ii)	Dividend assumed to be from an Domestic Company [Exempt u/s 10(33)		2,000	–32,000
				–16,000
Add: Expenses Disallowe:				
1/3rd Car expenses attributable for personal use				6,000
	Income from Business			17,000
(ii)	Income from House Property (Self-occupied)			Nil
(iii)	Income from other Sources:			
	Interest on Debentures of Reliance Co.		2,000	
	Race Winnings	12,000		
	Less: Exemption under Section	2,500	9,500	11,500
	Computation of Gross Total Income and Total Income			
(i)	Income from House Property			Nil
(ii)	Income from Profits and Gains of Business or Profession			17,000
(iii)	Income from Other Sources			11,500
		Gross Total Income		28,500
Less: Deduction u/s 80DD: Medical Expenses of Physically handicapped son Rs. 40,000				28,500
		Total Income		Rs. NIL

नोट- 1. **कर-निर्धारण वर्ष** 1998-99 **से विज्ञापन व्यय पर सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब सम्पूर्ण विज्ञापन व्यय धारा** 37(1) **के अन्तर्गत स्वीक त होते हैं।**

2. **धारा** 80DD **के अन्तर्गत, करदाता के पुत्र की चिकित्सा के लिए** 40,000 **रु., अथवा सकल कुल आय, जो दोनों में कम हो की कटौती स्वीक त होगी। यह मान लिया है कि करदाता ने सरकार अस्पताल में कार्यरत किसी सर्जन से अपने पुत्र के शारीरिक रूप से असमर्थ होने का प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत कर दिया है।**

Exmaple No. 6:-

31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के एक व्यापार के निम्नलिखित लाभ-हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के व्यापार के कर-योग्य लाभ तथा कुल आय ज्ञात कीजिए:

	रु.		रु.
कार्यालय वेतन	10,000	सकल लाभ	57,500
मालिक का वेतन	5,000	दो वर्ष से रखे हुए रिहायशी मकान के विक्रय पर लाभ	20,000
मालिक की पूंजी पर ब्याज	2,000	डूबत ऋण की वसूली (सबूत न होने के कारण 1991-92 गत वर्ष में कर-निर्धारण अधिकारी ने कटौती स्वीकार नहीं की थी)	3,000
सामान्य व्यय	5,000	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	5,000
डूबत ऋण	2,000	क षि कम्पनियों से लाभांश (सकल) (जिसकी सम्पूर्ण आय कर-मुक्त है)	2,500
विज्ञापन	4,500	डाकखाने के बचत खाते का ब्याज	2,000
अग्नि बीमा प्रीमियम	2,000	किसी पिछले वर्ष में सीमा-शुल्क पर चुकाये गये अर्थ-दण्ड की वापसी	2,000
ह्रास	4,000		
भविष्य की हानियों के लिए संचय	8,000		
सीमा शुल्क	2,000		
गत कर-निर्धारण का आय कर	4,000		
अग्रिम आय कर चुकाया	2,000		
दिल्ली सरकार को गरीबों को चिकित्सा राहत देने के लिए दान	1,000		
व्यापार के ठेके के कथित भंग करने के बाद की रक्षा करने के लिए कानूनी व्यय	500		
मोटर-कार के खर्चे	1,000		
शुद्ध लाभ	1,39,000		
	रु. 1,92,000		रु. 1,92,000

सामान्य व्यय में 1,000 रु. वह शामिल है जो एक पूर्व कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये हैं क्योंकि उसकी सेवाएं इस कारण से समाप्त कर दी गयी थीं कि उसके सेवा में रहने से व्यापार को लाभप्रद चलाना मुश्किल समझा गया था तथा 200 रु. जो विश्वविद्यालय के निर्धन छात्र को सहायतार्थ दिये गये थे वह भी शामिल है। ह्रास 1,800 रु. अधिक लगाया गया है। विज्ञापन व्यय में 500 रु. एक लकड़ी के Show Case के शामिल हैं। करदाता को बिक्री कर की मांग का नोटिस 8,000 रु. का प्राप्त हो गया है और इस दायित्व के लिए कोई विवाद नहीं किया है। भविष्य की हानियों के लिए संचय इसी दायित्व के लिए है। रिहायशी मकान के विक्रय पर 1,50,000 रु. शुद्ध प्रतिफल के प्राप्त हुए।

From the following Profit and Loss Account of a business for the period ended 31-3-2002 ascertain the taxable profits from business and the total income for the assessment year 2002-03.

Office Salaries	10,000	Gross Profit	1,57,500
Proprietor's salaries	5,000	Profit on Sale of residential house	20,000
Interest on Proprietor's Capital	2,000	Bad debts recovered (not allowed as deduction by Assessing Officer for lack of proof)	3,000
General Expenses	5,000		
Bad Debts	2,000		

Advertisements	4,500	Interest on Govt. Securities	5,000
Fire Insurance Premium	2,000	Dividends from Indian Agricultural Companies (Gross) (whose Income is exempt)	2,500
Depreciation	4,000	Int. from Post Office Savings Bank A/c	2,000
Reserve for future losses	8,000	Refund of penalty on Custom duty paid in an earlier year	2,000
Custom Duty	2,000		
Income tax on last Assessment	4,000		
Advance I.T. paid	2,000		
Donations to Delhi Govt. to provide Medical relief to the poor	1,000		
Legal charges fro defending suit for alleged breach of trading contract	500		
Motor-car expenses	1,000		
Net Profit	1,39,000		
	Rs. 1,92,000		Rs. 1,92,000

General Expenses include Rs. 1,000 paid as compensation to an old employee whose services were terminated as his continuance is service was considered deterimental to the profitable conduct of the business and Rs. 200 by way of help to a poor university student. The depreciation is found to be in excess by Rs. 1,800. The advertisement cost includes one wooden showcase Rs. 500, Calendars and Diaries Rs. 1,500. Motor-car expenses include Rs. 500 as motor-car expenses for private use of car. The assessee has received demand notice of sales tax, amounting to Rs. 8,000 and he has not disputed this liability. Reserve for future losses is meant for this liability. The net consideration received on the sale of residential house is Rs. 1,50,000.

Solution

Computation of Taxable Profit from Business
for the Assessment Year 2002-03

		Rs.	Rs.
	Net Profit as per Profit and Loss Account		1,39,000
Less:	Items not taxable under this head:		
	(i) Profits on residential house	20,000	
	(ii) Interest from Govt. Securities	5,000	25,000
			1,14,000
Less:	Items not taxable at all:		
	(i) Bad debts recovered (as they were not allowed as a deduction in the past)	3,000	
	(ii) Interest from Post Office S.B. A/c	2,000	
	(iii) Refund of penalty on custom duty paid earlier	2,000	
	(iv) Dividends from Indian Companies [Exempt u/s 10(33)	2,500	9,500
			1,04,500
Add:	Expenses not allowed:		
	(i) Proprietor's salary	5,000	
	(ii) Interest on Proprietor's Capital	2,000	
	(iii) Charity to poor student included in General Expenses	200	

(iv)	Excess Depreciation	1,800	
(v)	Income tax on last assessment	4,000	
(vi)	Advance Income tax	2,000	
(vii)	Donations to Delhi Govt.	1,000	
(viii)	Motor-car expenses in relation to private use	500	
(ix)	Reserve for future losses	8,500	
(x)	Showcase	500	25,000
	Taxable Profit from Business		Rs. 1,29,500

Statement of Total Income

1.	Profits of Business		1,29,500
2.	Capital Gains : Profit on Sale of Residential House (Short-term)		20,000
3.	Income from Others Sources:		
	Interest on Securities		5,000
	Gross Total Income		Rs. 1,54,500
Less: (i)	Interest on Govt. Securities u/s 80L	5,000	
(ii)	100% of donations of Rs. 1,000 u/s 80G	1,000	
	Total Income		Rs. 1,48,500

नोट- 1. **कलेण्डर तथा डायरियों की लागत विज्ञापन व्यय है, अतः स्वीक त है।**

2. **भारतीय कम्पनी से लाभांश धारा** 10(33) **के अन्तर्गत कर-मुक्त है।**

3. **लकड़ी के** Showcase **की लागत पूंजीगत व्यय है; परन्तु इस पर ह्रास मिलेगा। यह माना गया है कि ह्रास की राशि में** Showcase **पर ह्रास भी शामिल है।**

4. **विक्रय कर के लिए संचय स्वीक त व्यय नहीं है। वास्तव में चुकाया गया विक्रय कर भुगतान वाले वर्ष में धारा** 43B **के अन्तर्गत स्वीकार होगा। यह भी माना है कि विक्रय कर की यह राशि, आय का विवरण दाखिल करने की** Due Date **तक नहीं चुकाई गई है।**

5. **सीमा-शुल्क के संबंध में दिया गया अर्थ-दण्ड कटौती-योग्य नहीं है, अतः अर्थ-दण्ड की वापसी पर कर नहीं लगाया जा सकता है। सीमा शुल्क स्वीक त व्यय है।**

6. **गरीबों को चिकित्सा राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष को दिया गया दान धारा** 80G **के अन्तर्गत** 100 **प्रतिशत कटौती-योग्य है।**

Example No. 7:-

एक एकाकी व्यापार के 31 **माच्र,** 2002 **को समाप्त होने वाले वर्ष के निम्न लाभ-हानि खाते से उसकी व्यापार कर-योग्य आय तथा सकल कुल आय की, कर-निर्धारण वर्ष** 2002-03 **के लिए, गणना कीजिएः**

	रु.		रु.
कर्मचारियों की वेतन	15,000	**सकल लाभ नीचे लाये**	2,00,000
सामान्य व्यय	8,000	**लाभांश (सकल) एक क षि कम्पनी से**	5,000
डूबत ऋण	3,000	**अधिसूचित** Capital Investment Bonds	
विज्ञापन	5,000	**पर ब्याज**	1,000
मालिक का वेतन	15,000		
मालिक की पूंजी पर ब्याज	3,000		

बिक्री कर के लिए संचय	8,000		
कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी	40,000		
दान	12,000		
भूमि क्रय की	20,000		
अग्रिम आय कर चुकाया	5,000		
ह्रास	10,000		
एक व्यापारिक अनुबंध को भंग करने के मुकदमे की प्रतिरक्षा करने पर कानूनी व्यय	1,000		
शुद्ध लाभ	61,000		
	रु. 2,06,000		रु. 2,06,000

अतिरिक्त सूचनाः

(1) सामान्य व्यय में 2,000 रु. वे शामिल हैं जो एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने पर क्षतिपूर्ति के रूप में उसे चुकाये गये। इस कर्मचारी की सेवाएं चालू रखना व्यापार के लाभ के लिए अहितकर समझा गया था।

(2) करदाता को पिछले वर्ष के बिक्री कर के लिए 8,000 रु. की मांग का नोटिस प्राप्त हो गया है और उसने इस दायित्व पर कोई आपत्ति नहीं की है।

(3) ग्रेच्युइटी जो भुगतान की गई है उसका कर्मचारियों की सेवा अथवा वेतन से कोई संबंध नहीं था। यह तदर्थ आधार पर दी गई है।

(4) चैम्ब्र ऑफ कॉमर्स को दान इस उद्देश्य से दिया गया है कि वह इस प्रकार के व्यापार के सम्भावित राष्ट्रीयकरण को रुकवाने का कार्य करे। चैम्बर ने इस प्रकार के व्यापार करने वाले अन्य लोगों से भी ऐसा दान लिया। चैम्बर ने अन्य लोगों को दान दिया जिन्होंने सरकार पर दबाव डाला और अन्ततः राष्ट्रीयकरण को टाल दिया।

(5) करदाता ने भूमि जिलाधीश के नाम से अपने कर्मियों के लिए मकान बनवाने के लिए क्रय की है। यह काम सरकार को औद्योगिक कर्मियों के लिए रियायती ग ह योजना के अन्तर्गत करना था इनका स्वामित्व सरकार का होगा।

(6) ह्रास 2,000 रु. से अत्यधिक पायी गई है।

From the following Profit and Loss Account of a sole proprietorship business for the year ended 31st March] 1997, compute his taxable income from business and the gross total income for the assessment year 1997-98:

	Rs.		Rs.
Salary to Staff	15,000	Gross Profit b/d	2,00,000
General Expenses	8,000	Dividend (Gross) from an Agricultural Company	5,000
Bad Debts	3,000	Interest on notified Capital Investment Bonds	1,000
Advertisement	5,000		
Proprietor's Salary	15,000		
Int. on Proprietor's Capital	3,000		
Reserve for Sales tax	8,000		
Gratuity to Staff	40,000		
Donation	12,000		
Purchase of land	20,000		
Advance Income tax paid	5,000		

Depreciation	10,000	
Legal charges for defending a suit for breach of a trading contract	1,000	
Net Profit	61,000	
	Rs. 2,06,000	Rs. 2,06,000

Additional Information:

(1) General Expenses include Rs. 2,000 paid as compensation to an employee whose services were terminated as his continuing in service was considered deterimental to the profitable conduct of the business.

(2) The assessee has received demand notice of sales tax for the preceding year amounting to Rs. 8,000 and he has not disputed the liability.

(3) The gratuity paid had no relation to the service or salary drawn by the staff. It was given on ad hoc basis.

(4) Donation was given to the Chamber of Commerce to work against the threat of nationalisation of the type of business carried on by the assesee. The Chamber collected such donations from several other parties also doing the same type of business. The Chamber in turn donated money to different persons who exercised their pressure with the Government and ultimately it was averted.

(5) The assessee purchased land in the name of the District Magistrate for constructing houses for its workers. It was to be done by the Government under the subsidised Housing Scheme for industrial workers. the ownership would vest in the Government.

(6) Depreciation is found to be in excess by Rs. 2,000.

Solution

Computation of Taxable Income from Business
for the Assessment Year 2002-03

Net Profit as per Profit & Loss A/c			61,000
Add: Expenses Disallowed:			
(i)	Proprietor's Salary	15,000	
(ii)	Interest on Prop.'s Capital	3,000	
(iii)	Advance Income tax paid	5,000	
(iv)	Excess Depreciation charged	2,000	
(v)	Gratuity	40,000	
(vi)	Sales tax Reserve	8,000	73,000
			1,34,000
Less: Interest on notified capital Investment Company [Exempt u/s 10(15)(iib)]			1,000
			1,33,000
Less: Dividend from an Indian Agricultural Company [Exempt u/s 10(33)			5,000
Taxable Income from Business being G.T.I.			Rs. 1,28,000

नोट- 1. मालिक का वेतन, उसकी पूंजी पर ब्याज तथा अग्रिम आय कर का भुगतान अस्वीक त है।

2. व्यापार के लिए अहितकर कर्मचारी को हटाने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि स्वीकार्य है।

3. बिक्री कर के लिए संचय स्वीकार नहीं होगा क्योंकि इसका वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है।

4. ग्रेच्युइटी का वेतन अथवा सेवा की शर्तों से कोई संबंध नहीं है वरन् यह तदर्थ आधार पर भुगतान की गई है।

5. व्यापार के हित में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दान दिया गया है जिसके फलस्वरूप व्यापार का राष्ट्रीयकरण टाला जा सका। अतः दान तथा व्यापार से संबंध था। यह धारा 37 के अन्तर्गत स्वीक त व्यय माना गया है।

6. करदाता ने कोई पूंजी सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है क्योंकि भूमि पर बनवाये गये मकानों का वह स्वामी नहीं होगा तथा भूमि भी उसके नाम में नहीं है। अतः जिलाधीश के नाम में क्रय की गई भूमि पर व्यय आयगत मानकर स्वीक त होगा।

अध्याय-7

हास

(Depreciation)

हास से अभिप्राय व्यापार में प्रयोग होने वाली सम्पत्तियों के प्रयोग होने के कारण उनकी टूट-फूट होने से उनके मूल्य में कमी होना है। वास्तव में एक सम्पत्ति का जीवन निश्चित होता है। उस निश्चित अवधि के पश्चात उसका प्रभावशाली जीवन समाप्त हो जाता है इसलिए इसकी लागत को इसके जीवन की अनुमादित अवधि में हास लगाकर समाप्त कर दिया जाता है।

हास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें

1. **सम्पत्तियां जिन पर हास मिलता है:**-धारा 32(1) के अनुसार सम्पत्तियां जिन पर हास लगाया जाता है दो प्रकार की होती है।

   (क) मूर्त सम्पत्तियां, (ख) अमूर्त सम्पत्तियां

   (क) **मूर्त सम्पत्यिां :** मूर्त सम्पत्तियों से हमारा अभिप्राय उन सम्पत्तियों से है जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है जैसे:-भवन, मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर, समुद्री जहाज तथा गाड़ियां, पुस्तकें, वैज्ञानिक, यन्त्र, शल्य-कर्म यन्त्र इत्यदि।

   (ख) **अमूर्त सम्पत्तियां :** अमूर्त सम्पत्तियों से हमारा अभिप्राय उन सम्पत्तियों से है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता जैसे:-तकनीकी ज्ञान, पेटण्टस, ट्रेड मार्क इत्यादि।

2. हास लगाने के लिए उस सम्पत्ति पर स्वामी का पूर्णतया या आंशिक स्वामित्व होना चहिए।
3. सम्पत्तियों पर हास उसके खण्ड पर लगाया जाता है। खण्ड से हमारा अभप्राय एक ही वर्ग की मूर्त तथ अमूर्त सम्पत्तियों से है जिन पर एक ही दर से हास लगाया जाता है। इस पर आयकर नियम के अनुसार घटती हास पद्धति से हास स्वीकृत है।
4. यदि गत वर्ष में कोई सम्पत्ति 180 दिन से कम प्रयोग की गई है तो उस पर सामान्य हास का 50% हास स्वीकृत होगा।
5. यदि कोई सम्पत्ति किराए पर लेकर या पट्टे पर लेकर उसमें व्यापार चलाया जा रहा है तो उसका हास स्वीकृत नहीं होगा।
6. यदि करदाता अपनी कुल आय में से हास की कटौती स्वीकृत नहीं करता तो भी उसे हास की कटौती दी जाएगी।
7. हास सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर लगाया जाता है न कि अनुमादित लगात पर।

वे परिस्थितियां जिनमें वास्तविक लागत माना हुआ मूल्य होता है

1. यदि कोई सम्पत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के पश्चात् व्यापार में सम्पत्ति के रूप में प्रयोग की जाती है तो उसकी वास्तविक लागत में से वैज्ञानिक अनुसंधान में की गई कटौतियां घटाकर शेष राशि वास्तविक लागत होगी।
2. यदि करदाता कोई सम्पत्ति भेंट या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है तो उसकी लागत पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत में से हास की राशि घटाकर शेष राशि को माना जाएगा।
3. यदि कोई करदाता कोई सम्पत्ति जो उसने पिछले वर्षों में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी थी तथा बाद में दुबारा उसे खरीद लेता है तो उसकी वास्तविक लागत पिछले वर्षों में हास की राशि घटाकर शेष राशि या करदाता द्वारा दोबारा प्राप्त करने के लिए दी गई राशि जो दोनों में कम हो वह वास्तविक लागत मानी जाएगी।

4. एकीकरण की योजना के अन्तर्गत जब एक कम्पनी अपनी कोई सम्पत्ति दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित करती है तो उसकी वास्तविक लागत वही मानी जाएगी जो हस्तांतरण करने वाली कम्पनी के लिए थी। जब कोई सम्पत्ति स्टाक एक्सचेंज के निगमीकरण की दश में प्राप्त होती है तो उसकी वास्तविक लागत वही होगी जो स्टाक एक्सचेंज के हाथों में थी।
5. भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन होने से यदि किसी पूंजी सम्पत्तियों का भुगतान अवमूल्यन के पश्चात किया जाना है तो उसकी वास्तविक लागत अवमूल्यन के बाद की लागत मानी जाएगी।

अपलिखित मूल्य : धारा 43(6) के अनुसार अपलिखित मूल्य से आशय निम्न मूल्य से है-

1. गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्ति के लिए करदाता की वास्तविक लागत।
2. वास्तविक लागत में से पिछले वर्षों में स्वीकार किया गया हास घटाकर शेष बची राशि।
3. हास की गणना सम्पत्तियों के खण्ड पर की जाती है न कि प्रत्येक सम्पत्ति पर अलग-अलग।

हास की दरें
(Rate of Depreciation)

हास की निर्धारित दरें आयकर आयकर अधिनियम 1962 की appendics 1 के भाग (i) में दी हुई है। जो निम्न प्रकार हैः-

	भवन	हास की दर
1.	रिहायशी मकान के संबंध में	5%
2.	रिहायशी प्रयोग में न होने पर	10%
3.	होटल के प्रयोग में	20%
4.	पूर्णतया अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी का खोखा	100%
	फर्नीचर तथा फिटिंग्स	
1.	सामान्य दर	10%
2.	होटल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा भवन, शादियों में किराए पर जाने वाला फर्नीचर	15%
	मशीन तथा प्लांट	
1.	सामान्य दर	25%
2.	विशेष दर	
	(a) मोटर बस, मोटर, लॉरी, हवाई जहाज (जो किराए पर चलते हैं)	40%
	(b) ऊर्जा की बचत करने वाली संयंत्र तथा मशीनें	100%
	(c) वातावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण यंत्र	100%
	(d) पुस्तकों की लागत पर	100%
	(e) पुस्तकालय में प्रयोग होने वाली पुस्तकों पर	100%
	(f) कम्प्यूटर पर	60%
	जहाज रानी	
1.	समुद्री जहाज	25%

अशोधित हास

धारा 32(2) के अनुसार अशोधित हास से हमारा अभिप्राय उस हास से है जो व्यापार या पेशे के अपर्याप्त लाभ होने के कारण घटाए नहीं जा सके तथा अन्य आय न होने पर सम्पूर्ण कटौती नहीं मिल सकी।

अशोधित ह्रास घटाने के प्रावधान

यदि अशोधित ह्रास के साथ व्यापारिक हानि भी आगे लाई गई है। तो इन्हें घटाने के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे।

		रु०
1.	ह्रास घटाने से पूर्व गत वर्ष की व्यापारिक आय	.....
2.	**घटाओ : गत वर्ष का ह्रास**	.....
	शेष	.....
3.	**घटाओ :** आगे लाई गई व्यापारिक हानि	.....
	शेष	.....
4.	**घटाओ :** अशोधित ह्रास	.....
	शेष	.....

यदि अब भी अशोधित ह्रास न घटाया ज सका तो उसे अन्य कर योग्य आय में घटाया जाएगा।

वास्तविक लागत के आधार पर ह्रास की दरें

	Class of Assets	*Depreciation allowance as percentage of actual cost*
(a)	Plant and machinery in geneating stations including plant foundations :	
(i)	Hydro-electric	3.40
(ii)	Steam electric NHRS and waste heat revocery boilers/plants	7.84
(iii)	Diesel, electric an gas plant	8.24
(b)	Cooling towers and circulating water systems	7.84
(c)	Hydraulic works forming part of hydrio-electric system including :	
(i)	Dams, spillways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and syphons	1.95
(ii)	Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge (tanks), hydraulic control valves and other hydraulic works	3.40
(d)	Building and civil engineering works of permanent character, not mentioned above :	
(i)	Office and Showrooms	3.02
(ii)	Containing thermo-electric generating plant	7.84
(iii)	Containing hydro-electric generating plant	3.40
(iv)	Temporary erection such as wooden structures	33.40
(v)	Roads other than kutcha roads	3.02
(vi)	Others	3.02
(e)	Transformers, transformer (kiosk) sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundations) :	
(i)	Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt ampere and over	7.81

(ii)	Others	7.84
(f)	Switchgear including cable connections	7.84
(g)	Lightning arrestor :	
(i)	Station type	7.84
(ii)	Pole type	12.77
(iii)	Synchronous condensor	5.27
(h)	Batteries :	33.40
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnectioned boxes	5.27
(ii)	Cable duct system	3.02
(i)	Overhead lines including supports :	
(i)	Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66KV	5.27

Practical Problems of Depriciation

Ex. 1. एक लिमिटेड कम्पनी की सम्पत्तियों का 1 अप्रैल, 2001 को निम्न विवरण है :

	वास्तविक मूल्य	1-4-2001 को अपलिखित मूल्य	हास की दर
भवन :	**रु०**	**रु०**	
A	10,00,000	8,10,000	10%
B	16,00,000	15,04,800	5%
प्लाण्ट तथा मशीन :			
P	4,00,000	3,00,000	25%
Q	8,00,000	2,88,000	40%
R	6,00,000	3,37,500	25%

वित्तीय वर्ष 2001-02 में कम्पनी ने निम्न सम्पत्तियां क्रय कीं :

	लागत	क्रय की तारीख	हास की दर
भवन :	**रु०**		
C	3,00,000	1.5.2001	5%
D	7,00,000	1.3.2002	10%
प्लाण्ट तथा मशीन :			
S	3,00,000	1.12.2001	25%
T	2,00,000	1.8.2001	40%

वित्तीय वर्ष 2000-01 में कम्पनी ने निम्न सम्पत्तियां बेचीं :

	विक्रय मूल्य	विक्रय की तारीख
भवन :	**रु०**	
A	9,00,000	15.3..2002
B	19,00,000	1.7.2001
प्लाण्ट तथा मशीन :		
R	4,50,000	1.9.2001
Q	5,00,000	1.2.2002

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 **के लिए अपलिखित मूल्य तथा ह्रास की राशि की गणना कीजिए।**

The following are the particulars of the assets of a limited company as on 1st April, 2001 :

	Actual Cost	*W.D.W. on 1.4.2001*	*Rate of*
***Buildings* :**	**Rs.**	**Rs.**	
A	10,00,000	8,10,000	10%
B	16,00,000	15,04,800	5%
***Plant of Machinery* :**			
P	4,00,000	3,00,000	25%
Q	8,00,000	2,88,000	40%
R	6,00,000	3,37,500	25%

The company acquired the following assets during the financial year 2002-02 :

	Cost	*Date of purchase*	*Rate of*
***Buildings* :**	**Rs.**		***Dep.***
C	3,00,000	1.5.2001	5%
D	7,00,000	1.3.2002	10%
***Plant & Machinery* :**			
S	3,00,000	1.12.2001	25%
T	2,00,000	1.8.2001	40%

The company sold the following assets during the financial year 2002-02 :

	Cost	*Date of Purchase*
***Buildings* :**	***Rs.***	
A	9,00,000	15.3..2002
B	19,00,000	1.7.2001
***Plant & Machinery* :**		
R	4,50,000	1.9.2001
Q	5,00,000	1.2.2002

Compute the written-down value and the amount of depreciation for the A.Y. 2992-03.

Sol. **Computation of W.D.V. and Depreciation**

		Rs.
I Block—Building (Rate of Depreciation 10%)		
Written-down value of A on 1.4.2001		8,10,000
Add : Cost of Building D acquired during the year on 1.3.2002		7,00,000
		15,10,000
Less : Building A sold on 15.3.2002		9,00,000
W.D.V. for Previous Year 2001-02		6,10,000
Less : Depreciation on Building D (one-half of normal depreciation as it is used for less than 180 days) (*i.e.,* 1/2 of Rs. 61,000)		30,500
	Balance	Rs. 5,79,500
II Block—Buildings (Rate of Depreciation 5%)		Rs.
Written-down value of B on 1.4.2001		15,04,800
Less : Cost of Building C acquired during the year on 1.5.2001		3,00,000
		18,04,800
Less : Sale consideration of Building B sold during the year (not to exceed Rs. 18,04,800)		18,04,800
	Balance	Nil

Note : Since the consideration exceeds the W.D.V. in the II Block, the excess of Rs. (19,00,000 - 8,04,800) = Rs. 95,200 will be short-term capital gain under section 50(1).

III Block—Plant & Machiery (Rate of Depreciation 25%)		**Rs.**
Aggregate amount of W.D.V. of Plant & Machinery P and R		6,37,500
Add : Cost of plant & Machinery S acquired during the year on 1.12.2001		3,00,000
		9,37,500
Less : Sale consideration of Plant & Machinery R sold during the year		4,50,000
W.D.V. for A.Y. 202-03		4,87,500
Less : (i) Depreciation on Rs. 1,87,500 @ 25%	46,875	
(ii) Depreciation on Rs. 3,00,000 @ Rs. 25% (one-half of normal depreciation as the machinery is acquired and used in the business for less than 180 days during the Previous Year)	37,500	84,375
Balance		Rs. 4,03,125

IV Block—Plant & Machinery (Rate of Depreciation 40%)	**Rs.**
Written-down value of Q on 1.4.2001	2,88,000
Add : Cost of Machinery T acquired on 1.8.2001	2,00,000
	4,88,000
Less : Sale consideration of Macninery Q sold on 1.2.2002 (not to exceed Rs. 4,88,000)	4,88,000
Balance	Nil

Since the sale consideration exceeds the balnce in the IV Block, the excess of Rs. (5,00,000 - 4,88,000) = Rs. 12,000 will be short-term capital gain under *section* 50(1)

Total Depreciation = Rs. 30,500 + 84,375 = Rs. 1,14,865.

Ex.2. गत वर्ष 2000-01 **तथा** 2001-02 **के लिए मिस्टर** A **की आय का विवरण निम्न है :**

	गत वर्ष	
	2000-01	2001-02
	रु०	**रु०**
व्यापारिक लाभ (ह्रास से पूर्व)	-35,000	50,000
चालू ह्रास	25,000	30,000
मकान-सम्पत्ति से कर-योग्य आय	10,000	30,000

कर-निर्धरण वर्ष 2000-01 **तथा** 2001-02 **के लिए मिस्टर** A **की कुल आय ज्ञात कीजिए**

Mr. A's particulars of income for the previous year 2000-01 and 2001-02 are as under :

	Previous Years	
	2000-01	2001-02
Business Profits (before Depreciation)	-35,000	50,000
Current Depreciation	25,000	30,000
Taxable Income from House Property	10,000	30,000

Find out the total income of Mr. A for the assessment year 2001-02 and 2002-03

Sol.

Computation of Total Income of A
for the Assessment Year 2000-01

	Rs.
Income from House Property	10,000
Less : Business Loss to the extent of income	-10,000
Total Income	Nil
Carried forward Business Loss (35,000 - 10,000)	25,000
Unabsorbed Depreciatrion	25,000

Computation of Total Income of A
for the Assessment Year 2002-03

	Rs.
Profit of Business	50,000
Less : Current Depreciation	30,000
	20,000
Less : B/fd Business Loss to the extent of Business Income	20,000
	Nil
Income from House Property	30,000
Total Income	Rs. 30,000

Brought forward business loss can be set-off only against business profit and not against any other income, hence Rs. (25,000 - 20,000) = Rs. 5,000 unabsorbed business loss is carried forward. Similarly, unabsorbed depreciation of the A.Y. 2001-02 can not be set-off against other income during the A.Y. 2002-03

नोट- चालू वर्ष की व्यापारिक हानि उसी वर्ष की अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है, परन्तु आगे लायी गयी व्यापारिक हानि की पूर्ति केवल व्यापार अथवा पेशे की आय से की जा सकती है।

अध्याय-8

पूंजी लाभ
(Capital Gain)

पूंजी लाभ से हमारा अभिप्राय उस लाभ से है जो किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर अधिक्य के रूप में प्राप्त होता है। पूंजी लाभ के आवश्यक तत्व निम्न हैः-

1. पूंजी सम्पत्ति
2. पूंजी सम्पत्ति हस्तांतरण
3. पूंजी लाभ की गणना

पूंजी सम्पत्ति (Capital Assets)

पूंजी सम्पत्ति से हमारा अभिप्राय उस सम्पति से है जो चाहे व्यापार में या पेशे से प्रयोग हो रही है। चाहे मूर्त है या अमूर्त! चाहे स्थाई या चलायमान। पूंजी सम्पत्ति में ख्याति, आभूषण, अंश, लाइसैन्स आदि शामिल हैं एक व्यापारिक संस्था भी पूंजी सम्पत्ति है इसके हस्तांतरण से होने वाला लाभ भी पूंजी लाभ कहलाता है। परन्तु पूंजी सम्पत्ति में निम्न शामिल नहीं हैः-

1. व्यापार अथवा पेशे का रखा हुआ व्यापारिक माल का स्टॉक, उपयोग्य समान या कच्चा माल।
2. व्यक्तिगत सम्पत्तियां अर्थात् चल सम्पत्ति जो कर दाता उसके परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखी हुई हो जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर, मोटरकार, टेलिविजन या अन्य कोई बिजली के यंत्र इसमें शामिल हैं परन्तु आभूषण शमिल नहीं हैं।

   आभूषण में निम्न शामिल है :-

   (क) सोने चांदी के जेवर चाहे वस्त्रों में जड़े हो।

   (ख) बहुमूल्य नग चाहे फर्नीचर, बर्तन, वस्त्र आदि में जड़े हो।
3. भारत में कृषि भूमि जो निम्न सीमा के अन्दर स्थित न होः-

   (क) नगर पालिका की सीमा जिसकी आबादी 10,000 या उससे अधिक हो। या

   (ख) ऐसी नगर पालिका की स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के अन्दर।
4. 6½% गोल्ड बांड, 1977 या 7% गोल्ड बांड 1980, या नेशनल डिफेंस गोलड बांड 1980।
5. स्पेशल बीयरर बांड 1991
6. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी स्वर्ण, निक्षेप बांड

पूंजी सम्पत्तियों के प्रकार

पूंजी लाभ के अनुसार पूंजी सम्पत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है-

1. अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति
2. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति

1. **अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति :** अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति से हमारा अभिप्राय उस पूंजी सम्पत्ति से है जो कर दाता के पास हस्तांतरण से पहले 36 महीने से कम अवधि से है प्रतिभूतियां तथा यूनिट ट्रस्ट के यूनिट के लिए यह अवधि 12 माह से कम होगी। तो वे अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियां कहलाएगी।
2. **दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियां :** दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति से हमारा अभिप्राय उस सम्पत्ति से है जो करदाता के पास

हस्तांतरण की तिथि से ठीक पहले 36 महीने से अधिक समय से है। परन्तु सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या U.T.I. के यूनिटस के लिए उपरोक्त अवधि 12 माह से अधिक होगी। तो वह दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियां कहलाएगी।

पूंजी सम्पत्ति का हस्तांतरण (Transfer of Capital Assets)

धारा 2(47) के अनुसार पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण में निम्न शामिल हैः-

1. सम्पत्ति की बिक्री, विनिमय, उसको छोड़ देना।
2. सम्पत्ति के संबंध में अधिकारों का समाप्त हो जाना।
3. किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सम्पत्ति को ले लेना।
4. पूंजी सम्पत्ति का व्यापार में रहतिया के रूप में प्रयोग।
5. ऐसा कोई व्यवहार जिससे किसी अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण हो जाए।

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता : धारा 47 के अनुसार निम्न व्यवहारों का हस्तांतरण होने पर भी पूंजी लाभ के अन्तर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाताः-

1. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर सम्पत्तियों का वितरण।
2. एक भेंट या वसीयत पर हस्तांतरण।
3. एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी का हस्तांतरण।
4. एक सहायक कम्पनी द्वारा किया जाने वाला हस्तांतरण।
5. एकीकरण के अन्तर्गत सूत्रधारी कम्पनी का हस्तांतरण
6. किसी कम्पनी, अंशों ऋण पत्रों का उसी कम्पनी के अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन।
7. एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी का हस्तांतरण।
8. किसी गैर कम्पनी द्वारा स्टॉक एक्सचैंज की सदस्यता का एक कम्पनी हस्तांतरण।
9. एक बीमार औद्योगिक कम्पनी की सम्पत्तियों का सरकारी संस्था का हस्तांतरण।
10. जब किसी एकल व्यवसाय की सम्पत्ति कोई कम्पनी ले लेती है।

पूंजी लाभ की गणना करने की विधि

धारा 48 के अनुसार किसीपूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण होने वाले पूंजी लाभ की गणना निम्न प्रकार की जाएगी-

1. **अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना :** अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त मूल्य में से निम्नलिखित रकमें घटाई जाएगी इसके पश्चात् जो शेष बचेगा वह पूंजी लाभ कहलाएगा। अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

   अल्पकालीन पूंजी लाभ = प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि - (प्राप्त करने की लागत + सुधार करने की लागत + विक्रय व्यय)

2. **दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना :** दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त मूल्य में से निम्नलिखित रकमें घटाई जाएगी। इसके पश्चात् जो शेष बचेगा वह पूंजी लाभ कहलाएगा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

   दीर्घकालीन पूंजी लाभ = प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि - (सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत + सम्पत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत + सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए व्यय)

   1. **सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत :-**

      $$\frac{\text{लागत} \times \text{सम्पत्ति के विक्रय वाले वर्ष का लागत सूचकांक}}{\text{सम्पत्ति के क्रय या प्राप्त करने वाले वर्ष का लागत सूचकांक या 1.4.1981 का लागत सूचकांक, जो बाद में हो।}}$$

2. **सम्पत्ति मे ंसुधार करने की सूचकांक लागत :**

$$\frac{\text{सुधार की लागत} \times \text{सम्पत्ति के विक्रय वाले वर्ष का लागत सूचकांक}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष का लागत सूचकांक या 1.41981 का लागत सूचकांक, जो बाद में हो।}}$$

3. भारत सरकार ने निम्न लागत स्फीति सूचकांक घोषित किए हैं:-

वित्तीय वर्ष	लागत सूचकांक	वित्तीय वर्ष	लागत सूचकांक	वित्तीय वर्ष	लागत सूचकांक
1981-82	100	1988-89	161	1995-96	281
1982-83	109	1989-90	172	1996-97	305
1983-84	116	1990-91	182	1997-98	331
1984-85	125	1991-92	199	1998-99	351
1985-86	133	1992-93	223	1999-00	389
1986-87	140	1993-94	244	2000-01	406
1987-88	150	1994-95	259	2001-02	426

3. भारतीय कम्पनी में किसी अनिवासी के अंशों या ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ की गणना करने की विधि निम्न प्रकार है:-

   (i) सर्वप्रथम प्राप्त करने की लागत, विक्रय व्यय तथा हस्तांतरण पर प्राप्त राशि को विदेशी मुद्रा में परिवतित करो तब इसी विदेशी मुद्रा में पूंजी लाभ की गणना करो।

   (ii) इसके पश्चात् विदेशी मुद्रा के पूंजी लाभ को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करो।

4. **हास होने वाली सम्पत्तियों के संबंध मे पूंजी लाभ की गणना :** धारा 50 के अनुसार यदि कोई पूंजी सम्पत्ति का खण्ड जिस पर हास स्वीकार किया जाता है तो प्राप्त प्रतिफल की राशि में से निम्न का योग घटा देने पर शेष राशि अल्पकालीन पूंजी लाभ या पूंजी हानि कहलाएगी।

   (i) हस्तांतरण के संबंध में किया गया व्यय।

   (ii) गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्तियों के खण्ड का अपलिखित मूल्य।

   (iii) गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्तियों की वास्तविक लागत।

प्राप्त करने की लागत
(Cost of acquistion)

किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह लागत होती है जितने मूल्य में करदाता उसे प्राप्त करता है। परन्तु निम्न दशाओ में प्राप्त करने की लागत एक अनुमानित राशि मानी जाती है।

1. **पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की लागत मानना :** निम्न परिस्थितियों में पूर्व स्वामी की लागत को पूर्व स्वामी की लागत माना जाता है।

   (i) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर सम्पत्तियों का बंटवारा।

   (ii) भेंट या वसीयत में सम्पत्ति का हस्तांतरण।

   (iii) उत्तराधिकार आदि पर सम्पत्तियों का हस्तांतरण।

   (iv) फर्म या कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों का वितरण से प्राप्त सम्पत्ति।

   (v) एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को हस्तांतरण।

   (vi) एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण।

   (vii) हिन्दू अविभाजित के किसी सदस्य द्वारा अपने निजी सम्पत्ति का परिवार को हस्तांतरण।

2. **अंश अथवा प्रतिभूति की लागत :** यदि कोई अंश 1 अप्रैल 1981 से पूर्व प्राप्त किए गए हैं तो उसको प्राप्त करने की

लागत उसकी वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 1981 को बाजार मूल्य, जो भी करदाता के हित में हो मानी जाएगी।

3. **बोनस अंशों की लागत :** यदि बोनस अंश 1 अप्रैल 1981 से पहले प्राप्त किए गए हैं तो 1 अप्रैल 1981 को उनका बाजार मूल्य।

4. **ख्याति आदि को प्राप्त करने की लागत :** धारा 55(2)(A) के अनुसार व्यापार की ख्याति व्यापार चिन्ह या ब्राण्ड का नाम को प्राप्त करने की लागत निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। यदि सम्पत्ति क्रय की गई है तो क्रय मूल्य अन्य दशा में उसका मूल्य शून्य माना जाएगा।

5. कम्पनी के समापन पर वितरण की गई पूंजी सम्पत्ति पर प्राप्त की गई सम्पत्ति की लागत वितरण के दिन उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य मानी जाएगी।

6. **पेशगी रकम जब्त करने की दशा में लागत :** यदि किसी सम्पत्ति के संबंध में कोई पेशगी की रकम प्राप्त कर ली थी तो यह राशि अपलिखित मूल्य या बाजार मूल्य में से घटा दी जाएगी। और शेष लागत प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी।

कर-मुक्त पूंजी लाभ
(Capital Gains Exempt from Tax

धारा 54 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त माने जाते हैं तथा इन्हें कर दाता की कुल आय में नहीं जोड़े जाएंगें:-

1. **रहने के मकान के हस्तांतरण से पूंजी लाभ :** धारा 54 के अनुसार यदि एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा रहने के मकान का हस्तांतरण करने की पूंजी लाभ होता है तो ऐसा लाभ निम्न शर्तों पर कर मुक्त होगा।
   (i) इस मकान की आय मकान-सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य है।
   (ii) करदाता ने इस हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 1 वर्ष में या हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष पश्चात नया रियाहशी मकान खरीद लिया हो या तीन वर्ष में मकान बनवा लिया हो।
   (iii) यह छूट केवल उस मकान के संबंध में स्वीकृत होगी जो करदाता के स्वामित्व में 36 माह से अधिक से हो।
   (iv) मकान के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नए रियाहशी मकान की लागत तक कर मुक्त होगा।
   (v) यदि करदाता द्वारा अपनी आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक पूंजी लाभ की राशि प्रयोग नहीं करता तो इस राशि को पूंजी लाभ खाता योजना में जमा करना आवश्यक है।
   (vi) नया मकान क्रय करने या बनवाने की तिथि से यदि उस नए मकान को 3 वर्ष के अन्दर हस्तांतरण कर दिया जाए तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी तथा इस हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ भी कर योग्य होगा।
   (vii) पूंजी लाभ खाता योजना में जमा राशि का प्रयोग यदि 39 वर्ष के अन्तर्गत नहीं किया जाता तो यह राशि कर योग्य होगी।

2. **करदाता की कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ :** धारा 54(B) के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किसी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ निम्न शर्तों के पूरी होने पर कर मुक्त होगा:-
   (i) कृषि भूमि का स्वामी एक व्यक्ति है।
   (ii) कृषि भूमि के हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्ष पूर्व या हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष पश्चात् अन्य कोई कृषि भूमि खरीद ली गई हो।
   (iii) भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नई कृषि भूमि की लागत तक कर मुक्त होगा।
   (iv) यदि कर दाता अपनी आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक पूंजी लाभ की राशि प्रयोग नहीं करता तो इस राशि को पूंजी खाता योजना 1988 में जमा करवाना आवश्यक है।
   (v) नई कृषि भूमि क्रय करने के 3 वर्ष के अन्दर यदि इस भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाए तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी तथा इस हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ भी कर योग्य होगा।

3. **औद्योगिक उद्यम की भूमि तथा भवन के अनिवार्यता अधिग्रहण से पूंजी लाभ :** धारा 54D के अनुसार यदि करदाता के औद्योगिक उद्यम की भूमि तथा भवन का सरकार द्वारा अनिवार्यता अधिग्रहण कर लिया जाता है तो इसमें होने वाला पूंजी लाभ निम्न शर्तों पर कर-मुक्त होगा-

   (i) भूमि तथा भवन उद्योग में प्रयोग होना चाहिए।

   (ii) यह भूमि तथा भवन हस्तांतरण की तिथि से कम से कम 2 वर्ष पूर्व करदाता के उद्योग के लिए प्रयोग हो रही थी।

   (iii) हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर कोई नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए नई भूमि या भवन खरीद लेता है।

   (iv) भूमि तथा भवन के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नई भूमि तथा भवन की लागत तक कर मुक्त होगा।]

   (v) यदि कर दाता अपनी आय का विवरण दाखिल कराने की तिथि तक पूंजी लाभ की राशि प्रयोग नहीं करता तो इस राशि को पूंजी लाभ खाता योजना 1998 में जमा करा देना चाहिए।

   (vi) नया भूमि तथा नया भवन क्रय करने या बनवाने की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर यदि इसे हस्तांतरण कर दिया जाता है तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी तथा हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ भी कर योग्य होगा।

4. **दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला पूजी लाभ दीर्घकालीन बाण्ड्स में विनियोग करने पर कर से छूट :** धारा 54EC के अनुसार दीर्घकाली पूंजी सम्पत्तियों के हसंतरण से होने वाला पूजी लाभ निम्न शर्तों पर कर मुक्त होगाः-

   (i) पूंजी लाभ की राशि 6 महीने के अन्दर दीर्घकालीन बाण्ड्स में विनियोजित कर दी जाए।

   (ii) दीर्घकालीन सम्पत्ति के हस्तांरण से होने वाला पूजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी बाण्ड्स की लागत तक कर मुक्त होगा।

   (iii) यदि बाण्ड्स की प्राप्ति की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर इन का हस्तांतरण कर दिया जाए या मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाए तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी तथा इस हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ भी कर योग्य होगा।

   (iv) बाण्ड्स की लागत जिस पर इस धारा के अन्तर्गत छूट मिल चुकी है धारा 88 के अन्तर्गत कर से छूट योग्य नहीं होगा।

5. **दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हस्तांरण करने से होने वाला पूंजी लाभ :** धारा 54ED के अनुसार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों, के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ निम्नलिखित शर्तों पर कर मुक्त होगा-

   (i) पूंजी लाभ की राशि हस्तांतरण के बाद 6 माह के अन्दर साधारण अंशों में विनियोग कर दी जाए।

   (ii) पूंजी लाभ की राशि साधारण अंशों की लागत के बराबर कर मुक्त होगी।

   (iii) यदि साधारण अंशों की प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर इसका हस्तांतरण कर दिया जाए तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी।

6. **पूंजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ को रियाहशी मकान में विनियोग कर दिया जाए :** धारा 54F के अनुसार पूंजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ निम्न शर्तों पर कर मुक्त होगा-

   (i) करदाता एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है।

   (ii) करदाता ने जो सम्पत्ति हस्तांतरित की है वह रियाहशी मकान नहीं है।

   (iii) सम्पत्ति के हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास कोई अन्य रियाहशी मकान नहीं है।

   (iv) हस्तांतरण की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पूर्व पश्चात् कोई मकान खरीद लेता है या 3 वर्ष के अन्दर बनवा लेता है।

   (v) दीर्घकालीन सम्पत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ नए रियाहशी मकान की लागत तक कर मुक्त होगा।

(vi) यदि करदाता आयकर का विवरण दाखिल करने तक कोई नया रियाहशी मकान क्रय नहीं कर देता तो इस राशि को पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत जमा करा देना चाहिए।

(vii) यदि कर दाता नए रियाहशी मकान को 3 वर्ष के अन्दर हस्तांतरण कर देता है तो पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी तथा नए हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ कर योग्य होगा।

7. **शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम हो हटाने के संबंध में सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ :** धारा 54G के अनुसार इस पूंजी लाभ की छूट निम्न शर्तों पर दी जाएगी-

(i) सम्पत्तियों का हस्तांतरण औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से गैर शहरी क्षेत्र में ले जाने के संबंध में हुआ है।

(ii) हस्तांतरण से 1 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पश्चात् नई मशीन या प्लांट, भूमि या भवन खरीद लेता है या बनवा लेता है।

(iii) हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नई सम्पत्ति की लागत तक कर मुक्त होगा।

(iv) इस प्रकार की नई पूंजी सम्पत्ति कम से कम तीन वर्ष तक अपने स्वामित्व में रखना आवश्यक है अन्यथा पूंजी लाभ की छूट रद्द कर दी जाएगी।

(v) इस पूंजी लाभ की राशि आयकर विवरण दाखिल कराने से पूर्व प्रयोग न होने पर पूजी लाभ खाता योजना 1988 में जमा करा देनी चाहिए।

8. **नई सम्पत्ति को प्राप्त करने या पूंजी लाभ की राशि को जमा या विनियोग करे की अवधि में व द्धि :** धारा 54H के अनुसार जब मूल सम्पत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह रिहायशी मकान, कृषि भूमि, उद्योग की भूमि तथा भवन या कोई दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति) किसी विधान के अन्तर्गत अनिवार्यता अधिग्रहण होता है। ऐसे अधिग्रहण की स्वीकृत राशि हस्तांतरण की तिथि पर प्राप्त नहीं होती तो नई सम्पत्ति को प्राप्त करने की अवधि में व द्धि, क्षतिपूर्ति की उस राशि के संबंध में कर दी जाएगी। जो हस्तांतरण की तिथि को प्राप्त नहीं होती है।

दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर करारोपण

धारा 112 के अनुसार एक करदाता जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार या घरेलू कम्पनी या अनिवासी गैर कम्पनी या अन्य करदाता के संबंध में दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।

आयकर पर अधिभार

एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजिरत, परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह की दशा में इनकी आय 60,000 रु० से अधिक होने पर 2% की दर से अधिभार लगाया जाएगा तथा विदेशी कम्पनियां छोड़ कर अन्य पर भी 2% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

नोट : दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में धारा 80 CCC से 80 U तक के अन्तर्गत तथा धारा 88 के अन्तर्गत छूट स्वीकृत नहीं होगी।

Ex.1. 1.4.1999 को ह्रास होने वाली सम्पत्तियां जिन पर ह्रास एक-सी दर से (अर्थात् 25% से) मिलता है, निम्न हैं:

	रु०
सम्पत्ति (1)	1,00,000
सम्पत्ति (2)	2,00,000
सम्पत्ति (3)	3,00,000
कुल योग	6,00,000

पूंजी हानि अथवा पूंजी लाभ की गणना कीजिए, यदि :

(i) 2000-01 में सम्पत्ति (1) 1,20,000 रु० की बेच दी जाती है तथा एक नई सम्पत्ति (4) 2,50,000 रु० में खरीद ली जाती है।

(ii) 2001-02 में सम्पत्तियां (2), (3) तथा (4) 5,00,000 रु० में बेच दी जाती है तथा इस विक्रय पर 5,000 रु० खर्च होते हैं।

(iii) 2001-02 में सम्पत्तियां (2), (3) तथा (4) 4,00,000 रु० में बेच दी जाती है और इस विक्रय पर 5,000 रु० खर्च होते हैं।

Depreciable assets on 1.4.1999 on which the depreciation is available at the same rate of 25% are as under :

	Rs.
Asset (1)	1,00,000
Asset (2)	2,00,000
Asset (3)	3,00,000
Total	Rs. 6,00,000

Compute capital loss or capital gain if :

(i) in 2000-01 asset (1) is sold for Rs, 1,20,000 and a new asset (4) is purchased for Rs. 2,50,000.

(ii) in 2001-02 assets (2), (3) and (4) are sold for Rs. 5,00,000 and spent Rs. 5,000 on such sale.

(iii) in 2001-02 assets (2), (3) and (4) are sold for Rs. 4,00,000 and spent Rs. 5,000 on such sale.

Sol.

	Computation of Capital Gain or Loss	**Rs.**
(i)	W.D.V. of assets (1), (2) and (3) on 1.4.1999	6,00,000
	Less : Depreciation @ 25%	1,50,000
	Add : Cost of Asset (4) purchased during 2000-01	4,50,000
		2,50,000
	Balance	7,00,000
	Less : Asset (1) sold during 2000-01	1,20,000
	W.D.V. for P.Y. 2000-01 @ 25%	5,80,000
	Less: Depreciation for P.Y. 2000-01 @ 25%	1,45,000
	(No Capital loss or gain in P.Y. 2000-01)	4,35,000
(ii)	W.D.V. for 2001-02	4,35,000
	If assets (2), (3) and (4) are sold during 2001-02 for Rs. 5,00,000 and spent Rs. 5,000 on such sale	5,00,000
		65,000
	Less : Selling expenses	5,000
	Short term capital gains for A.Y. 2002-03	60,000
(iii)	If assets (2), (3) and (4) are sold for Rs. 4,00,000 and spent Rs. 5,000 on such sale : Short-term capital loss = 4,00,000 - (4, 35, 000 + 5, 000)	(–) 40,000

Ex.2. मि० किशोर ने 1987-88 में 10 रु० वाले 500 समता अंश 40 रु० प्रति अंश की दर से खरीदे और 400 रु० दलाली पर व्यय किये। मई 1991 में उसे 100 बोनस अंश मिले। सितम्बर 2001 में उसे 100 अधिकार अंश 20 रु० प्रति अंश की दर से मिले। उसने नवम्बर 2001 में 100 बोनस अंश 90 रु० प्रति अंश की दर से बेच दिये तथा 100 अधिकार अंश दिसम्बर 2001 में 30 रु० प्रति अंश की दर से बेच दिये। कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए पूंजी लाभ ज्ञात कीजिए। 1991-92 में लागत स्फीति सूचकांक 199 था तथा 2001-02 में यह 426 था।

Mr. Kishore purchases 500 Equity Shares of Rs. 10 each for Rs. 40 per share in 1987-88 and incurs an expenditure of Rs. 400 on brokerage. In May 1991 he receives 100 bonus shares. In September 2001 he gets

100 rights shares for Rs. 20 each. He sold 100 bonus shares in November 2001 at Rs. 90 per share and 100 rights shares @ Rs. 30 per share in December 2001. Find out the capital gains for the assessment year 2002-03. The cost inflation index for 1991-92 was 199 and for 2001-02 it was 426.

Sol. **Computation of Capital Gain**

for the Assessment Year 2002-03 **Rs.**

Sale Proceeds of 100 Bonus Shares	9,000
Less : Cost of 100 Bonus Shares	Nil
Long-term Capital Gain	9,000
Sale Proceeds of 1000 Rights Shares @ Rs. 30 each	3,000
Less : Cost of 100 rights shares @ Rs. 20 each	2,000
Short-term Capital Gain	1,000

Total Capital Gain = Rs. 9,000 + 1,000 = Rs. 10,000

Ex.3. अप्रैल 1994 **में** S **एक सार्वजनिक कम्पनी के** 25,000 **रु० के समता अंश खरीदे। प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य** 100 **रु० है।** 1997 **में कम्पनी ने अंश का अंकित मूल्य** 100 **रु० से** 10 **रु० कर दिया।** S **ने अक्टूबर,** 2001 **में आधे अंश** 50,000 **रु० में बेच दिये। विक्रय पर** S **ने** 2% **कमीशन दिया।**

लागत स्फीति सूचकांक 1994-95 **एवं** 2001-02 **में** 259 **एवं** 426 **है।**

प्राप्त लाभ की प्रकृति बताइए तथा इसकी गणना कीजिए।

In April, 1994, S subscribed to the first issue of equity share capital of a public limited company (face value of each share was Rs. 100) to the extent of Rs. 25,000. In 1997, the com;any converted the face value of its shares from Rs. 100 to Rs. 10 each. Half of the holdings of the shares held by S was sold by him in October, 2001 for Rs. 50,000. S had to pay a brokerage of 2% on sale. (Cost inflation index for 1994-95 and 2001-02 may be taken as 259 and 426 respectively.)

What is the nature of gains realised and compute the same? *(C.A. Inter, May, 1998)*

Sol. **Computation of Capital Gain** **Rs.**

Sale Proceeds of half holdings of Shares		50,000
Less : 2% brokerage on sale		1,000
Not Sale Proceeds		49,000
Less : Indexed cost of shares : Actual cost = Rs. 12,500 Indexed cost = $\frac{12,500 \times 426}{259}$ =		20,560
Long-term Capital Gain	Rs.	28,440

Notes : 1. Shares are held as investment for more than 12 months from the date of purchase. It is therefore, a long-term capital assets.

2. The conversion of shares from Rs. 100 face value to Rs. 10 is not regarded as a transfer. The shares are held w.e.f. 1.4.94.

3. If shares are listed in a recognised stock exchange in India, S can compujte LTCG without indexing the cost of acquisition, if it is in his interest from tax point of view. If he computes the LTCG without indexing the cost, he is liable to pay tax @ 10% + Surcharge instead of 20% + Surcharge. [For details see *Sec.* 112 Post.]

Ex.4. निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 **के लिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर देय कर की गणना यह मानते हुए कीजिए कि अंश भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत हैं:**

(1) मि० A (भारत में निवासी) X Ltd. के एक अंशधारी हैं। कम्पनी ने 1981-82 में 10,000 रु० अंकित मूल्य के तथा 1994-95 में 15,000 रु० अंकित मूल्य के अंश बोनस अंशों के रूप में दिये। उसने सारे बोनस अंश जुलाई, 2001 में 50,000 रु० में बेच दिये।

(2) एक अविभाजित हिन्दू परिवार (भारत में निवासी) ने Z Ltd. के निम्न अंश खरीदे :

(i) 1981-82 में 10,000 रु० के;

(ii) 1994-95 में 15,000 रु० के।

परिवार ने फरवरी 2002 में उपरोक्त अंश 44,000 रु० एवं 36,000 रु० में क्रमशः बेच दिये।

Compute the tax payable on LTCG in the following cases for A.Y. 2002-03 assuming that ythe shares are listed in a recognised stock exchange in India :

(1) Mr. A (resident in India) is a shareholder of X Ltd. The company allotted him bonus shares of face value of Rs. 10,000 in 1981-82 and Rs. 15,000 in 1994-95. He sold all the bonus shars in July, 2001 for Rs. 50,000.

(2) A.H.U.F. (resident in India) purchased shars of Z Ltd. as under :

(i) In 1981-82 cost Rs. 10,000;

(ii) In 1994-95 cost Rs. 15,000.

The H.U.F. sold the shares in Feb. 2002 for Rs. 44,000 and Rs. 36,000 respectively.

Sol. (1) Computation of LTCG and tax payable on it by Mr. A :

The cost of the bonus shars in nil and hence, the indexed cost of acquisition is also nil.

LTCG Rs. 50,000

Tax @ 10.2% (including S.C.) Rs., 5,100.

The assesses has not taken the benefit of indexed cost, hence, tax shall be charged @ 10.2% including S.C.

(2) (i) Computation of LTCG and tax payable on it by a H.U.F.

	Rs.
Cost of shares in 1981-82	10,000
Indexed Cost Rs. 10,000 × 426 + 100	42,600
Selling price	44,000

(a) LTCG without indexing the cost
Rs. 44,000 - 10,000 = Rs. 34,000
Tax @ 10.2% Rs. 3,468

(b) LTCG after indexing the cost
Rs. 44,000 - 42,600 = Rs. 1,400
Tax @ 20.4% Rs. 285.60

Conclusion. The assessee should compute the LTCG after indexing the cost and pay tax @ 20.4%, *i.e.* Rs. 286.

	Rs.
(ii) Cost of shares in 194-95	15,000
Indexed cost Rs. 15,000 × 426 ÷ 259	24,672
Selling Price	36,000

(a) LTCG without indexing the cost
Rs. 36,000 - 15,000 = Rs. 21,000
Tax @ 10.2% Rs. 2,142.

(b) LTCG after indexing the cost
Rs. 36,000 - 24,672 = Rs. 11,328
Tax @ 20.4% Rs. 2,311.

Conclusion. The assessee should compute the LTCG without indexing the cost any pay tax @ 10.2%, *i.e.* Rs. 2,142.

Ex.5. श्रीमती पद्मिनी दो मोटर-कारों की स्वामिनी थी जो मुख्यतया उनके व्यापार मे प्रयोग होती थीं। सम्पत्तियों के इस खण्ड में केवल दो मोटर-कारें थीं जो दोनों ही मई 1996 में क्रय की गई थीं तथा 1.4.2001 को उनका अपलिखित मूल्य 1,81,000 रु० था। ये दोनों मोटर-कारें जून 2001 में 1,50,000 रु० की बेच दी गईं।

फरवरी 2002 में उसने एक भारतीय कम्पनी X Ltd. के 1,000 अंश 4,50,000 रु० में बेच दिए। उसने ये अंश मार्च 1995 में 3,10,000 रु० के खरीदे थे। मकान का एक प्लाट जो उसने मार्च 1992 में 3,00,000 रु० का खरीदा था, 18.1.2002

को 7,85,000 रु० में बेच दिया।

उपर्युक्त व्यवहारों के संबंध में कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए कर-योग्य शुद्ध पूंजी लाभ की गणना कीजिए।

Mrs. Padmini owned two motor-cars which were mainly used for business purposes. The written-down value on 1.4.2001 of the block of assets comprising of only these two cars, both of which were purchased in May, 1996 was Rs. 1,81,000. These two cars were sold in June, 2001 for Rs. 1,50,000.

In February 2002, she sold 1,000 shares in X Ltd. an Indian company, for Rs. 4,50,000. She had purchased the same during March, 1995 for Rs. 3,10,000. A house plot purchased by her in March, 1992 for Rs. 3,00,000 was sold by her for Rs. 7,85,000 on 18.1.2002.

Compute the amount of net capital gains chargeable to tax in respect o the above transactions for the assessment year 2002-03. *(C.A. Inter, Nov. 1993; Kurukshetra, 2000)*

Sol.

Block of Assets : Cars	**Rs.**
W.D.V. on 1.4.2001	1,81,000
Less : Sale Proceeds of all the assets in this block	1,50,000
Short-term Capital los u/s 50(2)	31,000
Shares : Purchased in 1994-95	
Indexecd Cost of Acquisition (3,10,000 × 426/259)	5,09,884
Less : Sale Proceeds	4,50,000
Long term Caital Loss	59,884
Plot of Land : Purchased in 1991-92 :	
Sale Proceeds	7,85,000
Less : Indexed Cost of Acquisition (3,00,000 × 426/199)	6,42,211
Long Term Capital Gain	1,42,789

Computation of Net Capital Gain

Long-term Capital Gain reg : Land	1,42,789
Less : Long-term Capital Loss reg : Shares	59,884
	82,905
Less : Short-term Capital Loss u/s 50(2)	31,000
Net Capital Gain Chargeable to tax	Rs. 51,905

अध्याय-9

अन्य साधनों से आय

(Income from others Sources)

धारा 56(2) के अनुसार अन्य साधनों से आय शीर्षक में निम्नलिखित आयकर योग्य मानी जाती हैः-

1. लाभांश
2. लाटरी का ईनाम, घुड़दौड़, ताश, जुआ या शर्त आदि से आय।
3. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के प्राविडेण्ट फण्ड खाते में अंशदान।
4. प्रतिभूतियों पर ब्याज।
5. करदाता द्वारा भवन के साथ, मशीन व फर्नीचर किराए पर उठाने से आय।
6. Keyman बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि।
7. एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य से फीस, कमीशन आदि की प्राप्ति।
8. किसी वसीयत के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिकी।
9. अन्य जमा पर ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज आदि।
10. किराए पर लिए गए मकान को पुनः किराए पर चढ़ाने से आय।
11. किसी अध्यापक को परीक्षा में परीक्षक के रूप में प्राप्त राशि।
12. रायॅल्टी से आय, संचालक शुल्क।
13. भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय।
14. पट्टे पर रखी सम्पत्ति से आय।
15. किसी अस्पष्ट साधन से आय।
16. अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान।
17. किसी संसद सदस्य का वेतन।
18. 5000 रु0 से अधिक आकस्मिक आय (घुड़दौड़ की दशा में 2500 रु. से अधिक)।
19. व्यापार चिन्ह को किराए पर उठाने से आय।
20. व्यापार की सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए प्राप्त कमीशन।
21. हाट बाजारों एवं मछली क्षेत्रों से आय।
22. भारत के लिए खेलने के लिए चुने गए खिलाड़ियों को आय।
23. होटल के बैरा या टैक्सी चालक को प्राप्त बख्शीश।
24. म तक कर्मचारी की विधवा या उत्तराधिकारी को प्राप्त पेंशन।
25. संचालक को प्राप्त ग्रेज्युइटी इत्यादि।

लाभांश

(Dividend)

लाभांश से अभिप्राय उस धनराशि से है जो कंपनी के द्वारा सामान्तया अपने अंशधारी को लाभों में से बांटी जाती है। चाहे वह रोकड़ के रूप में है या अन्य वस्तु के रूप में।

धारा 2(22) के अनुसार लाभांश से अभिप्राय कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को "एकत्रित लाभों" में से, निम्न वितरण लाभांश माना जाता है:-

(1) कम्पनी द्वारा ऐसा वितरण जिससे सम्पतियां कम हों।

(2) कम्पनी द्वारा बांटे गए अंश व ऋण पत्र के रूप में बोनस अंश व ऋण पत्र।

(3) कम्पनी के समापन पर किया गया कोई वितरण।

(4) कम्पनी द्वारा अंश पूंजी में कमी करके किया गया कोई वितरण।

(5) एक ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता का सारवान हित न हो, अपने किसी ऐसे अंशधारी को जिसे कम्पनी ने कम से कम 10 प्रतिशत का मताधिकार हो, दिया गया कोई ऋण या ऐसी संस्था का दिया गया ऋण जिसमें ऐसे अंशधारी का सारवान हित हो।

लाभांश में निम्न शामिल नहीं होंगे :-

(1) कम्पनी के समापन पर कोई वितरण यदि ऐसे अंश के लिए किया जाए जिसका पूर्ण प्रतिफल नकद मिला हो तथा वह अंशधारी सम्पतियों में से हिस्सा न लेने का अधिकारी हो।

(2) यदि कोई कम्पनी लाभांश के भुगतान की पूर्ति पहले के ऋण से कर दे।

(3) यदि एकीकरण की किसी योजना के अनुसार एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को अपनी सम्पतियां हस्तांतरित कर देती है तो ऐसा हस्तांतरण एकत्रित लाभों का बटवारा नहीं कहलाएगा। चाहे सम्पतियों में एकत्रित लाभ शामिल हो।

(4) परिणामी कम्पनी द्वारा अविलयत कम्पनी के अंशधारियों को किसी अविलयन के फलस्वरूप अंशों का वितरण।

(5) यदि कोई कम्पनी उधार लेन देन का काम करती है तो व्यापार के दौरान अंशधारी को दिया गया ऋण।

लाभांश से आय के सम्बंध में नियम

लाभांश की आय किस गत वर्ष की आय मानी जायगी

(1) सामान्य लाभांश की आय जिस वर्ष में घोषित की जाती है उसी गत वर्ष की मानी जायगी।

(2) धारा 2 (22) के अनुसार माना गया लाभांश भुगतान के वर्ष की आय माना जाएगा।

(3) अंतरिम लाभांश उस गत वर्ष की माना जाएगा जिस वर्ष में कम्पनी ने इसका भुगतान किया हो।

(4) एक विदेशी कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में उदय या अर्जित हुआ नहीं माना जाएगा।

(5) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में उदय या अर्जित हुआ माना जाएगा।

प्रतिभूतियों पर ब्याज

प्रतिभूतियां

प्रतिभूति से अभिप्राय ऐसे प्रपत्र से है जिसमें सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा जनता से लिए गए ऋण को माना जाता है यह प्रपत्र ऋण लेने वाले की तरफ से लिखा जाता है तथा विनियोग कर्ता इसे भुगतान पाने के अधिकार की प्रत्याभूति स्वरूप रखता है।

धारा 2 (28B) के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज से आशय निम्न से है-

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज,

(2) किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज,

(3) अन्य ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों पर ब्याज,

ब्याज की आय पर कर दायित्व के महत्वपूर्ण नियम-

(1) **प्रतिभूतियों पर ब्याज उदय होना**-प्रतिभूतियों पर ब्याज निश्चित तिथियों पर उदय हुआ माना जाता है तथा कर दाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति (रोकड़ या दोहरा लेखा पद्धति) के आधार पर ब्याज पर कर लगाया जाता है। यदि कर दाता कोई लेखा पद्धति नियमित रूप से ना रखता हो तो ब्याज से आय देय (Due) होने वाले वर्ष की आय मानी जाएगी चाहे बाद में प्राप्त हो। परन्तु वह रोकड़ पद्धति के आधार पर लेखें रखता है तो ब्याज प्राप्ति के आधार पर कर योग्य होगा।

(2) **दिखावटी लेन देन**-दिखावटी लेन देन से हमारा अभिप्राय उस लेन देन से है जो उच्च आय वालों के द्वारा ब्याज की देय तिथि पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण निम्न आय वालों को कर दिया जाता है जिससे ब्याज बचाया जा सके। परन्तु इसको रोकने के लिए यह नियम बना दिया है कि यदि इस प्रकार का लेन देन किया जाएगा तो कर निर्धारण अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय में ब्याज को जोड़ेगा जिस व्यक्ति ने इन प्रतिभूतियों का हस्तांतरण कर बचाने के उद्देश्य से किया है। परन्तु निम्न दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी उपरोक्त नियम लागू नहीं करेगा (1) यदि वह कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि इससे कर की चोरी नहीं हुई है (2) इस प्रकार कर की बचत नियमित रूप से नही की जाती।

(3) **प्रतिभूतियों के विक्रय से लाभ और हानि**-यदि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर दाता का व्यापार नहीं है तथा वह उन्हें स्थाई रूप से ब्याज कमाने के उद्देश्य से अपने पास रखे हुए हैं तो इनके विक्रय से होने वाला लाभ पूंजी लाभ माना जाएगा तथा पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा। यदि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर दाता का व्यापर है तो इसका लाभ हानि ''व्यापार या पेशे'' में कर योग्य होगा।

(4) **प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर कमीशन**-प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर कमीशन या अन्य व्यय प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय में से कटौती योग्य है। यदि वह क्रेता द्वारा किया गया हो तो इसे प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत में जोड़ दिया जाएगा। विक्रेता की दशा में विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा।

(6) **प्रतिभूतियों पर क्रय विक्रय की दशा में ब्याज पर कौन कर देगा**-प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय होने पर अगली ब्याज की तिथि पर मिलने वाले ब्याज पर कर वही व्यक्ति देगा, जो उस तिथि को प्रतिभूतियों का स्वामी होगा, चाहे क्रय विक्रय Cum–interest हुआ हो या Ex–interest

प्रतिभूतियों के प्रकार

आय कर अधिनियम के लिए प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती है।

(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ (2) व्यापारिक प्रतिभूतियां

(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ

(i) **कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax Free Govt. Security)**- धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ पूर्णतया कर मुक्त है तथा उन्हें आय में जोड़ा जाता है। परन्तु बाद में इन पर औसत दर से छूट दी जाती है।

(ii) **कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Less Tax Govt. Security)**- ये प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की जाती है। इन प्रतिभूतियों का ब्याज कर योग्य होता है। परन्तु इन्हें सकल नहीं किया जाता है।

(2) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ

(i) **कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Tax Free Commercial Securities)**- ये वे प्रतिभूतियां होती है जो किसी कम्पनी व स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम या व्यापारिक संस्था द्वारा निर्गमित की जाती है। ये ऋण पत्र या बाण्ड के रूप में होती है। इनका ब्याज कर मुक्त नहीं होता। क्योंकि इस पर ब्याज कम्पनी स्वयं अपने पास से देती है। ये कर मुक्त इसलिए कही जाती है क्योंकि ब्याज की कुल रकम (बिना ब्याज काटे) कर दाता की मिल जाती है। यदि कर दाता को प्राप्त ब्याज की रकम दी है तो उसे सकल बनाकर कर दाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।

(ii) **कर युक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Less Tax Commercial Securities)**- कर युक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां, वे प्रतिभूतियों है जिन पर ब्याज का प्रतिशत दिया रहता है। कर युक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर का प्रतिशत दिया हुआ है तो इसे सकल नहीं बनाया जाएगा। परन्तु प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज की रकम दी है तो उसे सकल बनाना आवश्यक है तथा इन प्रतिभूतियों का ब्याज प्रत्येक दशा में कर दाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।

निम्न प्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णता कर मुक्त होता है:-

(1) स्थानीय सत्ता
(2) कोई विकास प्राधिकरण की प्रतिभूतियां।
(3) अनुमोदित, वैधानिक, अनुसंधान संध।
(4) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन।
(5) अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
(6) खेल कूद की संस्थाएं।
(7) सार्वजनिक पुण्यार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट।
(8) राजनैतिक पार्टियां।
(9) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र।
(10) राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980।
(11) डाकखाना कैश सर्टिफिकेट (5 वर्षीय)
(12) नेश्नल प्लान सर्टिफिकेट (10 वर्षीय)
(13) डाकखाना बचत खाता।
(14) डाकखाना राष्ट्रीय बचत पत्र (12 वर्षीय)
(15) नेश्नल सेविंग सर्टिफिकेट (12 वर्षीय)
(16) डाकखाना संचयी सावधि जमा खाता (15 वर्षीय)।
(17) स्थाई जमा योजना।
(18) विशेष जमा खाता 1981।
(19) डाकखाने का सर्वसाधारण खाता (5000 रु0 तक)
(20) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के बाण्ड तथा ऋण पत्रों पर ब्याज।

उदगम स्थान पर कर की कटौती की दरें

कर अधिनियम के अन्तर्गत निम्न दरों के आधार पर कर की कटौती की जाएगी।

(क) गैर कम्पनी कर दाता की दशा में:-

		दरें
(1)	**यदि कर दाता भारत में निवासी है।**	
	(i) प्रतिभूतियों से ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज पर	10%
	(ii) किसी कम्पनी के ऋण पत्र या प्रतिभूतियां जो स्ट्रॉक एक्सचेंज पर listed नहीं है।	20%
	(iii) लाटरी, ताश के खेल के ईनाम तथा घुड़-दौड़ की जीत का ईनाम	30%
(2)	**यदि कर दाता भारत में निवासी नहीं है।**	
	(i) विनियोग से आय पर	20%

(ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर 20%

(iii) लाटरी, ताश के खेल तथा घुड़-दौड़ की जीत का ईनाम 30%

(ख) कम्पनी की दशा में:-

(1) **यदि कम्पनी घरेलु कम्पनी है-**

(i) प्रतिभूतियों पर ब्याज व अन्य ब्याज पर 20%

(ii) लाटरी, ताश के खेल, घुड़ दौड़ की जीत का ईनाम 30%

अधिभार @ 2%

(2) **यदि कम्पनी घरेलु कम्पनी नहीं है-**

(i) लाटरी, ताश के खेल, घुड़ दौड़ की जीत से आय 30%

(ii) विदेशी मुद्रा में लिये गए ऋण पर देय ब्याज 20%

(iii) अन्य किसी आय पर ब्याज 48%

उदगम स्थान पर कर की कटौती

प्रतिभूतियों पर ब्याज देने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह ब्याज देते समय निर्धारित दर से कर काट ले तथा उसे सरकारी कोष में जमा कर दें। परन्तु धारा 193 के अन्तर्गत निम्न ब्याज की देय राशि पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती:-

(1) $4\frac{1}{2}\%$ राष्ट्रीय सुरक्षा बाण्ड्स या ऋण।

(2) राष्ट्री विकास बाण्ड्स।

(3) 7 वर्षीय National Saving Certificates के IV Issue पर देय ब्याज।

(4) $6\frac{1}{2}\%$ या 7% Gold Bonds

(5) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियां।

(6) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज, जिस ब्याज की राशि 2500 रु0 से अधिक न हो तथा यह एक निवासी को A/C Payee Check द्वारा दिया गया हो।

कटौतियाँ

(Deduction)

धारा 57 के अनुसार **'अन्य साधनों से आय'** शीर्षक में कर योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती है:-

(1) म तक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन के सम्बंध में एसी आय के $33\frac{1}{3}\%$ या 15000 रु0 जो दोनों में कम हो कि वैधानिक कटौती दी जाएगी।

(2) सिकमी किरायेदार से प्राप्त किराये में से मकान के स्वामी को चुकाया गया किराया। मरम्मत व्यय कटौती योग्य है।

(3) अन्य कोई व्यय जो पूर्ण रूप से ऐसी आय कमाने के लिए व्यय किया गया है जो पूंजीगत या व्यक्तिगत प्रकृति का न हो।

(4) नियोक्ता द्वारा प्राविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के खाते से फण्ड में जमा कराई गई राशि, कटौती योग्य है।

(5) लाभांशों या प्रतिभूतियों के सम्बंध में कर दाता द्वारा दिए गए संग्रह व्यय, यदि वह ब्याज स्वयं वसूल करता है तो कोई कटौती नहीं मिलेगी।

(6) प्रतिभूतियों पर विनियोग करने के लिए लिये गए ऋण पर ब्याज, कटौती योग्य हैं परन्तु घरेलु कम्पनी के अंशों को छोड़कर।

न काटी जाने वाली राशियां

धारा 58 के अनुसार कर योग्य आय निकालने के लिए निम्न राशियां नहीं काटी जाएगीः-

(1) कर दाता के व्यक्तिगत व्यय।

(2) धन कर की वापसी।

(3) करदाता द्वारा सहयोगी संस्था को किया गया कोई व्यय।

(4) भारत के बाहर किया हुआ कोई ऐसा भुगतान जो वेतन शीर्षक में कर योग्य है। यदि उस पर न कर चुकाया हो और न ही कर काटा गया हो।

(5) भारत के बाहर बिना कर काटे दिया गया ब्याज।

(6) 20,000 रु0 से अधिक नकद में व्यय का भुगतान। ऐसा व्यय 20% अस्वीकृत होगा।

Practical Problems of Income from other Sources

Example No 1:

मिस्टर अनिल गत वर्ष 2001.02 की अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

		रु0
(i)	समस्त अंशों पर लाभांश	600
(ii)	पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश	3,200
(iii)	एक मिश्रित पट्टे पर किराये पर उठाये गये भवन तथा मशीन से आय	27,000
(iv)	बैंक जमा पर ब्याज	2,500
(v)	संचालकों की बैठक में भाग लेने की फीस प्राप्त की	1,200
(vi)	भूमि किराया	600
(vii)	अद श्य साधनों से आय	10,000
(viii)	लॉटरी का इनाम प्राप्त किया (शुद्ध)	8,470
	वह निम्न कटौतियों की मांग करता हैः	
	(क) लाभांश संग्रह करने के व्यय	20
	(ख) भवन तथा मशीन पर स्वीकृत ह्रास	4,000
	(ग) भवन तथा मशीन का अग्नि बीमा	100

Mr. Anil furnishes the following particulars of his incomes for the previous year 2001-02. Compute his total income.

		Rs.
(i)	Dividend on equity shares	600
(ii)	Dividend on preference shares	32,00
(iii)	Income from letting on hire of building and machinery under one composite lease	27,000
(iv)	Interest on bank deposits	2,500
(v)	Director's sitting fees received	1,200

(vi) Ground rent 600

(vii) Income from undisclosed source 10,000

(viii) Winning from lotteries (Net) received 8,470

The following deductions are are claimed by him:

(a) Collection charges of dividend 20

(b) Allowable depreciation on building and machinery 4,000

(c) Fire insurance on building and machinery 100

Solution **Computing of Total Income of Mr. Anil**

for the Assessment Year 2002-03

Income of other sources:		**Rs.**
(i) Dividend on Equity Shares–Exempt		–
(ii) Dividend on Pref. Shares–Exempt		–
(iii) Income from letting on hire of building and machinery under one composite lease		27,000
(iv) Interest on Bank deposits		2,500
(v) Director's Sitting fees		1,200
(vi) Ground Rent		600
(vii) Income from Undisclosed Source		10,000
Grossed up Rs. 8,470 – 5,000 (100 ÷ 69.4) + 5,000 = Rs. 10,000		
Less: Exempt u/s 10(3)	5,000	5000
		46300
Less: Depreciation on Building and Machinery	4,000	
Fire Insurance on Bldg. and Machinery	100	4,100
Income from Other Sources being T.I.		Rs. 42,200

नोट- लाभांश पर संग्रह व्यय स्वीकृत नहीं होंगे क्योंकि लाभांश की आय कर मुक्त है।

Example. No 2:

31 मार्च, 2002-03 को समाप्त होने वाले वर्ष मि0 P के विनियोग निम्न प्रकार थे:

(अ) 10% सरकारी प्रतिभूतियां 17,500 रु0

(ब) 12% आगरा म्युनिसिपल बॉण्ड्स 10,000 रु0

(स) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स 20,000 रु0

(द) 7- वर्षीय पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 10,000 रु0

(ध) 9% विदेशी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां 10,000 रु0

(प) 7% सरकारी बॉण्ड्स 18,000 रु0

(फ) 7% राष्ट्रीय प्लान प्रमाण-पत्र 5,000 रु0

प्रतिभूतियों से कर-योग्य आय एकत्रित करने के लिए 60रु॰ कमीशन दिया। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स खरीदने के लिए लिये गये ऋण पर 1200 रु॰ ब्याज दिया।

उसकी अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए।

Mr. P's investments during the year ended 31st March, 2002 consisted of the following:

(a) Rs. 17,500, 10% Govt. Securities.

(b) Rs. 10,000, 12% Agra Municipal Bonds.

(c) Rs. 20,000, 9% Mumbai Port Trust Bonds.

(d) Rs. 10,000, 7-Year Post Office National Savings Certificates.

(e) Rs. 10,000, 9% Securities issued by a foreign government.

(f) 7% Govt. Bonds Rs. 18,000.

(g) 7% National Plan Certificates Rs. 5,000.

He paid Rs. 60 as commission for collecting the interest taxable under the head interest on securities and Rs. 1,200 as interest on loan which he had taken for the purpose of purchasing the Mumbai Port Trust Bonds.

Find out his income from other sources.

Solution **Income from Other Sources** **Rs.**

(a)	Government Securities		1,750
(b)	Municipal Bonds		1,200
(c)	Port Trust Bonds		1,800
(d)	Government Bonds		1,260
(e)	Foreign Government Securities		900
			6,910
	Less: Collective Commission	60	
	Interest on Loan	1,200	1,200
	Income from Other Sources		Rs. 5,650

Notes: Interest on 7-Year Post Office National Savings Certificates and National Plan Certificates is exempt u/s 10(15) [Notification No. G.S.R 607 (E) dated 9.6.1989 ITR 178]

Example No 3:

1 अप्रैल, 2001 को मि0 X के विनियोग निम्न प्रकार थे:	रु0
(अ) 10% यू0 पी0 गवर्नमेण्ट लोन	20,000
(ब) 10% इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ऋणपत्र जो 1 नवम्बर, 1999 को सम-मूल्य पर क्रय किये गये	12,500
(स) 10% जूट मिल कम्पनी के ऋणपत्र	7,500
(द) सहकारी समिति के ऋणपत्रों पर ब्याज	1,000

1 अक्टूबर, 2001 को उसने इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ऋणपत्र 11625 रु0 के बेच दिये और 12% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड 20,000 रु॰ के क्रय कर लिये उसने 15% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रु0 का ऋण प्राप्त किया। प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए बैक ने अंकित मूल्य पर 1% कमीशन तथा व्याज संग्रहीत करने के लिए 20 रु० कमीशन वसूल किया। गत वर्ष अपने पिता की म त्यु पर जो 1 दिसम्बर, 2000 को हुई, उसने 5,000 रु0 के 12% बॉम्बे गवर्नमेण्ट ऋण उत्तराधिकारी में प्राप्त किये।

प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रति वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को देय होता है। कर-निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए उसकी पूंजी

लाभ तथ अन्य साधनों से आय शीर्षकों की आय ज्ञात कीजिए।

Solution

(1) *Capital Gains:*

Cost of Improvement Trust Debentures	12,625
Less: Net Sale Consideration (11,625 – Selling Exp. 125)	11,500
Shoert-term Capital Loss (To be c/fd)	Rs. 1,125

(2) *Income from Other Sources:*

(i) Interest on Securities

(a) Interest on 10% U.P. Govt. Loan for 1 year		2,000
(b) Interest on 10% Improvement Trust Debentures for 1/2 year		625
(c) Interest on 10% Debentures of Jute Mill Company for 1 year		750
(d) Interest on 12% Port Trust Bonds for 1/2 year		1,200
(e) Interest on 12% Bombay Govt. Loan for 1/2 year		300
		4,875
Less: Bank Commission for Collecting interest	20	
Interest on bank loan for 6 months (from 1st Oct. to 31st March)	750	770
Income from Interest on Securities		4,105
(i) *Other Incomes:* Interest on Debentures of a Co-operative Society		1,000
Income from Other Sources	Rs	5,105

नोट 1. **प्रतिभूतियों के क्रय पर दिया गया बैंक कमीशन पूंजीगत व्यय है और वह प्रतिभूतियों की लागत में जोड़ा जायेगा। अतः इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ऋणपत्रों की लागत** (12,500 + 125) = 12,625 **रु0 होगी।**

2. **प्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णतया उस व्यक्ति की आय माना जाता है जो ब्याज की देय तिथि को उसका मालिक होता है। चाहे भले ही वह ब्याज की पूर्ण अवधि में उसका मालिक न रहा हो यह सिद्धान्त उस दशा में भी लागू होता है जबकि ब्याज किसी व्यक्ति की म त्यु के बाद देय होता है।** *(I.R. vs. Henderson's Executor 16 T.C. 282*

3. **सहकारी समिति के ऋणपत्रों के ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।**

Example No 4:

आशा आनन्द, जो एक निवासी व्यक्ति है, ने 31 **मार्च,** 2002 **को समाप्त होने वाले गत वर्ष में प्रतिभूतियों पर ब्याज से निम्न आय नकद प्राप्त की:**

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 4,000 **रु0।**

एक स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज 3592 **रु0।**

मेघदूत लिमिटेड के ऋणपत्रों पर ब्याज (ऋणपत्र किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकृत नहीं है) 3582 **रु०।**

मरकरी पेण्ट लि. के ऋणपत्रों पर ब्याज (ऋणपत्र दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीक त हैं) 3,592 **रु०।**

गुंजन इलेक्ट्रिकल्स लि. के कर-मुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज (ऋणपत्र किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीक त नहीं हैं) 3,582 **रु०।**

आशा आनन्द की कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 **के लिए 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में ब्याज** 30 **जून तथा** 31 **दिसम्बर को देय है।**

Asha Anand, a resident individual, received in cash the following income as interest (net) on securities during the previous year ending 31st March, 2002:

Rs. 4,000 as interest on Government Securities.

Rs. 3,592 as interest on debentures issued by a local authority.

Rs. 3.582 as interest on debentures of Meghdoot Limited (not listed at any recognised stock exchange).

On 1st October, 2001 he sold his Improvement Trust debentures for Rs. 11,625 and purchased Rs. 20,000 12% Port Trust Bonds, for which he took a loan of Rs. 10,000 @ 15% per annum. The bank commission for buying and selling securities was 1% on face value and for collecting interest Rs. 20. During the year he inherited Rs. 5,000, 12% Mumbai Govt. Loan from his father who died on 1st December, 2001.

such interest being payable in each case on 1st January and 1st July. Find out his income under the head Capital Gains and Other Sources for the assessment year 2002-03.

Solution

Computation of Income from Capital Gains and Other Sources

for the Assessment Year 2002-03

(1)	*Capital Gains:*	
	Cost of Improvement Trust Debentures	12,625
	Less: Net Sale Consideration (11,625 – Selling Exp. 125)	11,500
	Shoert-term Capital Loss (To be c/fd)	Rs. 1,125
(2)	*Income from Other Sources:*	
	(i) *Interest on Securities:*	
	(a) Interest on 10% U.P. Govt. Loan for 1 year	2,000
	(b) Interest on 10% Improvement Trust Debentures for 1/2 year	625
	(c) Interest on 10% Debentures of Jute Mill Company for 1 year	750
	(d) Interest on 12% Port Trust Bonds for 1/2 year	1,200
	(e) Interest on 12% Bombay Govt. Loan for 1/2 year	300
		4,875

Example No. 5:

श्री ललित जो भारत में साधारण निवासी है की वित्तीय वर्ष 2001-02 **में निम्न आयें प्राप्त हुई हैं:**

	रु०
संचालक शुल्क	20,000
पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय	5,000
पठानकोट में स्थित भूमि से किराया	10,000
डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज	100
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में जमा पर ब्याज	500
विदेशी कम्पनी से लाभांश	700
शिकमी किरायेदार से मिला किराया	26,250
शिकमी किरायेदारी पर दिये गये मकान का श्री ललित द्वारा देय किराया	12,000
शिकमी किराये पर दिये मकान पर किये गये अन्य व्यय	1,000
घुड़दौड़ जीत राशि	12,300

प्रतिभूतियों से ब्याज 4,000

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 **हेतु 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में श्री ललित की आय की गणना आप से अपेक्षित है।**

The following incomes are received by Mr. Lalita an ordinary resident in India during financial year 2001-2002:

	Rs.
Director's fees	2,000
Income from agriculture land in Pakistan	5,000
Ground-rent for land in Pathankot	10,000
Interest on postal savings bank account	100
Interest on deposits with Industrial Finance Corporation of India	500
Dividend from foreign company	700
Rent from sub-letting a house	26,250
Rent payable by Mr. Lalit for the sub-let-house	12,000
Other expenses incurred on this sub-let house	1,000
Winning from Race-course	12,300
Interest on Securities	4,000

You are required to calculate 'Income from Other Sources' of Mr. Lalit for the Assessment year 2002-03.

(M.D.U., B. Com. III, 1994, Purvananchal, 1999, Modified; Rohtak, 2002)

Solution **Computation of Income from Other Sources** **Rs.**

for the Assessment Year 2002-03

1.	Director's fees			2,000
2.	Income from agricultural land in Pakistan			5,000
3.	Ground rent			10,000
4.	Interest on postal savings bank A/c			Exempt
5.	Interest on deposits with I.F.C.I.			500
6.	Dividend from foreign Company (not to be grossed up)			700
7.	Rent from Sub-letting a house		26,250	
	Less: Rent payable for the sub-let house	12,000		
	Other expenses	1,000	13,000	13,250
8.	Winning from Race-course		12,300	
	Less: Exempt u/s 10(3)		2,500	9,800
9.	Interest on Securities assumed to be gross			4,000
				Rs. 45,250

नोट- विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर यह माना गया है कि करदाता दोहरे करारोपण से छूट की मांग नहीं करता।

अध्याय-10

आय का मिलाना तथा आय का संकलन

(Clubbing of Income and Aggregation of Income)

प्रत्येक कर दाता अपना कर भार न्यूनतम रखना चाहता है। इसलिए आयकर विवरण दाखिल करने से पहले अपनी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण इस प्रकार करता है कि उससे प्राप्त होने वाली आयकर दाता की आय न मानी जा सके। परन्तु इस तरह हस्तान्तरण करने से प्राप्त आय हस्तान्तरणकर्त्ता की ही आय मानी जाती है।

आय का मिलाना
(Clubbing of Income)

अन्य व्यक्ति की आय जो करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है। धारा 60 से 65 तक अन्य व्यक्तियों की आय जो कि करदाता के हस्तान्तरण से उत्पन्न हुई है करदाता की आय मानी जाती है जो कि निम्न प्रकार है-

1. **सम्पत्ति का हस्तान्तरण किए बिना आय का हस्तांरण**-धारा 60 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सम्पति का स्वामित्व हस्तारित किए बिना ही आय का हस्तान्तरण कर देता है तो ऐसी आय हस्तान्तरण करने वाली के आय मानी जाएगी।
2. **सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तांरण**-धारा 61 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण कर देता है जो कि बाद में उसे पुनः हस्तारिंत हो सकती है ऐसी खण्डनीय हस्तांतरण कर दाता की ही आय मानी जाएगी। परन्तु इसके कुछ अपवाद भी है।
   (i) यदि यह हस्तांतरण किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है तो इसका लाभ पाने वाले के जीवन काल मे अखण्डनीय है।
   (ii) यदि यह हस्तांतरण सीधे किसी व्यक्ति को किया गया है तथा हस्तान्तरी के जीवन काल में अखण्डनीय है।
   (iii) यदि हस्तान्तरण 1 अप्रैल 1961 से पूर्व किया गया है तथा 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अखण्डनीय है।
3. **जीवन साथी की आय**-धारा 64(1) के अुनसार यदि किसी करदाता के जीवन साथी की आय उसकी आय में शामिल कर ली गई हो ये आय निम्नलिखित हो सकती है-
   (i) धारा 64(1) (ii) के अनुसार जीवन साथी को एक ऐसे संगठन से मिला हुआ वेतन, कमीशन, फीस या अन्य किसी प्रकार का पारिश्रमिक जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित हो परन्तु ऐसा पारिश्रमिक यदि जीवन साथी की तकनीकि या पेशेवर योग्यता के कारण प्राप्त हुआ है तो वह करदाता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
   (ii) धारा 64(1) (iv) के अुनसार यदि करदाता द्वारा अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया जाता है जो कि अलग-अलग रहने के अनुबंध में न हो ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय करदाता की आय में शामिल की जाएगी।
4. **पुत्रवधु की आय**-धारा 64(1) (vi) के अुनसार यदि किसी करदाता द्वारा पुत्र वधु को बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई सम्पत्ति 31/5/1973 के बाद हस्तांरित कर दी जाती है तो ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय करदाता की आय मानी जाएगी।
5. जीवन साथी के लाभ के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को यदि किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो इसे करदाता की आय में शामिल किया जाएगा।
6. धारा 64(1) (viii) के अुनसार यदि करदाता द्वारा अपनी पुत्र-वधु के हित के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सम्पत्ति का 31/5/1973 के बाद हस्तांतरण किया जाता है तो इससे प्राप्त होने वाली आय करदाता की आय मानी जाएगी।

7. यदि करदाता द्वारा अपने जीवन साथी या पुत्रवधु के लिए किसी व्यापार के अर्न्तगत पूंजी के हिस्से के रूप में कोई सम्पत्ति या धन हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसे हस्तांतरण से होने वाली आय हस्तांतरणकर्त्ता की आय मानी जाएगी।

8. धारा 64 के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे की आय यदि उसके माता-पिता की आय में शामिल कर ली जाती है तो 1500 रु० से अधिक अवस्यक बच्चे की आय करदाता की आय में शामिल होगी। परन्तु निम्न आय अवस्यक बच्चे के होने पर भी करदाता की आय नहीं मानी जाएगी-
   (i) अवस्यक बच्चे की शारीरिक श्रम से आय।
   (ii) उसकी किसी कला, बुद्धि, विशिष्ट योग्यता, अनुभव या ज्ञान से आय।
   (iii) यदि बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अंपग है तो प्राप्त आय।

9. **आपसी हस्तांतरण**-धारा 64 के अर्न्तगत यदि किन्ही दो करदाता के द्वारा कर बचाने के उद्देश्य से कोई हस्तांतरण उपहार स्वरूप एक-दूसरे के जीवन साथी को कर दिया है तो ऐसे हस्तांतरण हस्तांतरणकर्त्ता की आय मानी जाएगी।

10. **किसी अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य द्वारा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति का हस्तातरण**-धारा 64(2) के अनुसार यदि किसी अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई सम्पत्ति 31-12-1969 के बाद हस्तांतरित कर दी जाती है तो सम्पत्ति से प्राप्त आय हस्तांतरणकर्त्ता की आय मानी जाएगी।

11. **बेनामी व्यवहार**-यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कर बचाने के उद्धेश्य से किसी बेनाम व्यक्ति के नाम सम्पत्ति का हस्तांतरण दिखाया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय हस्तांतरणकर्त्ता की आय मानी जाएगी।

आय का संकलन
(Aggergation of Income)

आय का संकलन से आशय भिन्न-भिन्न शीर्षकों से कर योग्य आय के योग से है जो कि कुल आय में शामिल तो की जाती है परन्तु उन पर कर नहीं लगता।

1. **ऐसी आय जो करदाता की कुल आय में शामिल तो की जाती है परन्तु बाद में इन पर औसत दर से आय की छूट मिलती है।**-
   (i) धारा 66 के अनुसार व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समूह के सदस्यों को लाभ का हिस्सा।
   (ii) धारा 86 के अनुसार यदि ऐसे समूह की आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर लग चुका है तो ऐसा लाभ सदस्यों की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

2. **मानी गई आय**-मानी गई आय से हमारा अभिप्राय उस आय से है जो करदाता द्वारा अपनी कुल आय में या अस्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यापार में प्रयोग की गई हो इसके उदाहरण निम्न प्रकार है-
   (i) धारा 68 के अनुसार नकद साख।
   (ii) धारा 69 के अनुसार पुस्तकों में बिना लिखें तथा बिना स्पष्ट किए गए विनियोग।
   (iii) पुस्तकों में बिना लिखा तथा बिना स्पष्ट किया गया धन।
   (iv) धारा 69B के अनुसार विनियोग आदि की रकम जो खातों में पूर्णतया नहीं दिखाई गई है।
   (v) धारा 69C के अनुसार न स्पष्ट किया गया व्यय।
   (vi) धारा 66D के अनुसार हुंडी पर लिए गए ऋण या उसका भुगतान।

उदाहरण (Example)

निम्नलिखित आयों पर कर चुकाने के लिए कौन दायी है:

(1) 10 जून, 1987 को मिस्टर राम ने 2 लाख रुपये की सम्पत्ति अपनी पुत्र-वधू को हस्तान्तरित कर दी। इस सम्पत्ति से गत वर्ष 2001-02 में पुत्र-वधू को 20,000 रुपये की आय हुई।

(2) मिस्ट राम, जो एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है ने 1,00,000 रुपये की अपनी निजी सम्पत्ति 10 जुलाई, 1992 को अपने हिन्दू अविभाजित परिवार को बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी। गत वर्ष 2001-02 में इस सम्पत्ति से परिवर को 20,000 रुपये की आय अर्जित हुई।

Who is liable to pay tax on the following incomes:

(1) Mr. Ram transfered a property worth Rs. 2 lakh to his son's wife on 10th June, 1857 without consideration. The income accrued to her from the property was Rs. 20,000 during the previous year 2001-02.

(2) Mr. Ram, a member of Hindu undivided family, transfered his personal property worth Rs. 1,00,000 to the H.U.F on 10th July, 1992, without consideration. The income accrued to the family from the property was Rs. 20,000 during the previous year 2001-02.

समाधान (Solution)

(1) मिस्टर राम ने अपनी सम्पत्ति बिना पर्याप्त के 31.5.1973 के बाद अपनी पुत्र-वधू को हस्तान्तरित कर दी। अतः इस सम्पत्ति से 20,000 रुपये की आय मिस्टर राम की आय मानकर उसी पर कर लगेगा, न कि पुत्र-वधू की आय पर।

(2) मिस्टर नाम ने 31.12.1969 के बाद अपनी निजी सम्पत्ति बिना प्रतिफल के अपने हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर दी; अतः इस सम्पत्ति से सम्पूर्ण आय (Rs. 20,000) पर राम कर देगा न कि H.U.F. चुकायेगा।

अध्याय-11

हानियों की पूर्ति एवं उन्हे आगे ले जाना

(Set-off and Carry Forward of Losses)

कर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर लगाया जाता है। अगर किसी आय के स्त्रोत से हानि है तो उसी वर्ष अन्य आय के स्त्रोत के लाभ से पूरा किया जा सकता है। यदि हानि उसी वर्ष पूरी न हो सके तो कुछ हानियों को आगे ले जाकर बाद के वर्षो में उनकी पूर्ति की जा सकती है हानियों की पूर्ति के सम्बंध में निम्न प्रावधान दिए गए हैं-

1. **एक ही शीर्षक में एक स्त्रोत की हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोत की आय से**-धारा 70 के अनुसार यदि एक शीर्षक में एक स्त्रोत की हानि है तो उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोत की आय से पूरा किया जा सकता है जैसे राम के कपड़े तथा लोहे के दो व्यापार है तथा गत वर्ष में उसे कपड़े के व्यापार से लाभ होता है। तथा लोहे के व्यापार से हानि तो लोहे के व्यापार की हानि की पूर्ति कपड़े के व्यापार से की जा सकती है। परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी है।
   (i) सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति गैर सट्टे के व्यापार की आय से नह की जा सकती।
   (ii) घुड़ दौड़ की रख रखाव की क्रिया से होने वाली हानि की पूर्ति अन्य साधनो की आय के अन्य स्त्रोत से नह की जा सकती।
   (iii) कर मुक्त आय की हानि की पूर्ति कर योग्य आय से नह की जा सकती।
2. आय के एक शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से की जा सकती है। उदाहरण के लिए स्वयं रहने के मकान के निर्माण के लिए गए ऋण पर ब्याज की हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से की जा सकती है परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी है।-
   (i) मकान के न वसूल हुए किराये से हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरा नह किया जा सकता।
   (ii) पूँजी लाभ शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक से नह की जा सकती।
   (iii) दौड़ों की जीत या लाटरी की हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से नह की जाती है।
   (iv) सट्टे के व्यापार के हानि की पूर्ति गैर सट्टे के व्यापार से नह की जा सकती।
3. **गैर सट्टा व्यापार या पेशे के हानि की पूर्ति**-यदि गैर सट्टा व्यापार या पेशे में हानि है तो इस हानि की पूर्ति व्यापार या पेशे के शीर्षक में अन्य किसी आय से (सट्टा व्यापार के लाभ सहित) की जा सकती है। यदि उस शीर्षक में अन्य आय नह है तो शेष हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से की जा सकती है।
4. **सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति**-सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति सट्टे के व्यापार के लाभ से ही की जा सकती है।
5. घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रख रखाव की क्रिया से होने वाली हानि की पूर्ति घुड़ दौड़ों के लाभ से ही की जा सकती है अन्य किसी आय से नही।
6. कर मुक्त आय की हानि की पूर्ति कर मुक्त आय के लाभ से ही की जा सकती है।
7. पूँजी हानियों की पूर्ति पूँजी लाभ से की जा सकती है।
8. लाटरी, जुआ तथा शर्त आदि की हानि की पूर्ति नह की जा सकती।

हानियों के आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना

Carry forward and Set-obb of losses

हानियों को आगे ले जाने से हमारा अभिप्रायः उन हानियों से है जिनकी पूर्ति गत वर्ष में अन्य किसी आय से न हो सके तो ऐसी शेष हानियो को आगे ले जाकर उनकी पूर्ति की जा सकती है। जो कि निम्न प्रकार हैं-

1. **वे हानियां जो आगे ले जाई जा सकती है-**
   - (i) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि।
   - (ii) गैर सट्टा व्यापार की हानियां।
   - (iii) सट्टा व्यापार की हानियां।
   - (iv) अल्पकालीन पूंजी हानियां।
   - (v) दीर्धकालीन पूंजी हानियां।
   - (vi) घुड़ दौड़ के घोड़े रखने से हानियां।

हानियो के आगे ले जाकर पूर्ति के सम्बंध में निम्न प्रावधान है-

1. मकान सम्पत्ति से हानि की पूर्ति अगले 8 वर्षो तक मकान सम्पत्ति की आय से किया जा सकता है।
2. गैर सट्टा व्यापार तथा पेशे की हानियो की पूर्ति अगले 8 वर्षो में व्यापार अथवा पेशे की आय से किया जा सकता है।
3. सट्टे के व्यापार के हानियों की पूर्ति अधिक से अधिक 8 वर्षो तक सट्टे के व्यापार से ही की जा सकती है। बशर्ते की व्यापार चालू रहे।
4. पूंजी हानियां चाहे अल्पकालीन हो चाहे दीर्धकालीन अधिक से अधिक अगले 8 कर निर्धारण वर्षो तक आगे ले जाकर केवल पूंजी लाभ से ही की जा सकती है।
5. घुड़ दौड़ के घोड़े रखने से हानि की पूर्ति आगे ले जाकर अधिक से अधिक 4 वर्षो तक इसी तरह की आय से की जा सकती है।
6. **वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर किए गए पूंजीगत व्यय के अशोधित भाग को आगे ले जाना**-ऐसी दशा में जब कि एक करदाता ह्रास, पूंजीगत व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि की कटौती की मांग एक साथ करता है तो घटाने का क्रम निम्न प्रकार होगा-
   - (i) चालू ह्रास
   - (ii) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय।
   - (iii) आगे लाई गई व्यापारिक हानियां।
   - (iv) अशोधित ह्रास
   - (v) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय।

Example 1

एक व्यापारी ने कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किये:

		रू०
व्यापार से हानि		2,00,000
चालू वर्ष के लिए ह्रास छूट		40,000
मकान-सम्पत्ति से आय (गणना की गई)		4,00,000
पिछले वर्षों से आगे लाये गये मदः	व्यापारिक हानि A. Y. 2000-01	2,40,000
	ह्रास छूट (अशोधित) A. Y. 2001-02	1,00,000

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए व्यापारी की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

A trade furnished the following particulars for the assessment year 2002-03:

		Rs.
Loss from Business		2,00,000
Depreciation Allowance for current year		40,000
Income from House Property (Computed)		4,00,000
Items b/fd from the earlier years:	Business Loss A. Y. 2000-01	2,40,000
Depreciation Allowance	(Unabsorbed) A. Y. 2001-02	1,00,000

Compute the trader's gross total income for the assessment year 2002-03. *(Rewa,* 2002)

Solution **Computation of Total Income**

for the Assessment Year 2002-03

	Rs.
Income from House Property	4,00,000
Less : Business Loss for current year set-off	2,00,000
	2,00,000
Less : Current year's depreciation	40,000
	1,60,000
Less : Unabsorbed depreciation	1,00,000
Gross Total Income	Rs. 60,000

अध्याय-12

कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियां

(Deducations to be made from Gross Total Income while Computing Total Income)

प्रत्येक करदाता को अपनी कर योग्य आय पर कर देना पड़ता है इस उद्देश्य के लिए उसकी सकल कुल आय में से धारा 80CCC से 80U तक की कटौतियां घटा दी जाती है। शेष राशि पर कर की गणना की जाती है। इन कटौतियों का वर्णन निम्न प्रकार है-

1. **पेंशन फण्ड में अंशदान के सम्बंध में**-धारा 80CCC के अर्न्तगत एक व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन योजना के अर्न्तगत अगर कोई धन राशि जमा कराई है तो वह 10,000 रू० तक कर मुक्त होगी।
2. **चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बंध में कटौती**-धारा 80D के अर्न्तगत एक व्यक्ति के द्वारा अपने या अपने जीवन साथी अपने माता पिता या आश्रित बच्चों के सम्बंध में उनके स्वास्थय का बीमा कराने पर दी गई राशि 10,000 रूपये तक कर मुक्त होगी। यदि यह बीमा 65 वर्ष से अधिक आयु के करदाता द्वारा कराया जाता है तो यह 15,000 रू० तक कर मुक्त होगी।
3. **विक्लांग, आश्रितो, चिकित्सा पर व्यय या उनके जीवन निर्वाह के लिए किए गए जमा के सम्बंध में कटौती**-धारा 80DD के अर्न्तगत एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार के द्वारा अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति का भारतीय जीवन बीमा निगम की किसी अनुमोदित योजना के अर्न्तगत राशि दी जाती है तो 40,000 रू० तक की राशि कटौती योग्य होगी। यह खर्च रोगी के मानसिक या शारीरिक रूप से विक्लांग होने पर किया जाना चाहिए।
4. **चिकित्सा पर व्यय के सम्बंध में कटौती**-धारा 80DDB के अर्न्तगत एक निवासी व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार के द्वारा अपने पर आश्रित किसी सदस्य की चिकित्सा पर व्यय किया जाता है तो उसे 40,000 रू० की कटौती स्वीकृत होगी। यदि यह खर्च 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए किया गया है तो कटौती की राशि 60,000 रू० होगी। तथा चिकित्सा व्यय विशिष्ट बिमारियों के सम्बंध में होना चाहिए।
5. **उच्चतर शिक्षा के लिए लिये गए ऋण के वापसी भुगतान के सम्बंध में कटौती**-धारा 80E के अर्न्तगत एक व्यक्ति द्वारा अपनी उच्च शिक्षा के लिए यदि किसी वित्तिय संस्था से ऋण लिया था तथा इस ऋण का भुगतान ब्याज सहित 40,000 रू० तक कटौती योग्य होगा।
6. **पुण्यार्थ संस्थाओं या कुछ विशेष कोषों को दिये गए दान के सम्बंध स्वीकृत कटौती**-धारा 80G के अर्न्तगत यह कटौती सभी करदाताओं को निम्न दानो में धन राशि देने पर प्राप्त होगी। इस सम्बंध में दान दो प्रकार के होते हैं-
   (i) ऐसे दान जिनकी योग्य राशि की सीमा होती है।
   (ii) ऐसे दान जिनकी योग्य राशि की सीमा नह होती।

(i) **ऐसे दान जिनकी योग्य राशि की सीमा होती है**-
   (a) जिनके सम्बंध में 100% कटौती मिलती है।
   (b) जिनके सम्बंध में 50% कटौती मिलती है।

(ii) **ऐसे दान जिनकी योग्य राशि की सीमा नह होती**-
   (a) जिनके सम्बंध में 100% कटौती मिलती है।
   (b) जिनके सम्बंध में 50% कटौती मिलती है।

(A) **बिना सीमा वाले दान जिनके सम्बंध में 100% कटौती स्वीकृत होती है-**

1. राष्ट्रीय खेल कोष।
2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष।
3. अफ्रीका फण्ड।
4. किसी विश्व विद्यालय या शिक्षा संस्था को दान।
5. प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष।
7. प्रधान मंत्री का आरमिनिया भूकंप सहायता कोष।
8. मुख्य मंत्री का भूचाल से राहत कोष, महाराष्ट्र।
9. मुख्य मंत्री का साइकलोन राहत कोष।
10. बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष।
11. गुजरात भूकंप पीड़ित सहायता कोष।
12. गरीबो की चिकित्सा राहत कोष।

(B) **बिना सीमा वाले दान जिनके सम्बंध में 50% कटौती स्वीकृत है-**

1. राजीव गांधी फाउण्डेशन।
2. जवाहर लाल नेहरू स्म ति कोष।
3. राष्ट्रीय बाल कोष।
4. प्रधान मंत्री का अकाल सहायता कोष।
5. इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट।

(C) **सीमा वाले दान जिनके सम्बंध में योग्य राशि की 100% कटौती स्वीकृत होती है-**

1. परिवार नियोजन के सम्बंध में दिए गए दान।
2. भारतीय ओलपिंक एसोसिएशन में दिए गए दान।

(D) **सीमा वाले दान जिनके सम्बंध में योग्य राशि की 50% कटौती स्वीकृत होती है-**

1. किसी स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ कार्य के लिए दिए गए दान।
2. किसी ऐसी सत्ता को दान जो मकान बनाने या शहरों, कस्बो, गाँव का सुधार करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से संगठित हुए है।
3. केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम जो अल्पसंख्यक लोगों के हितो के लिए कार्य करती हो।
4. किसी सार्वजनिक या ऐतिहासिक मन्दिर या मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजा घर की मरम्मत के लिए दिए गए दान।

(E) **सीमा वाले दानो की अधिकतम योग्य राशि**-इस सम्बंध में कुल आय से आशय सकल कुल आय में से निम्न घटाने के पश्चात् शेष बची राशि से है-

1. धारा 80CCC से 800 तक की कटौतियां (80G की कटौती छोड़कर)।
2. वे आय जिन पर कर नह देना है।
3. दीर्धकालीन पूंजी लाभ।

बिना सीमा वाले दानो के अर्न्तगत किया गया भुगतान योग्य राशि की सीमा निर्धारित करने के लिए शामिल नह किया जाएगा।

धारा 80G के अर्न्तगत कटौती की गणना करने की विधि-

1. सर्वप्रथम अनुमोदित दानों का योग करो।
2. सकल कुल आय में से 80CCC से 80U तक की कटौतियां (80G को छोड़कर) घटा कर शेष राशि का 10% करो। जो कि योग्य राशि होगी।
3. सीमा वाले दानो की योग्य राशि इस राशि तक सीमित रहेगी।
4. योग्य राशि मे बिना योग्य वाले दानो को जोड़ो। इन दोनो का योग कुल योग्य राशि के बराबर होगा।
5. कुल योग्य राशि में से 100% कटौती वाले दान घटाओ। तत्पश्चात् शेष राशि का 50% करो। तथा 50% वाले दान इसमें से घटा दो।
7. **किराये के भुगतान के सम्बंध में कटौती**-धारा 80GG के अर्न्तगत एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार इस कटौती की मांग कर सकता है। बशर्ते कि वह किराये के मकान में न रहता हो व उसे मकान किराया भत्ता न मिलता हो। इस कटौती के लिए जो निम्न में सबसे कम होगा वह कटौती योग्य होगा-

   (i) कुल आय के 10% से अधिक देय किराये की राशि।

   (ii) कुल आय का 25% या 2000 रू० प्रति माह।

   कुल आय से आशय सकल कुल आय में से 80CCC से 80U तक की कटौतियां (80GG की कटौती छोड़कर) घटाने के बाद शेष राशि से है।
8. **वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए दिए गए दानो के सम्बंध में कटौती**-धारा 80GGA के अर्न्तगत एक करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान जो कि किसी विश्वविद्यालय कालेज या किसी अन्य संस्था के लिए दिए गए दान की राशि 100% कटौती योग्य है।
9. **भारत के बाहर प्रयोजना से लाभों के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHB के अनुसार यदि कोई भारतीय कम्पनी भारत के बाहर भवन, सड़क, बांध, पुल के निर्माण का कार्य करने से कोई लाभ कमाती है तो ऐसे लाभो का 30% कटौती योग्य होगा।
10. **आवास परियोजना के निष्पादन के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHBA के अर्न्तगत यदि कोई भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति आवास परियोजना के अर्न्तगत कोई लाभ कमाता है तो ऐसे लाभ का 30% कटौती योग्य होगा।
11. **निर्यात् व्यापार के लाभो के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHC के अनुसार यदि एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्तिगत वर्ष में कोई माल (खनिज तेल तथा खनिज पदार्थो को छोड़कर) भारत से बाहर निर्यात् करता है तो ऐसे निर्यात् से लाभ का 70% कटौती योग्य होगा।

कटौती की गणना-

1. **जब निर्यात् कर्ता उत्पादक है-**

$$\text{Profits of Business} \times \frac{\text{Export Turnover}}{\text{Total Turnover}} + \left\{ 90\% \text{ of Expert Incentives} \times \frac{\text{Export Turnover}}{\text{Total Turnover}} \right\} \times \frac{70}{100}$$

2. **जब निर्यात् कर्ता व्यापारी है-**

$$\text{Export Turnover} - \text{Direct Cost} - \text{Indirect Cost}) + \left\{ 90\% \text{ of export incentives} \times \frac{\text{Export Turnover}}{\text{Total Turnover}} \right\} \times \frac{70}{100}$$

3. **जब निर्यात् कर्ता सहायक उत्पादन है-**

$$\text{Profits of the Business} \times \frac{\text{Turnover as per the disclaimes certificate given by export house}}{\text{Total Turnover of Supporting Manufactures}} \times \frac{70}{100}$$

12. **होटल या प्रयटन प्रचालन या यात्रा अभिकर्ता के व्यापार से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमाई गई आय के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHD के अर्न्तगत एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति जो होटल या मान्यता प्राप्त प्रर्यटन प्रचालन या यात्रा अभिकर्ता के व्यापार में लगा है तो विदेशी पर्यटको को दी गई सेवाओं के बदले में प्राप्त आय का 30% कटौती योग्य होगा।

13. **कम्पयूटर प्रक्रिया सामग्री आदि के निर्यात से लाभ के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHE के अर्न्तगत एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति जो कि कम्पयूटर प्रक्रिया सामग्री का निर्यात् करने का या कम्पयूटर प्रक्रिया सामग्री के विकास के सम्बंध में भारत के बाहर तकनीकि सेवाएं प्रदान करता है तो ऐसे निर्यात से प्राप्त आय का 70% कटौती योग्य है। बशर्ते कि उस विदेशी आय को भारतीय मुद्रा में 6 माह के अन्दर परिवर्तित करा लिया जाए।

14. **फिल्म सोफटवेयर आदि के निर्यात् या हस्तांतरण से लाभ के सम्बंध में कटौती**-धारा 80HHF के अर्न्तगत एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति जो किसी फिल्म सोफटवेयर, टेलीविजन सोफटवेयर, संगीत सोफटवेयर, टेलीविजन समाचार सोफटवेयर के व्यापार में लगा है तथा इनका निर्यात् करता है तो ऐसे निर्यात् से आय का 70% कटौती योग्य होगा। बशर्ते कि निर्यात् बिक्री की राशि 6 माह के अन्दर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करा ली जाए।

15. **31 मार्च 1990 के पश्चात् परन्तु 1 अप्रैल 1991 से पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रम के लाभ के सम्बंध में कटौती**-धारा 80I के अर्न्तगत 1 सहकारी समीति जो एक निश्चित तिथि के अन्दर औद्योगिक उपक्रम या शीत ग्रह के व्यापार से कोई लाभ कमाती है तो ऐसे लाभो का 25% लगातार 12 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

16. **अवसंरचना विकास उपक्रमो आदि के लाभ के सम्बंध में कटौती**-धारा 80I के अर्न्तगत यदि कोई करदाता आधारभूत सुविधाएं, दूर संचार की सुविधाएं, औद्योगिक पार्क, विद्युत उत्पादन तथा वितरण आदि के विकास कार्य में लगा है तो ऐसे उपक्रमो से प्राप्त लाभ का निम्न प्रतिशत कटौती योग्य होगा।

(a) **दूर संचार सेवाएं के लिए कटौती की मात्रा एवं अवधि**-

(i) पांच कर निर्धारण वर्षों तक लाभो का 100%।

(ii) अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक लाभो का 30%।

(b) **अन्य की दशा में कटौती की मात्रा एवं अवधि**-10 कर निर्धारण वर्षों तक लाभो का 100%।

17. **अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न औद्योगिक उपक्रमों समुद्री जहाजों अथवा होटलों, आदि के लाभ के सम्बंध में कटौती**-धारा 80–IB के अर्न्तगत यदि कोई भारतीय कम्पनी समुद्री जहाज, होटल, औद्योगिक उपक्रम, लघु उद्योग के व्यापार में लगी है या ऐसी कम्पनी जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, खनिज तेल के उत्पादन, कृषि उत्पादन भण्डार या परिवहन के कार्य में लगी हुई है तो इस धारा के अर्न्तगत कटौती योग्य होंगे।

(a) **समुद्री जहाज की दशा में कटौती की शर्तें निम्न प्रकार है**-

(i) एक भारतीय कम्पनी जो 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1995 की अवधि में प्रारम्भ की गई हो। इस व्यापार से होने वाले लाभ के 30% के बराबर राशि प्रारम्भिक 10 वर्षों तक कटौती योग्य है।

(b) **होटल की दशा में कटौती की शर्तें निम्न प्रकार है**-

(i) एक भारतीय कम्पनी जिसकी चुकता पूंजी 5,00,000 रू० हो।

(ii) होटल किसी पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्र या किसी तीर्थ स्थान पर स्थित है तथा उसने 31 मार्च 1990 के पश्चात् तथा 1 अप्रैल 1994 से पूर्व या 31 मार्च 1997 के पश्चात् तथा 1 अप्रैल 2001 से पूर्व कार्य करना प्रारम्भ कर दिया हो।

(iii) अन्य किसी दशा में इसने अपना कार्य 31 मार्च 1991 के पश्चात् 1 अप्रैल 1995 से पूर्व या 31 मार्च 1997 के पश्चात् तथा 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्रारम्भ कर दिया हो।

कटौती की मात्रा तथा अवधि-

(i) यदि कोई होटल पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या तीर्थ स्थान पर स्थित है तो इससे प्राप्त लाभ का 50% 10 प्रारम्भिक वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(ii) यदि अन्य किसी स्थान पर स्थित है तो लाभो का 30% प्रारम्भिक 10 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(c) यदि कोई करदाता 31 मार्च 1991 के बाद परन्तु 1 अप्रैल 1995 से पूर्व अपना औद्योगिक उपक्रम स्थापित करता है तो उसे उस धारा के अर्न्तगत कटौती दी जाएगी।

कटौती की अवधि एवं मात्रा-

(i) सहकारी समिति की दशा में उसके लाभो का 25% प्रारम्भिक 12 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(ii) कम्पनी की दशा में लाभो का 30% प्रारम्भिक 10 कर निर्धारण वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(iii) अन्य करदाता की दशा में लाभो का 25% प्रारम्भिक 10 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(D) यदि कोई करदाता किसी पिछले क्षेत्र में अपना औद्योगिक उपक्रम 1 अप्रैल 1993 के पश्चात् 1 अप्रैल 2000 से पूर्व प्रारम्भ कर देता है तो निम्न प्रकार कटौती प्राप्त करेगा।

कटौती की अवधि एवं मात्रा-

(i) प्रथम पांच वर्षों तक 100% अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक सहकारी समिति की वर्षों में 7 वर्षों तक।

(a) कम्पनी की दशा में 35%।

(b) अन्य की दशा में 25%।

(E) यदि कोई करदाता अपना लघु उद्योग उपक्रम 31 मार्च 1995 के पश्चात् परन्तु 1 अप्रैल 2002 से पूर्व प्रारम्भ कर देता है तो उसे कटौती निम्न प्रकार दी जाएगी-

(i) कम्पनी की दशा में उसके लाभो का 30% लगातार 10 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(ii) सहकारी समिति की दशा में उसके लाभो का 25% लगातार 12 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(iii) अन्य की दशा में उसके लाभो का 25% लगातार 10 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(F) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के कार्य में लगी हुई कम्पनी के लाभो का 100% प्रथम 5 कर निर्धारण वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(G) खनिज तेल के उत्पादन में लगे हुए उपक्रम अप्रैल 1997 से पूर्व या बाद में प्रारम्भ किए जाते हैं तो उनके लाभो का 100% लगातार 7 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

(H) यदि कोई औद्योगिक उपक्रम 31 मार्च 1991 के पश्चात् परन्तु 31 मार्च 2003 से पूर्व कृषि उत्पाद के लिए शीतगार श्रंखला स्थापित करने का व्यापार करता है तो उसे निम्न कटौती मिलेगी-

(i) **कम्पनी की दशा में-**

(a) प्रथम 5 वर्षों तक 100%।

(b) अगले 5 वर्षों तक लाभो का 30%।

(ii) **सहकारी समिति की दशा में-**

(a) प्रथम 5 वर्षों तक लाभो का 100%।

(b) अगले 7 वर्षों तक लाभो का 25%।

(I) भण्डारण तथा परिवहन जो कि अपना व्यापार 31 मार्च 2001 के पश्चात् अपना व्यापार प्रारम्भ करता है तो होने वाले लाभो में से निम्न कटौती मिलेगी-

(i) प्रथम 5 कर निर्धारण वर्षों तक लाभो का 100%।

(ii) अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक-

(a) कम्पनी की दशा में लाभो का 30%।

(b) अन्य की दशा में लाभो का 25%।

18. **जैव-श्रेणीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार से लाभ**-धारा 80JJA के अर्न्तगत यदि कोई करदाता जैव उर्वरक, जैव नाशक, बायोगैस, कारमनिक खाद तैयार करने का व्यापार करता है तो उसे अपने लाभो का 100% प्रारम्भिक 5 वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

19. **नए नियमित कर्मकारों की नियुक्ति के सम्बंध में कटौती**-धारा 80JJAA के अर्न्तगत यदि कोई कम्पनी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए नए कर्मकारो को अतिरिक्त वेतन पर नियुक्त करती है तो अतिरिक्त वेतन का 30% तीन कर निर्धारण वर्षों तक कटौती योग्य होगा।

20. **कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश आदि के सम्बंध में कटौती**-धारा 80L के अर्न्तगत एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा निम्न आय कटौती योग्य है-

    (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियो पर ब्याज।

    (ii) राष्ट्रीय बचत योजना 1992 में जमा पर ब्याज।

    (iii) डाकखाने के सावधी जमा खाता पर ब्याज।

    (iv) किसी बैंक या सहकारी बैंक में जमा पर ब्याज।

    (v) औद्योगिक विकास वित्त निगम में जमा पर ब्याज।

    (vi) मकान बनाने वाली या शहरो का विकास करने वाली सत्ता के पास जमा पर ब्याज।

    (vii) एक सहकारी समिति में उसके सदस्य द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज।

    (viii) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश।

    (ix) सार्वजनिक कम्पनी में जमा धन पर ब्याज जिसका उद्देश्य निर्माण के लिए ऋण देना है।

    कटौती की मात्रा-सामान्य दशा में 9000 रू० परन्तु केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का ब्याज शामिल करने पर कटौती 12000 रू० है।

21. **एक विदेशी सरकार अथवा कम्पनी से प्राप्त पेटन्ट आदि की आय के सम्बंध में कटौती**-धारा 800 के अनुसार एक भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति को विदेशी सरकार या अनिवासी व्यक्ति से पेटन्ट का अधिकार हस्तांतरित करने पर कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय का 30% कटौती योग्य होगा।

22. **सहकारी समीतियों की आय के सम्बंध में कटौती**-धारा 80P के अर्न्तगत एक सहकारी समिति को कुल आय पर निम्न कटौतियां दी जाएगी-

(a) एक सहकारी समिति की दशा में जो-

    (i) अपने सदस्यों के लिए बैंक का काम करती हो।

    (ii) कुटीर उद्योग का काम करती हो।

    (iii) अपने सदस्यों की कृषि उपज को बेचने का काम करती हो।

    (iv) अपने सदस्यों के लिए खेती के औजार, बीज आदि खरीदती है।

    (v) अपने सदस्यों के श्रम के सामूहिक वितरण का काम करती है।

    (vi) मछली पकड़ने उसका परीक्षण करने, भण्डार करने या उसका क्रय विक्रय करने के व्यापार में लगी है तो ऐसी क्रियाओं से होने वाले सम्पूर्ण लाभो को उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जाएगा।

(b) एक ऐसी सहकारी समिति जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध, तेल, बीज, फल या सब्जियों के क्रय विक्रय करने का काम करती है तो ऐसी क्रिया के सम्पूर्ण लाभो को उसकी सकल कुल आय में घटा दिया जाएगा।

(c) यदि सहकारी समिति अन्य कोई कार्य करती है तो उन कार्यों से सम्बन्धित लाभ का 50,000 रू० उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जाएगा। यदि समिति उपभोक्ता सहकारी समिति है तो सकल कुल आय में से 1,00,000 रू० घटा दिए जाएगे।

(d) यदि एक सहकारी समिति विनियोगो से प्राप्त ब्याज या लाभांश प्राप्त करती है तो ऐसी आय उसकी सकल कुल आय में घटा दी जाएगी।

(e) एक सहकारी समिति जो वस्तुओं का भण्डारण, विपणन आदि की सेवाएं प्रदान करके कोई आय कमाती है तो ऐसी आय उसकी सकल कुल आय में से घटा दी जाएगी।

23. **प्रोफेसर, अध्यापक आदि को विदेश में प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बंध में कटौती**-धारा 80R के अर्न्तगत किसी भारतीय नागरिक को विदेश में किसी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था में शोध का कार्य करने पर कोई आय प्राप्त होती है तो FERA के अर्न्तगत भारत में लाई गई राशि का 45% कटौती योग्य होगा।

24. **विदेशी साधनो से पेशे की आय के सम्बंध में कटौती**-धारा 80RR के अर्न्तगत किसी कलाकार, गायक या खिलाड़ी द्वारा विदेश से कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय का 45% कटौती योग्य है।

25. **भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बंध में कटौती**-धारा 80RRA के अनुसार एक भारतीय व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है विदेश में अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान करके कोई आय कमाता है तो ऐसी लाई गई आय का 45% कटौती योग्य है।

26. **अन्धे या शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बंध में कटौती**-धारा 80U के अर्न्तगत एक निवासी व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है। यदि किसी कार्य को करने से कोई आय कमाता है तो ऐसी आय 40,000 रू० तक कटौती योग्य है।

Practical Problems of Deducations

Example No 1:–

श्री रामप्रसाद, जिसकी सकल कुल आय 48 लाख रूपये है, गत वर्ष 2000-01 में निम्न दान करता है:

(i) राजीव गांधी फाउण्डेशन में 50,000 रू०।

(ii) प्रधानमन्त्री अकाल सहायता कोष में 1,00,000 रू०।

(iii) साम्प्रदायिक सद्भाव के राष्ट्रीय फाउण्डेशन को दान 25,000 रू०।

(iv) प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में 25,000 रू०।

(v) प्रधानमन्त्री के आरमीनिया भूकम्प सहायता कोष में 25,000 रू०।

(vi) मुख्यमन्त्री आन्ध्र प्रदेश के साइक्लोन राहत कोष में 25,000 रू०।

(vii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 1,00,000 रू०।

(viii) राष्ट्रीय बाल कोष में 50,000 रू०।

(ix) आगरा नगर महापालिका को एक कन्या हाई स्कूल खोलने के लिए 1,00,000 रू० जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का नह होगा।

(x) एक गिरजाघर की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा का स्थान अधिसूचित कर दिया गया है, मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 2,00,000 रू०।

(xi) ताजमहल की मरम्मत के लिए 2,00,000 रू०।

(xii) एक मन्दिर की मरम्मत के लिए 20,000 रू०, जो करदाता के मुहल्ले के निवासियों द्वारा पूजा के स्थान के रूप में प्रयोग होता है।

(xiii) एक अनाथालय को 10,000 रू० के वस्त्र।

(xiv) एक मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्था को कॉमर्स की कक्षाओं के लिए 'कॉमर्स ब्लॉक' के निर्माण के लिए 1,50,000 रू०। यह शिक्षा-संस्था आय कर कमिश्नर द्वारा धारा 80G(5)(vi) के अर्न्तगत अनुमोदित है, परन्तु राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की नह है।

(xv) एक स्कूल के निर्धन तथा योग्य छात्रों में पुस्तकों के वितरण के लिए 10,000 रू० की पुस्तकें।

(xvi) एक मेधावी परन्तु निर्धन छात्र को U.S.A. में उच्च शिक्षा पाने हेतु जाने के लिए दी गयी सहायता 10,000 रू०।

(xvii) एक पंजीकृत ट्रस्ट, जो पूर्णतया पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित है, द्वारा प्रबन्धित धर्मशाला को 1,00,000 रू०। यह धर्मशाला आय कर कमिश्नर द्वारा धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदित है तथा यह धर्मशाला सब जातियों एवं पन्थों के लिए खुली हुई है।

(xviii) एक रात्रि विश्राम-ग ह के निर्माण के लिए 50,000 रू०; जिसमें केवल हिन्दू सो सकते हैं।

(xix) परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1,00,000 रू०।

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए श्री राम प्रसाद की कुल आय की गणना कीजिए।

Sri Ram Prasad whose gross total income is Rs. 48 lakhs, makes the following donations during the year 2000-01:

(i) Rs. 50,000 to Rajeev Gandhi Foundation.

(ii) Rs. 1 lakh to Prime Minister's Drought Relief Fund.

(iii) Rs. 25,000 to National Foundation for Communal Harmony.

(iv) Rs. 25,000 to Prime Minister's National Relief Fund.

(v) Rs. 25,000 to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund.

(vi) Rs. 25,000 to the Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund.

(vii) Rs. 1 lakh to National Defence Fund.

(viii) Rs. 50,000 to National Children's Fund.

(ix) Rs. 1 lakh to Agra Municipal Corporation for opening a Girls High School at Agra, which will not be of National eminence.

(x) Rs. 2 lakhs for the repairs and renovation of Church which has been notified by the Central Government to be a place of public worship of renown throughout the State of Uttar Pradesh.

(xi) Rs. 2 lakhs for the repairs of Taj Mahal.

(xii) Rs. 20,000 for the repairs of a temple used by the residents of the assessee's locality as a place of worship.

(xiii) Clothes worth Rs. 10,000 given to an orphanage.

(xiv) Rs. 1,50,000 to a recognised educational institution for the construction of 'Commerce Block' for Commerce classes. The Institution is approved by the Commissioner of Income Tax 80G(5)(vi); but it is not of national eminence.

(xv) Rs. 10,000 worth of books given to a school for distribution among poor and deserving students.

(xvi) Rs. 10,000 given as aid to a brilliant but poor boy for going to U.S.A. for higher studies.

(xvii) Rs. 1 lakh to a Dharamshala managed by a registered trust which is established wholly for charitable purposes and is approved by the Commissioner of Income Tax u/s 80G(5)(vi) and Dharmshala is open to all castes and creeds.

(xviii) Rs. 50,000 for the construction of a 'Night shelter-home' where only Hindus are to be allowed to sleep.

(xix) Rs. 1,00,000 to the State of Uttar Pradesh for promoting family planning.

Compute the Total Income of Sri Ram Prasad for the Assessment Year 2002-03.

Solution **Qualifying Donation u/s 80G(2)(a) and (b)**

Donation to Agra Municipal Corporation	1,00,000
Donation to a recognized educational institution	1,50,000
Donation to a Dharamshala	1,00,000
Donation to the State of U.P. for promoting family planning	1,00,000
Donation to a Church for repair and renovation u/s 80G(2)(b)	2,00,000
Donation for the repair of Taj Mahal u/s 80G(2)(b) (a renowned historical building)	2,00,000
Rs.	8,50,000

उपर्युक्त दोनों के सम्बन्ध में कटौती के लिए Qualifying Amount की राशि सकल कुल आय के 10% से अधिक नह हो सकती है। यहां सकल कुल आय से आशय सकल कुल आय में से निम्न घटाने के बाद से है-

(i) ऐसी आय जिस पर आय कर देय नह है;

(ii) ऐसी राशियां जिन पर धारा 80CCC से 80U तक के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत है (सिवाय धारा 80G के अन्तर्गत दोनों के सम्बन्ध में कटौती के); तथा

(iii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ।

अतः इस प्रश्न में उपर्युक्त दोनों के सम्बन्ध में Qualifying Amount की अधिकतम राशि निम्न होगीः

48,00,000 रू० का 10% = 4,80,000 रू०। इसमें बिना सीमा वाले दोनों को जोड़ कर कुल Qualifying Amount आयेगा।

(i)	Donations qualifying with limit	4,80,000
(ii)	Donation to Rajeev Gandhi Foundation	50,000
(iii)	Donation to Prime Minister's Drought Relief Fund	1,00,000
(iv)	Donation to National Defence Fund	1,00,000
(v)	Donation to Prime Minister's National Relief Fund	25,000
(vi)	Donation to National Foundation for Communal Harmony	25,000
(vii)	Donation to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund	25,000
(viii)	Donation to the Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund	25,000
(ix)	Donation to the National Children's Fund	50,000
	Total Qualifying Amount of Donations Rs.	8,80,000

Computation of Total Income

			Rs.
	Gross Total Income		48,00,000
	Less : Deduction u/s 80G:		
	100% of the Donation for family planning Rs. 1,00,000, National Defence Fund Rs. 1,00,000 Prime Minister's National Relief Fund Rs. 25,000, Armenia Earthquake Relief Fund Rs. 25,000, the Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund Rs. 25,000 and National Foundation for Communal Harmony Rs. 25,000	3,00,000	
	50% of the balance of qualifying donations of Rs. 5,80,000	2,90,000	5,90,000
	Total Income Rs.		42,10,000

नोट-

(अ) करदाता के मुहल्ले के निवासियों द्वारा पूजा करने वाले मन्दिर की मरम्मत के लिए दिया गया दान कटौती-योग्य नह है।

(ब) अनाथालय को दिये गये वस्त्र तथा निर्धन छात्रों को पुस्तक का दान कटौती-योग्य नह है क्योंकि यह वस्तु के रूप में दिया गया है।

(स) किसी व्यक्ति विशेष को सहायता कटौती-योग्य दान नह है।

(द) किसी जाति विशेष के हित के लिए दिया गया दान कटौती-योग्य नह होता, अतः हिन्दुओं के प्रयोग के लिए रात्रि विश्राम-ग ह के निर्माण के लिए दिया गया दान कटौती-योग्य नह है।

(इ) चूंकि दोनों शिक्षा संस्थाएं राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की नह हैं; अतः इन शिक्षा संस्थाओं को दिये गये दानों के सम्बन्ध में योग्य राशि के 50% के बराबर कटौती स्वीकृत होगी।

Example No. 2–

आगरा के मि० X की सकल कुल आय 40,000 रू० है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ तथा ऐसी कोई आय शामिल नह है जिस पर कर देय न हो। 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसने आगरा नगर महापालिका को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए 8,000 रू० दान दिया। वह एक किराये के मकान में आगरा में रहता है जिसका वार्षिक देय किराया 20,000 रू० है। धारा 80G तथा धारा 80GG के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियों की गणना कीजिए। अपने कार्य की पूरी टिप्पणी दीजिए।

Mr. X of Agra has a gross total income of Rs. 40,000 which does not include long-term capital gains and any income on which tax is not payable. During the previous year ended 31st March, 2001, he paid Rs. 8,000 as donation to Agra Municipal Corporation for promoting family planning. He lives in a rented house at Agra for which the annual rent payable is Rs. 20,000. Calculate the deduction admissible under *sections* 80G and 80GG. Give detailed notes of your working.

Solution

			Rs.
Gross Total Income			40,000
Less : *Deductions* :			
(1) *Under Section* 80G: 100% of the qualifying amount of donation as it has been given for promoting family planning	3,077		
(2) *Under Section* 80GG: Excess of rent paid over 10% of Total Income restricted to 25% of Total Income or Rs. 2,000 p.m., whichever is less	9,231		12,308
Total Income		Rs.	27,692
Rounded off to Rs. 27,690.			

नोट- चूंकि दानों के सम्बन्ध में कटौती के लिए Qualifying Amount की राशि ऐसी सकल कुल आय के 10% से अधिक नह हो सकती है जिसमें से धारा 80G के अन्तर्गत कटौती न घटी हो परन्तु धाराएं 80CCC से 80U तक की शेष कटौतियां घट चुकी हों तथा चूंकि धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती कुल आय के 10% से अधिक चुकाये गये किराये के बराबर होती है बशर्ते कि यह राशि कुल आय के 25% अथवा 2,000 रू० प्रति माह, जो दोनों में कम हो, से अधिक नह होनी चाहिए। यहां कुल आय से आशय ऐसी सकल कुल आय से है जिसमें से धाराएं 80CCC से 80U तक की कटौतियां घट चुकी हों (सिवाय धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती के); अतः यहां दो संख्याएं अज्ञात हैं। अतः यदि हम दानों के Qualifying Amount की राशि को x मान लें और मान लें कि y उस कुल आय का 25% है जिसमें से धारा 80GG की कटौती न घटी हो और धाराएं 80CCC से 80U तक की शेष कटौतियां घट चुकी हों, तो निम्न दो Algebra की Equations बन जाती हैं:

धारा 80G तथा धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती घटाने से पूर्व 40,000 रू० की कुल आय है, अतः

$x = 1/10 \text{ of } (40,000 - y)$ and

$y = 25/100 \text{ of } (40,000 - x)$

or $x = 4,000 - 1/10y$

$y = 10,000 - 1/4x$

or Substituting the value of y as per equation (ii) in equation (i):

$x = 4,000 - 1/10\ (10,000 - 1/4x)$

$x = 4,000 - 1,000 + 1/40x$

or $x - 1/40x = 3,000$

or $39/40x = 3,000$

or $x = 3000 \times \frac{40}{39}$

= 3,077 अर्थात् दान का Q.A. 3,077 रू० हुआ।

Substituting the value of x in equation (ii):

$y = 10,000 - 1/4x$

or $y = 10,000 - 1/4 \times 3,077 = 10,000 - 769 = \text{Rs. } 9,231.$

अतः धारा 80GG **के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम राशि** 9,231 **रू० होगी (जो ऐसी कुल आय का** 25% **है जिसमें से धारा** 80G **की कटौती घट चुकी है परन्तु धारा** 80GG **के अन्तर्गत कटौती नह घटी है) चूंकि वास्तव में चुकाये गये किराये की राशि का कुल आय के** 10% **से आधिक्य,** 9,231 **रू० से अधिक है।**

अध्याय-13

आयकर में से छूटें

(Rebates of Income Tax)

एक करदाता की सकल कुल आय में से कटौतिया घटाने के पश्चात् शेष आय पर कर लगाया जाता है। इसमें से कुछ छूटें दी जाती हैं जो निम्न प्रकार है-

जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडण्ट फण्ड में अंशदान आदि के सम्बंध में आयकर की कटौती-धारा 88 के अर्न्तगत एक व्यक्ति तथा हिन्दु अविभाजित परिवार इस धारा के अर्न्तगत निम्न में अंशदान देने पर कर से छूट पाते हैं-

1. अपने, अपनी पत्नी, अपने बच्चो का जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान।
2. वैधानिक प्रोविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान।
3. अपनी, अपने जीवन साथी या अपने बच्चे के नाम सार्वजनिक प्रोविडण्ट फण्ड में अंशदान।
4. प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में दिया गया कर्मचारी का अंशदान।
5. अनुमानित निव ति कोष में कर्मचारी का अंशदान।
6. केन्द्रीय सरकार का प्रतिभूतियों में विनियोग।
7. भारतीय यूनिट ट्रस्ट में अपने या अपने जीवन साथी या अपने बच्चे के नाम अंशदान।
8. म्यूचचल फण्ड की धन रक्षा योजना में अपने या अपनी पत्नी या अपने बच्चे के नाम अंशदान।
9. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII Issue में विनियोग।
10. अपने या अपनी पत्नी या अपने अवयस्क बच्चे के नाम डाकखाने में 15 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा रकम।
11. राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा की गई राशि।
12. नया रिहायशी मकान खरीदने या बनवाने के सम्बंध में लिए ऋण का 20,000 रू० तक भुगतान।
13. रिहायशी मकानो के निर्माण में लगी वित्त संस्था में जमा राशि।
14. केन्द्रीय सरकार की किसी जमा योजना में जमा राशि।
15. म्यूचचल फण्ड के यूनिटो में विनियोग।

कर से छूट के योग्य राशि की अधिकतम सीमा-उपयुक्त की दशा में यदि एक व्यक्ति तथा H.U.F इन फण्डो में विनियोग करता है तो धारा 88 के अर्न्तगत आयकर में से कटौती पाने योग्य है। अन्य सामान्य विनियोगो की राशियों सहित 60,000 + 20,000 रू० विशिष्ट विनियोगो तक अधिकतम सीमा होगी, एक लेखक, अभिनेता आदि की दशा में धारा 88 के अर्न्तगत योग्य राशि की अधिकतम सीमा 60,000 की अपेक्षा 70,000 रू० होगी।

धारा 88 के अर्न्तगत आयकर से छूट की मात्रा-

1. लेखक, नाटककार, नाटक लेखक, कलाकार, गायक, अभिनेता या खिलाड़ी को धारा 88 के अर्न्तगत अधिकतम सीमा का 25% कटौती योग्य है।
2. अन्य की दशा में अधिकतम सीमा का 20% कटौती योग्य है।

65 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की दशा में आयकर की कटौती-धारा 88B के अर्न्तगत कोई करदाता जिसकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है तो कुल आय पर देय कर का 100% या 15,000 रू० जो दोनों में कम हो कटौती योग्य होगा।

भारत में निवासी स्त्री को कटौती-धारा 88C के अर्न्तगत यदि कोई स्त्री जो 65 वर्ष से कम आयु की है अपनी आय पर देयकर का 100% या 5,000 रू० जो भी दोनों में से कम हो कटौती योग्य होगा।

धारा 88 तथा धारा 88B/88C के अर्न्तगत कर की कटौती करने के नियम-

1. धारा 88B/88C कर की कटौती धारा 88 से पूर्व दी जाएगी।
2. धारा 88 के अर्न्तगत आयकर की कटौती दीर्धकालीन पूंजी लाभ को छोड़कर शेष राशि पर दी जाएगी।
3. धारा 88B/88C की कटौती पहले दीर्धकालीन पूंजी लाभ पर दी जाएगी तत्पश्चात् शेष आय पर।

Practical Problems of Rebates

Example No. 11–

निम्न दशाओं में धारा 88 तथा 88B के अन्तर्गत कर में से कटौती की गणना कीजिए:

	दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर आय कर अधिभार शामिल नह है	अन्य आय पर आय कर अधिभार शामिल नह है	धारा 88 के अर्न्तगत बचत
	रू०	रू०	रू०
1.	5,000	4,000	10,000
2.	12,000	6,000	20,000
3.	20,000	—	10,000
4.	—	23,000	50,000
5.	20,000	10,000	70,000
6.	15,000	17,000	80,000

In the following cases compute the rebate of income tax u/s 88 and u/s 88B and the tax payable:

	Tax on L.T.C.G. Excluding S.C.	*Income Tax on Other Income Excluding S.C.*	*Qualifying Amount of Savings u/s 88*
	Rs.	Rs.	Rs.
1.	5,000	4,000	10,000
2.	12,000	6,000	20,000
3.	20,000	—	10,000
4.	—	23,000	50,000
5.	20,000	10,000	70,000
6.	15,000	17,000	80,000

Solution

The maximum rebate allowable u/s 88 is as under:

(i) Tax on other incomes except tax on LTCG; or

(ii) 20% of Qualifying Amount of Savings; or

(iii) Rs. 16,000; whichever is the least.

Keeping in view the above rules regarding allowing rebate of tax u/s 88 and u/s 88B and also the maximum amount of rebate allowable u/s 88, the solution will be as under:

		Rs.
1.	Tax on LTCG	5,000
	Tax on Other Incomes	4,000
		9,000
	Less : Rebate u/s 88B, Rs. 9,000 or Rs. 15,000 whichever is less	9,000

	Tax Payable	Rs.	Nil

Since after allowing rebate u/s 88B the tax payable is Nil, no rebate u/s 88 shall be allowed.

2.	Tax on L.T.C.G.		12,000
	Tax on Other Incomes		6,000
			18,000
	Less : Rebate u/s 88B		15,000
	Balance is tax on Other Income only (Vide Rule 3 Stated above) as tax on L.T.C.G. is fully exhausted u/s 88B		3,000
	Less : Rebate u/s 88: 20% of Qualifying Savings of Rs. 20,000 or Rs. 3,000, whichever is less		3,000
	Tax Payable	Rs.	Nil
3.	Tax on LTCG		20,000
	Tax on Other Incomes		Nil
	Less : Rebate u/s 88B		15,000
			5,000
	Add : Surcharge @ 2%		100
	Tax Payable	Rs.	5,100

Note : Tax on Other Incomes is Nil, hence assessee is not entitled to rebate u/s 88 on qualifying savings of Rs. 10,000.

4.	Tax on LTCG		Nil
	Tax on Other Incomes		23,000
			23,000
	Less : Rebate u/s 88:		15000
	Less Rebate U/S88 20% of Rs. 50,000 or Rs. 8,000, whichever is less		8,000
	Tax Payable	Rs.	Nil
5.	Tax on LTCG		20,000
	Tax on Other Incomes		10,000
			30,000
	Less : Rebate u/s 88B:		15,000
			15,000
	Less : Rebate u/s 88: 20% of Rs. 70,000 or Tax on Other Income Rs. 10,000 whichever is less		10,000
			5,000
	Add: Surcharge @ 2%		100
	Tax Payable		Rs. 5,100
6.	Tax on LTCG		15,000
	Tax on Other Incomes		17,000
			32,000
	Less: Rebate u/s 88B		15,000

		17,000
Less: Rebate u/s 88:		
(i)	Tax on Other Incomes Rs. 17,000	
(ii)	20% of Rs. 80,000 = Rs. 16,000	
(iii)	Rs. 16,000, whichever is the least	16,000
		1,000
Add: Surcharge @ 2%		20
	Tax Payable	Rs. 1,020

अध्याय-14

व्यक्तियों का कर निर्धारण

(Assessment of Individuals)

आयकर की द ष्टि से व्यक्ति से अभिप्राय एक मानव से है जिसमें कोई स्त्री, पुरूष अवयस्क बच्चा या अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई व्यक्ति शामिल है। एक व्यक्ति को अपनी कुल आय पर जो विभिन्न स्त्रोंतो से कमाई हुई है पर कर देना पड़ता है।

कुल आय की गणना

किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर की जाती है जो निम्न प्रकार हैः-

1. सर्वप्रथम 5 शीर्षकों के अर्न्तगत आय की गणना करते हैं।
2. इस आय में दूसरे व्यक्तियों की आय तथा अन्य आय शामिल हैं।
3. इसके पश्चात् किसी शीर्षक की आगे लाई गई हानि अशोशित हास, अशोधित छूटे घटाते हैं। जो शेष बचता है उसे उस व्यक्ति की सकल कुल आय कहा जाता है।
4. इस सकल कुल आय में से धारा 80CCC से 80U तक की कटौतियां घटाई जाती है। शेष राशि कुल आय के नाम से जानी जाती है।
5. यदि यह कुल आय कोई अविभाज्य राशि है तो इसे विभाज्य संख्या में बदला जाता है। जैसे यदि अन्तिम शब्द 5 या इससे अधिक है तो उसे 10 मान लिया जाता है।

एक व्यक्ति की आय की गणना

एक व्यक्ति की कुल आय में कुछ ऐसी आय भी शमिल की जाती है जो निम्न संस्थाओं की सदस्यता से प्राप्त होती है। जिनके सम्बंध में निम्न प्रावधान हैंः-

1. हिन्दु अविभाजित परिवार की सदस्यता से एक व्यक्ति को प्राप्त आय न तो उसकी कुल आय में शामिल की जाती है और न ही उस पर कर लगता है। क्योंकि इस पर कर परिवार के द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि इस सदस्य के द्वारा अपनी व्यक्तिगत सम्पति परिवार को हस्तांतरित की जाती है तो इस सम्पति से उत्पन्न आय कर दाता की आय मानी जाती है।
2. व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की सदस्यता से प्राप्त आय के सम्बंध में निम्न प्रावधान हैंः-
    1. यदि इस संघ की आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर लग चुका है। तो सदस्य की आय कर दाता की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।
    2. यदि संघ की आय कर लगने योग्य नहीं है तो सदस्य को प्राप्त आय कर लगाने के उद्देश्य से उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी।
    3. यदि सघ की आय पर सामान्य दरों से कर लगा है तो पहले तो सदस्यों को प्राप्त आय कुल आय में शामिल की जाएगी। परन्तु बाद में उसे औसत दर से कर में छूट दी जाएगी।

कम्पनी की सदस्यता से आय

यदि कर दाता को अंशधारी के रूप में किसी घरेलू कम्पनी से लाभांश प्राप्त होता है। तो धारा 10(33) के अनुसार लाभांश पूर्णतया कर मुक्त है।

व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना
(Computation of Tax liablity of Individual)

किसी कर दाता की कर योग्य आय निकालने के पश्चात् उस पर कर की गणना की जाती है। कर निर्धारण वर्ष 2002 के लिए कर दाता की कुल आय का 50,000 रुपये तक कर मुक्त है। तथा इससे अधिक होने पर निम्न दर से कर लगेगा।

50,000 रुयये तक	शून्य
अगले 10,000 रु० पर	10%
अगले 90,000 रु० पर	20%
शेष कुल आय पर	30%

अधिभारः 60,000 रु० से अधिक होने पर 2% की दर से अधिभार लगाया जायगा।

कर की गणना करने की विधि

1. कर योग्य आय पर उपरोक्त दरों से कर लगाओ।
2. दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की गणना करो।
3. छिपी हुई आय पर कर की गणना कीजिए इनका योग करके धारा 88 की छूट घटाओ। जो कि निम्न प्रकार होगीः-
    1. धारा 88 के अर्न्तगत बीम प्रीमियम के सम्बंध में कटौती।
    2. धारा 88B के अर्न्तगत 1500 रु० की कटौती।
    3 धारा 88C के अर्न्तगत स्त्री को 5000 रु० की कटौती।

कृषि आय की दशा में कर की गणना करने की विधि

कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए किसी कर दाता की कृषि आय होने पर कर की गणना निम्न प्रकार की जाएगीः-

1. कर दाता की सकल कुल आय ज्ञात करो।
2. इसमें से धारा 80CCC से 80U तक की कटौतियां घटाओ। शेष कुल आय बचेगी।
3. यदि कर दाता की कुल आय 50,000 रु० अधिक तथा कृषि आय 5000 रु० से अधिक हो तो दोनो का योग करो।
4. कुल आय के योग पर निर्धारित दरों से कर की गणना करो तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर भी कर की गणना करो।
5. कृषि आय में 50,000 रु० जोड़ कर आयकर की गणना करो।
6. नम्बर (4) में गणना की गई आयकर की राशि में से नम्बर (5) में गणना की गई आयकर की राशि को घटाओ।
7. शेष राशि कुल आय पर आयकर होगी। इस आय कर की औसत दर निकालो।
8. ऐसी राशियां ज्ञात करो जिन पर औसत दर से छूट मिलेगी।
9. औसत दर से छूट की गणना कीजिए तथा कुल आय कर की राशि में से घटाओं।
10. शेष राशि में से धारा 88 की कटौती घटाओं।
11. इस शेष कर की राशि में से निम्न घटाओः-
    1. उद्‌गम स्थान पर काटा गया कर।
    2. चुकाया गया अग्रिम कर।
    3. दोहरे करारोपण की छूट।
    4. स्वयं कर निर्धारण पर चुकाया गया कर।
12. यदि शेष राशि ऋणात्मक है तो यह कर की वापसी होगी ओर घनात्मक है तो शेष देना होगा।
13. कर की राशि के साथ अर्थदण्ड या जुर्माना भी चुकाना होगा।

Practical Problems of Assessment of Indiviuals

Example No. 1

निम्न दशाओं में कर-निधारण वर्ष 2002-03 **के लिए एक व्यक्ति के कर दायित्व की गणना कीजिए:**

(क) कुल आय 31,500 **रु०** **कृषि आय** 50,000 **रु०।**

(ख) कुल आय 60,000 **रु०** **कृषि आय** 500 **रु०।**

(ग) कुल आय 1,00,000 **रु०** **कृषि आय** 15,000 **रु०।**

अशोधित कृषि हानि जो कर-निर्धारण वर्ष 2001-02 **से आगे लायी गयी है** 5,000 **रु०।**

In the following cases calculate the tax liability of an individual for the A.Y. 2002-03

(a) Total Income Rs. 31,500 Agricultural Income Rs. 50,000

(b) Total Income Rs. 60,000 Agricultural Income Rs. 500

(c) Total Income Rs. 1,00,000 Agrucultural Income Rs. 15,000

Unabsorbed Agrucultural Loss Rs. 5,000 brought forward from the Assessment Year 2001-02.

Solution

					Rs.
(a)	No income tax is payable as the total income does not exceed Rs. 50,000.				
(b)	(i)	Total Income			60,000
	(ii)	Add: Agricultural Income (It does not exceed Rs. 600)			Nil
	(iii)	Total Income			60,000
	(iv)	Income tax on total income			1,000
(c)	(i)	Total Income			1,00,000
	(ii)	Agricultural Income	15,000		
		Less: Brought forward agricultural loss	5,000		
		Net Agricultural Income			10,000
	(iii)	Aggregate Income			1,10,000
	(iv)	Income tax on aggregate income			11,000
	(v)	Less: Income tax on Agricultural Income increased by Rs. 50,000 i.e., (10,000 + 50,000) or Rs. 60,000			1,000
	(vi)	Income tax on Total Income (1,00,000)			10,000
		Add: Surcharge @ 12%			0,200
				Tax Liability	10,200

Example No. 2

निम्न सूचनाओं के आधार पर मि. भरत जिसकी आयु 65 **वर्ष से अधिक है, द्वारा कर-निर्धारण वर्ष** 2002-03 **के लिए स्वयं कर-निर्धारण पर देय कर की गणना कीजिए:**

	रु०
पेंशन	1,05,000
कम्पनियों में जमा पर ब्याज (स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है)	75,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	3,000
	1,83,000

राष्ट्रीय बचत-पत्र VIII Issue **में विनियोग किये** 10,000 **रु०।**

From the following data for the assessment year 2002-03] you are required to find out the tax payable on self-assessment by Mr. Bharat, a person above 65 years:

	Rs.
Pension	1,05,000
Interest on Company Deposits (No. T.D.S.)	75,000
Capital Gain Ling-term	3,000
	1,83,000

Investment in National Savings Certificates VIII Series Rs. 10,000.

Computatin of Tax Payable

for the Assessment Year 2002-03

	Rs.
Pension	1,05,000
Less: Standard Deduction	30,000
	75,000
Interest Income	75,000
Long-term Capital Gain	3,000
	1,53,000
Less: Capital Gain Chargeable at special rate	3,000
	Rs. 1,50,000
Income tax on Rs. 1,50,000	19,000
Add: Tax opn LTCG of Rs. 3,000 @ 20%	600
Tax Liability	19,600
Less: Reate u/s 88B: Rs. 15,000 or 100% of Tax Liability, whichever is less	15,000
	4,600
Less: Rebate u/s 88 @ 20% of savings of Rs. 10,000	2,000
	2,600
Add: Surcharge @ 2%	52
Tax Payable	Rs. 2,652

Rebate u/s 88B is allowed before the rebate u/s 88.

Example No. 3

श्री एन. जी. चौधरी ने 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया:

(अ) (i) **वेतन 2,500 रु० प्रति माह।**

(ii) **महंगाई भत्ता 500 रु० प्रति माह।**

(iii) **बोनस चार माह के वेतन के बराबर।**

(iv) **मनोरंजन भत्ता 300 रु० प्रति माह।**

(v) **9,000 रु० के मिस्टर चौधरी के व्यक्तिगत चिकित्सा बिलों की नियोक्ता द्वारा पूर्ति। उसका इलाज प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा किया गया है, न कि किसी अनुमोदित चिकित्सालय में।**

(vi) **200 रु० प्रति माह के किराये पर मालिक द्वारा एक मकान रहने के लिए दिया गया जिसका 2,400 रु० प्रतिमाह किराया कम्पनी देती है।**

(vii) **कम्पनी के अप्रमाणित भविष्य निधि में उसका 500 रु० प्रति माह अंशदान है। मालिक भी समान राशि का अंशदान करता है। 10% वार्षिक की दर से 5,000 रु० का ब्याज भविष्य निधि में जमा हुआ।**

(ब) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 10,000 रु०।

(स) सरकारी कम्पनियों से लाभांश 4,000 रु०।

(द) (i) 7.5.2001 को एक मकान 1,10,000 रु० में बेचा। यह मकान उसने 10.4 1981 को 25,000 रु० में खरीदा था।

(ii) एक अन्य मकान उसने 1.6.2001 को 50,000 रु० में बेचा जो 1.8.1998 को 38,000 रु० में खरीदा था।

(इ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की आय 4,000 रु०।

(फ) एक फर्म से आय 10,000 रु०।

(ग) 40,000 रु० की पॉलिसी पर 6,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। 5,000 रु० राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में जमा कराये। 8,000 रु० के राष्ट्रीय बचत-पत्र (अष्ठम् निर्गम) खरीदे और 2,000 रु० सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा किये।

(ह) प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 3,000 रु०, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को दान (जो राष्ट्रीय बचत योजना, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की नहीं है) - 12,000 रु० औा परिवार नियोजन के लिए उपयोग में लाने के लिए सरकार को दिया गया दान 2,000 रु०।

(ई) अपने पिता के जीवन पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान 7,000 रु०। लगात स्फीति सूचकांक 1981-82 में 100 तथा 2001-02 में 426 था।

कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

Solution

Computation of Total Income of Sri N. G. Chaudhary

for the Assessment Year 2002-03

1.	Income from Salary	Rs.		Rs.
	Salary proper	30,000		
	Dearness Allowance	6,000		
	Bonus	10,000		
	Entertainment Allowance	3,600		
	Value of concessional House — Exempt	–		
		49,600		
	Less: Standard Deduction (1/3rd)	16,533		33,067
2.	Business:			
	Share of profit from a firm [Exempt u/s 10(2A)]			Nil
3.	Capital Gains: Long-term reg.: First House			
	Sales Proceeds	2,10,000		
	Less: Indexed Cost of acquisition:	1,06,500	1,03,500	
	Shosrt-term reg: Second House		12,000	1,58,500
4.	Income form Other Sources			
	Interest on Govt. Securities	10,000		
	Dividend from Indian Companies —Exempt	—		
	Income form units of U.T.I. — Exempt	—		10,000
		Gross Total Income		Rs. 1,58,567
	Less: Deductions under section 80:			
	(i) U/s 80D:			

Premium on Health Insurance		7,000	
(ii) U/s 80L		10,000	
(iii) U/s 80G: Qualifying Amount			
Whole of donation to P.M. National Relief Fund	3,000		
Other Donations Limited to:			
(10% of G.T.I. minus deductions u/s 80CCC to 80U other than 80G and LTCG included in G.T.I.) i.e., 10% of Rs. 1,58,567 - (17,000 + 1,03,500) or 10% of 38,067 = Rs. 3,807.			
Hence Donation to Family Planning and Educational Institution will qualify for deduction upto Rs. 3,807. If we, assume that family planning donations is allowed to be qualified in priority over the donation to Educational Institution, Family Planning qualifies in full			
	2,000		
Balance of Rs. 1,807 of Q.A. relates to donation to Educational Institution	1,807		
Total Q. Amount	6,807		
Deduction:			
100% of Donations to P.M. National Relief Fund and			
Family palnning (3,000 + 2,000)	5,000		
50% of Donation to Educational Institution (1/2 of 1,807)	904	5,904	22,904
		Total Income	Rs. 1,35,663

नोटः- 1. चूंकि कर्मचारी का इलाज किसी अनुमोदित चिकित्सालय में नही हुआ है अतः कर्मचारी के इलाज पर हुए चिकित्सा व्ययों की पूर्ति केवल 15,000 रु० तक कर-मुक्त होगी। अतः सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त है।

2. पहले मकान का सूचकांक प्राप्त करने की लागत निम्न होगीः

$$\frac{25,000 \times 426}{100} = 1,06,500 \text{ रु०}$$

Example No. 4

रूपन चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट का पेशा करता है। वह भारत में साधारण निवासी है। 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का उसका लाभ-हानि खाता निम्न है:-

व्यय	रु०	आय	रु०
स्टाफ का वेतन	4,25,000	फीस से आय	
आबद्ध शिक्षार्थियों को व त्तिका	10,500	1. अंकेक्षण सेवा	5,10,400
आबद्ध शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन	5,000	2. कर सेवा	5,40,000
किराया	24,000	3. परामर्श सेवा	4,62,000
मुद्रा तथा लेखन सामग्री	5,600	UTI के यूनिट्स पर आय	16,223
प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान	30,000	अंशो के बेचने पर लाभ	15,620
मीटिंग्स, सम्मेलन एवं सेमीनार	45,000	विभिन्न संस्थाओं से उत्तर-पुस्तिका	
ऋण पर ब्याज	56,000	जांचने का मानदेय	6,230

पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं		16,500	रहने के फ्लैट का किराया	72,000
डाक, टेलीफोन एवं फैक्स		1,72,500		
कार, मरम्मत रख-रखाव एवं पैट्रोल		17,500		
ह्रासः				
कार	7,500			
कम्प्यूटर	15,000			
टाइपराटर	4,500			
फर्नीचर	2,500	29,500		
यात्रा व्यय		25,000		
मकान-सम्पत्ति के सम्बंध में म्युनिसिपल कर		1,000		
शुद्ध लाभ		7,29,373		
		16,22,473		16,22,473

अन्य सूचनाएं

1. परामर्श शुल्क में 1,40,000 रु० U. S. dollar में सिंगापुर की कम्पनी से प्राप्त हुए। परामर्श सिंगापुर में दिया गया तथा सारी राशि निर्धारित अवधि में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।
2. यात्रा व्यय में 20,000 रु० (अ) में वर्णित कार्य के लिए सिंगापुर यात्रा के शामिल है।
3. मीटिंग्स, सम्मेलन एवं सेमीनार व्यय में 18,000 रु० अपने मुवक्किलों पर होटलों एवं क्लबों में मनोरंजन पर व्यय शामिल हैं।
4. दो आबद्ध शिक्षार्थियों को प्रथम प्रयास में इण्टर की परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी गई है।
5. कर का चौथाई प्रयोग निजी कार्य के लिए है।
6. ऋण का 50% मकान बनवाने में प्रयोग हुआ तथा 50% ऋण से कार्यालय के लिए कम्प्यूटर खरीदा गया।
7. रूपन प्रोद्भूत (accrual) आधार पर खाते रखता है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री में 2,000 रु० उस लेखन सामग्री के शामिल हैं जो 2000-01 में खरीदी गई थी परन्तु भूल से उस वर्ष खातों में नहीं लिखी गई।
8. 31.3.2001 को सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य निम्न थाः

	रु०
कार (1.4.1997 को खरीदी)	81,920
कम्प्यूटर (15.12.1999 को 1,50,000 में खरीदा)	शून्य
टाइपराइटर (1.4.1999 को खरीदा)	15,000
फर्नीचर (1.4.1999 को खरीदा)	25,000

9. वेतन में कम्प्यूटर विशेषज्ञ को, रोकड़ में दिये गये 25,000 रु० शामिल हैं, जिसने रूपन की एक पेशेगत कार्य में सहायता की।
10. रूपन ने चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट्स परोपकारी कोष का आजीवन सदस्य बनने के लिए 500 रु० सदस्यता शुल्क दिया। यह कोष धारा 80G के अर्न्तगत मान्य है। यह राशि उसके आहरण खाते (Drawing Account) में डेबिट की गई।
11. अंश बिक्री से पूर्व आठ माह रखे गये।

कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए रूपन की कुल आय की गणना कीजिए।

Solution

Computation of Total Income
for the A.Y. 2002-03

Fees earned in India:		Rs.	Rs.	
	Audit Service	5,10,400		
	Taxation Service	5,40,000		
	Consultancy Service			
	(4,62,000-1,40,000 in Singapore)	3,22,000	13,72,400	
	Fees earned in Singapore		1,40,000	
	Gross Income		Rs. 15,12,400	
Less:	Admissible Expenses:	Rs.	Rs.	
(i)	Salaries paid to staff	4,25,000		
	Less: Salary paid to specialist in cash	25,000	4,00,000	
(ii)	Salary Paid in cash to specialist	25,000		
	Less: 20% thereof not allowed	5,000	20,000	
(iii)	Stipends paid to articled Clerks		10,500	
(iv)	Rent assumed to be of office building		24,000	
(v)	Printing & Stationery	5,600		
	Less: Previous year's exp. not allowed	2,000	3,600	
(vi)	Contributin to R.P.F.		30,000	
(vii)	Meetings, Seminar & Conference (Entertainment expenses are now fully allowable)	56,000		
(viii)	Interest on Loan			
	Less: 1/2 for House Property	28,000	28,000	
(ix)	Postage, Telephone & Fax		1,72,500	
(x)	Repairs, Maintenance & Petrol for Car	17,500		
	Less: 1/4 Personal	4,375	13,125	
(xi)	Travelling Expenses		55,000	
(xii)	Depreciation (See Note 5)		63,538	
(xiii)	Dep. on books @ 100% (See Note 6)		10,000	
(xiv)	Periodical allowable		6,500	
(xv)	Incentives to Articled Clerks (See Note 1)		5,000	
(xvi)	Subscription to Benevolent Fund (See Note 4)		Nil	8,86,763
			Taxable Income from Profession	Rs. 6,25,637
2.	Computation of Income from House Property:			
	Rental Income			72,000
	Less: Municipal Taxes paid			1,000
	Annual Value			71,000
	Less: 30% of A.V.		21,300	
	1/2 Interest on Loan		28,000	49,300
	Taxable Income form House Property			Rs. 21,700
3.	Capital Gains —Short-term			15,620

4.	Income form Other Sources:	
	Honorarium for valuing Answer Papers	6,230
	Income form units of U.T.I. — Exempt	—
	Taxable Income from Other Sources	Rs. 6,230
	Statement of Total Income	
	Income from House Property	21,700
	Profit & Gains of Business or Profession	6,25,637
	Capital Gains—Short-term	15,620
	Income from Other Sources	6,230
	Gross Total Income	Rs. 6,69,187
	Less: Deduction u/s 80G (50% of Cont. to benevolent Fund)	250
	Total Income	Rs. 6,68,937

Notes: regarding Computation of Professional Income:

1. incentives ot Articled Clerks is allowable u/s 37(1). This is an expenditure incured in the interest of the profession.
2. As per general commercial principles any expenditure not relating the concerned previous year is not allowable in teh mercantile system of accounting. Hence Rs. 2,000 expenses of printing and stationerynot relating to the current previous year are not allowable.
3. Only 1/2 interest on loan relates to the profession, hence only 1/2 has been allowed.
4. Subscription to Benevolent Fund is not an admissible expenditure; but it it recognised as donation u/s 80G; hence 50% of it has been deducted.

अध्याय-15

हिन्दु अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना

(Assessment of HinduUndivided family and Computation of Tax-Liablity)

हिन्दु अविभाजित परिवार से हमारा अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों से माना जाता है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों जिनमें उनकी पत्नियां या अविवाहित पुत्रियां भी शामिल की जाती हैं। इस परिवार में यदि किसी पुरूष की विधवा भी है तो वह भी परिवार का अंग मानी जाएगी। हिन्दु ला के अनुसार इस परिवार के सभी अधिकार ज्येष्ठतम पुरूष सदस्य के पास होते हैं जिसे परिवार का कर्ता कहा जाता है। अन्य कोई पुरूष कर्ता के सिवाय अनुबंध नहीं कर सकता। इस प्रकार परिवार में दो प्रकार के सदस्य हैं:-

1. वे सदस्य जो केवल पालन पोषण के अधिकारी होते हैं। जैसे:- स्त्री सदस्य।
2. वे सदस्य जिन्हें परिवार की सम्पति विभाजन मांगने का अधिकार होता है। इन पुरूष सदस्यों को सहभागी कहा जाता है। जैसे पुत्र, पौत्र पर पोत्र आदि।

आयकर की द ष्टि से हिन्दु अविभाजित परिवार वह परिवार है जिसके पास परिवार की सम्पति सांझी हो (Common Property)

1. **परिवार की सम्पतियों का सांझी होना:**-सांझी सम्पति से हमारा अभिप्राय उन सम्पतियों से है जो पूर्वजो से प्राप्त हो या उनकी सहायता से प्राप्त हुई हो या परिवार के व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त हुई हो जिसे परिवार की सम्पत्ति मान लिया हो।
2. **हिन्दु अविभाजित परिवार में निम्न को शामिल किया जाता है:**-
   (i) प्रत्येक व्यक्ति जो एक ही पूर्वज की सन्तान है। इसमें उनकी पत्नियां तथा अविवाहित पुत्रियां भी शामिल है।
   (ii) म तक सदस्यों की विधवाएं।
   (iii) पत्नी तथा पति।
   (iv) केवल भाई।

एक अविवाहित सदस्य जिसे परिवार में से विभाजन पर हिस्सा प्राप्त होता है, तो वह अविभाजित परिवार नहीं बन सकता जब तक कि वह विवाहित न हो जाए।

जैन तथा सिख अविभाजित परिवार

ऐसे परिवार भी हिन्दु अविभाजित परिवार माने जाते हैं। जब तक कि करदाता द्वारा ऐसा न मानने की मांग दोबारा न की जाए।

हिन्दू ला के अनुसार अविभाजित परिवार के नियंन्त्रण के सम्बंध में दो सम्प्रदाय हैं:-

1. मिताक्षरा
2. दाय भाग

1. **मिताक्षरा:**- मिताक्षरा सम्प्रदाय बिहार, बंगाल और उडीसा के कुछ भागों को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। इस सम्प्रदाय के अनुसार पुत्र के पैदा होते ही वह अपने पूर्वजों की सम्पति में अधिकार मांगा सकता है।
2. **दाय भाग:**- यह केवल बंगाल, आसाम और उड़सा के कुछ भागों में लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र जन्म से अपने

पूर्वजों की सम्पति में अधिकार प्राप्त नहीं करता। यह केवल पिता की म त्यु के पश्चात् ही सम्पति पर अधिकार प्राप्त कर सकता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास

(Residence of Hindu Univided Family)

1. **साधारण निवासीः**- एक हिन्दू परिवार गत वर्ष के लिए निवासी माना जाता है यदि इसका पूर्ण या आशिक नियंत्रण भारत में स्थित हो।
2. **असाधारण निवासीः**- यदि परिवार का कर्ता आधार शर्तो के साथ अतिरिक्त शर्ते पूरी न करता हो।
3. **अनिवासीः**-जब परिवार का नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत से बाहर हो।

साधारण शब्दों में कर्ता की एक व्यक्ति के रूप में निवासीय स्थिति परिवार की निवासीय स्थिति कहलाती है।

परिवार के सदस्यों को दिया गया पारिश्रमिक

परिवार के सदस्य का वेतन कटौती के रूप में तभी स्वीकृत होगा जो उसकी सेवा या व्यक्तिगत योग्यता के लिए दिया गया हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य को अन्य संस्था से संचालन के रूप में या साझेदा के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक

यदि परिवार के किसी सदस्य को अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किसी साझेदारी फर्म में से हिस्सा प्राप्त होता है। तो यह उसकी व्यक्तिगत आय मानी जाएगी। परन्तु परिवार सदस्य के लिए सांझेदारी फर्म में विनियोग करता है तो उससे प्राप्त आय परिवार की आय मानी जाएगी।

परिवार द्वारा देय आयकर की गणना

1. कुल आय की गणना करने के लिए परिवार की सकल कुल आय में से 80D से लेकर 80O तक की कटौतियां (जो इस परिवार से सम्बन्धित हो) घटा दी जाती है। शेष आय कर योग्य आय कहलाती है।
2. कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए परिवार की कुल आय पर निम्न दरों से कर लगाया जाएगा।

(i)	कुल आय के प्रथम 50,000 पर	शून्य
(ii)	अगले 10,000 पर	10%
(iii)	अगले 90,000 पर	20%
(iv)	1,50,000 से अधिक आय पर	30%

कर की गणना करने के पश्चात् यदि आय 60,000 रु० से अधिक है तो 2% की दर से अधिभार लगेगा। तथा इसके पश्चात् इसमें से धारा 88 की छूट घटा दी जाती है।

स्त्री धन

स्त्री धन वह सम्पति होती है जो एक स्त्री को विवाह के पूर्व या पश्चात् अपने पिता, भाई या अन्य रिश्तेदारों से मिली हो। दाय भाग सम्प्रदाय मे पति से मिली हुई अचल सम्पति स्त्री धन नहीं मानी जाती। तथा स्त्री धन परिवार या पति की आय नहीं मानी जाती।

अविभाजनीय सम्पत्ति

अविभाजनीय सम्पत्ति वह सम्पति होती है जो सम्पति सदस्यों में बांटी नहीं जा सकती। यह केवल पूर्वज की वसीयत (will) के आधार पर किसी सदस्य को प्राप्त होती है। तथा वह व्यक्तिगत रूप से इसका स्वामी माना जाता है। तथा उस पर कर लगता है।

हिन्दु अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से प्राप्तियां

धारा 10(2) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को जो परिवार से धनराशि मिलती है वह सदस्यों के लिए कर मुक्त है। बशर्ते की यह अविभाजनीय सम्पत्ति न हो। ऐसी आयों में से परिवार के सदस्य की हैसियत से मिली हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार को विभाजन

धारा 171 के अनुसार परिवार का विभाजन निम्न से है:-

1. सम्पति के भौतिक विभाजन को ही परिवार का विभाजन माना जाता है। आय के विभाजन को नहीं।
2. यदि सम्पति का भौतिक विभाजन सम्भव न हो तो जितना विभाजन सम्भव हो सके, वह विभाजन कहलाता है।
3. आंशिक विभाजन से हमारा अभिप्राय परिवार के कुछ सदस्यों के विभाजन से है। या परिवार की कुछ सम्पतियों के विभाजन से है।
4. यदि परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे परिवार की स्त्री से विवाह कर लेता है, जो हिन्दू नहीं है तथा परिवार धारा उसे परिवार की सम्पति में से हिस्सा दे दिया जाता है। यह आंशिक विभाजन नहीं कहलाएगा।

विभाजन के बाद की विधि

धारा 171 के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा।

1. जब तक कर निर्धारण अधिकारी विभाजन से संतुष्ट न हो तो कर निर्धारण अविभाजित परिवार की तरह किया जाएगा।
2. कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी विभाजन के सम्बंध मे प्रत्येक सदस्य से पूछताछ करके यह निर्धारण करेगा कि विभाजन पूर्ण है या आंशिक।
3. आंशिक विभाजन का कर निर्धारण उसी प्रकार किया जाएगा मानों कि विभाजन हुआ ही नहीं।
4. विभाजन से पूर्व परिवार पर लगे अर्थदण्ड, ब्याज और जुर्माना या अन्य कोई राशि के लिए सभी सदस्य संयुक्त रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।
5. विभाजन की बाद की आय पर प्रत्येक सहभागी को अपने व्यक्तिगत हिस्से पर कर देना होगा। यदि कोई प्राप्त कर्ता सदस्य एक छोटा हिन्दू अविभाजित परिवार बना लेता है तो ऐसी आय पर छोटे हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह कर लगेगा न कि व्यक्ति की तरह।

वे आय जो परिवार की आय नहीं मानी जाती हैं

1. परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत सम्पति बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी जाती है तो इससे प्राप्त आय परिवार की आय नहीं कहलाएगी।
2. पिता के निजि प्रयत्नो से प्राप्त सम्पति की आय यदि वह अपने पुत्र को उपहार स्वरूप दे देता है तो इससे प्राप्त आय पुत्र की व्यक्तिगत आय होगी न कि परिवार की आय।
3. पति की म त्यु के पश्चात् पत्नी को एकल स्वामी के रूप में प्राप्त सम्पतियों से आय।
4. अविवाहित पुत्रियों को विवाह के व्यय के लिए दी गई राशि।
5. किसी सदस्य कि व्यक्तिगत उपहार की आय, चाहे यह व्यापार परिवार से पैसा उधार ले कर चलाया गया हो।
6. अविभाजित सम्पति की आय।

Practical Problems of H. U. F.

Example No. 1

कमलाकर बन्धु संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका कमलाकार कर्ता है। 31 मार्च, 2002 को समाप्त निम्न आय के विवरण के आधार पर परिवार की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

1. वेतनः

   (अ) दिवाकर एक सहभागी द्वारा प्राप्त वेतन 6800 रु० प्रति माह

   (ब) संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यापार से कमलाकर तथा सुधाकर को क्रमशः 6,000 रु० तथा 16,000 रु० प्रति वर्ष प्राप्त वेतन। कर-निर्धारण अधिकारी के विचार में सुधाकर को देय वेतन 12,000 रु० से अधिक वेतन उचित नहीं है।

2. परिवार की व्यापार की आयः

   परिवार के कर्ता तथा सहभागितयों को वेतन चुकाने के पश्चात् परिवार की व्यापारिक आय 36,526 रु०। परिवार के कर्ता की आय की गणना में निम्न मदों को भी शामिल किया गया हैः चांदी सट्टा व्यापार की हानि 6,800 रु0, स्वर्ण सट्टा व्यापार का लाभ 15,000 रु०, घुड़दौड की हानि 1,600 रु०, 12.7.2001 को लॉटरी जीतने की आय 12,000 रु०, परिवार के सदस्यों का जीवन प्रीमियम 6,800 रु०, यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी का अंशदान 3,400 रु० तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को दान 2,000 रु० और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान 5,000 रु०।

3. अन्य साधनों की आयः

   (अ) भारतीय कम्पनी से जुलाई 2001 में प्राप्त लाभांश 10,000 रु० (सकल), वसूली व्यय 200 रु०।

   (ब) राष्ट्रीय बचत-पत्र पर ब्याज 2,500 रु०।

4. मकान-सम्पत्ति से आयः

   (अ) परिवार के पास एक पैत क मकान है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 20,000 रु० वार्षिक है। इस मकान का प्रयोग परिवार द्वारा स्वतः के निवास के लिए किया जाता है। ऋण पर ब्याज 18,000 रु०।

   (ब) परिवार के पास एक दूसरा मकान है जिसको 12,600 रु० प्रति वर्ष किराए पर दिया गया है। इस मकान का स्थानीय कर गत वर्ष निम्न प्रकार चुकाया गया। 2000-01, 150 रु०, 2001-02, 200 रु० तथा 2002-03, 250 रु०।

परिवार की कर-योग्य आय तथा परिवार द्वारा देय आय कर की गणना कीजिए।

Kamalakar Brothers is a Hindu Undivided Family of which kamalakar is the Karta. On the basis of the follwing information for the year ended on 31st March, 2002, compute the taxable income of the family:

1. Salary:

   (a) Received by Diwakar a coparcener Rs. 6,800 p.m.

   (b) Received from the HUF business by Kamalakar and Suhdhakar another member Rs. 6,000 and Rs. 16,000 respectively per year. The Assessing officer considers that Sudhakar's salar is not commercially justifiable beyond Rs. 12,000 p.a.

2. Family Business Income:

   Net income of te family business after charging salary to Karta and members Rs. 36,526. It also includes the following items: Loss on silver speculation Rs. 6,800, Profit on gold speculation Rs. 15,000, Loss on Horse race Rs. 1,600, Winning from lottery on 12-7-2001 Rs. 12,000, Life Insurance Premium paid on the lives of family members Rs. 6,800, contribution to Unit Linked Insurance Plant Rs. 3,400 Donation to National Defence Fund Rs. 2,000 and donation to other approved bodies Rs. 5,000.

3. Income from other sources:

   (a) Dividend received in July 2001 from an Indian Company Rs. 10,000 (gross) collection charge Rs. 200.

   (b) Interest on National Savings Certificate Rs. 2,500.

4. Income from House Property:

   (a) The family has an ancestral house which is used by the family for its residence. Its annual municipal valuation is Rs. 20,000. Interest on loan Rs. 18000.

   (b) The family has another house which is let out at annual rent of Rs. 12,600. The municipal tax of this house has been paid during the previous year as follows: For 2000–01 Rs. 150; 2001-02 Rs. 200 and 2002-03 Rs. 250.

Compute taxable income of the family and the tax payable by it.

Computation of total Income of HUF

	Solution		Rs.	Rs.
	Salary:			
	Personal income of coparceners		—	
	Income from House Property:			
	(1) Gross annual value—Let out house		12,600	
	Less: Municipal tax paid during P.Y.		600	
	Annual Value		12,000	
	Less: 30% of A.V.		3,600	8,400
(2)	Self-occupied house—Annual value		Nil	
	Less: Interest upto Rs.30,000		18,000	(-) 18,000
				(-) 9,600
	Income from Business:			
	Profits		36,526	
	Add: Disallowed Items:			
	Exess Salary to Sudhakar		4,000	
	Loss on silver speculation		6,800	
	Loss o horse race		1,600	
	LIP		6,800	
	ULIP		3,400	
	Donation to NDF		2,000	
	Other donation		5,000	
			66,126	
	Less: Speculation Income	15,000		
	Lottery winnings	12,000	27,000	39,126
	Speculative income		15,000	
	Less: Speculative loss		6,800	8,200
	Income from other sources:			
	Lottery winnings		12,000	
	Less: Exempt u/s 10(3)		5,000	
			7,000	
	Dividend—Exempt u/s 10(33)		—	
	Collection expenses not deductible			
	Interest on N.S.C. VIII Issue		2,500	9,500
	Gross Total Income			47,226
	Less: Deduction u/s 80L		2,500	
	Dedction u/s 80G:			
	Donation to NDF 100% of Rs. 2,000		2,000	
	Other donation 10% of Rs. 44,726			
	i.e., Rs., 4,473 — Deduction 50% of Rs. 4,473		2,237	6,737

Total Income	40,489
Rounded off Rs. 40,490.	
Qualifying amount u/s 88:	
LIP	6,800
ULIP	3,400
Interest on N.S.C.	2,500
	12,700

Computation of Tax

Tax on lottery income Rs. 7,000 @ 30%	2,100
Less: Rebate u/s 88 on Rs. 12,700 @ 20% or Rs. 2,100, whichever is less	2,100
	Nil
Add: Surcharge @ 2%	Nil
	Nil
Less: Tax deducted at source on lottery income on Rs. 7,000 @ 30.6%	2,142
Refund	2,142

Note: Loss on horse race canot be set-off against any other income.

अध्याय-16

फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर-निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना

(Assessment of firms and other Association of Person and Computation of Tax-liability)

साझेदारी फर्म से हमारा अभिप्राय उस व्यापार से हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अनुबंध के अन्तर्गत लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति जो वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो, व्यक्तिगत रूप से हिन्दु अविभाजित परिवार का कोई सदस्य, एक फर्म का कोई सदस्य साझेदारी में शामिल किया जाता है। एक कम्पनी तथा ट्रस्ट को सांझेदारी करने का अधिकार प्राप्त है।

सांझेदार कौन हो सकता है

1. एक व्यक्ति जो वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क का है। परन्तु एक अवयस्क व्यक्ति अन्य वयस्क व्यक्तियों के साथ लाभों के लिए साझेदार हो सकता है।
2. एक अविभाजित हिन्दु परिवार सांझेदार नहीं हो सकता। परन्तु उसका कर्ता या परिवार का सदस्य अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के साथ सांझेदारी कर सकता है।
3. दो फर्मे आपस में सांझेदारी नहीं कर सकता। परन्तु एक फर्म का सांझेदार दूसरी फर्म के सांझेदार से एक अलग उद्देश्य तथा अस्तित्व से सांझेदारी कर सकते हैं।
4. दो कम्पनियां या कोई ट्रस्ट एक फर्म में सांझेदार हो सकती है।

फर्म के रूप में कर-निर्धारण

धारा 184 के अनुसार एक सांझेदारी फर्म का फर्म के रूप में निर्धारण तब होगा, यदिः-

1. सांझेदारी किसी अनुबंध के आधार पर (जिसमें सभी सांझेदारों के भाग के अनुपात लिखे हों) की जाएगी।
2. जिस वित्तीय वर्ष में फर्म का प्रथम बार कर निर्धारण होना है उससे सम्बन्धित गत वर्ष में फर्म की आय का विवरण तथा सांझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करानी होगी।
3. एक बार फर्म के रूप में कर निर्धारण होने पर अगले प्रत्येक वर्ष में फर्म के रूप में उसका कर निर्धारण होगा, बशर्ते कि फर्म के संगठन में परिवर्तन न हो।
4. यदि फर्म में परिवर्तन हो जाता है तो सम्बन्धित गत वर्ष की आय विवरण के साथ संशोधित सांझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करानी होगी।
5. यदि धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार यदि फर्म आय का विवरण दाखिल नहीं कराती है या निर्गमित नोटिस की पूर्ति नहीं करती तो उसका फर्म के रूप में कर निर्धारण न होकर व्यक्तियों के संध के रूप में कर निर्धारण होगा।
6. धारा 185 के अनुसार यदि किसी वर्ष धारा 184 के प्रावधानों का पालन नहीं करती तो उसका कर निर्धारण व्यक्तियों के संध के रूप में होगा।

फर्म की आय की गणना

फर्म की व्यापार अथवा पेशे की आय में सांझेदारों को प्राप्त धारा 40B के अन्तर्गत अस्वीकृत ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक शामिल कर लिया जाता है। धारा 40B के अन्तर्गत निम्न व्यय अस्वीकृत माने जाते हैं।

1. किसी अक्रिय साझेदार को दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन।
2. सांझेदारी संलेख में अधिकृत न होने पर सक्रिय सांझेदार को दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन।
3. सांझेदारी संलेख की शर्तो के अनुसार दिया गया ब्याज यदि 18% से अधिक है तो अस्वीकृत होगा।
4. सांझेदारी संलेख की शर्तो के अनुसार सक्रिय सांझेदार को निम्न सीमा से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान अस्वीकृत होगा।

(i)	**पेशे के फर्मो की दशा में:-**			
	(a)	प्रथम 1,00,000 के पुस्तक लाभ पर अथवा हानि की दशा में	(a)	50,000 रु0 अथवा पुस्तक लाभ का 90% जो दोनों में अधिक हो।
	(b)	अगले 1,00,000 रु0 के पुस्तक लाभ पर	(b)	1,00,000 रु0 से अधिक पुस्तक लाभ का 60%
	(c)	2,00,000 रु0 से अधिक के पुस्तक लाभ पर	(c)	2,00,000 रु0 से अधिक पुस्तक लाभ का 40%
(ii)	**अन्य फर्मो की दशा में:-**			
	(a)	प्रथम 75,000 के पुस्तक लाभ पर अथवा हानि की दशा में	(a)	50,000 रु0 अथवा पुस्तक लाभ का 90% जो दोनों में अधिक हो।
	(b)	अगले 75,000 रु0 के पुस्तक लाभ पर	(b)	75,000 रु0 से अधिक पुस्तक लाभ का 60%
	(c)	1,50,000 रु0 से अधिक के पुस्तक लाभ पर	(c)	1,50,000 रु0 से अधिक पुस्तक लाभ का 40%

पुस्तक लाभ:- पुस्तक लाभ से अभिप्राय लाभ हानि खाते द्वारा दिखाये गए उस लाभ से है जिसमें अस्वीकृत आय तथा व्ययों का समायोजन किया जा चुका है। तथा इस लाभ हो सब साझेदारों को दिए गए पारिश्रमिक से बढ़ा दिया जाएगा।

साझेदारी फर्म के लाभों पर कर की गणना:-साझेदारी फर्म की आय पर कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक समान रूप से 35% की दर से आयकर लगेगा तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा तथा फर्म को आय कर की राशि पर 2% की दर से अधिभार देना होगा।

फर्म की हानियाँ:-एक फर्म की हानियों की पूर्ति निम्न प्रकार की जाएगी-

1. सट्टे के व्यापार की हानियों की पूर्ति अगले 8 वर्षो में सट्टे के व्यापर के लाभों से ही की जा सकती है।
2. गैर सट्टे के व्यापार के हानियों की पूर्ति व्यापार तथा देश की आय शीर्षक में किसी भी आय से की जा सकती है।
3. पूंजी हानियों की पूर्ति अलगे 8 वर्षो में पूंजी लाभ की आय से की जा सकती है।
4. घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हानि की पूर्ति अगले 4 वर्षो तक इसी मद की आय से की जा सकती है।

पुस्तक लाभ की गणना:-फर्म के पुस्तक लाभ की गणना करने के लिए धारा 40 के प्रावधानों को लागू किया जाता है अतः पुस्तक लाभ की गणना निम्न प्रकार की जाएगी:-

लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	रु0	रु0
जोड़ो:-		
(i) अस्वीकृत व्यय (जो धारा 30 से 44D तक में वर्णित न हो)	- - - -	
(ii) साझेदारों को पारिश्रमिक, यदि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया गया हो।	- - - -	
(iii) 18% की दर से अधिक ब्याज	- - - -	

घटाओः-

(iv) स्वीकृत व्यय - - - -

(v) अन्य समस्त साधनों से आय जो लाभ हानि खाते में Credit की दी गई हो - - - - - - - - - - - -

पुस्तक लाभ

फर्म की कुल आय की गणनाः-

फर्म का पुस्तक लाभ	रू०	रू०
घटाओः-		
सक्रिय सांझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक निम्न में से सबसे कमः		
(क) वास्तविक पारिश्रमिक	- - - -	
(ख) धारा 40 (b) के अन्तर्गत वैधानिक सीमा	- - - -	- - - -
फर्म के व्यापार अथवा पेशे के लाभ		- - - -
जोड़ोः- अन्य समस्त साधनों से आय		- - - -
सकल कुल आय		- - - -
घटाओः-धारा 80CCC से 80U तक की कटौतियां		- - - -
कुल आय		- - - -
घटाओः- फर्म द्वारा देय कर		- - - -
फर्म का वितरण योग्य लाभ		- - - -

फर्म से एक साझेदार की आय की गणना

एक फर्म से साझेदार को प्राप्त आय की गणना करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैः-

1. यदि किसी सांझेदार को सांझेदारी सलेख के अनुसार कोइ वेतन, बोनस, कमीशन आदि मिला है (जो धारा 40 (B) की सीमा के अन्दर है) वह वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा और न ही सांझेदार की इस आय पर कर लगेगा क्योंकि इस पर फर्म कर का भुगतान करती है।
2. सांझेदारी सलेख के अनुसार सांझेदार को प्राप्त पूंजी पर ब्याज जो कि 18% से अधिक नहीं है। व्यापार व पेशे शीर्षक में कर योग्य होगा।
3. यदि किसी सांझेदार का मकान फर्म द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो उसका किराया मकान सम्पत्ति शीर्षकमें कर योग्य होगा।
4. सांझेदार को दिया गया किराये से मुक्त मकान अस्वीकृत व्यय है।

कटौतियाँ

एक सांझेदार की सकल कुल आय में से निम्न कटौतियां स्वीकृत होगीः-

1. फर्म में विनियोग के लिए उधार ली गई पूंजी पर चुकाया गया ब्याज।
2. फर्म में पूंजी की कमी पर सांझेदार द्वारा फर्म को चुकाया गया ब्याज। परन्तु आहरण पर ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा।
3. फर्म से पारिश्रमिक कमाने के लिए सांझेदार द्वारा किया गया कोई व्यय कटौती योग्य होगा।

फर्म के संगठन में परिवर्तन

(Change in the Constitution of a Firm)

सांझेदारी फर्म के संगठन में परिवर्तन से आशय निम्न से हैं:-

1. एक या एक से अधिक साझेदारों का फर्म में सदस्य न बने रहना या नए सांझेदारों का प्रवेश के संगठन में परिवर्तन कहलाता है बशर्ते कि नई फर्म में एक पुराना सांझेदार जरूर रहें। परन्तु सांझेदार की म त्यु पर फर्म का समापन कर दिया जाता है और नए सांझेदार लेकर फर्म का पुर्नगठन किया जाता है, तो यह फर्म का संगठन का परिवर्तन नहीं कहलाएगा।
2. यदि सांझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए।

फर्म के संगठन में परिवर्तन के बाद कर निर्धारण

संगठन में परिवर्तन होने पर भी कर निर्धारण पुराने संगठन के अनुसार ही किया जाएगा। परन्तु 2 साझेदार में से एक की म त्यु हो जाने पर (यदि संगठन में परिवर्तन नहीं होता) कर की गणना म त्यु से पूर्व तथा म त्यु के बाद की अवधि का अलग-अलग होगा।

एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चले जाना

एक फर्म का स्वामीत्व दूसरी फर्म में चला जाना निम्न दशाओं में कहा जाता है-

1. सभी साझेदारों में परिवर्तन हो जाए।
2. फर्म के विघटन के बाद नये सांझेदारों द्वारा पुनर्गठन करना।

कर निर्धारण:- धारा 188 के अनुसार फर्म का स्वामित्व परिवर्तन होने पर पूर्व तथा पश्चात् की आयों पर अलग-अलग कर निर्धारण होगा।

स्वामी का पता न चलने पर:- यदि फर्म के परिवर्तन के बाद पुराने स्वामी का पता न चले तो फर्म से पूर्व तथा पश्चात की आय का कर निर्धारण नए स्वामी पर किया जाएगा।

पुराने स्वामी से देय राशि वसूल न होने पर:- यदि फर्म के परिवर्तन पर पुराने स्वामी से कोई राशि वसूल नहीं हुई है तो यह राशि नए स्वामी से वसूल की जाएगी। नए स्वामी को यह अधिकार है कि वह यह राशि पुराने स्वामी से वसूल कर सकता है।

फर्म का समापन या व्यापार का बंद होना

Dissolution of firm or discontinuance of Business

धारा 189 के अनुसार स्वामितत्व में परिवर्तन फर्म का विघटन नहीं कहलाता। बल्कि व्यापार के पूर्णतया बंद होने से है। यदि किसी फर्म के समापन पर व्यापार साझेदारों में बंट जाता है तो यह माना जाएगा कि पुराना व्यापार बंद हो गया है, चाहे उस भवन में अन्य व्यापार चालू रहें। ऐसे व्यापर के कर निर्धारण के सम्बन्ध में कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा:-

1. यदि व्यापार बंद हो जाता है तो कर निर्धारण उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि व्यापार चालू रहने पर होता था।
2. व्यापार के बंद होने पर किसी कर या अर्थदण्ड चुकाने का दायित्व पुराने सांझेदार का ही है।
3. यदि व्यापार बंद हो जाता है तथा व्यापार के विरूद्ध कर के सम्बंध में कोई कार्यवाही चल रही है तो यह कार्यवाही पुराने सांझेदारों के विरूद्ध जारी रखी जाएगी।

व्यक्तियों का संध अथवा व्यक्तियों का समूह

Association of Persons or Body of Individuals

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को आय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं तो व्यक्तियों का समूह (जो एक हिन्दु अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी न हो) व्यक्तियों के संध के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना

होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी मकान सम्पत्ति के दो हिस्सेदार है परन्तु उनका हिस्सा निश्चित नहीं है तो ऐसे मकान को किराये पर देने से प्राप्त आय व्यक्तियों के संध की आय मानी जाएगी। यदि कोई सांझेदारी फर्म भी धारा 184 की शर्तें पूरी नहीं करती तो वह भी व्यक्तियों का संध कहलाएगी।

व्यक्तियों के संध अथवा समूह के सदस्य के भाग की गणना

यदि व्यक्तियों के संध की आय में उसके सदस्यों का भाग निश्चित हो तो एक सदस्य की आय की गणना निम्न प्रकार की जाएगी-

1. यदि व्यक्तियों के संध की कुल आय में से सदस्यों को दिया जाने वाला कुल वेतन, ब्याज, कमीशन इत्यादि घटा दिए जाएं तो जो शेष आय बचेगी। वह सदस्यों में निश्चित अनुपात में बांट दी जाएगी।
2. यदि इस लाभ के हिस्से में सदस्यों को प्राप्त वेतन, ब्याज, कमीशन जोड़ दिए जाएं तो वही उस सदस्य की व्यक्तियों के संध से आय मानी जाएगी।
3. इसी आय को उस सदस्य की कुल आय में जोड़ा जाएगा।

व्यक्तियों के संध से सदस्य को प्राप्त हिस्से के सम्बन्ध में आयकर से छूट

1. यदि व्यक्तियों के संध पर अधिकतम सीमांत दर से कर लग चुका है तो सदस्य को प्राप्त आय का उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. यदि व्यक्तियों के संध की आय इतनी न हो कि उस पर कर लगाया जा सके तो इस दशा में सदस्य को प्राप्त भाग उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा।
3. यदि व्यक्तियों के संध की कुल आय पर सामान्य दरों से कर चुकाया जाए तो सदस्य की आय का भाग उसकी कुल आय में तो जोड़ा जाएगा परन्तु बाद में उसे औसत दर से छूट दी जाएगी।

यदि व्यक्तियों के संध के सदस्यों का भाग निश्चित न हो तो कर की गणना

1. धारा 166 (B) के अन्तर्गत यदि किसी सदस्य का भाग निश्चित न हो तो या अज्ञात हो तो व्यक्तियों के संध की कुल आय पर सीमांत दर से कर लगेगा।
2. यदि सदस्यों की कुल आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगना है तो संध की आय पर भी उंची दर से कर लगेगा।

यदि व्यक्तियों के समूह के सदस्यों का भाग निश्चित हो तो कर लगाना

1. यदि एक फर्म जो कि एक व्यक्तियों के समूह के रूप में कर योग्य है और किसी सांझेदार की आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक नहीं है तो समूह पर सामान्य दरों से कर लगेगा।
2. यदि सदस्यों की आय (समूह की आय का भाग छोड़कर) न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो समूह पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगेगा।
3. यदि सदस्यों की आय पर ऊँची सीमांत दर से कर लगाना है तो समूह पर भी ऊँची सीमांत दर से कर लगेगा।

Practical Problems of Firms and Association of Person

Example No. 1.

A, B, तथा C एक फर्म के स्वामी हैं। वे लाभ-हानि 5 : 3 : 2 के अनुपात में बांटते हैं। 31-3-2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया:

(i) लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ 50,000 रु० था।

(ii) B को चुकाया गया 12,000 रु० का वेतन तथा C को दिया गया बिक्री पर कमीशन 6,000 रु0 खातों में Debit कर दिये गये हैं।

(iii) A, B और C को पूंजी पर ब्याज क्रमशः 5,000 रु० 4,000 रु० तथा 3,000 रु० चुकाया तथा A को उसने ऋण पर 8,000 रु० ब्याज चुकाया तथा खातों में लिख दिया। दोनों दशाओं में ब्याज की दर 20% है।

(iv) खातों में डेबिट किया गया ह्रास 10,000 रु0 है परन्तु नियमों के अुनसार स्वीकृत ह्रास 14,000 रु० है।

(v) वर्ष में एक 10,000 रु० का दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए 1,000 रु0 व्यय हुआ। यह राशि खातों में डेबिट कर दी गयी है। ऋण पर 800 रु० का ब्याज अदत्त है और इसका खातों में कोई लेखा नहीं हुआ है।

(vi) 8,00,000 रु० तथा 9,00,000 रु० का अन्तिम रहतिया तथा प्रारंभिक रहतिया क्रमशः दोनों 10% लागत मूल्य से कम पर मूल्यांकित किये गये हैं। यद्यपि दोनों दशाओं में बाजार मूल्य वास्तविक लागत से अधिक है।

कर-निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए फर्म की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

A, B and C are the owners of a firm. They share profits or losses in the ratio of 5:3:2. The following particulars ofthe firm for the year ended 31.3.2002 are furnished:

(i) The net profit as P. & L. A/c was Rs. 50,000.

(ii) Salaries of Rs. 12,000 paid to B and commission on sales Rs. 6,000 paid to C were debited in the accounts.

(iii) Interest on Capital Rs. 5,000, 4000 and Rs. 3,000 paid to A, B and C respectively and interest of Rs. 8,000 paid to A on his loan were chared to the accounts. The rate of interest in both cases is 20%.

(iv) Depreciation debited in the accounts amounted to Rs. 10,000 but the admissible amount as per rules was Rs. 14,000.

(v) A long-term loan of Rs. 10,000 was taken during the year and expenses incurred for obtaining the loan amounted to Rs. 1,000. This sum was debited in the accounts. Interest on loan Rs. 800 is outstanding and not considered in the books.

(vi) The closing stock and opening stock of Rs. 8,00,000 and Rs. 9,00,000 respectively had both been valued at 10% under cost, though the market price in each case was higher than the actual cost.

Compute the taxable income of the firm for the assessment year 2002–03

Solution **Computation of Book Profit**

	for the Assessment Year 2002-03	Rs.	Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit & Loss Account				
Add:	Inadmissible Items:			50,000
(i)	Depreciation		10,000	
(ii)	Expenses incurred for obtaining the loan (Allowable as business exp.)		Nil	
(iii)	Undervaluation of closing Stock (Rs. 8,00,000 x 10/90)		88,889	
(iv)	Remuneration to partners:			
	(a) Salary to B	12,000		
	(b) Commission to C	6,000	18,000	
(v)	Interest on capital in excess of 18%:			
	A (5,000 x 2/20)	500		
	B (4,000 x 2/20)	400		
	C (3,000 x 2/20)	300	1,200	
(vi)	Interest on loan to partner: A (8,000 x 2/20)		800	1,18,889
				1,68,889
Less:				
	(i) Depreciation allowed by the Department		14,000	

(ii) Undervaluation of opening stock (9,00,000 x 10/90)		1,00,000	
(iii) Interest on loan nt considered in books allowed as business expenditure.	800	1,14,800	
Book Profit	Rs.	**54,089**	

Computation of Total Income of the Firm

			Rs.	Rs.
Book Profit				54,089
Less: Remuneration to working partners:				
Least of the two:				
(i) Actual Remuneration			18,000	
(ii) Higher of the two:				
(a) 90% of book profit of Rs. 54,089	48,680			
(b) Statutory Limit	50,000	50,000		18,000
Total Income			Rs.	**36,089**

Rounded off Rs. 36,090

Example No. 2

X तथा Y एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। निम्न लाभ-हानि खाते से फर्म की कुल आय की गणना कर-निर्धारण वर्ष 200203 **के लिए कीजिए।:**

	रु०		रु०
पूंजी पर ब्याज 15% **की दर से:**		**व्यापार से लाभ**	1.30.000
X	9,000	**मकान-सम्पत्ति से आय**	10,100
Y	15,000	**पूजी लाभ:**	
सक्रिय साझेदारों का पारिश्रमिक:		**दीर्घकालीन**	20,000
X	60,000	**अल्पकालीन**	10,000
Y	30,000		
अनुमोदित पुण्यार्थ दान	10,000		
लाभ: X	23,050		
Y	23,050		
रु0	1,70,100		रु0 1,70,100

पारिश्रमिक तथा पूंजी पर ब्याज साझेदारी प्रलेख के अनुसार है। अन्य सूचनाएं निम्न हैं:

1. X **ने घरेलू खर्च के लिए आहरण पर फर्म को** 2,000 रु0 **का ब्याज चुकाया, जो व्यापार से लाभ में शामिल है।**

2. Y **ने फर्म में पूंजी लगाने के लिए लिये गये ऋण पर** 10,000 रु0 **ब्याज चुकाया।**

3. X **ने जून** 2001 **में** 1,80,000 रु0 **की एक कार क्रय की। कार के चालने व रख-रखाव पर वर्ष में** 20,000 रु0 **व्यय हुआ। वह कहता है कार फर्म के लिए था तथा व्यक्तिगत कार्यो के लिए प्रयोग होती है। इस सम्बन्ध में उचित रशि लाभ-हानि खाते में डेबिट कर दी गई है।**

X and Y are equal partners in a firm. From the following Profit and Loss Account compute the total income of the firm for the Assessment Year 2002-02.

	Rs.		Rs.
Interest on Capital @ 15%:		Business Profits	1,30,000
X	9,000	Income from house property	10,100
Y	15,000	Capital gains:	
Remuneration to working partners:		Long-term	20,000
X	60,000	Short-term	10,000
Y	30,000		
Approved Charitable Donations	10,000		
Profit:			
X	23,050		
Y	23,050		
	Rs. **1,70,100**		Rs. **1,70,000**

The remuneration and interest on capital are as per partnership deed. Other informations are:

1. X paid interest to the firm on drawings for household expenses Rs. 2,000, which is included in business profits.
2. Y paid interest Rs. 10,000 on money borrowed to contributed capital in the firm.
3. X purchased a car for Rs, 1,80,000 in June, 2001. The expenses on running and maintaining the car for the year are Rs. 20,000. He says that car has been used for the firm and other personal purposes. The proper amount has been charged to Profit and Loss Account.

Computation of Business Income

for the Assess Year 2002–03

				Rs.
Business Profits				1,30,000
Less: Interest on Capital: X			9,000	
Y			15,000	24,000
Rate of interest does not exceed 18% p.a.				
hence, fully allowed				
		Book Profit		1,06,000
Less: Remuneration to working partners:				
(i) on Rs. 75,000	90% i.e.,	67,500		
(ii) on Rs. 31,000	60% i.e.,	18,600	86,100	
	or			
The amount as per deed Rs. 90,000,				
whichever is less				86,100
		Business Income		19,900

Computation of Total Income

			Rs.
Income from house property			10,100
Business income			19,900
Capital gains:			
(i) Long-term		20,000	
(ii) Short-term		10,000	30,000
	Gross Total Income		60,000

Less:	Deduction u/s 80G:		
	Charitable donation Rs. 10,000		
	Qualifying amount 10% of G.T.I excluding		
	L.T.C.G. or Rs. 10,000 whichever is less		
	10% (60,000 – 20,000)=Rs., 4,000		
	Deduction @ 50% of Rs. 4,000		2,000
		Total Income	58,000

Note: Interest paid by X to the firm is not deductible in computing income of X because amount has been used for personal purposes and not to earn income form the firm.

Example No. 3

X, Y तथा Z एक फर्म के बराबर के साझेदार हैं जिसने 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,50,000 रु0 की शुद्ध आय दर्शायी इसके अतिरिक्त फर्म को मकान-सम्पत्ति से आय 50,000 रू0 की है जो चुकता किये गये स्थानीय कर के 5,000 रु0 तथा मरम्मत के 7,500 रु0 बिना घटाये हुए हैं। इस वर्ष में दीर्घकालीन पूंजी लाभ 50,000 रु0 के हैं।

शुद्ध आय की गणना निम्न को विचार करने के बाद हुई है:

(क) **Y को भवन के किराये के 15,000 रु0 दिये।**

(ख) **Z को 60,000 रु0 का वेतन तथा A को वेतन के रूप में 16,000 रु0 भुगतान किये जो 1.12.2000 को X के स्थान में (जिसने एक दिन पूर्व अवकाश ग्रहण किया था) बराबर का फर्म में साझेदार हुआ था। Z तथा A सक्रिय साझेदार हैं।**

(ग) **कार्यालय फर्नीचर पर स्वीकृत ह्रास 5,000 रु0।**

(घ) **सामान्य व्यय 40,000 रु0।**

(ङ) **डूबत ऋण संचय 15,000 रु0।**

फर्म की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना कीजिए।

X, Y and Z are equal partners in a firm which disclosed a net income of Rs. 1,50,000 for the year ended on 31st March 2002. Besides, the firm has house property income of Rs. 50,000 before deducting local taxes paid Rs., 5,000 and repairs in the house property amounting to Rs. 7,500. During the year the long-term capital gains are Rs. 50,000.

The Net income has been calculated taking into account the following:

(a) Rs. 15,000 paid as rent to Y for the premises.

(b) Rs. 60,000 paid to Z as salary and Rs. 16,000 paid as salary to A who was admitted to the firm as an equal partner on 1.12 2000 in place of X who retired a day before. Z and A are working partners.

(c) Admissible depreciation on office furniture Rs. 5,000.

(d) General Expenses Rs. 40,000.

(e) Bad debts reserve Rs. 15,000.

Compute the total income of the firm and its tax liability.

Solution

Computation of total Income of the Firm

			Rs.
Income from House Property: Rent			50,000
Less: Local Tax paid			5,000
			45,000
Less: 30% of A.V.			13,500
	Income from House Property (a)	Rs.	31,500
Business Income: Profit:			1,50,000

(i) Rent of Business Premises allowed		—
(ii) Salary to partners Z & A disallowed		76,000
(iii) Depreciation on furniture allowed		—
(iv) General Expenses allowed		—
(v) Bad Debts Reserve disallowed		15,000
	Book Profit	Rs. 2,41,000
Less: Remuneration to working partners:		
(i) On Rs. 75,000 @ 90%	67,500	
(ii) On next Rs. 75,000 @ 60%	45,000	
(iii) On balance of book profit of Rs. 91,000 @ 40%	36,400	
	1,48,900	
Or		
Actual Remuneration as per Partnership Deed Rs. 76,000, whichever is less		76,000
	Income from Business (b)	Rs. 1,65,000
Capital Gains: Long-term Capital Gains (c)		Rs. 50,000
Total Income (a+b+c) = Rs. 31,500+1,65,000+50,000 =		Rs. 2,46,500

Computation of Tax Liability

		Rs.
1.	Tax on Long-Term Capital Gains of Rs. 50,000 @ 20%	10,000
2.	Tax on Other Income of Rs. 1,96,500 @ 35%	68,775
		78,775
Add: Surcharge @ 2%		1,576
	Tax Liability	Rs. 80,351

Example No. 4

3 : 2 के अनुपात मे लाभ बांटते हुए अ और ब एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं जो व्यक्तियों के समूह कके रूप में कर-योग्य है। फर्म निम्नलिखित आय दिखाती है और आपसे कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निम्नलिखित चार स्थितियों में से किसी एक मे कर-दायित्व की गणना के लिए कहती है:

(राशि '000 में)

आय का विवरण	स्थितियां			
	1	2	3	4
फर्म की आय:				
चावल की फसल से	120	120	120	120
चाय के उगाने एवं निर्माण से	100	100	80	80
गैर-कृषि आय	200	160	5	5
साझेदारों की व्यक्तिगत आय:				
A. कृषि	45	56	15	78
गैर-कृषि	39	43	35	38

B. कृषि	15	45	23	52
गैर-कृषि	28	62	31	45
धारा 88 में अवहार योगय राशिः				
(घटाने योग्य भार)				
A. **गैर-कृषि आय से**	10	15	12	11
B. **गैर-कृषि आय से**	7	8	9	10

A and B are members of a partnership firm assessable as an association of persons profits in the ratio of 3 : 2. The firm returns following income and you are asked to compute tax liability in any one of the following four cases for the assessment year 2002-03.

(Amount in '000)

	1	2	3	4
Income of the firm:	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
From cultivation of Rice	120	120	120	120
From growing and manufacturing of tea	100	100	80	80
Non-agricultural income	200	160	5	5
Personal Income of Partners:				
A. Agricultural	45	56	15	78
Non-Agricultural	39	43	35	38
B. Agricultural	15	45	23	52
Non-agricultural	28	62	31	45
Rebatable amount u/s 88				
(Qualifying charge):				
A. Out of non-agricultural income	10	15	12	11
B. Out of non-agricultural income	7	8	9	10

Solution

Situation 1

Computation of Total Income and Tax Liability of AOP

			Rs.
	Non-agricultural income		2,00,000
	Growing & manufacturing tea 40% of such income		40,000
		(a)	2,40,000
	Agricultural Income		1,20,000
	Growing and manufacturing tea 60% of such income		60,000
		(b)	1,80,000
	Aggregate income (a + b)		4,20,000
	Tax at regular rates (members are not liable to tax) on aggregate income		1,00,000
Less :	Tax on agricultural income Rs. 1,80,000 + Rs. 50,000 = Rs. 2,30,000		43,000
			57,000
Add :	Surcharge @ 2%		1,140
	Tax liability		58,140

Computation of Total Income and Tax Liability of A & B

			A	*B*
			Rs.	Rs.
	Non-Agricultural Income		39,000	28,000
	Share in non-agricultural income of AOP		1,44,000	96,000
	Total Income	(a)	1,83,000	1,24,000
	Personal agricultural income	(b)	45,000	15,000
	Aggregate income	(c)	2,28,000	1,39,000
	Tax on (c)		42,400	16,800
Less :	Tax on agricultural income (b) + Rs. 50,000		8,000	2,000
			34,400	14,800
Less :	Relief *u/s* 86 on share from AOP			
	Rs. $\frac{34400\times144000}{183000}$ *Rs.* $\frac{14800\times96000}{124000}$		27,069	11,458
			7,331	3,342
Less :	Rebate u/s 88		2,000	1,400
			5,331	1,942
Add :	Surcharge @ 2%		107	39
		Tax liability	5,438	1,981

Situation 2

Computation of Total Income and Tax Liability of AOP

			Rs.
	Non-agricultural Income		1,60,000
	Growing & manufacturing tea 40% of such income		40,000
		(a)	2,00,000
	Agricultural Income		1,20,000
	Growing & manufacturing tea 60% of such income		60,000
		(b)	1,80,000

Member 'B' is liable to tax on his income, hence, AOP is liable to pay tax at maximum marginal rate (30%). When tax is payable at maximum marginal rate, the agricultural income is not included in income to determine the tax payable.

Tax on Rs. 2,00,000 @ 30%		60,000
Add : Surcharge @ 2%		1,200
	Tax liability	61,200

Computation of Total Income & Tax Liability of A & B

	A	*B*
	Rs.	Rs.
Non-Agricultural income	43,000	62,000
Share of AOP will not be included	—	—
(Tax paid at maximum marginal rate)		

	Non-agricultural income	(a)	43,000	62,000
	Agricultural income	(b)	—	45,000
	In case of A total income does not exceed Rs. 50,000			
	Aggregate Income	(c)	43,000	1,07,000
	Tax on (c)		Nil	10,400
Less :	Tax on (b) + Rs. 50,000		—	8,000
			Nil	2,400
Less :	Rebate *u/s* 88		Nil	1,600
			Nil	800
Add :	Surcharge @ 2%		—	16
		Tax liability	Nil	816

Situation 3

Computation of Total Income and Tax Liability of AOP

			Rs.
	Non-agricultural income		5,000
	Growing and manufacturing tea 40% of such income		32,000
		(a)	37,000
	Agricultural income		1,20,000
	Growing and manufacturing tea 60% of such income		48,000
		(b)	1,68,000

None of the members of AOP has income exceeding Rs. 50,000, the AOP is liable to pay tax at regular rates.

The non-agricultural income of AOP does not exceed Rs. 50,000, hence, it is not liable to pay tax.

Computation of Total Income and Tax Liability of A & B

			A	*B*
			Rs.	Rs.
	Non-agricultural income		35,000	31,000
	Share in non-agricultural income of AOP		22,200	14,800
		(a)	57,200	45,800
	Agricultural income		15,000	23,000
	Share in agricultural income of AOP		1,00,800	67,200
		(b)	1,15,800	90,200
	Aggregate income (A + b)	(c)	1,73,000	—
	Non-agricultural income of B does not exceed Rs. 50,000. Hence, not liable to tax.			
	Tax on (c)		25,900	—
Less :	Tax on Rs. 1,15,800 + 50,000		23,740	—
			2,160	—
Less :	Rebate *u/s* 88		2,160	—
		Tax liability	—	—

Situation 4

Computation of Total Income and Tax Liability of AOP

	Rs.
Non-agricultural income	5,000
Growing and manufacturing tea 40% of such income	32,000
	37,000
Agricultural income	1,20,000
Growing and manufacturing tea 60% of such income	48,000
	1,68,000

None of the members of AOP has income exceeding Rs. 50,000, the AOP is liable to pay tax at regular rates. The non-agricultural income of AOP does not exceed Rs. 50,000, hence, it is not liable to pay tax.

Computation of Total Income and Tax Liability of A and B

	Non-agricultural income		38,000	45,000
	Share in non-agricultural income of AOP		22,200	14,800
		(a)	60,200	59,800
	Agricultural income		78,000	52,000
	Share in agricultural income of AOP		1,00,800	67,200
		(b)	1,78,800	1,19,200
	Aggregate income (a + b)	(c)	2,39,000	1,79,000
	Tax on (c)		45,700	27,700
Less :	Tax on (b) + Rs. 50,000		42,640	24,760
			3,060	2,940
Less :	Rebate u/s 88		2,200	2,000
			860	940
Add :	Surcharge @ 2%		17	Nil
		Tax liability	877	940

Total income of B does not exceed Rs. 60,000, hence, he is not liable to pay surcharge.

अध्याय-17

आयकर प्राधिकारी तथा उनके अधिकार

(Income Tax Authorities and Their Powers)

आयकर अधिनियम को चलाने केलिए तथा आयकर विभाग की प्रशासन व्यवस्था रखने के लिए भारत सरकार ने निम्न प्राधिकारियों की व्यवस्था की है:

1. प्रत्यक्ष करो का केन्द्रीय बोर्ड
2. आयकर प्रमुख निदेशक
3. आयकर कमीशनर
4. अतिरिक्त आयकर कमीशनर
5. संयुक्त आयकर कमीशनर
6. उप आयकर कमीशनर
7. सहायक आयकर कमीशनर
8. आयकर अधिकारी
9. कर वसूली अधिकारी
10. आयकर निरीक्षक

कर निर्धारणअधिकारी: धारा 2(7A) के अर्न्तगत एक सहायक कमीशनर या उप-कमीशनर या आयकर अधिकारी जिसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आदेश देकर निर्धारण का कार्य भार सौंपा जाता है। वह क्षेत्र के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है।

आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति: धारा 117 के अनुसार केन्द्रीय सरकार जिसे योग्य समझे उसे आयकर प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। केन्द्रीय सरकार बोर्ड या मुख्य कमीशनर या कमीशनर को सहायक कमीशनर या उप-कमीशनर से नीचे के प्राधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है। परन्तु उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के निर्देश अनुसार की जाएगी।

अधिकारिता

Jurisdiction

आयकर पदाअधिकारियों का कार्य क्षेत्र: धारा 120 के अनुसार आयकर पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार निश्चित किया जाता है:

1. आयकर पदाधिकारी उन सब कार्यों को करेगें जो बोर्ड के द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं।
2. बोर्ड किसी आयकर पदाधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह लिखित में उसके सहयोगी किस-किस कार्य को करेंगे।
3. बोर्ड मुख्य निदेशक को यह अधिकार दे सकता है कि वह अन्य किसी आयकर अधिकारी के वे कार्य करे जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए है।
4. बोर्ड मुख्य कमीशनर या कमीशनर को यह अधिकार दे सकता है कि वह किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए आदेश दे सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्य संयुक्त कमीशनर करेगा।
5. बोर्ड दो या दो से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को किसी एक ही क्षेत्र में साथ-साथ कार्य करने का आदेश दे सकता है।
6. बोर्ड आय का विवरण दाखिल करने के संबंध में क्षेत्र एवं पदाधिकारियों के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

कर निर्धारण अधिकारी का कार्य क्षेत्रः धारा 124 के अनुसार

1. कर निर्धारण अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपना कार्य करता है जो उसे दिया गया है। उसका कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार होगाः
   i. ऐसे क्षेत्र में व्यवसायिक कर दाता कर निर्धारण वह व्यक्ति करेगा जिसे इस क्षेत्र का कार्य सौंपा गया है। यदि किसी करदाता का व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है तो मुख्य स्थान को ही वह अधिकारी उसका कार्य क्षेत्र मानेगा और उसका कर निर्धारण करेगा।
   ii. किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, जो उस क्षेत्र में रहता हो।
2. यदि करदाता एवं कर निर्धारण अधिकारी में कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में असहमति है तो इसका निर्धारण मुख्य कमीशनर या कमीशनर करेगा यदि कार्य क्षेत्र का प्रश्न विभिन्न प्रमुख निदेशक, मुख्य कमीशनरों या कमीशनों के क्षेत्र से हो तो उस क्षेत्र का प्रमुख निदेशक, मुख्य कमीशनर या कमीशनर निर्णय करेगा। यदि ऐसे पदाधिकारी निर्णय से असहमत हो तो बोर्ड इसका निर्णय करेगा।
3. यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी के कार्य क्षेत्र का प्रश्न उठता है और कर निर्धारण अधिकारी करदाता की मांग से संतुष्ट नहीं है तो कर निर्धारण से पूर्व कार्य क्षेत्र का निर्णय कराएगा।
4. किसी क्षेत्र के सब कर दाता आपने क्षेत्र से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को ही अपने कर योग्य आय के बारे में उतरदायी होते हैं।

मामलों को हस्तांरित करने का अधिकारः धारा 127 के अर्न्तगत यदि प्रमुख निर्देशक करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर किसी मामले को अपने अधीन किसी कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को कर देता है तो तथा दोनों कर निर्धारण अधिकारी मामला हस्तांतरण करने वाले अधिकारी के सहयोगी नहीं है तो ऐसा मामला अधिकारियों की सहमति से ही हस्तांतरित हो सकता है। यदि सहमति न हो तो ऐसे मामलों को बोर्ड द्वारा अधिक त अधिकारी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

पदाधिकारियों में परिवर्तनः धारा 129 के अनुसार यदि इस अधिनियम के अर्न्तगत चल रही कार्यवाही में पदाधिकारी बदल जाता है तो अपने वाला नया पदाधिकारी कार्य वही से प्रारम्भ करेगा जहां पूर्व अधिकारी ने छोड़ा था। परन्तु कर दाता नए पदाधिकारी से पुरानी कार्यवाही पुनः खोलने के लिए मांग कर सकता है।

अधिकार
Powers

सबूत तथा खोज को प्रस्तुत करने के अधिकार

धारा 131 के अनुसार कर निर्धारण निम्न मामलों की सुनवाई करते समय सबूतों के सम्बंध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक न्यायालय को (Code of civil Procedure 1908) के अन्तगर्त आते हैंः-

1. किसी व्यक्ति से शपथ पर ब्यान के सम्बंध में
2. कमीशन लागू करने के सम्बंध में।
3. खोज तथा छानबीन के सम्बंध में।
4. हिसाब की पुस्तकें प्रस्तुत करने के सम्बंध में।

यदि प्रमुख संचालक या संयुक्त संचालक को यह संदेह हो कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय छुपाई है या छुपाए जाने की सम्भावना है। और वह व्यक्ति उसी के कार्यक्षेत्र में आता है। तो उसे जांच पड़ताल या पूछताछ के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। चाहे भले ही उस व्यक्ति के सम्बंध में उस अधिकारी के यहाँ कोई कार्यवाही न चल रही हो। तथा उसके समक्ष यदि करदाता के हिसाब की पुस्तकें प्रस्तुत की जाती है तो सम्बधित अधिकारी उन्हें अपने अधिकारों में ले सकता है।

तलाशी तथा जब्त करने का अधिकार

धारा 132 के अनुसार मुख्य कमीश्नर को तलाशी तथा जब्त करने के सम्बंध में निम्न अधिकार प्राप्त हैं।

1. यदि मुख्य कमीश्नर या बोर्ड़ द्वारा अधिकृत संयुक्त कमीश्नर को सूचना प्राप्त करने के पश्चात यह विश्वास हो जाता है किः-
    1. जिस व्यक्ति को हिसाब की पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा था उसने पुस्तकें जमा नहीं करवाई।
    2. जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया था वह उन पुस्तकों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही में लाभदायक होगी।
    3. कोई व्यक्ति जो सोना, चाँदी, आभूषण या बहुमूल्य वस्तुएं छुपाए हुए है तो वह अपने अधिनस्त अधिकारी को निम्न कार्य के लिए अधिकृत कर सकता है।
        (i) किसी ऐसे भवन, स्थान, वाहन, जहाज, में प्रवेश करना तथा उसकी तलाशी लेना जहाँ हिसाब की पुस्तकें रखे जाने का संदेह है।
        (ii) किसी दरवाजे, अलमारी, सन्दूक, लाकर आदि के ताले तोड़ना, जिनकी चाबियाँ उपलब्ध नहीं हो सकी।
        (iii) ऐसी तलाशी के फलस्वरूप पाई गई हिसाब की पुस्तकों आदि पर पहचान चिन्ह लगाना तथा उनकी नकल लेना।
        (iv) इन पुस्तकों की सूची तैयार करना।

मुख्य कमीश्नर ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में तलाशी के आदेश दे सकता है जो उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। परन्तु वह भवन, वाहन या जहाज उसके कार्य क्षेत्र में आता है।

तलाशी तथा जब्त के सम्बंध में अन्य प्रावधान

1. अधिकृत अधिकारी तलाशी की कार्यवाही के समय पुलिस की सेवाएं मांग सकता है।
2. यदि तलाशी के समय प्राप्त वस्तुओं की मात्रा, वजन या खतरनाक प्राकृति के होने के कारण जब्त सम्बंध नहीं है तो इन वस्तुओं के स्वामी को आदेश दे सकता है कि उसकी पूर्वानुमति के बिना उसे उस स्थान से न हटाए।
3. अधिकृत अधिकारी तलाशी की कार्यवाही के दौरान शपथ पूर्वक ब्यान ले सकता है। ऐसा ब्यान कार्यवाही करते समय साक्षय के रूप में काम आएगा।

बही खाते मांगने का अधिकार

धारा 132 A के अनुसार मुख्य कमीशनर को सूचना प्राप्त होने के बाद यह विश्वास हो जाता है किः-

1. किसी व्यक्ति को सम्बंध जारी करने के बाद भी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की है या ये अन्य विभाग के अधिकारियों के अधिकार में है।
2. ये खाता पुस्तकें इस अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही में लाभप्रद होंगे। परन्तु कर दाता ने इन्हें अन्य विभाग से वापिस लेकर प्रस्तुत नहीं किया है।
3. कुछ सम्पतियां छुपाई गई हैं या इस समय विभाग के अधिकार में हैं।

अधिकृत अधिकारी सम्बन्धित अधिकारी से इन खाता पुस्तकों या सम्पति की मांग कर सकता है। तथा कार्य पूरा होने के पश्चात् इन्हें आयकर विभाग के अधिकृत अधिकारी को लौटा देगा।

सूचना मांगने का अधिकार

धारा 133 के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग कर निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त तथा आयुक्त कर सकता है। अतः इसमें कोई भी अधिकारी निम्न सूचना की मांग कर सकता है।

1. किसी स्टाक एक्सचेंज या वस्तु विनिमय बाजार में काम करने वाला दलाल या व्यापारी से उन व्यक्तियों के नाम व पते जो इस बाजार में धनराशि विनियोग करते हैं।

2. किसी कर दाता से उन सभी व्यक्तियों के नाम व पते जिसे उसने गत वर्ष में 1000 रु० से अधिक धनराशि भुगतान की है।
3. किसी फर्म से उसके साझेदार के नाम व पते।
4. किसी हिन्दु अविभाजित परिवार से उसके कर्ता तथा अन्य सदस्यों के नाम व पते।

सर्वेक्षण का अधिकार

धरा 133 (A) के अनुसार एक आयकर अधिकारी को सर्वेक्षण के सम्बंध में निम्न अधिकार प्राप्त हैंः-

1. वह अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में स्थित या सीमा के बाहर स्थित चलाए जा रहे व्यापार या पेशे में व्यापारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में सर्वेक्षण के लिए प्रवेश कर सकता है। तथा निम्न की मांग कर सकता हैः-
    1. ऐसी सूचना की मांग जो कार्यवाही के लिए लाभप्रद हो।
    2. वे आवश्यक सुविधाएं जो रोकड़ स्ट्राक आदि की जाँच करने में सहायक सिद्ध हो।
    3. वे आवश्यक सुविधाएं जो खाता पुस्तकों की जाँच में सहायक सिद्ध हो।
2. वह व्यापार अथवा पेशे में किसी भी समय सर्वेक्षण के लिए प्रवेश कर सकता है।
3. वह सर्वेक्षण के समय खाता पुस्तकों पर चिन्ह लगा सकता है, उनकी नकल ले सकता है, उनको अपने कब्जे में ले सकता है तथा उनकी सूची तैयार कर सकता है।

इसके साथ ही वह कर दाता का ब्यान भी लेसकता है तथा सर्वेक्षण के स्थान कर रोकड़ स्टाक अादि को न हटाने के सम्बंध में आदेश दे सकता है।

निर्धारित सूचना मांगने का अधिकार

धारा 133B के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी या संयुक्त आयुक्त या उपनिदेशक या सहायक निदेशक को यह अधिकार है कि वह निर्धारित सूचना को प्राप्त करने के लिएः-

1. अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में स्थित उस व्यापार या पेशे में प्रयोग कर सकता है। जिसमें व्यापार चलाया जा रहा है।
2. वह व्यापारिक स्थान से खाता पुस्तकों, रोकड़ या स्टाक आदि से हटवा नहीं सकता।

कम्पनियों के रजिस्टर के निरीक्षण का अधिकार

धारा 134 के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त या अन्य अधिकारी किसी कम्पनी के अंश धारियों, ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर देख सकता है। तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है।

जाँच करने का अधिकार

धारा 135 के अनुसार प्रमुख निदेशक, प्रमुख आयुक्त किसी भी प्रकार की जांच कर सकते है।

न्यायिक अधिकार

धारा 136 के अनुसार किसी आयकर प्राधिकारी के सम्मुख चलकर कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही तथा प्रत्येक आयकर प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय माना जाता है।

सूचनाएं प्रकट करना

धारा 138 के अनुसार बोर्ड के आदेश द्वारा घोषित प्राधिकारी निम्न सार्वजनिक पदाधिकारियों को कर दाता से सम्बन्धित सूचनाएं दे सकता है जो उसको प्राप्त हुई होः-

1. कर लगाने या विदेशी विनिमय में लेन-देन का कार्य करने वाला अधिकारी, सत्ता या संस्था।
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में घोषित कार्यो को पूरा करने वाला अधिकारी, सत्ता या संस्था।

लेकिन इन अधिकारियों को केवल ऐसी सूचनाएं दी जाएगी जो कानून के अन्तगर्त उनके कार्यो को पूरा करने में सहायक हो।

प्रत्यक्ष करों को केन्द्रीय सरकार के अधिकार

इस बोर्ड का गठन (Central Board of Revenue Act 1963) के अर्न्तगत हुआ है। यह आयकर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह आयकर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तथा वित्त मंत्रालय के अर्न्तगत काम करता है इसके सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके निम्न अधिकार हैं:-

1. यह अधिनियम के सम्बंध में नियम बनात है तथा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है।
2. यह आयकर अधिकारियों को इन नियमों को उचित रूप से कार्यन्वित करने के लिए आदेश दे सकता है।
3. वह किसी मामले में कर निर्धारण की कार्यवाही तथा राजस्व संग्र करने के लिए आने अधिनिस्थ किसी भी प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है।
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो जाने पर यह सहायक कमीश्नर या उप कमीश्नर से नीचे के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
5. वह किसी भी प्राधिकारी के कार्यो का निष्पादन करने के लिए आवश्यक स्टाक की नियुक्ति का अधिकार दे सकता है।
6. यह किसी संस्था संघ या संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी घोषित कर सकता है।
7. वह प्रमुख निदेशक या अन्य निदेशक को अन्य प्राधिकारी के कार्य करने क लिए अधिकृत कर सकता है।
8. वह दो या दो से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को एक ही क्षेत्र में साथ-साथ कार्य करने का आदेश दे सकता है।
9. वह किसी प्रमुख निदेश, मुख्य कमीश्नर, संयुक्त निदेशक या संयुक्त कमीश्नर को धारा 132 के अर्न्तगत खोज या जब्त करने के सम्बंध में अधिकृत कर सकता है।
10. वह किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दूसरे कानून के अर्न्तगत काम करने वाले को सूचना देने का आदेश दे सकता है।

प्रमुख निदेशक, मुख्य कमीश्नर तथा कमीश्नर के अधिकार

1. धारा 120 अर्न्तगत प्रमुख निदेशक, मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बंध में विशिष्ट व्यक्तियों की आयों के सम्बंध में कार्य के अधिकार संयुक्त कमिश्नर को दे सकता है।
2. धारा 127 के अनुसार मुख्य कमिश्नर को अधिकार है कि किसी मामले को अपने सहयोगी कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है।
3. धारा 132 के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाले मुख्य कमिश्नर द्वारा अधिकृत संयुक्त कमिश्नर खोज तथा जब्त करने के सम्बंध में सभी अधिकार उठा सकता है।
4. धारा 132A के अुनसर ये प्राधिकारी किसी व्यक्ति के बही खाते या सम्पतियां मांगने का आदेश दे सकते हैं। या सहायक निदेशक, सहायक कमिश्नर को भी अधिकृत कर सकते हैं।
5. धारा 135 के अनुसार मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर इस अधिनियम के अर्न्तगत सब प्रकार की जाँच पड़ताल कर सकता है।
6. धारा 24 के अनुसार मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा कर की वापसी को रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं।
7. धारा 245 के मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर कर की वापसी की राशि में से कर दाता देय राशि की पूर्ति के आदेश दे सकते हैं।
8. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो जाए तो सहायक कमिश्नर से नीचे के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
9. यदि बोर्ड स्वीकृति दे तो ये अपना कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है।

10. मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर से यदि कर निर्धारण अधिकारी मांग करे तो किसी व्यक्ति की सम्पति कुर्क कर लेने का आदेश दे सकती है।

संयुक्त कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, उपनिदेशक तथा कर-निर्धारण अधिकारी के अधिकार

1. धारा 133 के अनुसार संयुक्त कमिश्नर या कर निर्धारण अधिकारी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
2. धारा 133A के अनुसार संयुक्त कमिश्नर, सहायक कमिश्नर या उप निदेशक या कर निर्धारण अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके किसी व्यक्ति की सम्पतियों की जांच पड़ताल कर सकते हैं तथा आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
3. धारा 134 के अनुसार संयुक्त कमिश्नर या कर निर्धारण अधिकारी किसी कम्पनी के सदस्यों, ऋणपत्र धारियों के रजिस्टर देख सकते हैं तथा उनकी नकले भी ले सकते हैं।
4. संयुक्त कमिश्नर इस अधिनियम के अर्न्तगत किसी व्यक्ति से भी पूछताछ कर सकता है।
5. संयुक्त कमिश्नर किसी विचाराधीन कार्यवाही के सम्बंध में रिकार्ड मांग कर जांच पड़ताल कर सकता है तथा निर्देश दे सकता है।
6. संयुक्त कमिश्नर या कर निर्धारण अधिकारी को किसी मुकदमें को सुनते समय वे सभी अधिकार प्राप्त है जो एक न्यायालय को (Code of civil Procedure 1908) के अर्न्तगत होते हैं।

कमिश्नर (अपील) के अधिकार

1. धारा 133 के अनुसार कमिश्नर (अपील) को सूचनाएं मांगने का अधिकार प्राप्त है।
2. धारा 134 के अनुसार इसे किसी कम्पनी के सदस्यों ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर देखने तथा नकले लेने का अधिकार है।
3. कमीश्नर को किसी मुकदमें को सुनते समय वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो न्यायालय को (Code of civil Procedure 1908) के अर्न्तगत होते हैं।,
4. अर्थदण्ड आदि को रद्द करने, बढ़ा देने या कम करने का अधिकार है।
5. कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह किसी विचारनीय मामले पर निर्णय दे सकता है। चाहे भले ही यह उसके सामने न उठाया गया हो।

अध्याय-18

कर-निर्धारण की कार्य विधि

(Procedure of Assessment)

प्रत्येक व्यक्ति जिसकी गत वर्ष में कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसे एक निश्चित तिथि को आय कर का विवरण जमा कराना पड़ता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो निम्न शर्ते पूरी करता हो कर योग्य आय न होने पर भी उसे अपना आयकर विवरण जमा कराना होगा।

1. उसके स्वामित्व में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक कोई अचल सम्पति हो।
2. वह एक मोटर गाड़ी का स्वामी हो। परन्तु दो पहियों व तीन पहियों वाली गाड़ी को छोड़कर।
3. उसके नाम कोई सेल्यूलर फोन हो।
4. उसने अपने या अन्य किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा पर व्यय किया हो।
5. वह Credit Card धारक हो।
6. वह एक Club जिसका प्रवेश शुल्क 25000 या इससे अधिक हो का सदस्य हो।
7. धारा 139 (1A) के अनुसार एक कर्मचारी अपने आय कर रिटर्न नियोक्ता के यहाँ भी जमा करा सकता है।
8. एक कम्पनी को भी अपनी लाभ हानि का विवरण देय तिथि तक दखिल कराना आवश्यक है।

   देय तिथि से हमारा आश्य कम्पनी तथा आर्थिक संकेतो के आधार पर विवरण दाखिल कने की दशा में कर निर्धारण वर्ष की अवधि 31 अक्तूबर है। अन्य किसी दशा में 31 जुलाई।
9. धारा 139 (4A) के अनुसार एक पुण्यार्थ ट्रस्ट या संस्था की कुल आय न्यूनतम सीमा से अधिक होने पर आयकर रिटर्न दखिल कराना होगा।
10. धरा 139 (4B) के अनुसार राजनैतिक पार्टियों की और से भी उसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उसकी गत वर्ष की आय कर योग्य सीमा से अधिक होने पर आयकर विवरण दखिल कराना होगा।
11. धारा 139 (3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शीर्षक की हानि को अगले वर्षो में घटाने के लिए आगे ले जाना चाहता है तो उसे निर्धारित फार्म भर कर स्वीकृत अवधि के अन्दर दाखिल कराना होगा। अन्यथा वह हानि को आगे नहीं ले जा सकता।
12. धारा 139 (4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आयकर विवरण जमा कराने में विलम्ब करता है तो वह अगला वर्ष पूर्ण होने से पहले अपना आयकर विवरण दाखिल वर्ष पूर्ण होने से पहले अपना आयकर विवरण दाखिल करा सकता है।
13. धारा 139 (5) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के फार्म जमा करा देने के बाद कोई विवरण छूट जाता है या गलती हो गई है तो वह कर निर्धारण वर्ष पूर्ण होने से पहले या अगला वर्ष पूरा होने से पहले जो भी पहले हो अपनी आय का संशोधित विवरण दखिल कर सकता है।
14. धारा 139 (6) के अनुसार आय के विवरण के निम्न फार्म भरने पड़ते है।
    1. कम्पनी करदाता के लिए फार्म।
    2. गैर कम्पनी करदाता है तो :-
       (i) यदि कुल आय में व्यापार की आय शामिल है तो फार्म नं0 2 भरता होगा।
       (ii) यदि कुल आय में व्यापार की आय शामिल नहीं है तो फार्म नं0 3 भरता होगा।

(iii) छिपी हुई आय के लिए फार्म नं0 2B भरना होगा।

(iv) आर्थिक मानदण्डो के अर्न्तगत आने वाले व्यक्तियों को फार्म नं0 2C भरना होगा।

(v) पुण्यार्थ या धार्मिकों ट्रस्टो को फार्म नं0 3A भरना होगा।

आय के विवरण में करदाता को निम्न सूचनाएं देनी होगी।

1. बैंक तथा Credit Card के सम्बंध में सूचना।
2. सम्पतियों के सम्बंध में सूचना।
3. निर्धारित खर्चो के निर्धारित सीमा से अधिक होने की सूचना।
4. कर मुक्त आयो की सूचना।

15. धारा 139 (9) के अनुसार यदि कोई कर दाता कर निर्धारण अधिकारी की राय में दोषपूर्ण विवरण दाखिल करता है। तो करदाता को सूचित कर दिया जाता है। और ठीक कराने के लिए 15 दिन का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि करदाता चाहे तो 15 दिन और बढ़वा सकता है। परन्तु वह उसे इस अवधि में ठीक नहीं कराता तो उसका आयकर विवरण अवैध माना जाएगा।

दोष पूर्ण आय के विवरण में निम्न दोष पाए जाते है। जिसके स्पष्टीकरण आवश्यक हैः-

1. आय कर विभिन्न शीर्षकों की सभी आय के सम्बंध में विवरण फार्म भर दिए गए हैं।
2. आय के विवरण के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट लगी होनी चाहिए।
3. आय के विवरण के साथ देय कर की गणना का विवरण लगा हुआ होना चाहिए।
4. उद्‌गम स्थान पर कटा हुआ कर का विवरण लगा हुआ होना चाहिए।
5. यदि कर दाता हिसाब की पुस्तकें रखता है तो उसे विवरण के साथ निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्‌ठा नत्थी करना होगा।
6. यदि कर दाता के हिसाब का अंकेक्षण हो चुका है तो अंकेक्षण रिर्पोट की प्रतिलिपि तथा लाभ हानि तथा चिट्‌ठे की प्रतिलिपि दाखिल करानी होगी।
7. यदि कर दाता हिसाब किताब नियमित नहीं रखता है तो उसे निम्न विवरण लगाने होंगे।
   (i) कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां।
   (ii) सकल लाभ व्यय और शुद्ध लाभ।
   (iii) विभिन्न देनदार, लेनदार, अन्तिम स्टाक व अन्तिम रोकड़ शेष।

16. धारा 140 के अनुसार धारा 139 के अर्न्तगत दाखिल कराए गए आयकर विवरण में निम्न व्यक्ति को हस्ताक्षर करने होंगे।
1. एक व्यक्ति की दशा में एक व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या स्वस्थ मस्तिष्क का न होने पर उसका संरक्षक हस्ताक्षर कर सकता है।
2. एक हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में परिवार का कर्त्ता या कर्त्ता की अनुपस्थिति में कोई व्यस्क व्यक्ति।
3. एक कम्पनी की दशा में उसका प्रबंध संचालक या संचालक या जिसके पास वैध अधिकार प्रपत्र (Valid Power of Attorney) हो तथा कम्पनी के समापन की दशा में कम्पनी के निस्तारक या कम्पनी के प्रबंध सरकार द्वारा लेने पर कम्पनी के प्रमुख अधिकारी आय विवरण पर हस्ताक्षर करेगा।
4. फर्म की दशा में प्रबंध सांझेदार या उसकी अनुपस्थिति में व्यस्क सांझेदार हस्ताक्षर करेगा।
5. स्थानीय सत्ता, समुदाय या संघ की दशा में प्रमुख अधिकारी या कोई सदस्य हस्ताक्षर करेगा।
6. अन्य किसी दशा में जो हस्ताक्षर करने के सक्षम हो।

स्थाई खाता संख्या

Permanent Account Number

धारा 139A के अनुसार स्थाई खाता संख्या से हमारा अभिप्रायः उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी करदाता की पहचान के लिए उसे प्रदान करता है। यह नम्बर 10 अक्षर का होता है तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नए नियमों के अनुसार स्थाई खाता संख्या के लिए आवेदन करना होगा चाहे उसे पहले स्थाई खाता संख्या मिल चुका हो। स्थाई खाता संख्या निम्न व्यक्तियों को दिया जाता हैः

1. प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है या उसके व्यापार की बिक्री की सफल प्राप्तियां 5,00,000 रु० से अधिक होने की सम्भावना है।
2. प्रत्येक उस व्यक्ति को जिस पर केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना लागू होती है जो कि एकः
   i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अर्न्तगत कर दाता है।
   ii. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अर्न्तगत कर दाता है।
   iii. कोई आयतक या निर्यातक है।
   iv. कोई सेवा शुल्क के अर्न्तगत करदाता है।
3. कोई भी व्यक्ति जो स्थाई खाता संख्या के लिए आवेदन करता है।

एक व्यक्ति को निम्नलिखित मामलों में पैन का उल्लेख करना आवश्यक है।

1. 5,00,000 रु० अधिक की अचल सम्पति रखने पर मोटर वाहन की खरीद या बिक्री पर।
2. किसी संस्था में 50,000 रु० से अधिक सावधि जमा होने पर।
3. 10 लाख रु० से अधिक प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री पर।
4. सेल्यूलर या टेलीफोन कनेक्शन लगाने पर।
5. उस व्यक्ति को जो उदगम स्थान पर कर की कटौती कर के भुगतान प्राप्त करता है।
6. वह क्रेता जिससे माल खरीदते समय आयकर का भुगतान करना होता है।
7. वह विक्रेता जो माल बेचते समय आयकर एकत्रित करता है।
8. यदि किसी व्यक्ति को पैन नम्बर नहीं मिला है तो वह निम्न का उल्लेख करेगाः-
   1. जब एक व्यक्ति को पैन नहीं मिलता तो G.I.R. संख्या का उल्लेख करें।
   2. अवस्यक व्यक्ति द्वारा बैंक में खाता खोलते समय अपने माता पिता या अभिभावक के पैन का प्रयोग करे।
   3. कोई व्यक्ति यदि रेखांकित चैक नकद या Credit Card के अलावा भुगतान करते है तो उन्हें प्रपत्र संख्या 60 में घोषणा करनी पड़ती है।
   4. यदि कोई व्यक्ति जिसकी कृषि से कोई आय है तो वह पपत्र संख्या 61 में घोषणा करें।

यदि कोई बिना पर्याप्त कारण स्थाई खाता संख्या के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देता तो स्थाई खाता संख्या नहीं लिखता तो उस पर 10,000 रु० तक अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

आय का विवरण दाखिल करने तथा चूक करने पर ब्याज

धारा 234A के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् आयकर विवरण दाखिल करवाया जाता है तो कर दाता पर देय तिथि से दाखिल करने की तिथि तक 1.25% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज चुकाना होगा। यदि व ववरिण नहीं जमा कराता तो निर्णय होने की अवधि तक का ब्याज चुकाना होगा। यदि कर दाता ने अग्रिम कर चुका दिया है तो अंग्रिम में से कर की राशि घटा कर शेष पर ब्याज की गणना की जाएगी।

कर-निर्धारण के प्रकार
(Types of Assessment)

धारा 140 से 147 के अनुसार कर निर्धारण निम्न प्रकार का हो सकता है।

स्वंय कर निर्धारण (Self–Assessment)

धारा 140A के अनुसार स्वंय कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय कर दाता द्वारा निर्धारित आय पर कर देय से है। इस कर निर्धारण के अनुसार देय कर राशि में से अग्रिम चुकाया कर घटा दिया जाता है। शेष राशि पर यदि आय कर विवरण समय पर दाखिल नहीं किया है तो उस पर ब्याज विवरण दाखिल करने से पहले चुकाना होगा। अर्थात् उसे कर तथा ब्याज की राशि नहीं चुकाता तो वह चूक में करदाता माना जाएगा। तथा उस पर चूक में करदाता के प्रावधान लागू होंगे।

स्वयं कर निर्धारण कर देय ब्याज की गणना

1.	स्वंय कर निर्धारण पर घोषित देय आयकर		रू०	रू०
2.	घटाओः-	(i) अग्रिम कर की राशि	.....	.....
		(ii) उद्‌गम पर कर की कटौती	.....	.....
		वह राशि जिस पर ब्याज मिलेगा।		.....

आय कर के विवरण के आधार पर नियमित कर निर्धारण अथवा संक्षिप्त कर निर्धारण (Regular Assessment on the basis of Return of Income or Summary Assessment)

आय के विवरण के आधार पर नियमित कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय उस कर निर्धारण से है जब आयकर विभाग द्वारा धारा 139 या धारा 142(1) के अर्न्तगत नोटिस दिए जाने पर दाखिल किया जाता है। इस प्रकार यदि कर दाता पर कोई ब्याज देय है तो कर दाता को इसकी सूचना दी जाएगी। यदि कर की वापसी देय है तो उसे स्वीकार करके इसकी सूचना कर दाता को दी जाएगी।

सबूतों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment by Assessing Officer on the basis of evidence)

नियमित कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय जो सबूतों के आधार पर किया जाता हैं। धारा 143 (3) के अनुसार ऐसा निर्धारण तब किया जाता है जब कर निर्धारण अधिकारी निम्न बातों से संतुष्ट न हो।

1. जब आय कर विवरण में कोई हानि, छूट या कटौती योग्य न हो।
2. विवरण में दिखाई गई आय की सत्यता या सम्पूर्णता से संतुष्ट न हो। तथा उसे लगे कि विवरण में कम आय दिखाई गई है। तो आय कर अधिकारी उसे कार्यालय में उपस्थिति हो कर विवरण के सम्बंध में सबूत प्रस्तुत करने को कह सकता है।

यदि कर दाता धारा 139 के अर्न्तगत विवरण दाखिल करा चुका है या विवरण दाखिल कराने की अवधि समाप्त हो चुकी है तो कर निर्धारण अधिकारी एक विशिष्ट तारीख तक निम्न कार्य करने का नोटिस दे सकता हैः-

1. यदि किसी व्यक्ति ने कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले विवरण जमा नही कराया है तो आय का विवरण दाखिल कराने के लिए (या)
2. कर निर्धारण के सम्बंध में आवश्यक लेखे (या)
3. सत्यापन के सम्बंध में लिखित सूचनाएं।
4. यदि कर दाता ने अपनी पुस्तकों को अंकेक्षण नहीं कराया तो धारा 144 के अर्न्तगत उस पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

सबूतों के बाद कर निर्धारण

धारा 143 (3) के अनुसार कर दाता द्वारा सभी सबूत एकत्रित कर लेने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट बिन्दुओं पर दिए गए सबूतों को सुनकर व अन्य साम्रगी पर विचार करके कर दाता द्वारा देय कर या कर की वापसी का निर्धारण करेगा।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण

(Best Judgment Assessment)

धारा 144 के अनुसार सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय इस प्रकार के कर निर्धारण से है जब कर निर्धारण अधिकारी बिना पक्ष पात के पूरी ईमानदारी से कर दाता की कुल आय के सम्बंध में अनुमान लगाता है। इस सम्बंध मं वह करदाता की व्यापार की दशाओं स्थिति तथा साम्रगी को ध्यान में रखता है। ऐसा इसलिए भी करना आवश्यक है कि कर निर्धारण अधिकारी के सम्बंध में अपील न हो सके क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी को अपील होने पर अपीलेट अधिकारी के सम्मुख अपने निर्णय का आधार स्पष्ट करना होता है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण दो प्रकार का होता हैः-

1. अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण

अनिवार्य कर निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न दशाओं में किया जा सकता हैः-

1. जब कर दाता नोटिस प्राप्त होने पर भी विवरण दाखिल नहीं करता।
2. नोटिस प्राप्त होने पर भी विलम्बित विवनण या संशोधित विवरण दाखिल नहीं कराता।
3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखे या अन्य सूचनाओं की मांग करने पर प्रस्तुत नहीं करता।
4. अपने खातों की जांच नहीं कराता।
5. यदि कर निर्धारण अधिकारी विवरण को असत्य या अपूर्ण मानता है तो कर दाता को नोटिस देता है कि वह उसके कार्यालय में विवरण से सम्बंधित सबूत प्रस्तुत करे। परन्तु करदाता ऐसा नही करता तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना वाला अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहलाता है। इस सम्बंध में करदाता को अर्थदण्ड या कर की वापसी अस्वीकृत होने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

2. विवेकीय सर्वोत्तम कर निर्धारण

धारा 145 (3) के अनुसार विवेकीय सर्वोत्तम कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय उस कर निर्धारण से है जब कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेक के आधार पर कर दाता के कर का निर्धारण करता है। ऐसा उस समय किया जाता है। जब कर निध ार्रण अधिकारी कर दाता के हिसाब किताब की शुद्धता से पूर्णतया संतुष्ट न हो या कर दाता ने हिसाब किताब की पद्धति नियमितता से न अपनाई हो। ऐसे कर निर्धारण के विरूद्ध कर दाता अपील कर सकता है।

सरंक्षा कर निर्धारण

(Protective Assessment)

संरक्षा कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय उस कर निर्धारण से है जब कर निर्धारण अधिकारी इस दुविधा में हो कि प्रस्तुत आय किस व्यक्ति की मानी जाए। यदि वह मुकदमे के फैसले का इंतजार करता है तो फैसले की कार्यवाही पूरी होने तक कर निर्धारण की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस दशा में कर निर्धारण अधिकारी फैसले का इंतजार न करके दोनो पक्षों के विरूद्ध कार्यवाही करके कर निर्धारण करता है। सरंक्षा कर निर्धारण में कर दाता से फैसला होने से पूर्व कर की वसूली नहीं की जा सकती।

पुनः कर निर्धारण

(Re–Assessment)

पुनः कर निर्धारण से हमारा अभिप्राय धारा 147 के अर्न्तगत उस कर निर्धारण से है जब कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि कर निर्धारण वर्ष के सम्बंध में कोई कर योग्य आय कर लगने से बच गई है या छूट गई है तो वह ऐसी आय

पर पुनः कर निर्धारण कर सकता है। इस तरह पुनः कर निर्धारण में अन्य छुपी हुई आय भी पता चल जाती है। परन्तु इसके पश्चात् भी कोई आय बच जाती है तो चार वर्ष पश्चात् भी पुनः कर निर्धारण हो सकता है। ऐसा सम्भव है जब कर दाता अपना विवरण दाखिल न करवाए या समस्त तथ्य सही-सही न बताए। धारा 147 के अर्न्तगत पुनः कर निर्धारण करने से पूर्व कर निर्धारण को नोटिस देना होगा कि निश्चित अवधि के अन्दर वह अपना आय का विवरण जमा करा दे। धारा 149 के अनुसार नोटिस देने की अवधि या समय सीमा निम्न हो सकती हैः-

1. यदि बची हुई आय 1 लाख रुपये से कम है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद के 4 वर्षो के अन्दर।
2. यदि बची हुई 1 लाख रुपये से अधिक है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद 6 वर्षो के अन्दर।
3. नोटिस देने के सम्बंध में कर निर्धारण अधिकी को अस्टिेण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी। यदि वे संतुष्ट होते हैं तो नोटिस दिया जा सकता है।

कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा

धारा 153 के अनुसार कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा निम्न हैः-

1. धारा 153 (1) के अनुसार धारा 143 या धारा 144 के अर्न्तगत कर निर्धारण का आदेश तब दिया जा सकता है जिस कर निर्धारण वर्ष में आय प्रथम बार निर्धारणीय थी उसके अन्त से 2 वर्ष के अन्दर।
2. धारा 153 (2) के अनुसार धारा 147 के अर्न्तगत हुए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण की समय सीमा उस वितिय वर्ष से 1 वर्ष के अन्दर दिया जा सकता है जिस वितिय वर्ष में धारा 148 का नोटिस दिया गया था।

पुनः का निर्धारण पर कर की वे दरें लागू होंगी जिस वर्ष की आय कर लगने से छूट गयी हो।

भूल-सुधार
(Rectification of Mistakes)

धारा 154 के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी आय में दिए गए निर्णय के सम्बंध में या धारा 143 (1) के अर्न्तगत दी गई सूचना या मानी गई सूचना में कोई भूल का पता चलता है तो वह वितिय वर्ष के बाद के 4 वर्षो के अन्दर भूल सुधार कर सकता है। इस सम्बंध में कर निर्धारण अधिकारी 2 आदेश दे सकता हैः-

1. या तो भूल में सुधार करे।
2. या कर दाता की मांग अस्वीकार कर दे।

यह सुधार या तो सम्बन्धित अधिकारी करता है या अपील होने पर अधिकारी कमिश्नर। यदि इस भूल सुधार में कर दाता का दायित्व बढ जाता है या घट जाता है तो इसकी सूचना करदाता को अवश्य देनी चाहिए। यदि दायित्व घट जाता है तो आधिक्य रकम लौटा दी जाएगी यदि बढ़ जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी निर्धारित फार्म भर के देय रकम की मांग का नोटिस देगा।

कर निर्धारण के आदेश का संशोधन

धारा 155 के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण आदेशों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। जो निम्न दशाओं में सम्भव हैः-

1. **सांझेदारों के कर निर्धारण के आदेश में संशोधनः**- धारा 155 (1A) के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह पता चल जाता है कि किसी सांझेदार का परिश्रमिक धारा 40 B के अर्न्तगत कटौती योग्य नहीं था तो कर निर्धारण अधिकारी वितिय वर्ष के अन्त में 4 वर्ष के अन्दर उस आदेश में संशोधन कर सकता है। जो उसने फर्म की दशा में दिया था।
2. **व्यक्तियों के संघ के सदस्यों के कर निर्धारण के आदेश में संशोधनः**-धारा 155(2) के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा भूल सुधार करने पर अपने आदेश में संशोधन कर सकता है।

3. धारा 155(4) के अनुसार हानि तथा हास की पुनः गणना में संशोधन अगले 4 वर्षो के अन्दर हो सकता है।
4. **पूंजी लाभों पर करारोपणः**- धारा 155 (7B) के अनुसार यदि किसी पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाता परन्तु वास्तव में उस पर कर लगना चाहिए था। तो कर निर्धारण अधिकारी अगले 4 वर्षो के अन्दर अपने आदेश में संशोधन कर सकता है।
5. धारा 155 (10A) के अनुसार यदि कर दाता दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर चुका देता है तो ऐसे हस्तांतरण के 6 माह के अन्दर धारा 54E के अर्न्तगत कर मुक्त सम्पति में विनियोग कर देता है तो उसका पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएगा। ऐसा संशोधन कर निर्धारण अधिकारी 4 वर्षो तक कर सकता है।
6. **उद्‌गम स्थान पर काटे गए कर के सम्बंध में कटौतीः**-धारा 155(14) के अनुसार यदि कर दाता विवरण दाखिल करते समय उद्‌गम स्थान पर काटे गए कर का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता और यह कुल आय में शामिल कर ली गई थी तो कर दाता इस वर्ष की समाप्ति से 2 वर्ष बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके कटौती प्राप्त कर सकता है।

तलाशी के मामलों में कर निर्धारण की नई विधि

कर दाता द्वारा अधिक आय कर से बचने के लिए अपने काले धन को छुपाने की कोशिश की जाती है। परन्तु आय कर विभाग को विश्वास हो जाने पर वह तलाशी से ऐसे धन तथा सम्पति को जब्त कर सकता है तथा इस दौरान मिली सम्पतियों के सम्बंध में करदाता से सख्त कार्यवाही कर सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में समय अधिक लगने के कारण कर दाता अपनी आय का अधिकांश भाग को अपनी आय न मानने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्रित कर लेता है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही को शीघ्र तथा सरलता पूर्वक सम्पूर्ण करने के लिए एक नई योजना 1995 में वित अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है जो गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षो को एक खण्ड अवधि मान कर उसमें प्राप्त आय पर एक निश्चित दर से अलग-अलग कर लगाया जाएगा। कर निर्धारण की नई योजना के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैंः-

1. यदि तलाशी 2001 के पश्चात् ली गई है तो खण्ड अवधि 10 वर्षो की अपेक्षा 6 वर्ष मानी जाएगी।
2. छिपी हुई आय पर 60% की एक सी दर से कर लगेगा।
3. इस पर कोई अर्थदण्ड या ब्याज नहीं लगेगा।
4. जिस माह तलाशी खत्म की गई है उस माह के अन्त से 21 वर्षो के अन्दर कर निर्धारण पूरा करने के आदेश दिए जाऐंगे।
5. कर निर्धारण का आदेश सहायक आयकर कमिश्नर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता।
6. खण्ड अवधि में छिपी हुई आय की गणना निम्न प्रकार की जाएगीः

   सर्वप्रथम खण्ड अवधि की समस्त कुल आय का योग किया जाएगा इसके पश्चात् इस योग में से ऐसे गत वर्षो की कुल आयों का योग घटा दिया जाएगा और हानि को जोड़ दिया जाएगा जो निम्न प्रकार ज्ञात की गई है।

   1. जिन वर्षो का कर निर्धारण हो चुका है उनकी कुल आय।
   2. जिन वर्षो का आयकर विवरण दाखिल किया जा चुका है परन्तु उनका कर निर्धारण नहीं हुआ है तो विवरण में दिखाई गई कुल आय।
   3. जिन वर्षो में विवरण दाखिल नहीं हुआ है या दाखिल करने की अवधि बीत चुकी है उसकी आय शून्य मानी जाएगी।
   4. जिस गत वर्ष में तलाशी ली गई है ऐसे अधूरे वर्ष की तलाशी के दिन तक प्रविष्टियों के आधार पर आय।
7. यदि कर दाता सम्पतियों को प्राप्त करने के स्त्रोत के सम्बंध में स्पष्टीकरण न दे तो उसे उस वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष राशि ली गई है।
8. यदि कर दाता छिपी हुई सम्पतियों के सम्बंध में यह दावा करता है कि वह इसे पूर्व के विवरणों में दिखा चुका है तो इसे साबित करने का दायित्व कर दाता पर होगा।
9. आगे लाई गई हानियों, अशोधित हास को आगे ले जाकर छिपी हुई आयों से इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती।
10. कर निर्धारण अधिकर उस व्यक्ति को नोटिस दे सकता है कि वह एक निर्धारित फार्म पर अपनी आय सत्यापित करके दाखिल करा दे।

11. छिपी हुई आय का निर्धारण होने के बाद कर निर्धारण अधिकारी आदेश जारी करके देय कर की राशि निर्धारित कर देगा।
12. यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह पता चलता है कि छिपी हुई आय किसी दूसरे व्यक्ति की है तो दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को यह मामला सौप देगा।
13. यदि कर दाता निर्धारित 30 दिन के अन्दर अपील नहीं कर सका तो अवधि बीत जाने के पश्चात् कमिश्नर (अपील) के यहां अपील कर सकता है।
14. यदि कर दाता कुल आय का विवरण (गुप्त आय सहित) नोटिस की अवधि बीत जाने पर दाखिल नहीं कराता तो गुप्त आय पर कर की राशि 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाएगा।

अध्याय-19

अपील तथा पुनर्विचार

(Appeals and Revision)

यदि कर दाता कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह ऐसे निर्णय के विरूद्ध वह अपील कर सकता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र देना अपील कहलाता है। यदि कर दाता निश्चित अवधि के अन्दर अपील न कर पाए तो वह कमीश्नर के यहां पुनः र्विचार के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

कमिश्नर (अपील) के यहां अपील

(Appeals to Commissioner (appeals))

धारा 249 के अनुसार सर्वप्रथम कमिश्नर (अपील) के यहां अपील की जा सकती है। अपील करने की शर्ते निम्न प्रकार हैंः-

1. कर दाता द्वारा अपील फार्म नं० 35 भर के आदेश की अवधि के पश्चात् 30 दिन के अन्दर की जानी चाहिए।
2. कमिश्नर (अपील) अवधि बीत जाने पर भी अपील ले सकता है। यदि वह कर दाता के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो।
3. इस अपील को दाखिल कराने से पूर्व यदि कर दाता आय का विवरण दाखिल करा देता है तो विवरण दाखिल नहीं करता परन्तु अग्रिम कर चुका देता है।

अपील के लिए निम्न फीस जमा करानी होगी।

यदि कर निर्धारण द्वारा गणना की गई कुल राशि

(i) 1,00,000 रु० से अधिक नहीं 250 रु०

(ii) 1,00,000 रु० से अधिक है परन्तु 2,00,000 रु० से अधिक नही है तो 500 रु०

(iii) 2,00,000 से अधिक होने पर 1000 रु०

कमीश्नर (अपील) के यहां अपील योग्य आदेशः

धारा 246A के अनुसार यदि कर दाता कर निर्धारण अधिकारी के निम्न आदेशों में से किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो कमिश्नर (अपील) के यहाँ अपील कर सकता हैः-

1. सूचना प्राप्त कर दाता सूचना करने पर अपने ऊपर कर-निर्धारण के दायित्व से मना कर सकता है।
2. आय के विवरण में समायोजन करने से मना कर सकता है।
3. पुनः कर निर्धारण के आदेशों के विरूद्ध
4. त्रुटि सुधार के आदेशों के विरूद्ध।
5. करदाता को अनिवासी एजेण्ट मानने का आदेश।
6. फर्म को पंजीकृत करने से मना करने का आदेश।
7. कर कटौती न करने या निर्धारित अवधि में भुगतान न करने का आदेश।
8. कर की वापसी के सम्बंध में आदेश।
9. तलाशी के आदेश के विरूद्ध छिपी हुई आय के निर्धारण के सम्बंध में अर्थदण्ड लगाने का आदेश।
10. संयुक्त कमीश्नर द्वारा उद्‌गम स्थान पर कर काटने में चूक करना ऐसी आय पर अर्थदण्ड लगाने का आदेश।

11. संयुक्त कमिश्नर के प्रश्नों का उत्तर न देने, हस्ताक्षर करने से मना करने या निरिक्षण करने की स्वीकृति न देने पर अर्थ दण्ड के आदेश।
12. मांगी गई सूचना न देने का आदेश।

अपील की कार्यविधि

धारा 250 के अनुसार कमिश्नर (अपील) की कार्यविधि निम्न प्रकार हैः-

1. अपील सुनने की तारीख तथा स्थान की सूचना करदाता और कर निर्धारण अधिकारी को देना।
2. अपील की सुनवाई में अपील करने वाला स्वंय या उसका अधिकृत प्रतिनिधि वहां प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार रखता है।
3. अपील की सुनवाई में आयकर अधिकारी स्वयं या उसका प्रतिनिधि प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार रखता है।
4. कमिश्नर अपील अपना निर्णय देने से पहले उचित जांच कर सकता है।
5. करदाता को उन मामलों में बोलने की स्वीकृति दी जाती है। जो फार्म में लिखे गए हो।
6. कमिश्नर अपील को अपना निर्णय एक वर्ष के अन्दर दे देना चाहिए।

अपीलेट ट्रिब्यूनल
(Appealate Tribunal)

धारा 252 के अनुसा अपीलेट ट्रिब्यूनल से हमारा अभिप्राय इस प्रकार के न्यायिक समूह से है जो कर दाता के कमिश्नर (अपील) के विरूद्ध अपील को सुनता है तथा उस पर निर्णय देता है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा जाती है। केन्द्रीय सरकार सदस्यों में से एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है तथा उपाध्यक्ष में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार एक न्यायिक सदस्य होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए।

1. वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी जुडिशियल पद पर रहा हो।
2. वह कम से कम 10 वर्ष एड़वोकेट रहा हो।

लेखा सदस्य वह हो सकता है जो कम से कम 10 वर्ष से चार्टड एकाउटेण्ट की प्रैक्टिस कर रहा हो। या अतिरिक्त कमिश्नर या उसके ऊपर किसी पद पर कम से कम 3 वर्ष रहा हो।

अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील
(Appeal to the appealate Trubunal)

धारा 253 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के सम्बंध में निम्न नियम हैंः-

1. यदि कर दाता संशोधित करने के आदेश से संतुष्ट न हो।
2. यदि कोई पुण्यार्थ ट्रस्ट पंजीकृत करने से मना करने पर संतुष्ट न हो।
3. जब कोई कर दता किसी खण्ड अवधि की छिपी हुई आय के निर्धारण तथा देय कर से संतुष्ट न हो। इस सम्बंध में कर दाता 30 दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।
4. कमिश्नर (अपील) द्वारा दिए गए निर्णय में यदि आयकर कमिश्नर को कोई आपत्ति हो तो वह कर निर्धारण अधिकारी को अपील करने के आदेश दे सकता है।
5. कर दाता इस सम्बंध में निम्न फीस जमा करानी होगीः-
   (i) यदि कर दाता की कुल आय कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा 1,00,000 रु० तक है तो 500 रु०।
   (ii) 2,00,000 रुपये तक है तो 1500 रुपये।
   (iii) 2,00,000 रुपये से अधिक है तो निर्धारित आय का 1% परन्तु अधिकतम 10,000 रु० तक।

अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश

धारा 254 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को सुननें के पश्चात् निम्न आदेश दे सकता है:-

1. अपील के दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दे सकता है।
2. अपना आदेश देने के पश्चात 4 वर्ष के अन्दर कोई भूल सुधारने के लिए अपने मूल आदेश में संशोधन भी कर सकता है।
3. ट्रिब्यूनल अपील, अपील की सुनवाई करके अपना निर्णय 4 वर्ष में दे देगा।
4. यदि कार्यवही में रोक का आदेश दिया जाता है तो ट्रिब्यूनल को आदेश की तिथि से 180 दिन में निर्णय देना होगा।

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्य विधि

धारा की कार्यविधि निम्न प्रकार है:-

1. ट्रिब्यूनल का सभापति ट्रिब्यूनल के सदस्य को कई न्याय पीठों में बाट देता है।
2. यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय 5 लाख रु० से अधिक नहीं है तो एक सदस्य की न्याय पीठ होगी।
3. किसी विशेष अपील के सम्बंध में 3 या 3 से अधिक न्याय पीठ नियुकत किए जा सकते हैं।
4. यदि कोई कर दाता ट्रिब्यूनल के आदेश से संतुष्ट न हो तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

उच्च न्यायालय में अपील (Appeals to the High Court)

धारा 260A के अनुसार ट्रिब्यूनल के आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में निम्न प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है:

1. यदि कर दाता मुख्य कमिश्नर या ट्रिब्यूनल के आदेश से संतुष्ट नहीं है।
2. आदेश प्राप्त होने के 120 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है।
3. अपील उसी परसन (Person) के सम्बंध में सुनी जाएगी जो इस मामले में सम्बन्धित है तथा दूसरा पक्षकार उसे सुनकर बहस कर सकता है।
4. उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करके निर्णय देगा। इस मामले में कम से कम 2 जजों की न्याय पीठ द्वारा निर्णय दिया जाता है।
5. यदि उन दोनों में मत भेद है तो उच्च न्यायालय बहुमत के आधार पर निर्णय देगा।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील (Appeals to the Supreme Court)

धारा 261 के अनुसार यदि कर दाता उच्च न्यायलय के मामले से संतुष्ट नहीं है तथा उच्च न्यायालय ने उसे आगे अपील करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है तो कर दाता उचच न्यायलय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायलय में अपील कर सकात है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायलय के निर्णय में परिवर्तन कर देता है तो करदाता के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कर को निपटा देगा।

कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण
(Revision By the Commisnor)

1. **ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण जो सरकारी राजस्व के लिए अहितकर है:**- धारा 263 के अनुसार कमिश्नर किसी भी कार्यवाही की जांच कर सकता है। यदि वह समझता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश सरकारी राजस्व के लिए हितकर है तो उचित पूछताछ करने के पश्चात कर दाता पर कर को बढ़ाना या संशोधन करना या रद्द करने के निर्देश दे सकता है। कमिश्नर आदेश पारित होने के 2 वर्ष पश्चात पुनर्विचार आदेश पारित नहीं कर सकता।
2. **अन्य आदेशों पर पुनरीक्षण (Revision of other orders):–** धारा 264 के अनुसार कमिश्नर ऐसे आदेशों के सम्बंध में जो उसे किसी अधिनिस्थ अधिकारी ने दिए हैं तो उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तथा उचित पूछताछ करने

के पश्चात् आदेश दिया जा सकता है । जो कि कर दाता के हित मे हो। कमिश्नर ऐसे मामलों पर पुनर्विचार आदेश कीएक वर्ष बाद नहीं दे सकता। इसके लिए कर दाता को प्रार्थना पत्र सहित 500 रु० फीस भी देनी होती है।

कमिश्नर निम्न परिस्थितियों में किसी आदेश पर पुनरीक्षण नहीं कर सकता

1. न तो इसके लिए करदाता अपील करता है और न अपील करने का समय बीता है।
2. जब यह आदेश कमिश्नर अपील के यहाँ विचाराधीन है।
3. जब कि उस आदेश के विरूद्ध ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गई है।
4. इस सम्बंध में कमिश्नर को अपना निर्णय 1 वर्ष में दे देना चाहिए।

अध्याय-20

कर का अग्रिम भुगतान

(Advance Payment of Tax)

धारा 208 के अनुसार यदि किसी वितिय वर्ष में कर दाता के देय कर की राशि 5000 रु० या उससे अधिक है तो उसे अग्रिम कर चुकाना होगा। अग्रिम कर से अभिप्राय कर देय होने की तिथि से पूर्व कर का भुगतान करने की स्थिति से है।

अग्रिम कर की गणना

धारा 209 के अनुसार कर दाता द्वारा देय अग्रिम कर की गणना निम्न प्रकार की जाती है:-

1. **कर दाता द्वारा कर की गणना:**- इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी कर दाता पर अग्रिम कर देय है तो वह अपने गत वर्ष की अनुमानित आय पर देय करो क आधार पर गणना करेगा तथा उसे जमा करा देगा चाहे उस पर कभी कर निर्धारण न हुआ तो।
2. **कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना:**-इस अधिनियम में अगर कोई कर दाता पहले से कर का भुगतान कर रहा है और उसने अग्रिम कर नहीं चुकाया है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबसे अन्त में हुए कर निर्धारण के आधार पर कर की गणना की जाएगी। तथा इसकी तुलना आय कर विवरण में दिखाई गई कुल आय से की जाएगी। जो दोनों में अधिक होगा उस आय पर कर की गणना की जाएगी। वही अग्रिम कर कहलाएगा।

स्वंय के अनुमान के आधार पर या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान

1. धारा 210(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर चुकाना पडेगा यदि वह इसके दायी माना जाता है तो।
2. धारा 210(2) के अनुसार यदि कर दाता ने अग्रिम कर की कोई किस्त चुकाई है तो वह चालू आय के अपने अनुमान के आधार पर शेष किस्तों में व द्धि या कमी कर सकता है।
3. धारा 210(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अग्रिम कर चुकाने में दायी है तो कर निर्धारण अधिकारी अग्रिम कर की किस्तों को चुकाने की मांग का नोटिस दे सकता है।
4. धारा 210(5) के अनुसार यदि कर दाता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताई गई अग्रिम कर राशि से संतुष्ट नहीं है तो इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को भेज देगा तथा अपने अनुमान के अनुसार खर्च करेगा।

अग्रिम कर की किस्ते तथा देय तिथिया

धारा 211 के अनुसार प्रत्येक कर दाता अपनी चालू आय पर अग्रिम कर चुकाने का दायी है जो कि वह कर निर्धारण वर्ष के लिए निम्न प्रकार चुकाएगा:-

(i) **कम्पनी की दशा में किस्तों की देय तिथियां**	**देय राशि**
1. 15 जून या उससे पहले	1. अग्रिम कर का 15%
2. 15 सितम्बर या उससे पहले	2. अग्रिम कर की राशि का अगला 30%
3. 15 दिसम्बर या उससे पहले	3. अग्रिम कर की राशि का अगला 30%
4. 15 मार्च या उससे पहले	4. अग्रिम कर की राशि का अगला 25%

(ii) **अन्य कर दाताओं की दशा में किस्तों की देय तिथियां**	**देय राशि**
1. 15 सितम्बर तक	1. अग्रिम कर की राशि का 30%

2. 15 दिसम्बर तक	2. अग्रिम कर की राशि का अगला 30%
3. 15 मार्च तक	3. अग्रिम कर की राशि का अगला 40%

अग्रिम कर चुकाने में चूक करने पर ब्याज

1. अग्रिम कर चुकाने में चूक करने पर ब्याज धारा 208 के अनुसार उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा जिसका अग्रिम कर निर्धारत कर के 90% से कम है।
2. ब्याज की दर 1.25% प्रति माह होगी।
3. यह ब्याज नियमित कर निर्धारण की तिथि तक लगेगा तथा यह ब्याज उस राशि पर लगेगा जो अग्रिम कर तथा निर्धारित कर में से शेष बचता है।
4. यदि करदाता कर निर्धारित से पूर्व स्वयं कर निर्धारण के आधार पर कर चुकाता है तो ब्याज की गणना निम्न प्रकार होगी:-
   (i) ब्याज 1 अप्रैल से उस तिथि तक लगेगा जिस तिथि को राशि का भुगतान हुआ है।
   (ii) ब्याज की गणना स्वयं निर्धारित कर तथा अग्रिम चुकाए गए कर का योग करके यह निर्धारित कर की राशि से जितना कम होगा उसी पर ब्याज की राशि की गणना की जाएगी।
3. यदि पुन कर निर्धारण में कर की राशि बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई अवधि के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा। यदि कर की राशि में परिवर्तन पुनिरक्षण अपील आदि के कारण आता है तो ब्याज स्वंय ही संशोधित कर दी जाएगी।

देय तिथि पर अग्रिम कर भुगतान निर्धारित प्रतिशित से कम करने पर ब्जाज

1. कम्पनी द्वारा अपनी निर्धारित तिथियों पर देय राशि से कम कर की किस्त दी जाती है तो प्रत्येक किस्त पर कम चुकाई गई राशि पर 3 माह का 1.25% प्रति माह की दर से ब्याज चुकाना होगा।
2. अन्य करदाताओं की दशा में कम किस्त का भुगतान करने पर 1.25% प्रति माह की दर से ब्याज 3 माह के लिए देना होगा।

अध्याय-21

कर की वसूली एवं वापसी

(Recovery and Refund of Tax)

करदाता को अपनी आय पर कर का भुगतान कर निर्धारण अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने से 30 दिन के अंदर करना पड़ता है। परंतु 30 दिन की अवधि देने से यदि आयकर विभाग को कोई हानि हो सकती है तो ये 30 दिन की अवधि कम की जा सकती है। यदि कर दाता इस अवधि में कर का भुगतान नहीं करता तो उसे इस कर की राशि पर 1.25% प्रति माह की दर से ब्याज चुकाना होगा। परंतु धारा 220 (2A) के अनुसार मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर यदि निम्न बातों से संतुष्ट होते हैं तो ब्याज कम या माफ किया जा सकता हैः-

1. ऐसी राशि का भुगतान करने में कर दाता को अधिक कठिनाई होगी।
2. यह ब्याज उन कारणों से हुआ जो करदाता के नियंत्रण में नहीं थे।
3. यदि करदाता ने कर निर्धारण अधिकारी को किसी से पूछताछ करने में सहयोग दिया है।

कर में चूक करने पर अर्थदण्डः- यदि करदाता स्वीक त अवधि के अंदर कर का भुगतान नहीं करता तो वह चूक में करदाता माना जाता है। ऐसी चूक करने पर करदाता को अर्थदण्ड भी चुकाना पड़ता है। परंतु अर्थदण्ड किसी भी दशा में कर की राशि से अधिक नहीं हो सकता। यदि करदाता कर को किस्तों मं चुकाने की स्वीक ति लेता है और किसी किस्त का भुगतान नहीं करता तो उसे चूक में करदाता माना जाएगा।

वसूली की विधियांः- यदि करदाता कोई कर, ब्याज, जुर्माना या अर्थदण्ड आदि का भुगतान नहीं करता तो इस राशि को वसूल करने की निम्नलिखित विधियां हैंः-

1. धारा 222 के अनुसार टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक विवरण तैयार करके वसूली की निम्न कार्यवाही कर सकता हैः-
   i. कर दाता की सम्पत्ति की कुर्की करके उसकी ब्रिक्री करना।
   ii. कर दाता की गिरफ्तारी करके जेल में बंद करना। या उसकी सम्पत्ति के प्रबंध के लिए रिसीवर नियुक्त करना।
2. धारा 226 के अनुसार कर दाता के नियोक्ता को नोटिस देकर उसके वेतन से कर की वसूली की जा सकती है।
3. धारा 226 के अनुसार मुख्य कमिश्नर द्वारा स्वीक ति लेकर उसकी सम्पत्ति बेचकर कर की वसूली की जा सकती है।
4. न्यायलय द्वारा करदाता को देय राशि में से कर की वसूली की जा सकती है।
5. कर दाता की कोई राशि अन्य व्यक्तियों के पास जमा होने से भी कर की वसूली की जा सकती है।
6. धारा 227 के अनुसार कर की वसूली का कार्य संबंधित क्षेत्र की राज्य सरकार को भी सौंपा जा सकता है।
7. धारा 228 (A) के अंतर्गत विदेशी समझौते के अंतर्गत एक अनिवासी व्यक्ति से विदेशी सरकार द्वारा कर की वसूली की जा सकती है।
8. धारा 232 के अनुसार किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाकर भी कर की वसूली की जा सकती है।

धारा 230 के अनुसार कर दाता द्वारा कर का भुगतान कर देने पर या उसे वसूल हो जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुकाने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जिसको प्राप्त करके वह चाहे तो विदेश यात्रा कर सकता है।

कर की वापसी

(Refund of Tax)

धारा 237 के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी कर दाता की इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा अधिनियम

के अंतर्गत अधिक कर का भुगतान किया है तो ऐसी आधिक्य राशि को वापिस पाने का अधिकारी है। साधारणतः कर की वापसी निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैः-

1. किसी त्रुटि सुधार में देयकर की राशि कम होने पर।
2. दोहरे करारोपण की छूट स्वीक त होने पर।
3. देयकर की राशि से उद्‌गम स्थान पर काटी गई कर की राशि अधिक होने पर।
4. अपील के निर्णय से देयकर की राशि में कमी होने पर।

एक करदाता स्वयं या उसके द्वारा अधिक त व्यक्ति प्रतिनिधि धारा 238 के अंतर्गत कर की वापसी मांगने का अधिकारी है।

वापसी मांगने की कार्यविधि

कर दाता द्वारा कर के आधिक्य को वापिस मांगने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही प्रयोग में लानी चाहिएः-

1. फार्म नं. 30 भरकर वापसी के लिए प्रार्थना पत्र देने पर।
2. वापसी की मांग के साथ आय का वितरण नत्थी (लगा देना) चाहिए।
3. यदि ऐसी आय जिस पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती हो गई है उसका प्रमाण पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ लगा देना चाहिए।
4. कर दाता वापसी की मांग केवल एक वर्ष के अंदर कर सकता है।
5. कर निर्धारण अधिकारी 1 लाख रुपये से अधिक वापसी की मांग में विलम्ब भी कर सकता है बशर्ते कि करदाता की आय में किसी अन्य व्यक्ति की आय शामिल नहीं है तथा वह आय कर योग्य नहीं है (या) वापसी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की वजह से हुई है।

वापसी पर ब्याजः- धारा 244(A) के अनुसार कर की वापसी पर ब्याज के संबंध में निम्न नियम लागू है।

1. यदि वापसी अग्रिम कर या उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से संबंधित है तो वापसी स्वीक त होने तक की तिथि तक का ब्याज देय होगा।
2. विलम्ब की अवधि की गणना में कर दाता के कारण विलम्ब की अवधि शामिल नहीं होगी।
3. यदि वापसी की राशि में कोई व द्धि या कमी निम्न के फलस्वरूप होती है तो ब्याज की राशि भी घटा या बढ़ा दी जाएगीः-
    a. पुनः कर निर्धारण होने से
    b. त्रुटि सुधार से
    c. अपील या पुर्नविचार से
    d. कसबूत या पूछताछ के आधार पर।
4. वापसी की स्वीक ति में विलम्ब होने पर 1% प्रति माह की दर से सरकार को ब्याज देना होगा।

अध्याय-22

अर्थदण्ड, जुर्म तथा अभियोजन

(Penalties, Offences & Prosecution)

अर्थदण्ड से हमारा अभिप्राय कर दाता कर का भुगतान न करने पर या चूक करने पर आयकर कमिश्नर द्वारा दण्ड स्वरूप जो भार करदाता पर लगाया जाता है वह अर्थदण्ड कहलाता है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए कि वह अर्थदण्ड का निर्धारण विवेक के आधार पर करें।

अर्थदण्ड की मदें

(Items of Penalties)

1. धारा 221 (1) के अनुसार कर दाता पर लगाया गया कर या कर पर ब्याज न चुकाए जाने पर अर्थदण्ड लगाया जाता है। तथा इसे समय-समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। परंतु अर्थदण्ड कर की राशि से अधिक नहीं हो सकता।
2. धारा 271 (1) (C) के अनुसार यदि कोई कर दाता अपनी आय को छुपाता है या गलत विवरण देता है तो उस पर बचाई गई कर की राशि पर 100 से 300% तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
3. धारा 271 (A) के अनुसार यदि कोई करदाता जिसे अनिवार्य रूप से अपने बही खाते तथा प्रपथ संभाल कर रखने को कहा गया था परंतु कर दाता उतनी अवधि तक उसे हिफाजत से नहीं रखता तो कमिश्नर के द्वारा उस पर 25000 रुपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
4. धारा 271(B) के अनुसार यदि कर दाता कर बचाने के उद्देश्य से अपने खातों का अकेक्षण नहीं कराता या अकेक्षण रिपोर्ट आयकर विवरण के साथ जमा कराने में चूक करता है तो उसे कुल बिक्री की 1/2% या 1 लाख रुपये में जो दोनों में कम हो अर्थदण्ड देना होगा।
5. धारा 158(BC) के अंतर्गत यदि कोई कर दाता आय का विवरण दाखिल कराने या विलम्ब करने या संपूर्ण आय न दिखाने की चूक करता है तो देय कर की राशि का 100% से 300% तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
6. धारा 143(2) के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यता की जांच करने के लिए कर दाता से सबूतों की मांग की जाती है तथा कर दाता इसमें चूक करता है तो उस पर 10,000 रुपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
7. धारा 220(2) के अनुसार कर दाता से कर की मांग करने पर उसे 30 दिन के अंदर मांगी हुई राशि चुकानी होती है। यदि यह राशि नहीं चुकाता तो 31वें दिन से कर दाता को 1.25% की दर से भुगतान की तिथि तक प्रतिमाह के आधार पर ब्याज चुकाना होगा।
8. धारा 271(1)(B) के अनुसार यदि कर दाता लेखों के अकेंक्षण संबंधी या लेखे प्रस्तुत करने संबंधी कोई चूक करता है या आदेश का पालन नहीं करता तो कर दाता पर 10 हजार रुपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
9. धारा 271(BB) के अनुसार यदि कोई ट्रस्ट या कोई परस्परिक कोष जिसे आवश्यक रूप से किसी योजना में विनियोग करना है। परंतु इन संस्थाओं के द्वारा 6 माह के अंदर पूंजी योग्य निर्गमन में विनियोग नहीं किया जाता तो न विनियोग की गई राशि के 20% अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
10. धारा 271(C) के अनुसार यदि कोई करदाता उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करता तो कटौती की राशि के बराबर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है
11. धारा 271(D) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20 हजार रुपये से अधिक राशि बिना एकाउटेण्ट पेयी (A/c Payee) चैक या ड्राफ्ट द्वारा जमा कर लेता है तो इस प्रकार की जमा की राशि के बराबर अर्थदण्ड लगेगा।

12. धारा 271(E) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20 हजार रुपये से अधिक राशि बिना चैक के भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि के बराबर अर्थदण्ड लगेगा।

13. धारा 271(F) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय कर का वितरण देय तिथि तक दाखिल कराने में चूक करता है तो उस पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

14. धारा 272(A) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देने ब्यान पर हस्ताक्षर करने सूचना प्रदान करने या आयकर विवरण दाखिल करने या निरीक्षण आदि करने में चूक करता तो कमिश्नर द्वारा उस पर 10 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

15. यदि कोई व्यक्ति निम्न के संबंध में चूक करता है, तो उस पर जहां जब तक चूक चालू रहे 1100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया जाया। ये चूक निम्न हो सकती हैः-

    i. प्रतिभूत के संबंध में नोटिस के अनुसार मांगी गई सूचना के प्रस्तुत न करने पर

    ii. व्यापार बंद होने की सूचना 15 दिन के अंदर होने पर

    iii. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने वालों का निर्धारित विवरण दाखिल न करने पर

    iv. उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह करने वाला व्यक्ति का विवरण दाखिल न करने पर

    v. सिनेमा और फिल्म निर्माताओं द्वारा विवरण दाखिल न करने पर

    vi. अंशधारी या ऋण पत्र धारियों के रजिस्ट्रर का निरीक्षण या नकली लेने की स्वीक ति ने देने पर

    vii. यदि पुनयार्थ संस्था की आय का विवरण स्वीक त समय के अंदर दाखिल न कराने पर

    viii. प्रतिभूति पर ब्याज, लाभांश, या अतिरिक्त ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कटौती न करने की प्रतिलिपि मुख्य कमिश्नर के यहां दाखिल न करने पर।

    ix. कर की कोई बकाया राशि वेतन न काटने पर।

16. धारा 275A(a) के अनुसार यदि कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी को कतिपय सूचनाएं देने पर चूक करता है। तो उसे 1000 रुपये पर अर्थदण्ड देना पड़ सकता है।

17. धारा 275(B) के अनुसार यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या किसी प्रलेख में लिखने, या गलत लिखने, या न लिखने पर 10,000 रुपये अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

18. धारा 275(B)(B) के अनुसार यदि कोई कर दाता कटौती की खाता संख्या के आबंटन के लिए प्रार्थना नहीं देता तो उसे 10,000 रुपये अर्थदण्ड देना होगा।

आय कर कमिश्नर के अधिकार है कि वह अर्थदण्ड को कम या माफ कर सकता है। बशर्ते कि उस व्यक्ति द्वारा छिपी हुई आय का पूर्णतः विवरण सही-सही बता दिया हो या किसी जांच के विभाग का सहयोग किया हो ! या देयकर या ब्याज चुका दिया हो। इस संबंध में बोर्ड की अनुमति से पांच लाख रुपये तक छिपाई गई आय पर अर्थदण्ड लगाने के लिए मुख्य कमिश्नर की अनुमति लेना होगी। यदि अर्थदण्ड की राशि 1 लाख रु० से अधिक है तो अर्थदण्ड माफ या कम करने के लिए मुख्य कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी।

अर्थदण्ड लगाने की समय सीमाः- धारा 275 के अनुसार अर्थदण्ड लगाने का आदेश द्वितीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व दे देना चाहिए। यदि कोई मामला विचाराधीन है तो उसके लिए आदेश, निर्णय हो जाने के बाद के छः माह के अंदर दे देना चाहिए।

जुर्म तथा सजाएं (अभियोजन)

(Offences and Procecutions)

धारा 275 से 278 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा भूल करने पर या जुर्म करने पर कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर की पूर्व स्वीक ति से निम्नलिखित सजाएं हो सकती हैः-

1. धारा 275(A) के अनुसार यदि कोई कर दाता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है उसे अधिक से अधिक दो वर्ष तक कड़ी कैद की सजा तथा जुर्माना देना होगा।

2. धारा 275 (B) के अनुसार यदि कोई कर दाता कर निर्धारण अधिकारी के निरीक्षण से संबंधित लेखा बहियों या दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करवाता तो उसे 2 वर्ष की कड़ी कैद तथा जुर्माना हो सकता है।
3. धारा 274 के अनुसार यदि कोई कर दाता कर को बचाने के उद्देश्य से किसी सम्पत्ति को हटा देता है, छिपा देता है, हस्तांतरण कर देता है तो उस पर दो वर्ष की कड़ी सजा व जुर्माना भी हो सकता है।
4. धारा 276(B) के अनुसार यदि कोई कर दाता उद्‌गम स्थान पर कर काटकर केंद्रीय सरकार के कोष में जमा नहीं करवाता तो उसे 3 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है।
5. धारा 276C (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर अर्थदण्ड या ब्याज को बचाने का प्रयत्न करता है तो जो कि एक लाख रुपये से अधिक है तो उसे 6 माह से लेकर 7 वर्ष की कैद तथा जुर्माना भी लग सकता है।
6. धारा 276C(C) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आय कर विवरण दाखिल कराने में चूक करता है। तथा इससे उसकी एक लाख या उससे अधिक कर की राशि बच सकती है तो उसे 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है। अन्य किसी दशा में तीन माह से लेकर 3 साल तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है।
7. धारा 276CC के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तलाशी के मामले में जान बूझकर अपना आय विवरण दाखिल नहीं करवाता तो उसे 3 साल तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है।
8. धारा 276D के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नोटिस में मांगे गए हिसाब की पुस्तकें जान बूझकर प्रस्तुत नहीं करता या अकेक्षंण नहीं करवाता तो उसे एक वर्ष तक की कैद तथा 4 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रतिदिन की दर से जुर्माना हो सकता है।
9. धारा 277 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति झूठ को जानते हुए भी सही होने की घोषणा करता है जिससे उस पर 1 लाख रुपये से अधिक कर बच सकता है तो उसे 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कड़ी कैद तथा जुर्माना लगाया जा सकता है। अन्य दशा में तीन माह से लेकर 3 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना लगाया जा सकता है।
10. धारा 278 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आय का झूठा विवरण या झूठी घोषणा के लिए प्रोत्साहित करता है तो यह जुर्म माना जाएगा। तथा इससे उस व्यक्ति का एक लाख से अधिक कर या अर्थदण्ड या ब्याज की राशि बच सकती है तो उस पर 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना लगेगा। अन्य दशा में 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना लगेगा।
11. धारा 278A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सजा के लिए बार-बार जुर्म करता है तो प्रत्येक जुर्म के लिए 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना लगाया जाएगा।
12. धारा 280 के अनुसार यदि कोई सरकारी अफसर आयकर के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो या कोई विशेष सूचना अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उसे छः माह तक की कड़ी कैद तथा जुर्माने का दण्ड दिया जाएगा।
13. धारा 278B के अनुसार यदि किसी कंपनी के द्वारा कोई जुर्म किया जाता है तो प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। परंतु यदि वह व्यक्ति कर निर्धारण अधिकार को जुर्म की जानकारी न होने का विश्वास दिला देता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी।
14. धारा 278C के अनुसार यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कोई जुर्म किया जाता है तो इसके लिए उसका कर्ता जिम्मेवार होगा। परंतु वह सिद्ध कर देता है। उसे जुर्म की जानकारी नहीं थी तो उसे सजा नहीं मिलेगी। परंतु यह कर्ता की लापरवाही से हुआ हे तो उसे सजा जरूर दी जाएगी।

अध्याय-23

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती तथा कर का संग्रह

(Deducation and Collection of Tax at Sourcs)

सरकार द्वारा विभिन्न आयों पर कर निम्न प्रकार एकत्रित किया जाता है:-

1. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
2. उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह
3. कर का अग्रिम भुगतान
4. स्वयं कर-निर्धारण पर कर का भुगतान
5. मांग का नोटिस

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Sources)

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा कोई आय अन्य व्यक्तियों को हस्तांरित करते समय उसमें से कर की राशि काट ली जाए। तथा सरकारी खजाने में जमा कर दी जाए। निम्न भुगतान करते समय उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए:-

1. **वेतन:-** धारा 192 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने से पहले निर्धारित दर से अनुमानित वेतन पर कर की कटौती काट ले तथा उसे सरकारी खजाने में जमा करा दें। अनुमानित वेतन से हमारा अभिप्राय सकल कुल वेतन में से धारा 80CCC से लेकर 80U तक की कटौतियां घटाने के बाद प्राप्त आय से हैं।

   वेतन पर उद्‌गम स्थान पर कटौती करने के नियम निम्न है:-

   a. यदि किसी नियोक्ता को वर्ष के बीच में यह पता चले कि वेतन का समायोजन सही नहीं है तो वह वेतन में से काटी जाने वाली कर की रकम में उचित समायोजन कर सकता है।

   b. यदि कर दाता एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन पाता है तो किसी एक नियोक्ता को उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती काटने के लिए चुन सकता है तथा समस्त आय का विवरण उसके पास जमा कर देगा।

   c. यदि कर्मचारी किसी कंपनी, सरकारी समिति, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालय या व्यक्तियों के समूह से संबंधित है तो कटौती करते समय पुरानी बकाया वेतन प्राप्ति या अग्रिम वेतन के संबंध में छूट दे दी जाती है।

   d. प्रत्येक कर दाता के वेतन शीर्षक की आय में अतिरिक्त आय जोड़ कर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है।

   नियोक्ता द्वारा फार्म नं० 24 भरकर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती का विवरण दाखिल कराया जाता है।

2. **प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अन्य आय पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की दरें:-**

   i. कंपनी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की दशा में:-

   (क) यदि वह व्यक्ति भारत में निवासी है:-

	आय कर की दर
(a) प्रतिभूतियों पर ब्याज (जो किसी स्टाक एक्सचेंज पर listed है)	21%
(b) अन्य ब्याज व लांभाश पर	10.5%

(c)	लाटरी, ताश के खेल, घुड़दौड़ की जीत से आय	31.5%
(d)	अन्य किसी आय पर	21%
(ख) यदि वह व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है:-		
i.	***एक भारतीय निवासी की दशा में:***	
(a)	विनयोग तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभ	21%
(b)	लाटरी, ताश के खेल, घुड़दौड़ की जीत तथा अन्य पर	31.5%
ii.	***अन्य किसी व्यक्ति की दशा में:-***	
(a)	ब्याज तथा दीर्घकाली पूंजी लाभ पर	21%
(b)	लाटरी, ताश के खेल, घुड़दौड़ की जीत तथा अन्य आय पर	31.5%
iii.	***कंपनी की दशा में:-***	
	(क) यदि कंपनी घरेलू है तो:-	
	(a) लाभांश	10.5%
	(b) लाटरी, ताश के खेल, घुड़दौड़ की जीत	31.5%
	(c) ब्याज तथा अन्य किसी आय पर	21%
	(ख) यदि कंपनी घरेलू कंपनी नहीं हे तो:-	
	(a) लाटरी, ताश के खेल, घुड़दौड़ की जीत से आय	31.5%
	(b) दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर	21%
	(c) अन्य किसी आय पर	42%

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कब नहीं की जाएगी:-

1. यदि ऐसी आयों का योग वित्तिय वर्ष में कुल मिलाकर 5000 रुपये से अधिक नहीं है तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। परंतु बैंक या सहकारी बैंक में स्थाई जमा या सार्वजनिक कंपनी में जमा राशि पर ब्याज या शाखा द्वारा ब्याज यदि एक वित्तिय वर्ष में 5000 रुपये से अधिक है तो उस पर वित्तिय वर्ष में कर की कटौती की जाएगी।
2. यदि आय किसी बैंकिग कंपनी, सहकारी समिति, वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या अन्य कोई केंद्रीय सरकार की संस्था पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।
3. डाकखाने में जमा पर ब्याज केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए ब्याज तथा कर मुक्त ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।
4. फर्म द्वारा सांझेदारों को दिए गए ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

लाटरी या वर्ग पहेली आदि के इनाम से आय:- धारा 194 (B) के अनुसार आय 5000 रुपये तक होने पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। इससे अधिक होने पर 31.5% की दर से कर की कटौती की जाएगी।

घुड़दौड़ से जीत:- घुड़दौड़ की जीत की रकम 2500 रुपये से अधिक होने पर कर की कटौती 31.5% की दर से की जाएगी।

ठेकेदारों व उपठेकेदारों को किए गए भुगतान:- धारा 194(C) के अनुसार किसी निवासी ठेकेदार को श्रम की पूर्ति के बदले में किए गए भुगतान पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती विज्ञापन की दशा में 1.05% की दर से तथा अन्य देशों में 2.1% की दर से की जाएगी बशर्ते की ठेकेदार एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं है।

परंतु ठेकेदार को भुगतान 20,000 रुपये से अधिक नहीं है तो कर की कटौती नहीं की जाएगी।

धारा 194D के अनुसार:- एक निवासी बीमा व्यापार के अंतर्गत प्रतिफल देने पर कर की कटौती 10.5% की दर से की जाएगी। परंतु उसकी आय 5000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। घरेलू कंपनी की दशा में आयकर की कटौती 21% होगी।

अनिवासी खिलाड़ियों अथवा खेल के संघो को भुगतान:- धारा 194E के अनुसार अनिवासी खिलाड़ी या अनिवासी खेल संघ को किए गए भुगतान पर 10.5% की दर से कर काटे।

लाटरी की टिकटों को बेचने के संबंध में कमीशनः- धारा 199(G) के अनुसार यदि कमीशन का भुगतान 1000 रुपये से अधिक है तो भुगतान करने वाले के द्वारा 10.5% की दर से कर काटा जाएगा।

दलाली या कमीशनः- दलाली या कमीशन का भुगतान करते समय 10.5% की दर से कटौती की जाएगी बशर्ते की दलाली 2500 रुपये से अधिक हो।

किराये के भुगतान पर कर की कटौतीः- कोई व्यक्ति जो एक लाख बीस हजार (1,20,000) रुपये से अधिक किराये का भुगतान करता है तो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में 15.75% तथा अन्य किसी दशा में 21% कटौती की जाएगी।

पेशे या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की आयः- धारा 194(J) के अनुसार एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़कर 20,000 रुपये से अधिक फीस के भुगतान पर 5.25% के बराबर कटौती की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में क्रय किये गए यूनिट से आय या उसके हस्तांतरण से आयः- धारा 196(B) के अनुसार ऐसी आय पर 10% की दर से उद्‌गम स्थान पर कर काटा जाएगा।

विदेशी संस्थागत विनियोगी को भुगतान होने वाली राशि पर कटौतीः- धारा 196(D) के अनुसार ऐसे भुगतान पर 20% की दर से उद्‌गम स्थान की कटौती की जाएगी। परंतु प्रति भूतियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ पर कटौती नहीं की जाएगी।

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में अन्य प्रावधानः-

1. धारा 198 के अनुसार प्राप्त आय पर कर की कटौती नहीं की जाती। क्योंकि उस पर कर काटा जा चुका है।
2. धारा 200 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काटे हुए कर की रकम निश्चित अवधि के अंदर State Bank या सरकारी खजाने में जमा करा देना चाहिए।
3. धारा 203(A) के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निर्धारित समय के अंदर Tax Deduction Account Number मांगने का प्रार्थना पत्र दे दे। जिसमें वह कटौती की रकम जमा करेगा। चूक करने पर उस पर 10,000 रुपये अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
4. धारा 201(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भुगतान करते समय कर नहीं काटता या कर सरकारी खजाने में जमा नहीं कराता तो कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड तथा 15% की दर से ब्याज सरकार को भुगतान करेगा।
5. यदि वह व्यक्ति उपरोक्त धनराशि सरकारी कोष में जमा नहीं कराता तो उसे 3 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
6. प्रत्येक कर काटने वाले का यह कर्तव्य है कि वह धारा 203 के अंतर्गत कटौती का प्रमाण पत्र भुगतान प्राप्त करने वाले को दे।
7. यदि कोई व्यक्ति धारा 197 के अनुसार कटौती कम दर से करता है तथा इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को भी संतुष्ट कर देता है तो कर निर्धारण अधिकारी उसे कम दर का प्रमाण पत्र दे देता है।

कर का संग्रह
(Collection of Tax)

धारा 206(C) के अनुसार प्रत्येक विक्रेता का यह दायित्व है कि वह शराब, जंगल के उत्पाद आदि के व्यापार के लाभों के संबंध में कर का उद्‌गम स्थान पर संग्रह कर ले। जो निम्न प्रकार देय हैः-

	माल की प्रक ति	क्रेता द्वारा देय राशि पर आयकर वसूल करने का प्रतिशत
1.	मनुष्य के उपभोग के लिए Alcoholic Liquor (जो भारत में बनी हुई विदेशी शराब न हो) तथा Tendu leaves पर	10.5%
2.	जंगल के पट्टे के अंतर्गत ली गई लकड़ी	15.75%
3.	जंगल के पट्टे के अतिरिक्त अन्य प्रकार से ली गई लकड़ी	5.25%
4.	लकड़ी अथवा Tendu leaves के अतिरिक्त अन्य कोई जंगल के उत्पाद पर	15.75%

कर संग्रह करने के अपवादः- यदि यह माल निर्माण करने या वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्रय किया है तो विक्रेता द्वारा उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह नहीं किया जाएगा तथा क्रेता को कर निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा कि वह वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए माल खरीद रहा है।।

कर संग्रह करने का विवरण दाखिल करना तथा संग्रह की राशि खजाने में जमा कराने की अवधिः- विक्रेता द्वारा कर का संग्रह करने के पश्चात 7 दिन के अंदर सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। तथा उसका दायित्व है कि वह 30 सितंबर तथा 31 मार्च तक की 6 माह की अवधि का विवरण तैयार करके एक माह के अंदर आयकर अधिकारी के यहां दाखिल कर दें।

कर न वसूल करने या सरकारी कोष में जमा न कराने पर ब्याज तथा सजाः- यदि विक्रेता कर की राशि वसूल नहीं करता या 7 दिन के अंदर वसूल की गई राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराता ता उसे इस राशि पर 1.25% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज सरकार को देना होगा। ऐसा ना करने पर उसे 3 माह से लेकर 7 वर्ष की सजा तथा जुर्माना लग सकता है।

इस संबंध में अन्य प्रावधान निम्न हैंः-

1. यदि खरीदा हुआ माल बाद में नष्ट या चोरी हो जाता है तो संग्रह किया गया कर बाद में वापिस लौटा दिया जाएगा।
2. यदि माल स्वयं उपभोग के लिए क्रय किया है तो उस पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।
3. क्रय मूल्य में वस्तु के लागत के अलावा सभी केंद्रीय तथा राज्य शुल्क भी शामिल होंगे।
4. यदि लागत का भुगतान दो विक्रेताओं को किया जाए ता कर संग्रह दोनों विक्रेता करेंगे।
5. यदि विक्रेता एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का संघ है तो उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह नहीं किया जाएगा।
6. कोयला बनाने के लिए बेची गई लकड़ी पर 5.25% की दर से कर देय होगा।

कर संग्रह खाता संख्या

(Tax Collection Account Number)

धारा 206 (CA) के अनुसार कर संग्रह करने वाले व्यक्ति को निर्धारित समय के अंदर कर अधिकारी को कर संग्रह खाता संख्या के लिए आवेदन कर देना चाहिए जब उस व्यक्ति को कोई खाता संख्या दे दी जाती है तो वह ऐसी संख्या को निम्नलिखित प्रपत्रों में लिखेगाः-

1. ऐसे दस्तावेजों में जो राजस्व के हित में निर्धारित किए जाए।
2. धारा 206(C) के अंतर्गत आयकर प्राधिकारी को दी गई विवरणियों में।
3. भुगतानों के चलान में।
4. ग्राहकों को दिए गए प्रमाण पत्रों में।

अध्याय-24

कंपनियों का कर निर्धारण

(Assessment of Companies)

धारा 2 (17) के अनुसार कंपनी से हमारा अभिप्राय उस संस्था से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अुनसार कंपनी घोषित कर दिया हो। या विदेशी कानून के अंतर्गत उसे कंपनी के रूप में समामेलित किया गया हो। या ऐसा कोई निकाय जो आयकर अधिनियम 1922 के अधीन कर निर्धारण के लिए योग्य हो या आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत उसका कर निर्धारण कंपनी के रूप में हुआ हो तो उसे कंपनी के नाम से जाना जाता है। अन्य करदाताओं की भांति कंपनी को भी अपनी आय का विवरण कर निर्धारण अधिकारी को जमा कराना होता है। जिसके लिए कर निर्धारण वर्ष में 30 नवंबर तक आयकर विवरण दाखिल कराने की तिथि निर्धारित की गई है।

कंपनी के कर निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण बातें:-

1. कंपनी पर स्वयं अपने नाम से कर निर्धारण होता है। अर्थात् कंपनी एक क त्रिम तथा स्वतंत्र करदाता के रूप में आयकर का भुगतान करती है
2. कंपनी की कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय में से 80CCC से 80U तक कुछ कटौतियां मिलती है
3. यदि एक घरेलू कंपनी लाभांश वितरित करती है तो उसे अतिरिक्त कर देना पड़ता है।
4. कम्पनी की कुल आय पर एक सी दर से कर लगता है।

कंपनी के अथवा मुख्य अधिकारी के कर्तव्य:- एक कंपनी या उसके मुख्य अधिकारी के आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्न कर्तव्य हैं:-

1. धारा 203 के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज पर कर की कटौतियों के संबंध में उसे प्रमाण पत्र देना चाहिए। जिस पर काटी हुई रकम तथा कर की दर दी होनी चाहिए।
2. धारा 140(A) के अनुसार आयकर विवरण दाखिल करने से पहले अग्रिम कर का भुगतान।
3. धारा 139 के अनुसार निर्धारित समय में आय का विवरण दाखिल कराना।
4. ब्याज पर काटी गई कर की राशि सरकारी कोष में जमा कराना।
5. यदि किसी निवासी व्यक्ति को ब्याज का भुगतान जो कि 5000 रुपये से अधिक है, किया जाता है तो उस पर उद्‌गम कर की कटौती कर लेनी चाहिए।
6. यदि कंपनी को Tax Deduction Account Number नहीं मिला है तो इसके लिए प्रार्थना पत्र दे दे। ताकि वह सरकारी खजाने में अपने खाते में काटा गया कर जमा कर सके।

लिक्वीडेशन में गई हुई कंपनियां

(Companies in Liquidation)

धारा 178 के अनुसार समापन में गई हुई कंपनियों के संबंध में निम्न प्रावधान हैं:-

1. धारा 178(1) के अनुसार निस्तारक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नियुक्ति की सूचना 30 दिन के अंदर कर निर्धारण अधिकारी को दे दें।

2. धारा 178(2) के अनुसार निस्तारक की नियुक्ति की सूचना पाने के 3 माह पश्चात कर निर्धारण अधिकारी उचित पूछताछ करके निस्तारक को उस रकम की सूचना देगा जो कंपनी की सम्पत्तियों से कर चुकाने के लिए पर्याप्त होगी।

3. धारा 178(2) के अनुसार निस्तारक बिना मुख्य कमिश्नर की स्वीक ति के बिना सम्पत्तियों से कर चुकाने के लिए पर्याप्त होगी।

3. धारा 178(2) के अनुसार निस्तारक बिना मुख्य कमिश्नर की स्वीक ति के बिना सम्पत्तियों का वितरण नहीं कर सकता। जब तक कर निर्धारण अधिकारी उसे न कह दे।

4. धारा 178(4) के अनुसार यदि निस्तारक अपनी नियुक्ति की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को नहीं देता या संपत्तियों का वितरण कर देता है तो कंपनी के देय कर के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उतरदायी है।

व्यक्तिगत कंपनियां

(Private Companies)

समापान में गई हुई Private Company के संचालको का दायित्वः-

1. यदि किसी समापन में गई हुई Private Company का पिछले गत वर्षो का देय कर वसूल न हो सका तो प्रत्येक संचालक कर का दायित्व चुकाने का दायी होगा।

धारा 179 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1962-63 से पूर्व के वर्षो का कर वसूल नहीं हो सका है तथा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बन चुकी है और वह समापन में चली जाती है ता प्राइवेट कंपनी के संचालक न वसूल हुए कर के दायी नहीं होंगे।

कंपनियों पर कर निर्धारण

प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में कंपनी को अपनी कुछ आय पर एक ही दर से कर चुकाना होगा सिवाए उन आयों के जो विशेष दरों में आती है जिनकी गणना निम्न दरों के आधार पर की जाती हैः-

1. घरेलू कंपनी की दशा मेंः-
   - i. दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 10% या 20%
   - ii. जीत की आय पर 30%
   - iii. अन्य आय पर 35%
2. अन्य कंपनी की दशा मेंः-
   - i. रॉयल्टी या टेक्निकल Service प्रदान करने पर प्राप्त प्रतिफल पर 50% की दर से।
   - ii. उस रॉयल्टी या फीस पर जिसका अनुबंध 1976 के बाद परंतु 1.6.97 से पूर्व हुआ हो। उस पर आयकर 30%
   - iii. यदि अनुबंध 31.5.97 के बाद हुआ हो तो 20%
   - iv. जीत की आय पर 30%
   - v. शेष कुल आय पर 48%

कतिपय कंपनियों द्वारा कर भुगतान के लिए विशेष प्रावधान

(MAT)

धारा 195JB के अनुसार यदि किसी कंपनी की कुल आय पर देय कर उसके पुस्तक लाभ के 7.5% (+ अधिकार देय है तो) से कम है तो पुस्तक लाभ कंपनी की कुल आय माना जाएगा। तथा ऐसी दशा में कंपनी को अपनी इस आय पर उपरोक्त दरों से कर देना होगाः-

पुस्तक लाभ की गणना करते समय निम्न बाते ध्यान में रखनी हागीः-

1. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि 6 के भाग 2 व भाग 3 के प्रावधानों के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार करेगी।
2. कंपनी वार्षिक खाते बनाते समय वही नीति अपनाएगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 में वर्णित है और उन्हें कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में रखा जाएगा।
3. यदि कंपनी का हिसाबी वर्ष गत वर्ष से भिन्न है तो ह्रास की विधि एवं दर गत वर्ष के अनुसार होनी चाहिए।

पुस्तक लाभ का अर्थः- पुस्तक लाभ से अभिप्राय कंपनी द्वारा बनाए गए लाभ हानि खाते में निम्न राशियां जोड़ देनी चाहिए (बशर्ते कि वे लाभ हानि खाते में Debit कर दी गई हो)

1. चुकाया गया आयकर तथा उसके लिए प्रावधान
2. सहायक कंपनियों की हानियों के लिए प्रावधान
3. कर मुक्त आयों के संबंध में व्यय।
4. निश्चित दायित्व के अतिरिक्त अन्य दायित्व के लिए प्रावधान।
5. संचय खाते में हस्तांतरित राशि।
6. भुगतान किया गया या प्रास्तावित किया गया वित्त लाभांश।

इनके जोड़ में से निम्न राशियां घटा दी जाएगीः-

1. किन्हीं सचयों या प्रावधानो में से आहरित की गई राशि यदि लाभ हानि खाते में Credit कर दी गई हो।
2. धारा 10, 10A, 10B, 11 व 12 में वर्णित कर मुक्त आय, यदि वे लाभ हानि खाते में Credit कर दी गई हो।
3. पुस्तकों के आधार पर आगे लाई गई हानियां या अशोधित ह्रास, जो दोनों में कम हो।
4. धारा 80HHC, 80HHE या 80HHF में कटौति के लिए मान्य राशि।

कम्पनी की मानी गई आय पर चुकाए गए कर के लिए Credit: मानी गई आय पर कम्पनी द्वारा चुकाए कर के लिए बाद के वर्ग में निम्न प्रकार Credit दिया जाएगाः

1. चुकाए गए कर तथा अधिनियम के अनुसार कुल आय पर देय कर की अन्तर की राशि का Credit दिया जाएगा।
2. यह Credit अधिक से अधिक 5 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।
3. यह पूर्ति उसी राशि तक की जाएगी जो कुल आय पर देयकर तथा अधिनियम द्वारा देय कर के आधिक्य में से घटा कर शेष राशि आएगी।
4. कर के Credit पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

घरेलू कंपनियों के वितरित लाभों पर करः-

1. यदि कोई घरेलू कंपनी 1 April, 2002 से पूर्व लाभांश घोषित करती है तो उसे 10.2% की दर से कर देना होगा।
2. यदि यह लाभांश 1 April, 2001 से 31 May 2001 तक लाभांश घोषित करती है तो उस पर 20.4% की दर से कर लगेगा यह कर उसे अपने अतिरिक्त लाभों पर देना होगा।

कंपनी को लाभांश घोषित, वितरित या भुगतान करने के, जो भी सबसे पहले हो, 14 दिन के अंदर उर्पयुक्त कर चुकाना होगा।

वितरित किए गए लाभांश पर उपर्युक्त कर अंतिम होगा इस कर के भुगतान से कंपनी को या अंशधारियों को कोई जमा नहीं मिलेगा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारियों को वितरित आय पर करः-

1. यदि आय 1 अप्रैल 2001 से 31 मई 2001 तक वितरित की जाती है तो कर की दर 20.4% होगी।
2. यदि आय 31.5.2001 के पश्चात् परंतु 1.4.2002 से पूर्व वितरित की जाती है तो कर की दर 10.2% होगी।
3. यदि कर उसे 14 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। अन्यथा जितनी अवधि का विलम्ब होगा उस अवधि के लिए कर की देय राशि पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा।

Practical Problems of Companies

Example No. 1

अशोक एंड कंपनी लिमिटेड का 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्न लाभ दिखाता हैः-

वर्ष का शुद्ध लाभ 10,00,000 रुपये हिसाब के परीक्षण से निम्न पता चलाः-

1. प्रारम्भिक तथा अंतिम रहतिया क्रमशः 5,70,000 रुपये तथा 9,50,000 रुपये का था जो लागत से 5% कम पर मूल्यांकित किया गया है।
2. Industrial Court Award दिनांक 20 नवंबर, 2000 के फलस्वरूप गत वर्ष 1999-2000 के लिए श्रमिकों की देय 1,20,000 रुपये के बोनस की कटौती का दावा किया गया है। यह अभी लाभों में से घटाया नहीं गया है।
3. बिक्री विभाग के भवन को खाली करने पर 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि लाभों में शामिल है। करदाता का दावा है कि यह कर-योग्य नहीं है।
4. उपर्युक्त शुद्ध लाभ में से निम्न व्यय घटा दिये हैंः-
   i. ट्रेडमार्क के पंजीकरण के व्यय 10,000 रुपये
   ii. Custom के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाया।
   iii. विदेश से मशीन के आयात के लिए लिये गये ऋण पर 10,000 रुपये ब्याज चुकाया। मशीन 2000-01 में प्राप्त नहीं हुई।
   iv. चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वार्षिक चन्दा 500 रुपये चुकाया।
   v. धन-कर चुकाया 10,000 रुपये।
   vi. एक पुण्यार्थ संस्था को 25,000 रुपये दान दिया। यह संस्था धारा 80G के अंतर्गत अनुमोदित है।
   vii. कंपनी ने अंशों के नये निर्गमन के लिए 15,000 रुपये अभिगोपन कमीशन चुकाया तथा 2,000 रुपये एक बैंक से ऋण लेने के लिए दलाली चुकायी।
   viii. एक कर्मचारी को उसकी पुत्री की शादी के संबंध में 1,000 रुपये की सहायता दी।
   ix. कंपनी ने 3,00,000 रुपये अग्रिम कर के जमा कराये।

उपर्युक्त विवरण से कंपनी की कुल आय तथा देय की गणना कीजिए।

Ashok & Co. Ltd. disclosed the following profit in the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2002:

Net Profit during the year Rs. 10,00,000. The investigation of accounts showed the following:

i. Opening and closing stocks were Rs. 5,70,000 and Rs. 9,50,000 respectively, which were valued at 5% below cost.

ii. A claim is made fo deduction of bonus of Rs. 1,20,000 payable to workers for the previous year 1999-2000

in pursuance of Industrial Court Award dated 20th November, 2000. The same has not yet been charged against the profits.

iii. The profits include Rs. 20,000 received as compensation for vacation of the premises of Sales Department. The assessee claims that it is not taxable.

iv. The following expenses have been charged against the above net profit:

a. Trade Mark registration expenses of Rs 10,000.

b. Fine of Rs. 10,000 paid for breach of customs regulations.

c. Interest paid on borrowing for importing machinery from abroad Rs. 10,000. The machine was not received during 2000-01.

d. Rs. 500 paid to Chamber of Commerce as annual subscription.

e. Wealth tax paid Rs. 10,000.

f. Donation paid to a charitable institution Rs. 25,000. This institution is approved under section 80G.

g. The company paid Rs. 15,000 on account of Underwriting Commisison for fresh issue of shares and Rs. 2,000 on account of brokerage for raising a loan from the bank.

h. Paid Rs. 1,000 as aid to an employee in connection with his daughter's marriage.

5. The company deposited Rs. 3,00,000 as advance tax.

From the above particulars compute the company's Total Income and tax payable thereon.

Solution

Computation of Total Income

		Rs.	Rs.	Rs.
Net Profit as per P. & L. Account				10,00,000
Add: (i)	Adjustment reg. Stocks:			
	Undervaluation of Closing Stock (1/19 of Rs. 9,50,000)	50,000		
	Undervaluation of Opening Stock (1/19 of Rs. 5,70,000)	30,000	20,000	
(ii)	Fine of Customs		10,000	
(iii)	Interest on loan taken for purchase of machinery delivery of which has not been received is to be capitalised, hence disallowed		10,000	
(iv)	Wealth tax		10,000	
(v)	Donations		25,000	
(vi)	4/5th Underwriting Commission		12,000	
(vii)	Paid to an employee for his daughter'a marriage		1,000	88,000
Less: Bonus disallowed as it has not been paid so far (Sec. 43B)				1088000
	Gross Total Income			Rs. 10,88,000
Less: 50% of Donation of Rs. 25,000 u/s 80G				12,500
	Total Income			Rs. 10,75,500

Computation of Tax Payable

Income tax on Rs. 10,75,500 @ 35%		3,76,425
Add: Surcharge @ 2%		7,529
		3,83,954
Less: Advance Tax Deposited		3,00,000
	Tax Payable	Rs. 83,954

Example No. 2

रमेश लिमिटेड की गत वर्ष 2001-02 **की सकल कुल आय की गणना निम्नानुसार की गयी:**

		रु.
i.	**पेपर मिल्स की आय**	2,80,000
ii.	**लघु सीमेण्ट प्लाण्ट के लाभ** (1995 **में उत्पादन प्रारम्भ**)	60,000
iii.	**मेघालय (पिछड़ा राज्य) में स्थापित नए उद्योग के लाभ (यह उद्योग** 1999 **में लगाया गया)**	85,000
iv.	**निर्यात व्यापार के लाभ**	1,40,000
v.	**कुक्कुट पालन के व्यापार के लाभ**	1,05,000
vi.	**दीर्घकालीन पूंजी लाभ**	70,000
vii.	**रॉयल्टी से आय:**	
	i. **प्रभाकर लिमिटेड (भारतीय कम्पनी) को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए**	80,000
	ii. **स्टोनसन लिमिटेड (विदेश कम्पनी) को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए**	90,000
viii.	**पिछड़े क्षेत्र में जून,** 1989 **में स्थापित होटल के लाभ**	70,000
ix.	**ग्रामीण क्षेत्र में** 1 **जून,** 1990 **को स्थापित उद्योग के लाभ**	50,000
x.	**स्टील प्लाण्ट की हानि**	90,000
xi.	**अघरेलू कम्पनी के लाभांश**	75,000

कम्पनी की कुल आय की गणना एवं कर-दायित्व ज्ञात कीजिए। कम्पनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 40,000 **रुपये एवं परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए म.प्र. सरकार को** 80,000 **रुपये का दान दिया।**

The gross total income of Ramesh Ltd. was computed as under for the previous 2001-02

		Rs.
i.	Paper mills income	2,80,000
ii.	Mini cement plant profit (production started in 1995)	60,000
iii.	Profit of new industrial unit situated at Meghalaya (Backward industrial sate)	
	This unit was established in 1999.	85,000
iv.	Export business profit	1,40,000
v.	Profit form poultry farming	1,05,000
vi.	Long-term capital gain	70,000
vii.	Income from Royalty:	
	1. Income from Prabhakar Ltd. (Indian company) for supply of technical know-how	80,000

	2. Stoneson Ltd. (forieng company) for supply of technical know-how	90,000
viii.	Profit of Hotel established in backward area in June, 1989	70,000
ix.	Profit of small-scale industry established in rural area on 1st June, 1990	50,000
x.	Loss of steel plant	90,000
xi.	Dividend from non-domestic company	75,000

Compute company's total income and tax liability. Company donated Rs. 40,000 to P.M. National Relief Fund and Rs. 80,000 to M.P. Govt. for family planning.

Solution

Computation of Total Income of Company

	Rs.	Rs.
Income from Business:		
Paper Mill	2,80,000	
Cement plant	60,000	
New industrial unit	85,000	
Export	1,40,000	
Poultry farm	1,05,000	
Small-scale industry	50,000	
Hotel	70,000	
	7,90,000	
	90,000	7,00,000
Less: Loss Steel Plant		70,000
Long-term Capital Gain		
Income from Other Sources:		
Royalty Indian Company	80,000	
Royalty Foreign Company	90,000	
Dividend Foreign Comapny	75,000	2,45,000
Gross Total Income		10,15,000
Less: Deductions:		
i. us/801B: Cement Plant:		
30% of Rs. 60,000	18,000	
ii. u/s 801B: New industrial unit:		
100% of Rs. 85,000	85,000	
iii. u/s 80HHC: Exort:		
70% of Rs. 1,40,000	98,000	

iv. u/s 801: Small-scale industry:		
10 years period over in A.Y. 2000-01	Nil	
v. u/s 80G: PMNRF:		
100% of Rs. 40,000	40,000	
M.P. Govt. of family planning:		
Qualitifying amount:		
10% of (Rs. 10,15,000–70,000–2,01,000)		
= Rs. 74,400		
100% of Rs. 74,400	74,400	3,15,400
Total Income		6,99,600

Computation of Tax Liability

	Rs.
LTCG Rs. 70,000 @ 20%	14,000
Other income: Rs. 6,29,600 @ 35%	2,20,360
	2,34,360
Add: Surcharge @ 2%	4,687
Tax Liability	2,39,047

Note: Deduction u/s 80-O regarding royalty from foregin company is not available w.e.f A.Y. 1998-99.